रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 12, 1981 (अग्रहायण 21, 1903)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 12, 1981 (AGRAHAYANA 21, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

क्षेत्र–II

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 दिसम्बर 1981

सूचना

सं० क्षे० II/स्टाफ/6107—1. श्री आई जे० सहगल, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 12-6-1981 को जहांगीर पुरी शाखा में लेखापाल का पूर्ण कार्य भार संभाला ।

2. श्री पी० एन० गोसाईं, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 3-7-1981 को लक्ष्मी नगर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

3. श्री संतोष कुमार, अधिकारी जूनियर मैनेजमेट ग्रेड, ने दिनांक 6-7-1981 को फतेहपुरी शाखा में प्रधान रोकड़िया का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

4. श्री के० एन० जूनेजा अधिकारी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड (स्केल-2, ने दिनांक 24-7-1981 को कमला नगर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

5. श्री एस० के० बहल अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड ने दिनांक 17-7-1981 को बजीरपुर शाखा में प्रधान रोकड़िया का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

6. श्री पी० के० गोयल अधिगारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड ने दिनांक 9-7-1981 को किशनगंज शाफा में लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

7. श्री वी० के० सहगल अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 29-6-1981 को नरेला शाखा मे प्रधान रोकड़िया का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

8. श्री बी० एम० कुछल, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 29-6-1981 को नरेला शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

9. श्री एच० एल० चावला, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 25-7-1981 को पुराना सचिवालय शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

10. श्री एच० आर० ओझा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 23-7-1981 को सीमापुरी शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

11. श्री वी० एन० पुष्प, अधिकारी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड (स्केल II), ने दिनांक 21-9-1981 को सोनीपत शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

12. श्री एच० आर० अग्रवाल, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 29-12-1980 को हौज काजी शाखा में लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

13. श्री एच० डी० कोहली, अधिकारी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड (स्केल II), ने दिनांक 18-9-1981 को दिल्ली यूनिवर्सिटी शाखा में प्रबन्धक (वैयक्तिक बैंकिंग प्रभाग) का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

14. श्री के० सी० भाटिया, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 23-7-1981 को कमला नगर शाखा में क्षेत्र अधिकारी का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

15. श्री आर० के० शर्मा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 12-10-1981 को भटगांव शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

16. श्री एम० एल० बजाज, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 5-10-1981 को जी० टी० करनाल रोड शाखा में लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

17. श्री डी० डी० कत्याल, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रड, ने दिनांक 29-9-1981 को खरखोदा शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संधाला ।

18. श्री एम० आर० गुप्ता, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 29-9-1981 को खरखोदा शाखा में प्रधान रोकड़िया का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

19. श्री एस० एस० चड्ढा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 14-10-1981 को रोशनारा रोड शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

20. श्री जे० एस० चड्ढा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 2-6-1981 को कमला नगर शाखा में लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

21. श्री के० एम० तोमर, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 26-10-1981 को करवाल नगर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

22. श्री वी० के० शर्मा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 26-10-1981 को करवाल नगर शाखा में प्रधान रोकड़िया का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

23. श्री वी० के० खन्ना, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 25-9-1981 को घंटाघर शाखा में लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

24. श्री जे० एल० खुराना, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 12-8-1981 को रोशनारा रोड शाखा में लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

25. श्री एम० पी० शर्मा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 10-8-1981 को आसफ अली रोड शाखा में प्रबन्धक (वै०) का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

26. श्री एम० के० भसीन, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 9-11-1981 को पहाड़गंज शाखा में प्रबन्धक (वै०) का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

सं० क्षे०II/स्टाफ/6108—1. श्री एच० सी० कुमार अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 7-3-1981 को इन्द्रलोक शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

2. श्री एम० आर० मल्होत्रा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 19-2-1981 को सीलमपुर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

3. श्री आत्म प्रकाश तुली, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 20-3-1981 को आजादपुर शाखा मे लेखापाल का कार्यभार संभाला ।

4. श्री सदानन्द, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड ने दिनांक 27-2-1981 को माडल टाउन दिल्ली शाखा में प्रबन्धक (वै०) का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

5. श्री एस० के० जैन, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 5-3-1981 को कार्य समाप्ति पर आश्ली शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

6. श्री ए० के० झंजी, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 6-4-1981 की कार्य समाप्ति पर विजय नगर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

7. श्री राम दत्त, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 26-12-1980 को समयपुर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

8. श्री डी० एस० आहूजा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 4-4-1981 को शकूरबस्ती शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

9. श्री एस० एस० खन्ना, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 23-3-1981 की कार्य समाप्ति पर कृष्णा नगर शाखा में लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

10. श्री एस० सी० एस० रोहिल्ला, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 31-3-1981 को कृष्णा नगर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

11. श्री ए० के० अग्रवाल, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 10-4-1981 की कार्य समाप्ति पर पहाड़गंज शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

12. श्री बलराज कपूर, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 18-4-1981 को कार्य समाप्ति पर क्षेत्र अधिकारी का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

13. श्री आर० पी० दुआ, अधिकारी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ने दिनांक 29-4-1981 को जी० टी० रोड शाहदरा में लेखापाल का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

14. श्री पी० सी० गर्ग, अधिकारी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड (स्केल II) ने दिनांक 13-4-1981 को जी० टी० रोड शाहदरा शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला ।

15 श्री एस० एन० बुद्धवर, अधिकारी जूनियर मैनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 25-4-1981 को बर्तन मार्किट शाखा मे क्षेत्र अधिकारी का पूर्ण कार्यभार सभाला ।

16 श्री एन० के० शर्मा, अधिकारी जूनियर मनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 31-3-1981 की कार्य समाप्ति पर तीस हजारी शाखा मे प्रबन्धक (वै०) का पूर्ण कार्यभार संभाला।

17 श्री के० एल० तनेजा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 18-5-1981 को राणा प्रताप बाग, दिल्ली शाखा मे लेखापाल का पूर्ण कार्यभार सभाला ।

18. श्री एस० के० नागपाल, अधिकारी जूनियर मैनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 16-4-1981 की कार्य समाप्ति पर किशनगज शाखा मे शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार संभाला।

19 श्री एल० एन० गुप्ता, अधिकारी जूनियर मनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 13-4-1981 को घण्टाघर शाखा मे लेखापाल का पूर्ण कार्यभार सभाला ।

20. श्री एल० एन० गुलाटी, अधिकारी जूनियर मनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 6-5-1981 को जहागीरपुरी शाखा मे शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार सभाला ।

21. श्री जे० पी० शर्मा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 21-1-1981 को गाधी नगर शाखा मे शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार सभाला ।

22 श्री एस० पी० सहगल, अधिकारी मिडिल मैनेजमेट ग्रेड, (स्केल-III) दिनाक 16-1-1981 को कार्य समाप्ति पर तीस हजारी शाखा मे शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार सभाला ।

23 श्री बी० आर० चावला, अधिकारी जूनियर मैनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 31-3-1981 को तीस हजारी शाखा मे रोकड़ लेखापाल का पूर्ण कार्यभार सभाला ।

24 श्री बी० आर० शर्मा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 8-4-1981 को खेडाखुर्द शाखा मे पूर्ण कार्यभार सभाला ।

25 श्री आर० के० मल्होत्रा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 30-3-1981 को सीलमपुर शाखा मे शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार सभाला ।

26 श्री आर० पी० मल्होत्रा, अधिकारी जूनियर मैनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 29-5-1981 को राजपुर रोड शाखा मे शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार सभाला ।

27 श्री एस० के० चोपडा, अधिकारी जूनियर मनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 5-5-1981 को आजाद मार्किट शाखा मे शाखा प्रबन्धक का पूर्ण कार्यभार सभाला ।

28 श्री बी० एम० मेहदीरत्ता, अधिकारी जूनियर मैनेजमेट ग्रेड, ने दिनाक 29-5-1981 का कार्य समाप्ति पर घटाघर शाखा मे पूर्ण कार्यभार सभाला ।

हस राज शर्मा,
क्षेत्रीय प्रबन्धक

नई दिल्ली, दिनाक 27 नवम्बर 1981

सख्या 1-सी ए (127)/81—चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस एक्ट, 1949 की द्वितीय अनुसूची के भाग 2 के क्लाज (।।) द्वारा प्रदत्त अधिकारो के कार्यान्वयन म इस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टन्टस आफ इडिया की कौसिल एतद्द्वारा भारत सरकार के गजट दिनाक 29 अप्रैल, 1967 के भाग-3 धारा 4 मे प्रकाशित अधिसूचना सख्या 1-सी ए (18)/67 को वापस लेती है।

पी एस गोपालकृष्णन
सचिव

33वी वार्षिक रिपोर्ट

1980-81

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली, दिनाक 17 जुलाई, 1981

सूचना

सूचना दी जाती है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अशधारियो (शेयरहोल्डरो) की तेतीसवी वार्षिक महासभा बुधवार, 30 सितम्बर 1981 को साय 4 00 बजे (मानक समय) होटल इम्पीरियल जनपथ, नई दिल्ली-110001 मे होगी, जिसमे निम्नलिखित विषयो पर कार्यवाही की जायेगी —

(1) 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष को निगम का तुलन-पत्र तथा लाभ हानि लेखे का पठन तथा उन पर विचार करना एव निगम के कार्य के सम्बन्ध मे बोर्ड की रिपोर्ट तथा उक्त तुलन-पत्रो और लेखो के सम्बन्ध मे लेखा-परीक्षको की रिपोर्ट पर विचार करना।

(2) (1) श्री पी० सी० डी० नाम्बियार (2) श्री एस० हरिहरन तथा (3) श्री जे० यू० पटेल, प्रत्येक के स्थान पर औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उपधारा (1) के क्रमश खण्ड (ग), (घ) और (ङ) मे निर्दिष्ट अशधारियो के प्रतिनिधि के रूप मे एक-एक सचालक चुनना, जो कार्यनिवृत्त हो गए है, पर वे औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के तीसरे परन्तुक के अधीन फिर से चुने जा सकते है।

(3) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में उल्लिखित पार्टियों, अर्थात् अनुसूचित बैंकों, बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और ऐसे ही अन्य वित्तीय संस्थानों तथा सहकारी बैंकों द्वारा मैसर्स रे एण्ड रे, सनदी लेखापाल, कलकत्ता के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का पहला) की धारा 226 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कम्पनियों के लेखा-परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् अर्हता प्राप्त एक लेखा-परीक्षक को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत चुनना। मैसर्स रे एण्ड रे इस वर्ष के अन्त में कार्यनिवृत्त हुए है पर वे फिर से चुने जा सकते हैं।

डी० एन० डावर,
महाप्रबन्धक

अध्यक्ष	बी० बी० सिंह
सदस्य	आर० के० कौल
	एस० एल० कपूर
	केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित
	एस० ए० दवे
	जे० सी० सन्देसारा
	एस० के० दत्ता
	के० पी० त्रिपाठी
	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित
	पी० सी० डी० नाम्बियार
	ओ० पी० गुप्ता
	अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित
	जी० बी० कपाड़िया
	एस० हरिरन
	बीमा संस्थाओं, आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित
	जे० यू० पटेल
	एन० एस० सपकाल
	सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित
महाप्रबन्धक	डी० एन० डावर
बैंकर्स	भारतीय रिजर्व बैंक
लेखा-परीक्षक	बी० एल० अजमेरा एण्ड कं०, सनदी लेखापाल
	रे, एण्ड रे, सनदी लेखापाल
प्रधान कार्यालय	बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

सलाहकारी समितियाँ

रसायन प्रक्रिया और समवर्गीय प्रक्रिया	वस्त्र	होटल
बी० बी० सिंह, अध्यक्ष	बी० बी० सिंह, अध्यक्ष	बी० बी० सिंह, अध्यक्ष
जे० यू० पटेल	जे० यू० पटेल	ओ० पी० गुप्ता
ओ० पी० गुप्ता	जे० सी० सन्देसारा	जी० बी० कपाड़िया
जी० बी० कपाड़िया	एन० एस० सपकाल	के० पी० त्रिपाठी
के० पी० त्रिपाठी	एम० डी० जोशी	के० के० श्रीवास्तव
एस० के० दत्ता	एम० एस० प्रधान	एस० के० मिश्रा

एस० एस० सचदेवा
डी० जी० राव
एस० एल० कपूर
एन० बी० सी० राव
ए० के० बोस
जे० पी० कपूर
के० सी० शर्मा

एच० रामाकृष्णा राव
एच० एस० राका
एच० पी० भट्टाचार्य
ए० के० भषाली
पी० सी० मेहता
एस० एस० छपाड़िया

आर० एन० रंजन
सी० एल० शर्मा
एस० एन० चिब
के० जी० अप्पूसामी
ए० के० दवे
जे० कृष्णास्वामी

इंजीनियरिंग

बी० बी० सिंह, अध्यक्ष
जे० यू० पटेल
जे० सी० सन्देसारा
एस० के० दत्ता
के० पी० त्रिपाठी
हरी भूषण
के० एन० रामास्वामी
एस० आर० टाटा
के० बी० सरदेसाई
पी० सेम
एम० एल० जैन
बी० रामाचन्द्रन
चन्द्र मोहन
एस० एम० पाटिल
बी० एन० खोसला

चीनी

बी० बी० सिंह, अध्यक्ष
जे० सी० सन्देसारा
एन० एस० सपकल
के० पी० त्रिपाठी
सी० एन० राघवन
एन० आर० बैनर्जी
एम० डी० जोशी
एन० ए० रमैया
के० जे० एस० भाटिया
जे० पी० मुखर्जी
ए० एल० एन० मूर्ति
डी० के० पटेल
किशन सिंह

पटसन

बी० बी० सिंह अध्यक्ष,
जे० सी० सन्देसारा
एस० के० दत्ता
एस० पी० मलिक
ए० के० मुखर्जी
एस कृष्णामूर्ती
के० मार्गबन्धु
सी० टी० दास
डी० गुप्ता
जी० सिवारमन
एस० के० भट्टाचार्य
एस० सरकार

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम—एक छवि

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, संसद के अधिनियम के अन्तर्गत पहली जुलाई, 1948 को स्वतन्त्रता के तत्पश्चात् देश की पात्र औद्योगिक संस्थाओं को मध्यम और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया पहला विकास बैंक है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 50 प्रतिशत शेयर पूंजी औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तथा शेष राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा संस्थाओं और निवेश न्यासों, आदि द्वारा लगाई गई है। निगम के कारोबार और सामान्य कार्यों का अधीक्षण और निदेशन, एक संचालक बोर्ड में निहित है, जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सहित 12 अन्य संचालक, जिनमे से 6 भा० औ० वि० बैं० से भिन्न अंशधारियों द्वारा चुने हुए, 2 केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए हुए तथा 4 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नियुक्त किए हुए होते हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, देश के निगमित और/अथवा सहकारी क्षेत्र में स्थापित और स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी पात्र मध्यम और बड़े पैमाने की औद्योगिक परियोजनाओं को प्रत्यक्ष रुपया और विदेशी मुद्रा ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता, शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी और/अथवा प्रत्यक्ष अभिदान के साथ-साथ आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटी एवं विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करता है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी दातव्य आरक्षित निधि तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ब्याज अन्तर-जन्य निधियों के आबंटन से लघु स्तरीय और सहायक इकाइयों के विकास और संवर्द्धन में सहायता करता है तथा विशेष रूप से अपनाई गई प्रवर्तन योजनाओं और इस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई विशेष एजेंसियों, जैसे तकनीकी सलाहकारी संगठनों आदि द्वारा देशी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, नये उद्यमियों को प्रवर्तकों के हिस्से की इक्विटी जुटाने में मदद करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की स्थापना की है। निगम द्वारा प्रायोजित प्रबन्ध विकास संस्थान और विकास बैंकिंग केन्द्र विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में आधुनिक प्रबंध तकनीक और प्रबन्धकीय निपुणता के विकास में प्रशिक्षण देते हैं।

कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(रुपये, करोड़ों में)

	1979-80			1980-81			1948-81		30 जून, 1981 को
	मंजूरियां		संवितरित राशि	मंजूरियां		संवितरित राशि	मंजूर की राशि	संवितरित	बकाया रकम
	सं०	राशि		सं०	राशि				
ऋण									
रुपया . . .	188	125.29	82.78	200	176.36	105.63	990.53	708.77	500.54
विदेशी मुद्रा@ . .	28	21.78	9.56	31	17.57	19.28	152.99	122.22	47.47
जोड़ . . .	216	147.07	92.34	231	193.93	124.91	1143.52	830.99	548.01
हामीदारियां									
साधारण शेयर . .	37	7.38	1.73	56	13.67	1.37	61.63	20.81	17.22
अधिमान शेयर . .	1	0.10	—	—	—	0.06	10.66	8.23	4.60
डिबेंचर . . .	2	1.12	—	2	3.00	0.07	15.63	8.99	0.78
जोड़ . . .	40	8.60	1.73	58	16.67	1.50	87.92	38.03	22.60
प्रत्यक्ष अभिदान									
साधारण शेयर . .	11	0.58	0.47	5	0.43	0.49	6.13	4.88	10.85
अधिमान शेयर . .	—	—	—	—	—	—	0.32	0.32	0.83 £
डिबेंचर . .	1	0.04	0.04	1	0.15	0.15	2.03	2.03	0.24
जोड़ . . .	12	0.62	0.51	6	0.58	0.64	8.48	7.23	11.94
गारंटियां									
आस्थगित . . .	1	0.14	—	1	0.70	—	29.52	28.76	0.34
अदायगियों के लिए									
विदेशी ऋणों के लिए . .	—	—	—	—	—	—	23.61	23.53	—
जोड़ . . .	1	0.14	—	1	0.70	—	53.13	52.29	0.34
कुल जोड़ . . .	269*	156.43	94.58	296**	211.88	127.05	1293.05	928.54	582.87

*ये मंजूरियां 202 संस्थाओं की 237 परियोजनाओं को मंजूर की गई ।

**ये मंजूरियां 222 संस्थाओं की 253 परियोजनाओं को मंजूर की गई ।

£इनमें 5 संस्थाओं के 0.87 करोड़ रुपये के बकाया ऋणों का भाग (अतिदेय ब्याज, आदि) सम्मिलित है जिन्हें शेयरों में बदला गया तथा 3 संस्थाओं के 0.18 करोड़ रुपये के संपरिवर्तनीय डिबेंचर सम्मिलित हैं जिन्हें साधारण शेयरों में बदल दिया गया और 48 संस्थाओं के 5.80 करोड़ रुपये की बकाया ऋण की राशि भी सम्मिलित है, जिसमें ऋण मंजूर करते समय संपरिवर्तन के अधिकार से सम्बन्धित शर्तें लगाई गई थी ।

@विदेशी मुद्रा के सभी आंकड़ों का संपरिवर्तन 30 जून, 1981 को लागू तार-अन्तरण विक्रय दरों के अनुसार किया गया है ।

सहायता का प्रसार और क्षेत्र

30 जून, 1981 को

सहायता का प्रसार			सहायता का क्षेत्र		
राज्य/क्षेत्र	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये)	परियोजनाओं की संख्या	उद्योग	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये)	परियोजनाओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आंध्र प्रदेश	105.45	117	चीनी : . . .		
असम	12.03	11	सहकारिताएं . .	148.89	144
बिहार	48.36	50	अन्य . . .	38.69	53
गुजरात	108.05	119		———	———
हरियाणा	39.67	61		187.58	197
हिमाचल प्रदेश . . .	7.76	12		———	———

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जम्मू व कश्मीर	4.32	8	वस्त्र	211.12	296
कर्नाटक	107.18	113	पठसन उत्पाद	16.77	24
केरल	46.64	41	रसायन :		
मध्य प्रदेश	36.95	36	मूल रसायन	92.56	72
महाराष्ट्र	239.65	276	उर्वरक व कीटनाशक	63.38	23
मेघालय	2.74	2	कृत्रिम रेशे व रेसिन्स	52.44	39
नागालैण्ड	0.50	1	अन्य रसायन	22.96	47
उड़ीसा	28.00	28			
पंजाब	53.89	51		231.34	181
राजस्थान	69.81	57			
तमिलनाडु	128.98	123	सीमेंट	109.57	66
			कागज	104.65	86
त्रिपुरा	1.16	1	रबर उत्पाद	32.90	24
उत्तर प्रदेश	137.36	141	लोहा व इस्पात	76.63	67
पश्चिम बंगाल	89.51	129	मशीनरी	62.08	92
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.49	1	परिवहन उपस्कर	43.38	52
दिल्ली	13.85	13	बिजली मशीनरी व उपस्कर	40.36	64
गोआ	8.70	8	अलौह धातुएं	36.63	31
पांडिचेरी	1.80	3	धातु उत्पाद	28.66	54
			बिजली व गैस	27.25	11
			होटल	22.30	34
			अन्य	61.81	105
जोड़	1293.05	1404	जोड़	1293.05	1404

वित्तीय सार
1960-81

	करोड़ रुपये	अमरीकी डालर के बराबर* (दस लाख में)
शेयर पूंजी (प्रदत्त)	17.50	21.82
रिजर्व	40.13	50.03
रुपया उधार	493.30	615.00
विदेशी मुद्रा में उधार	42.51	53.00
जालू व अन्य देयताएं	34.82	43.41
आकस्मिक देयताएं	0.50	0.62
ऋण व अग्रिम	548.01	683.30
निवेश	35.48	44.23
नकद व बैंक शेष	21.16	26.38
स्थिर व अन्य सम्पत्तियां	23.61	29.43
संघटक देयताएं	0.50	0.62
सकल आय	48.25	60.16
कराधान से पूर्व लाभ	12.94	16.13
कर	4.56	5.60
निवल लाभ	6.38	10.45
अधिलाभांश	1.12	1.39

*रुपये का संपरिवर्तन 8.02 रुपये प्रति अमेरिकी डालर की दर से 30 जून, 1981 को लागू तार-अन्तरण विनिमय दर के अनुसार किया गया है ।

अध्याय—1

कार्य परिणाम और प्रगति 1980-81

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का संचालन बोर्ड 33वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा-परीक्षित लेखा-विवरण सहर्ष प्रस्तुत करता है।

कार्य-परिणाम

वर्ष के कार्य-परिणामों के फलस्वरूप 48.25 करोड रुपये की कुल आय हुई, जो कि पिछले वर्ष 39.77 करोड़ रुपये थी। बाडों और अन्य उधारों पर 30 80 करोड़ रुपये की राशि का ब्याज अदा करने और 0.05 करोड़ रुपये के मूल्य-ह्रास, विनिमय में उतार-चढ़ावों के कारण 0.11 करोड़ रुपये की हानि सहित सभी खर्चों को घटाने के पश्चात् वर्ष के दौरान 12 94 करोड़ रुपये का कराधान पूर्व लाभ हुआ, जबकि यह पिछले वर्ष 10 18 करोड़ रुपये था। 4.56 करोड़ रुपये की राशि का आय-कर देनता की व्यवस्था के पश्चात् वर्ष के दौरान 8.38 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ जबकि यह पिछले वर्ष 4.79 करोड़ रुपये ही था। वर्ष के दौरान हुए निवल लाभ का समायोजन निम्नलिखित अनुसार किया गया है :—

(रुपये करोड़ों में)

पिछले वर्ष (1979-80)			इस वर्ष (1980-81)	
4.79		वर्ष के लिए निवल लाभ		8.38
		समायोजन :		
		अन्तरित		
	0.85	(क) सामान्य आरक्षित निधि	1.46	
	0.25	(ख) वातव्य आरक्षित निधियां	0.25	
	2.73	(ग) विशेष रिजर्व	5.54	
3.83		(आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (viii) के अधीन)		7.25
0.02		कर्मचारी कल्याण निधि को आबंटन		0.01
0.94	(6½%)	अधिलाभांश की अवायगी		1.12 (7%)
4.79				8.38

कार्य-संचालन में सुधार और आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (iii) के अधीन वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध आय-कर छूट के कारण वर्ष के दौरान निवल लाभ में पिछले वर्ष के लाभ में 74.9% की वृद्धि हुई।

आरक्षित निधियों में 7.25 करोड़ रुपये की राशि का अन्तरण हो जाने से अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लिए वित्तपोषण हेतु अधिक उधार लेकर साधन जुटाना संभव होगा।

संचालन (1980-81)

अर्थव्यवस्था, विशेषकर वित्तीय वर्ष 1980-81 के उत्तरार्द्ध में हुए समग्र सुधार को देखते हुए वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुए आवेदनों में तेजी से वृद्धि हुई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर वर्ष के दौरान 259 संस्थाओं के आवेदनों पर 1319.59 करोड़ रुपये की सहायता (उदार ऋण मामलों सहित) प्रदान करने के लिए विचार किया जबकि पिछले वर्ष 237 संस्थाओं के आवेदनों पर 865.54 करोड़ रुपये की सहायता (उदार ऋण मामलों सहित) प्रदान करने के लिए विचार किया गया था। वर्ष के प्रत्येक मास में औसतन 21 से अधिक आवेदनों पर विचार किया गया।

वर्ष के दौरान (उदार ऋण मामलों सहित) आवेदनों के निपटान को दर्शाने वाली राज्य-वार सारणी रिपोर्ट के परिशिष्ट-क में दी गई है।

30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार 31 संस्थाओं की सामान्य वित्तपोषण योजना तथा 2 संस्थाओं से उदार ऋण योजना के अधीन क्रमशः 255.60 करोड़ रुपये तथा 4.90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन विचाराधीन की विभिन्न स्थितियों में थे। इसके अतिरिक्त सामान्य वित्तपोषण योजना के अधीन 70 संस्थाओं के 617.85 करोड़ रुपये की सहायता के लिए तथा उदार ऋण योजना के अधीन 6 संस्थाओं के 16.87 करोड़ रुपये की सहायता के लिए आवेदन नियम के विचाराधीन थे, इन मामलों में संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर निगम सहित अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त व्यवस्था की जानी है। इन मामलों में, कुछ महत्वपूर्ण मसले/मूलभूत मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जा जा रहा है।

मंजूरियां

निगम द्वारा वर्ष 1980-81 में 222 संस्थाओं की 253 परियोजनाओं के लिए कुल 212.73 करोड़ रुपये की सकल वित्तीय सहायता मंजूर की गई जबकि 1979-80 में यह सहायता 202 संस्थाओं की 237 परियोजनाओं के लिए 157.24 करोड़ रुपये मंजूर की गई थी। 0.85 करोड़ रुपये की रद्द की गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद 253 परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता की राशि 211.88 करोड़ रुपये थी, जिससे पूर्ववर्ती वर्ष में 237 परियोजनाओं के लिए 156.43

करोड़ रुपये की निवल वित्तीय सहायता में 35.4% वृद्धि प्रकट होती है। वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता मंजूर की गई संस्थाओं का ब्यौरा रिपोर्ट "परिशिष्ट-ख में दिया गया है।

176-36 करोड़ रुपये के रुपया ऋणों सहित रुपया मंजूरियां, जिनमें 17.25 करोड़ रुपये की हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान सहायता तथा 0.70 करोड़ रुपये की गारंटियां भी शामिल हैं, 1980-81 में 194.31 करोड़ रुपये थी। जबकि 1979-80 में यह 134.65 करोड़ रुपये था, इसमें 44.3% की वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 के दौरान मंजूर किए गए 176.36 करोड़ रुपये के रुपया ऋणों में उदार ऋण योजना के अन्तर्गत 50 परियोजनाओं को मंजूर की गई 25.52 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा ऋण मंजूरियां 17 57 करोड़ रुपये रही, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में 15.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे (21.78 करोड़ रुपये, यदि 30 जून, 1981 को लागू तार अन्तरण विक्रय दरों पर परिवर्तित किया जाए) उल्लेखनीय है कि पहली जुलाई, 1980 से निगम द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप विदेशी मुद्रा ऋणों के रुपया समकक्ष को लेखा वर्ष के अन्तिम दिन लाग तार अन्तरण विक्रय दरों पर निर्धारित किया जाता है।

संवितरण

वर्ष 1979-80 में 94.58 करोड़ रुपये के संवितरणों के मुकाबले वर्ष 1980-81 में 127.05 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया। इसमें लगभग 34.3% की वृद्धि हुई। कुल रुपया संवितरण 105.63 करोड़ रुपये रहे जिसमें उदार ऋण योजना के अन्तर्गत संवितरित किए गए 24.59 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। वर्ष 1979-80 में तार अन्तरण विक्रय दरों पर 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार इस वर्ष के दौरान 19.28 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा ऋण का संवितरण किया गया जबकि पिछले वर्ष यह 9.56 करोड़ रुपये था (तत्कालीन सम दरों पर 7.91 करोड़ रुपय)। वर्ष के दौरान हामीदारी/प्रत्यक्ष अभिदान के माध्यम से 2.14 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया।

प्राथमिकता वाले उद्योगों को सहायता

उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले उद्योगों और अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को वर्ष के दौरान निगम की सहायता का प्रमुख भाग प्राप्त हुआ, जो कुछ मंजूर सहायता का 83.4% रहा। सूती वस्त्र उद्योग को कुल मंजूर सहायता का 18.6 प्रतिशत, चीनी उद्योग को 11.5 प्रतिशत, सीमेन्ट उद्योग को 11.5% कागज उद्योग को 9.2 प्रतिशत, मूल औद्योगिक रसायन उद्योग को 5.7 प्रतिशत, उपकरणों सहित शक्ति जनन, आदि को 4.8 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान वित्तपोषित 253 परियोजनाओं में से उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता और अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों की परियोजनाओं की संख्या 199 थी और उन्हें 176.75 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई।

वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रकार

वर्ष 1980-81 के दौरान मंजूर की गई सहायता के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 104 नई परियोजनाओं को 131.41 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि 84 परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और नवीकरण आदि के लिए 39.70 करोड़ रुपय मंजूर किए गए। 15 परियोजनाओं के विस्तार-विशाखन के लिए 15.25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए और उदार ऋण योजना के अन्तर्गत 50 परियोजनाओं को 25.52 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। विश्लेषण से यह भी प्रकट होता है कि उद्योग ने नई इकाइयां स्थापित करने पर और विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण पर पर्याप्त महत्व दिया और जहां तक विशाखन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, अधिकांश मामलों में उद्योग अपनी आवश्यकताओं को यथोचित सीमा तक उनके स्वयं के आन्तरिक प्रोद्भूत से पूरा करने में समर्थ था।

वर्ष के दौरान सहायता की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि 5.00 करोड़ रुपये से अधिक परियोजना लागत वाली उच्च लागत परियोजनाओं को, नई परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता का 88.5 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ जो कि 1979-80 में 66.1 प्रतिशत था। पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तपोषित नई परियोजनाओं का कुल पूंजीगत लागत की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण रिपोर्ट के परिशिष्ट "ग" में दिया गया है।

नये और तकनीकज्ञ उद्यमियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

वर्ष के दौरान नये उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 7 नई परियोजनाओं को 9.10 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। नए उद्यमियों द्वारा स्थापित उन 8 नई परियोजनाओं को, जिन्हे पहले वित्तपोषित किया गया था, पूरा करने के लिए 1.44 करोड़ रुपये की अतिरिक्त और/अथवा अतिव्यय सहायता उपलब्ध की गई। नये उद्यमियों द्वारा स्थापित नई परियोजनाओं में 3 सीमेंट संयंत्र 2 आन्ध्र प्रदेश में और एक कर्नाटक में गोआ में एक होटल; कर्नाटक में एक स्पन सिल्क संयंत्र; गुजरात में एक पोलिब्युटेनस निर्माण संयंत्र और राजस्थान में चीनी मिट्टी की चमकीली टाइलों का संयंत्र शामिल हैं।

कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए सहायता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित 127 परियोजनाओं को कुल 103.26% करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई; जो वर्ष के दौरान कुल मंजूर सहायता का 48.7 प्रतिशत भाग थी, जबकि पिछले वर्ष यह 46.0 प्रतिशत थी। अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में वित्तपोषित परियोजनाओं में से 68 नई परियोजनाएं थीं, जिनमें 19 परियोजनाओं की पूंजीगत

पूंजीगत 5.00 करोड़ रुपये से कम थी और 49 परियोजनाओं की पूंजीगत लागत 5.00 करोड़ रुपये से अधिक थी।

वित्तीय सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण

वर्ष के दौरान निगम ने 19 चीनी सहकारिताओं को 16.70 करोड़ रुपये की और तीन वस्त्र सहकारिताओं को 2.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की जो कुल मिलाकर 19.00 करोड़ रुपये थी। यह पिछले वर्ष के दौरान मंजूर की गई सहायता से काफी अधिक थी, जो कि 9 सहकारिताओं के लिए केवल 4.34 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान सहायता मंजूर की गई 22 सहकारिताओं में से महाराष्ट्र स्थित 7 सहकारिताओं को 7.51 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की 5(3.62 करोड़ रुपये), आन्ध्र प्रदेश की 4(3.47 करोड़ रुपये), कर्नाटक की 3(2.25 करोड़ रुपये) और गुजरात की एक (0.60 करोड़ रुपये), मध्य प्रदेश की एक (1.05 करोड़ रुपये) और उड़ीसा की एक (0.50 करोड़ रुपये) सहकारिता को सहायता प्राप्त हुई।

निगमित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र की 173 परियोजनाओं को 128.45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जबकि संयुक्त क्षेत्र की 28 इकाइयों और सरकारी क्षेत्र की 30 इकाइयों को क्रमशः 21.52 करोड़ रुपये और 42.91 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। निजी निगमित क्षेत्र मे, बड़े औद्योगिक गृहों अर्थात् एम० आर०टी०पी०, अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत पारस्परिक रूप से सम्बद्ध औद्योगिक गृहों को प्राप्त सहायता में अत्यधिक ह्रास हुआ क्योंकि यह वर्ष के दौरान कुल मंजूर सहायता का 17.4 प्रतिशत भाग थी जबकि पिछले वर्ष में यह कुल मंजूर सहायता का 30.6 प्रतिशत भाग थी।

प्रतिशत अनुसार निजी निगमित क्षेत्र को सहायता का 60.6 प्रतिशत, संयुक्त क्षेत्र को 10.2 प्रतिशत, सरकारी क्षेत्र को 20.2 प्रतिशत और सहकारिता क्षेत्र को 9 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ।

रिपोर्ट के परिशिष्ट "घ" में वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता का क्षेत्रवार और उद्योगवार वर्गीकरण दिया गया है।

उद्योगवार मंजूरियां और संवितरण (1980-81)

वर्ष के दौरान मंजूर और संवितरित की गई वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण रिपोर्ट के परिशिष्ट "ङ" में दिया गया है। रिपोर्ट में उद्योगवार सांख्यिकीय आंकड़े राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं।

इससे स्पष्ट है कि वस्त्र उद्योग को सहायता का प्रमुख भाग प्राप्त हुआ और इसके बाद प्राप्त होने वाली सहायता में रसायन और रसायन उत्पाद, चीनी, कागज, सीमेन्ट, इंजीनियरिंग उद्योग आदि का क्रम रहा।

उदार ऋण योजना

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है वर्ष 1980-81 के दौरान मंजूर वित्तीय सहायता में उदार ऋण योजना के अन्तर्गत 39 संस्थाओं की 50 परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई 25.52 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

उदार ऋण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में मंजूर की गई सहायता में पिछले वर्ष की गई मंजूरियों की तुलना मे कमी हुई। इस प्रवृत्ति के कारण (क) वस्त्र उद्योग विशेषतः सूती वस्त्र उद्योग में प्रवृत्त अनुकूल परिस्थितियां जिनसे अधिकांश इकाइयों को उनकी आधुनिकीकरण और नवीकरण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए उनके स्वयं के स्रोतों से सहायता प्राप्त हुई और (ख) विशेषकर पटसन उद्योग की इकाइयों ने, संभवतः अपने आधुनिकीकरण प्रस्तावों को आगे के लिए टाल दिया, चूंकि बढ़िया किस्म के कल-पुर्जे उपलब्ध न हो सके और देश के मशीनरी संभरकों ने संभरण के लिए अत्यधिक लम्बे अरसे की तारीखों का संकेत दिया।

उदार ऋण योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई 25.92 करोड़ रुपये (2.90 करोड़ रुपये उदार शर्तों पर और 22.62 करोड़ रुपये सामान्य शर्तों पर) की कुल सहायता मे से 54.3 प्रतिशत भाग (13.86 करोड़ रुपये) सूती वस्त्र उद्योग की 28 परियोजनाओं को प्राप्त हुआ और इंजीनियरिंग उद्योग की 9 परियोजनाओं को 25.9 प्रतिशत भाग (6.60 करोड़ रुपये) प्राप्त हुआ उदार ऋण योजना के अंतर्गत कुल मंजूरियों में छह चीनी इकाइयो को सहायता का 11.1 प्रतिशत भाग (2.84 करोड़ रुपये) पांच सीमेन्ट इकाइयों को 3.4 प्रतिशत भाग (0.87 करोड़) रुपये) और दो पटसन इकाइयो को 5.3 प्रतिशत भाग (1.35 करोड़ रुपये) प्राप्त हुआ।

उदार ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाली 50 परियोजनाओं में से 11 महाराष्ट्र मे, 8 उत्तर प्रदेश में, 7 गुजरात में, 4 मध्य प्रदेश में, 5 आन्ध्र प्रदेश में, 5 तमिलनाडु मे, 3 पश्चिमी बंगाल मे, 2 कर्नाटक मे हैं और एक-एक परियोजना बिहार, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान मे है। महाराष्ट्र और गुजरात की परियोजनाओं को 11.30 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई, जो कि उदार ऋण योजना के अन्तर्गत कुल मंजूर सहायता का 44.3 प्रतिशत भाग थी। इसका कारण यह था कि महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित अनेक वस्त्र इकाइयो ने उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता का लाभ उठाया।

राज्य-वार मंजूरियां और संवितरण (1980-81)

18 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों को निगम की सहायता प्रदान की गई। वर्ष के दौरान राज्य-वार मंजूरियों और संवितरणों का विवरण सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी—1

राज्य-वार मजूरिया और संवितरण—1980-81

(रुपये करोड़ो मे)

राज्य/क्षेत्र	मजूरियां					संवितरण			
	ऋण		हामी-दारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियां	जोड़	कुल मजूरियो का प्रतिशत	वित्त-पोषित परियोजनाओ की संख्या	राशि	कुल संवितरणो का प्रतिशत
	सहकारी क्षेत्र	निगमित क्षेत्र							
आन्ध्र प्रदेश	3 47	20 68	1 69	—	25 84	12 2	29	6.08	4 8
असम	—	0 50	—	—	0 50	0 2	1	—	—
बिहार	—	5 64	0 05	—	5 69	2 7	10	3 20	2.5
गुजरात	0 60	12 18	2 02	—	14 80	7 0	17	6 97	5 5
हरियाणा	—	4 60	0 59	—	5 19	2.4	9	3 29	2 6
हिमाचल प्रदेश	—	2 99	0 80	—	3 79	1 8	3	1 34	1 1
जम्मू और कश्मीर	—	2 15	—	—	2 15	1 0	2	—	—
कर्नाटक	2 25	11 07	0 61	—	13 93	6 6	15	13 91	11.0
केरल	—	4 50	0 55	—	5 05	2 4	5	9 93	7 8
मध्य प्रदेश	1 05	2 58	0 30	—	3 93	1 8	7	3 51	2 8
महाराष्ट्र	7 51	25 99	2 93	—	36 43	17 2	41	23 09	18.2
उडीसा	0 50	3 10	0 28	—	3 88	1 8	5	3 22	2 5
पजाब	—	17 97	3 06	—	21 03	9 9	14	7.55	5 9
राजस्थान	—	18 95	2 81	0 70	22 46	10 6	25	8 78	6 9
तमिलनाडु	—	13 22	0 49	—	13 71	6 5	21	15 50	12.2
त्रिपुरा	—	0 36	—	—	0.36	0 2	1	0 15	1 1
उत्तर प्रदेश	3 62	12 94	0 49	—	17 05	8 0	27	13 77	10 8
पश्चिमी बगाल	—	9 07	0 25	—	9.32	4 4	14	4 18	3 3
दिल्ली	—	4 14	—	—	4 14	2.0	3	1 36	1.1
गोआ	—	2 14	0 33	—	2 47	1.2	3	1 08	0 8
पाडिचेरी	—	0 16	—	—	0 16	0 1	0 1	0 14	0 1
जोड़	19 00	174 93	17 25	0 70	211 88	100 0	253	127 05	100 0

उपयुक्त से प्रकट होगा कि महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और पजाब राज्यो को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मजूर की गई कुल सहायता का 49 9 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष अर्थात् 1979-80 के दौरान इन राज्यो का तदनुरूपी भाग 34 8 प्रतिशत था। इन 4 राज्यो मे सहायता का भाग बढ़ने का मुख्य कारण यह था कि इन राज्यो मे कुछ उच्च पूजी लागत परियोजनाओ उदाहरणार्थ सीमेन्ट, कृत्रिम रेशे, वस्त्र, भारी औद्योगिक मशीनरी, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, चीनी, आदि को सहायता मजूर की गई।

उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिमी बगाल को मजूर की गई सहायता का भाग 8 0 प्रतिशत से 4 4 प्रतिशत के बीच रहा। अन्य सभी राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को 2 7 प्रतिशत से 0 1 प्रतिशत के बीच सहायता प्राप्त हुई।

मजूरियो के सम्बन्ध मे कार्यवाही

वर्ष 1980-81 के दौरान सहायता मजूर की गई 222 सस्थाओ मे से 174 सस्थाओ को 3 महीने की अवधि के भीतर, 32 सस्थाओ को 6 महीने के भीतर और 16 सस्थाओ को 6 महीने से अधिक अवधि के भीतर सहायता मजूर की गई। कुल मिलाकर, 80 प्रतिशत से अधिक सस्थाओ को 4 महीने की समयावधि, वित्तीय सस्थान जिसका पालन करने का प्रयास करते हैं, के भीतर सहायता मजूर कर दी गई थी।

वर्ष के दौरान वित्तपोषित परियोजनाओ का आर्थिक योगदान

वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित 117 नई विस्तार तथा विशाखन परियोजना के आर्थिक योगदान का विश्लेषण सारणी 2 मे दिखाया गया है। लेकिन, इसमे परियोजना लागत मे अति-व्यय के मामले और आधुनिकीकरण योजनाए आदि शामिल नही है।

सारणी—2

1980-81 के दौरान निगम द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक अभिदान

(रुपये करोड़ों में)

उद्योग	परि-योजनाओं की संख्या	कुल पूंजी लागत	पैदा किया जाने वाला प्रत्यक्ष रोजगार (संख्या)	उत्पादन का मूल्य	सकल मूल्य वृद्धि	प्रतिवर्ष क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
चीनी	19	131.94	11988	128.77	17.03	3,22,095 टन चीनी
सूती वस्त्र	18	126.23	14593	162.00	40.31	3,63,578 तकुए*, और 300 करघे
कागज और कागज उत्पाद	11	61.82	3878	62.43	19.82	लिखाई और छपाई कागज 66,650 टन पोस्टर कागज 4950 टन, बढ़िया किस्म का कागज 5450 टन, डुप्लेक्स बोर्ड 10,000 टन ।
सीमेंट	9	222.57	2965	102.73	51.35	29.96 लाख टन
उर्वरक और कीटनाशक	4	59 35	792	74.14	14.89	इकहरा सुपर फास्फेट 82,500 टन अमोनियम क्लोराइड 66,000 टन, डाईमोनियम फास्फेट 1,50,000 टन और मेलाथियोन 1000 टन ।
रसायन और रसायन उत्पाद	14	124.19	2573	121.98	43.69	कास्टिक सोडा 74,119 टन तरल क्लोरिन 36,900 टन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 46,2000 टन, स्टेबाल ब्लीचिंग पाउडर 10,000 टन केल्शियम हाइपो-क्लोराइड 1,000 टन, सल्फ्युरिक एसिड,33,000 टन, पोलिप्रोपलीन फिल्म 800 टन, नेपथोल्स 245 टन, फास्ट कलर बेस 200 टन, गार्गम और डेरिवोटिवस 2700 टन, फल्यलोरलिन (बेसालिन) 200 टन, कार्बनडेजिम (बेवीस्टीन) 135 टन ।
रसायन और रसायन उत्पाद						50 टन, ट्रिब्रोमोफ (कैलीक्सीन), 600 टन एक्रीलीक बाइडरर्स, 700 टन फैट लिक्योर्स, 200 टन मेटल काम्पलेक्स डाइस, 5000 टन पोलीटिम्स, 20000 टन कार्बन ब्लैक, 4015 टन रोमिन, 825 टन ट्रपेन्टाइन, 2290 टन रोमिन आदि के डेरिवेटिव्स, 3539 टन परो क्यूअरड ट्रीड रबर और उपस्कर और 120000 आटोमोबाइल टायर ।

*उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर की गई सहायता से कुछ मामलों में हुए सीमान्त क्षमता विस्तार को शामिल नहीं किया गया है ।

(रुपये करोड़ों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
धातु उत्पाद	9	39.87	1761	64.35	19.34	अल्युमीनियम फोयल्स 1500 टन, अलमोनियम अलाय एक्सट्रूक्शन्स 3000 टन, रोल्ड रिंग बियरिंग 65 लाख, मेराइन क्यटेनर्स 4500, स्ट्रेपिग्स और उपस्कर 12,000 टन, कापर फोयल्स 6.6 लाख वर्ग-मीटर, तांबे में लिपटी फिलोलिक आधारित लेमिनेट्स 3.35 लाख वर्ग मीटर, मेटल कोटेनर्स 768 लाख ।
होटल	6	79.45	3212	40.52	19.79	1548 कमरे ।
अन्य उद्योग	27	220.00	8906	223.63	65.45	
	117	1065.42	50668	980.55	291.67	

सारणी से देखा जाएगा कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता से सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, कागज, आदि जैसे उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता स्थापित किये जाने की संभावना है। जिन 117 परियोजनाओं का अध्ययन किया गया उनकी पूंजी लागत 1065.42 करोड़ रुपये होगी और उनसे होने वाले उत्पादन का मूल्य 980.55 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। परियोजनाओं द्वारा 50668 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराये जाने की भी संभावना है। आशा है कि सकल मूल्य में 291.67 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

अध्याय 2

तेंतीस वर्ष : समीक्षा

तेंतीस वर्ष पहले जब पहली जुलाई, 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय विकास बैंकिंग के क्षेत्र मे यह पहला संस्थान था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की तेंतीस वर्ष के दौरान हुई प्रगति इस तथ्य का जीवन्त प्रमाण है कि इसने औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित "लक्ष्यों" को पूरा करने में न केवल गुणनात्मक अपितु गुणात्मक रूप में भी सराहनीय प्रगति की है।

निगम के कार्य के प्रारम्भ करने के प्रथम वर्ष अर्थात् 1948-49 में 3.25 करोड़ रुपये के साधारण कारोबार की तुलना में तेंतीस वर्ष बाद, 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में फैली हुई 1178 औद्योगिक संस्थाओं की 1404 औद्योगिक परियोजनाओं को 1293.05 करोड़ रुपये की कुल मंजूर सहायता तक पहुंच गया। यह सहायता सहकारी क्षेत्र की 188 संस्थाओं को, संयुक्त क्षेत्र की 109 संस्थाओं को, सरकारी क्षेत्र की 80 संस्थाओं को और निजी निगमित क्षेत्र की 801 संस्थाओं को प्रदान की गई।

30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार कुल 928.54 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई जो कुल मंजूरियों का लगभग 71 प्रतिशत थी। 30 जून, 1981 तक 582.88 करोड़ रुपये की सहायता बकाया थी।

30 जून, 1981 को मंजूरियों की संख्या, निवल संचयी मंजूरियां संवितरित राशि तथा बकाया सहायता का सुविधावार ब्यौरा रिपोर्ट के परिशिष्ट "च" में दिया गया है।

लेकिन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई सहायता की राशि से अधिक महत्वपूर्ण है इसकी उत्प्रेरक भूमिका, जो कि इसने 1178 औद्योगिक संस्थाओं की 1404 वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए 9546.20 करोड़ रुपये के साधन जुटाये गये हैं।

मंजूर तथा सं० वितरित की गई सहायता का योजना-वार वर्गीकरण

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के परिचालनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इसने अपनी उधार और निवेश नीतियों को देश की पंचवर्षीय योजनाओं के साथ एकीकृत किया है। प्रत्येक योजना अवधि के दौरान देश में उद्योगीकरण की गति के बराबर चलने के भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रयास को निम्नलिखित सारणी-3 से आंका जा सकता है।

सारणी-3

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मंजूर की गई तथा संवितरित सहायता

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष समाप्ति 30 जून को	मंजूर की गई निवल सहायता				संवितरित वित्तीय सहायता			
	ऋण	हामीदारियां	गारंटियां	जोड़	ऋण	हामीदारियां	गारंटियां	जोड़
पहली योजना से पूर्व की अवधि:								
1949-51	8.12	—	—	8.12	5.79	—	—	5.79
पहली योजना :								
1952-56	27.02	—	—	27.02	10.94	—	—	10.94
दूसरी योजना :								
1957-61	50.56	3.57	16.30	70.43	40.62	1.31	15.11	57.04
तीसरी योजना :								
1962	19.23	0.73	0.48	20.44	11.01	0.24	0.41	11.66
1963	21.17	4.63	10.58	36.38	15.75	3.99	3.18	22.92
1964	27.12	4.34	13.23	44.69	17.63	1.96	6.39	25.98
1965	21.41	3.55	3.89	28.85	21.45	3.36	14.65	39.46
1966	26.12	3.97	1.30	31.39	27.47	4.48	2.17	34.12
जोड़	115.05	17.22	29.48	161.75	93.31	14.03	26.80	134.14
वार्षिक योजनाएं								
1967	12.70	1.87	4.00	18.57	32.57	2.90	5.64	41.11
1968	14.76	1.49	0.88	17.13	25.68	1.06	2.61	29.35
1969	23.73	2.41	0.39	26.53	15.98	1.68	0.28	17.94
जोड़	51.19	5.77	5.27	62.23	74.23	5.64	8.53	88.40
चौथी योजना :								
1970	11.87	1.24	0.04	13.15	17.52	0.85	0.34	18.71
1971	27.50	2.15	0.42	30.07	18.36	0.87	0.20	19.43
1972	33.53	4.57	—	38.10	23.31	1.00	0.11	24.42
1973	40.54	2.01	0.60	43.15	32.78	2.29	0.61	35.68
1974	35.23	2.47	0.04	37.74	30.32	1.46	0.05	31.83
जोड़	148.67	12.44	1.10	162.21	122.29	6.47	1.31	130.07
पांचवीं योजना :								
1975	29.29	3.89	—	33.18	37.38	1.06	0.34	38.78
1976	45.74	3.11	—	48.85	43.27	2.40	—	45.67
1977	85.47	8.36	—	93.83	58.45	1.72	—	60.17
1978	100.40	5.49	0.28	106.17	58.88	5.10	—	63.98
जोड़	260.90	20.85	0.28	282.03	197.98	10.28	0.34	208.60
1979	141.01	10.08	—	151.09	68.58	3.15	0.20	71.93
1980	147.07	9.22	—	156.29	92.34	2.24	—	94.58
जोड़	288.08	19.30	—	307.38	160.92	5.39	0.20	166.51
छठी योजना :								
1981	193.98	17.25	0.70	211.88	124.91	2.14	—	127.05
कुल जोड़	1143.52	96.40	53.13	1293.05	830.99	45.26	52.29	928.54

"प्रसार" और "परिप्रेक्ष्य"

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 30 जून, 1981 तक मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का राज्य/क्षेत्र-वार और उद्योग-वार वर्गीकरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ख" और "ग" मे दिया गया है। 30 जून, 1981 को प्रत्येक राज्य को मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण परिशिष्ट "ङ" मे दिया गया है।

उपर्युक्त परिशिष्टों से स्पष्ट है कि किसी विशेष क्षेत्र/राज्य/राज्य क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि और विकास के स्तर के आधार पर निगम की सहायता व्यावहारिक रूप से उन सभी स्थानों पर पहुंची है जहां मध्यम, मझले और बड़े आकार की औद्योगिक इकाई स्थापित हुई हो। निगम ने अपनी वित्तीय सहायता का जाल इस प्रकार फैला लिया है कि 22 में से 20 राज्य और 9 में से 4 संघ राज्य क्षेत्र इसके दायरे में आ गये हैं। दो राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों तक निगम के न पहुंच पाने के दो विशेष कारण है; प्रथमतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किसी ऐसे स्थान पर अपने आप कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं कर सकता, जहां वह पहले से नहीं है, अन्य शब्दों में इसे किसी विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से वित्तीय सहायता के लिए इसके पास आने वाली व्यावहार्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवेदनों पर निर्भर करना पड़ता है और दूसरी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम केवल निगमित और सहकारी क्षेत्रों की मध्यम, मझली और बड़े आकार की औद्योगिक इकाइयों का ही वित्तपोषण करता है।

परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से अब निगम के दायरे में विभिन्न वर्गों के उद्योग आते हैं; वास्तव मे यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि शायद ही देश का कोई ऐसा महत्वपूर्ण उद्योग होगा जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता का हिताधिकारी न रहा हो।

औद्योगिक विकास मे निगम का पर्याप्त योगदान रहा है जो कि विविध उद्योगों को इसकी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से प्राप्त हुए लाभों से आंका जा सकता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता प्राप्त करने वाले दो प्रमुख उद्योग अर्थात् चीनी और वस्त्र उद्योग, जिनसे सम्बन्धित अधिकांश इकाइयां कम विकसित जिलों/क्षेत्रो में पनपी हैं और मुख्यतः सहकारिता क्षेत्र मे हैं, ग्रामीण वातावरण के परिवर्तन में सहायक रहे हैं। इन उद्योगों ने न केवल कृषि क्षेत्र की बचतों को औद्योगिक प्रयोग के लिए प्रवाहित किया बल्कि उनके श्रम-प्रधान होने के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। इसी प्रकार, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी, परिवहन उपस्कर उद्योगों को सहायता से देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।

सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण

(क) सहकारी क्षेत्र

30 जून, 1981 तक सहकारी क्षेत्र को मंजूर की गई सहायता का राज्यवार और उद्योगवार वर्गीकरण सारणी-4 में दिया गया है।

सारणी—4

औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर सहायता 1948—81

(रुपए करोड़ो में)

राज्य/क्षेत्र	उद्योगवार मंजूर सहायता								कुल का प्रतिशत
	चीनी		सूत कताई		अन्य		कुल		
	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	
आन्ध्र प्रदेश	15	14.63	4	2.35	—	—	19	16.98	9.2
असम	1	0.60	—	—	1*	0.79	2	1.39	0.8
बिहार	1	0.90	1	0.25	—	—	2	1.15	0.6
गुजरात	13	9.44	2	2.43	3**	5.50	18	17.37	9.4
हरियाणा	4	2.86	1	1.00	—	—	5	3.86	2.1
कर्नाटक	14	12.15	4	2.84	1***	0.22	19	15.21	8.2
केरल	2	1.80	1	0.82	—	—	3	2.62	1.4
मध्य प्रदेश	2	1.85	1	0.80	—	—	3	2.65	1.9
महाराष्ट्र	57	68.53	14	10.67	—	—	71	79.20	42.8
उड़ीसा	2	2.05	2	1.59	—	—	4	3.64	2.0
पंजाब	4	3.70	1	1.00	—	—	5	4.70	2.5
राजस्थान	1	0.95	2	1.64	—	—	3	2.59	1.4
तमिलनाडु	9	9.24	2	0.85	—	—	11	10.09	5.5
उत्तर प्रदेश	18	18.69	9	2.90	—	—	22	21.59	11.7
पश्चिम बंगाल	—	—	1	0.40	—	—	6	0.40	0.2
गोआ	1	1.50	—	—	—	—	1	1.50	0.8
जोड़	144	148.89	40	29.54	5	6.51	189	184.94	100.0

*पटसन सहकारिता

**दो उर्वरक और कृत्रिम रेशा सहकारिताएं

***वनस्पति तेल पिराई सहकारिता

सहकारी क्षेत्र की 189 परियोजनाओं को मंजूर की गई 184 94 करोड़ रुपये की कुल सहायता, 30 जून, 1981 तक निगम द्वारा की गई कुल मंजूरियों का 14.3 प्रतिशत भाग है। इसके अतिरिक्त, सहकारी क्षेत्र को मंजूर की गई सहायता के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस सहायता का लगभग 21 प्रतिशत भाग नई परियोजनाओं को मिला है तथा लगभग 43 प्रतिशत भाग अधिसूचित कम विकसित जिलो/क्षेत्रो में स्थित 83 औद्योगिक सहकारिताओं को दिया गया है।

चीनी सहकारिताओं (144) को 148.89 करोड़ रुपये की सहायता देने से इसे, सहकारी क्षेत्र को मंजूर की गई कुल सहायता का 80.5 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ तथा 40 सहकारी सूत कताई मिलों का भाग 16.0 प्रतिशत रहा। अन्य उद्योगों, जैसे, उर्वरक, वनस्पति तेल पिराई, पटसन और कृत्रिम रेशे की पांच सहकारी परियोजनाओं को 6.51 करोड़ रुपये (सहकारी क्षेत्र को मंजूर की गई कुल सहायता का 3 5 प्रतिशत) की सहायता प्रदान की गई।

(ख) निगमित क्षेत्र

(i) सरकारी (ii) संयुक्त और (iii) निजी क्षेत्र को मंजूर की गई सहायता और परियोजनाओं का उद्योगवार वर्गीकरण सारणी-5 में दिया गया है।

सारणी—5

30 जून, 1981 तक निगमित क्षेत्र को मंजूर सहायता का उद्योगवार वितरण

(रुपये, करोड़ों में)

उद्योग	संयुक्त		सरकारी		निजी		कुल	
	परियोजनाओं की सं०	मंजूर की गई सहायता	परियोजनाओं की सं०	मंजूर की गई सहायता	परियोजनाओं की सं०	मंजूर की गई सहायता	परियोजनाओं की सं०	मंजूर की गई सहायता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. चीनी	2	1.44	15	16.60	36	20.65	53	38.69
2. वस्त्र	10	8.92	56	39.79	190	132.87	256	181.58
3. पटसन उत्पाद	1	1.65	1	1.16	21	13.17	23	15.98
4. मूल रसायन	16	19.62	5	18.27	51	54.67	72	92.56
5 उर्वरक और कीटनाशक	4	22.33	3	9.51	14	28.54	21	60.38
6. कृत्रिम रेशे और रेसिन्स	3	6.38	2	2.70	33	40.86	38	49.94
7. अन्य रसायन	9	6.90	6	4 63	31	11.21	46	22.74
8. सीमेंट	1	3.53	8	18.79	57	87.25	66	109.57
9. कागज	12	17.13	1	10.39	73	77.13	86	104.65
10. अलौह धातुएं	—	—	—	—	31	36.63	31	36.63
11. रबर उत्पाद	4	3.93	—	—	20	28.97	24	32.90
12. लोहा व इस्पात	10	10.43	3	2 35	74	63.85	87	76.63
13. मशीनरी	4	4.68	5	7.86	83	49.54	92	62.08
14 परिवहन उपस्कर	5	2.71	2	1.18	45	39.49	52	43.38
15. बिजली मशीनरी और उपकरण	8	7 69	4	4.51	52	28.16	64	40.36
16. धातु उत्पाद	4	4.77	1	—	49	23.91	54	28.68
17. बिजली व गैस	—	—	1	0.50	10	26.75	11	27.25
18. होटल	—	—	1	1.65	33	20.65	34	22.30
19. अन्य	17	14.99	12	6.63	76	40.19	105	61.81
जोड़	110	137.10	126	146.52	979	824.49	1215	1108.11

निगमित क्षेत्र को 1108.11 करोड़ रुपये की कुल सहायता के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसका 72.7 प्रतिशत भाग रुपया ऋण (805.74 करोड रुपये) के रूप मे, 13.8 प्रतिशत भाग विदेशी मुद्रा उप-ऋण (152.84 करोड़ रुपया समकक्ष), 8.7 प्रतिशत भाग हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान (96.40 करोड रुपये) तथा 4.8 प्रतिशत भाग (53.13 करोड़ रुपये) विदेश से आयात की गई मशीनरी के सम्बन्ध में आस्थगित अदायगियो के लिए गारंटियों और—अथवा विदेश में सहायता प्राप्त औद्योगिक इकाइयो द्वारा लिए विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए गारंटियों के रूप में था।

मंजूर की गई सहायता का उद्देश्य-वार वर्गीकरण

30 जून, 1981 तक मंजूर की गई कुल सहायता का उद्देश्य-वार वर्गीकरण निम्नलिखित सारणी-6 में दिया गया है :—

सारणी—6

(रुपय करोड़ों में)

परियोजना का प्रकार	परियोजनाओं की कुल लागत	मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता				कुल का प्रतिशत
		ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	आस्थगित अदायगियों और विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए गारंटियां	कुल	
नई परियोजनाएं	5860.42	686.23	83.31	43.32	812.86	62.9
विस्तार/विशाखन	1905.49	247.09	9.77	9.00	265.86	5.6
आधुनिकीकरण, नवीकरण आदि	977.52	68.45	3.32	0.81	72.58	5.6
उप जोड़	8743.43	1001.77	96.40	53.13	1151.30	89.1
उदार-ऋण योजना के अधीन	802.77	141.75	—	—	141.75	10.9
जोड़	9546.20	1143.52	96.40	53.13	1293.05	100.0

स्पष्ट है कि कुल सहायता का 62.9 प्रतिशत भाग अर्थात् 812.86 करोड़ रुपये की राशि नई परियोजनाओं को दी गई जिनकी कुल पूंजीगत लागत 5860.42 करोड़ रुपये थी। विद्यमान परियोजनाओं को उनकी विस्तार और विशाखन योजनाओं के लिए 265.86 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई, जो कुल मंजूर सहायता का 20.6 प्रतिशत भाग थी। परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए 72.58 करोड़ रुपये की सहायता की गई, जो उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर 141.75 करोड़ रुपये की सहायता के अतिरिक्त है। उदार ऋण योजना के अधीन दी गई सहायता सहित कुल आधुनिकीकरण सहायता, कुल मंजूर सहायता का 16.5 प्रतिशत है।

मंजूर की गई सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार यह, इसके प्रारम्भ से लेकर देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए कम विकसित राज्यों/राज्य क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में काफी रूचि लेता रहा है। निगम 30 जून, 1981 तक, अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित 552 परियोजनाओं को कुल 539.79 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर कर चुका था। यह इसकी निवल संचयी मंजरियों का लगभग 41.7 प्रतिशत भाग था।

30 जून, 1981 को समाप्त हुए तेंतीस वर्षों के दौरान अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता का उद्योगवार और सुविधा-वार वर्गीकरण सारणी-7 में दिया गया है।

सारणी—7

कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूर सहायता का उद्योगवार वितरण 1948–81

(रुपये करोड़ों में)

उद्योग	परियोजनाओं की सं०	परियोजना लागत	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा उप-ऋण	हामीदारी/प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियां	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. वस्त्र	122	440.10	81.51	1.69	6.05	0.48	89.73
2. चीनी	88	371.68	86.56	—	0.65	—	87.22
3. रसायन और रसायन उत्पाद							
— मूल औद्योगिक रसायन	33	285.48	19.59	6.03	5.47	—	31.09
— उर्वरक	10	516.55	15.76	1.39	2.63	—	19.78
— कृत्रिम रेशे	6	111.78	9.22	2.34	2.20	—	14.46
— कृत्रिम रेशिम	2	5.14	0.75	—	0.07	—	0.82
— विविध रसायन	25	59.90	9.92	1.27	1.32	—	11.81

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. सीमेंट	35	706.28	65.12	4.25	5.62	—	74.99
5. कागज व कागज उत्पाद	52	397.24	47.75	4.77	7.80	3.11	63.43
6. लोहा व इस्पात	31	240.56	19.16	1.96	2.18	—	23.30
7. मशीनरी और उपस्कर	20	132.03	9.64	6.32	1.63	—	17.59
8. रबर और रबर उत्पाद	13	161.24	12.37	1.85	2.03	0.43	16.88
9. अलौह धातु उत्पाद	10	99.30	5.95	0.81	1.73	8.16	16.35
10. धातु उत्पाद	16	50.44	6.06	3.47	1.44	0.31	11.28
11. विविध अधातु खनिज उत्पाद	15	54.13	6.29	2.67	1.62	—	10.58
12. बिजली मशीनरी व उपस्कर	13	43.19	2.17	6.64	1.35	—	10.16
13. परिवहन उपस्कर	11	77.70	6.40	0.91	0.75	—	8.06
14. पटसन उत्पाद	8	23.71	5.53	0.01	—	—	5.54
15. होटल	7	26.05	4.88	—	0.16	—	5.04
16. लकड़ी उत्पाद	5	20.18	2.23	2.34	0.22	—	4.79
17. कांच व कांच उत्पाद	5	27.11	2.31	1.86	0.55	—	4.72
18. विविध खाद्य उत्पाद	8	28.76	3.97	—	0.32	—	4.29
19. खनन	5	70.78	3.26	—	0.45	—	3.71
20. चमड़ा उत्पाद	6	13.29	1.94	0.24	0.41	—	2.59
21. विविध निर्माण उद्योग	3	5.52	0.83	0.22	0.03	—	1.08
22. बिजली	2	0.66	0.43	—	—	—	0.43
23. नारियल जटा उत्पाद	1	2.43	0.27	—	—	—	0.27
जोड़	552	3971.23	429.87	50.74	46.69	12.49	539.79

अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित 3971.23 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत वाली 552 परियोजनाओं में से 219 परियोजनाएं चीनी और वस्त्र (ऊनी वस्त्र, पटसन और नारियल जटा) उद्योग की थीं और इनमें से अधिकांश ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित थीं। इन परियोजनाओं में से अधिकांश, बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के अतिरिक्त ग्रामीण और अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सड़कें, बेहतर सिंचाई सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल, आदि सुविधाएं, जो उनके आगमन से पहले बिल्कुल नहीं थीं, प्रदान करने में सहायक रहे हैं। कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित अन्य वर्गों की इकाइयों ने भी लघु और अन्य सहायक इकाइयां स्थापित करने में प्रोत्साहन प्रदान किया है।

मंजूर की गई सहायता का राशि के अनुसार वर्गीकरण

इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "च" में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 30 जून, 1981 तक मंजूर की गई नियत वित्तीय सहायता को सहकारी और निगमित क्षेत्रों की औद्योगिक संस्थाओं को मंजूर की राशि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इससे स्पष्ट होगा कि पिछले वर्षों में परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने से निगम की सहायता की राशि में भी बढ़ोतरी होती जा रही है जिसके परिणामतः निगम से 1.00 करोड़ रुपये से अधिक सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत, 1970-71 में 55.4 से बढ़कर 1980-81 में 69.2 हो गया था।

गुणात्मक उपलब्धियां

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की मूल पूंजी इसका योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ है जिसको इसने उचित मात्रा में बना लिया है। निगम ने अपने कारोबार उपकरणों जैसे मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्यवाही की आधुनिकतम तकनीकों को लागू करना, को विकसित करने में भी सफल रहा है। इसके प्रारम्भिक वर्षों में, निगम द्वारा दी गई सहायता "अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर सीमा और प्रतिभूति पर आधारित थी। इस समय, उद्यम की लाभप्रदता और उत्पादकता, इसकी समग्र व्यावहार्यता और बैंकग्राह्य प्रकृति, देश की आर्थिक नीतियों का सम्भावित योगदान तथा सरकारी नीतियों के उद्देश्यों, आदि को पूरा करने के लिए, विस्तृत तथ्य इसके कारोबार का संचालन करते हैं। अब यह निगम की एक प्रथा बन गई है कि यह न केवल वित्तीय उपलब्धि के लिए उपाय करता अपितु अपने निवेशों से और अधिक मूल आर्थिक उपलब्धि के लिए भी उपाय करता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अपने अनुवर्ती उपायों में उद्यमियों और प्रवर्तकों में, किसी औद्योगिक उद्यम की सफलता के लिए अनिवार्य वित्तीय एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था के सम्बन्ध में बेहतर जानकारी देने में सफल रहा है। बड़ी संख्या में प्रवर्तक और प्रबन्धक भी अब उन विभिन्न कार्यों से, जो उन्हें परियोजना की कार्यान्वयन और परिचालन अवस्थाओं के दौरान निगम करने के लिए कहता है, प्राप्त होने वाले लाभों की प्रशंसा करते हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसे विकास बैंक को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए और अपनी परिसम्पत्तियों और देयताओं की राशि बढ़ाने के लिए तीव्र गति तथा नवीन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। मूलतः यही निगम का निगमित उद्देश्य रहा है। हालांकि इसने पिछले कुछ वर्षों में अपने कारोबार को बढ़ा लिया है, इसने अपने परिचालनों को लगातार लाभप्रद बनाकर प्रतिवर्ष इसे बल भी प्राप्त हुआ है। तेंतीस वर्षों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने केवल कर के माध्यम से 47 करोड़ रुपये—इसकी विद्यमान प्रदत्त पूंजी के ढाई गुणा से अधिक—राष्ट्रीय कोष में अंशदान किए है। इसने कर लगने के बाद लाभों में से आरक्षित निधियां बना ली हैं जो इसकी प्रदत्त पूंजी के दुगुने से अधिक हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अपनी प्रवर्तन भूमिका में भी विकास नीति के सामाजिक—आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए हैं और ऐसी योजनाएं बनाई हैं तथा ऐसी एजेंसियां, स्थापित की हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो देश में पहली बार बनी। उद्योगों के प्रवर्तन के लिए संस्थानगत अवस्थापना सुविधाओं और उद्यमीय आधार को विस्तृत करने में कुछ अन्तरालों को दूर करके लघु और सहायक उद्योगों के क्षेत्र के औद्योगिक विकास को प्रबलता प्राप्त हुई है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लिए और अधिक महत्वपूर्ण है वित्तपोषित खातों की देखभाल का कार्य और इसकी नई उभरती भूमिका है जिसे अब "अनुरक्षण दायित्व" कहा जाता है। निगम पनपती हुई नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए इसके अनुरक्षण दायित्व के रूप मे अनुभव करता है कि इसे अभी बहुत लम्बी दूरी तय करनी है। वित्त अतिव्यय, प्रबन्ध कुव्यवस्था, उद्योग में रुग्णता, आदि समस्याएं ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना देश के विकास बैंकों को अत्यधिक मात्रा मे करना पड़ रहा है। निगम को आशा है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सहयोग, राजकोषीय तथा वित्तीय उपाय एवं वर्तमान साझी पहुंच तथा संयुक्त वित्तपोषण की सहायता से यह अपने नए दायित्वों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने में समर्थ रहेगा।

अध्याय—3

सचालन गतिविधियां

उधार-कार्य

वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उधार-कार्यों का मार्ग-दर्शन, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के सांविधिक उपबन्धों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) द्वारा जारी किए गए निदेशक सिद्धांतों के अतिरिक्त उद्योग, लाइसेंस, आयात, निर्यात, संपरिवर्तनीय और गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गमन, विदेशी सहयोग, प्रवर्तक योगदान, आदि से सम्बन्धित मामलों पर सरकार द्वारा दिए गए नीति वक्तव्यों द्वारा तथा छठी पंचवर्षीय योजना में घोषित उद्देश्यों और नीतियों द्वारा होता रहा है।

प्राथमिकता मापदण्ड

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों ने सरकार से प्राप्त हुए एक संदर्भ के अनुरूप, उद्योग द्वारा निर्माण की जाने वाली और लगाए जाने वाली नई और नवीकरणीय शक्ति जनन व्यवस्थाओं को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में समझना स्वीकार कर लिया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, उद्योग के विस्तार, देश के अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों के औद्योगिक विकास सहकारी क्षेत्र मे उद्योगों का विकास और स्वयं अपने लिए उचित रूप से विस्तृत निवेश दायित्व की आवश्यकता पर लगातार उचित ध्यान देता रहा।

प्राथमिकता क्षेत्र के कुछ उद्योगों से बड़ी संख्या मे आवेदन प्राप्त हुए। उदाहरण के लिए, चीनी उद्योग के मामले में अधिक लागत वाली नई चीनी इकाइयों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों पर, जिन्हें प्रोत्साहनों तथा राहतों के हटाए जाने के कारण अव्यवहार्य समझे जाने की वजह से मई, 1978 से रोके रखा गया था, सरकार द्वारा पहली अक्तूबर, 1980 से लागू प्रोत्साहनों और राहतों की संशोधित योजना घोषित किए जाने के बाद पुनर्विचार किया गया। उपर्युक्त के अनुसार वित्तीय संस्थानों ने पहले-पहल चीनी इकाइयों, से प्राप्त अठारह आवेदनों पर विचार करने का निर्णय किया। शेष आवेदनों पर भी वर्ष 1981-82 के दौरान चरणबद्ध रूप में विचार किए जाने का निर्णय किया गया है।

मार्च, 1981 मे सरकार द्वारा नई वस्त्र नीति की घोषणा के बाद वित्तीय संस्थानों ने वस्त्र उद्योग के क्षेत्र के आवेदनों की समीक्षा की और उचित संख्या में आवेदनों पर विचार करने का निर्णय किया। ऐसी समीक्षाएं नियमित आधार पर वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जाती है, जो निर्धारित कार्य के लिए अनुमोदित मापदण्ड पर आधारित आवेदनों की जांच करते हैं।

लघु कागज परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या और पहले ही लगाई गई छोटी कागज इकाइयों के साथ वित्तीय संस्थानों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय किया गया तथा उस प्रयोजन के लिए लघु कागज परियोजनाओं के आवेदनों की जांच और चयन करने के लिए वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों की एक समिति बनाई गई।

लघु सीमेंट इकाइयों के आवेदनों पर विचार करने हेतु चयन के लिए भी प्रायः यही दृष्टिकोण अपनाया गया।

अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध मे, आवेदनों पर विचार करने के लिए चयन कार्य वरिष्ठ अधिकारियों की वर्तमान बैठक प्रणाली के अधीन अन्तर संस्थानात्मक सार तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वाधान में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के प्रधानों की बैठकों में प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर किया जाता रहा है।

मूल्यांकन मापदण्ड

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से अनेक पहलुओं अर्थात् तकनीकी, वित्तीय वाणिज्यिक और आर्थिक पहलुओं की दृष्टि से तथा परियोजनाओं के प्रबन्धकीय पहलू को भी उचित महत्व देते हुए, परियोजनाओं की व्यवहार्यता का मूल्यांकन लगातार करता रहा। प्रवर्तकों की विश्वसनीयता तथा ईमानदारी पर काफी बल दिया गया और इस प्रयोजन के लिए उनके आय-कर और सम्पदा कर निर्धारण से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने की प्रथा आरम्भ की गई। चूंकि प्रवर्तक सामान्यतः प्रबन्ध का केन्द्र होते हैं, परियोजनाओं का

मूल्यांकन करते समय उद्यमियों के रूप में उनकी पृष्ठभूमि तथा विशेषताओं और उनकी विद्यमान कारोबार के प्रबन्ध की विशेषता की भी जांच की जाती है और साथ ही नए उद्यमियों के सम्बन्ध में उचित लोच बरती जाती है। वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय उपर्युक्त के अतिरिक्त परियोजनाओं के "सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण", उर्जा संरक्षण तथा पारिस्थितिक पहलुओं को भी उचित महत्व प्रदान किया गया।

वित्तपोषण सिद्धान्त

(क) प्रवर्तकों का अंशदान

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत की दर से प्रवर्तक अंशदान की सामान्य आवश्यकता, जो अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के मामले में ढील देकर 17.5 प्रतिशत की गई थी, को 29 अप्रैल, 1981 से अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में गैर-एकाधिकार निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा कम्पनियों द्वारा स्थापित की गई परियोजनाओं के मामले में प्रत्येक के गुण-दोषों के आधार पर परियोजना लागत के 17.5 प्रतिशत से और कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया। लेकिन, तकनीकज्ञ उद्यमियों, स्थानीय रूप से आधारित नए उद्यमियों और प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रवर्तक अंशदान के 15 प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार, निर्धारित पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित की गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रवर्तकों का अंशदान कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर से स्वीकार्य रूप से परिचालित रही; 2 फरवरी, 1973 के औद्योगिक नीति कथन के परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट उद्योगों में गैर-एकाधिकार निबन्धनकारी व्यापार प्रथा संस्थाओं द्वारा स्थापित की गई 25 करोड़ रुपये की लागत सीमा तक की परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी कोई परिवर्तन नही हुआ।

(ख) वित्तीय स्वरूप

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने, स्टाक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों के सूचीकरण के लिए जनता को दी जाने वाली प्रतिभूतियों की प्रतिशतता के सम्बन्ध में जुलाई, 1972 में जारी किए गए निर्देशक सिद्धांतो में संशोधन किए। 2 मार्च, 1981 को जारी किए गए संशोधित निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय संस्थानों के निर्देशों के अनुरूप अथवा एकाधिकार निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत लगाए जाने के लिए आवश्यक प्रवर्तक अंशदान के समकक्ष बनाने के लिए प्रवर्तकों को वर्तमान 40 प्रतिशत की सीमा से अधिक इक्विटी धारण करने की अनुमति दे दी है बशर्ते कि परियोजना की आरम्भिक अवस्थाओं के दौरान इसकी उच्चतम सीमा 70 प्रतिशत हो। लेकिन, 40 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयरधारिता को वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, जन सामान्य को चालू बाजार मूल्यों पर बिक्री का प्रस्ताव पेश करके छोड़ना होता है और यह बिक्री विद्यमान शेयरधारियों को सुरक्षित शेयरों के रूप में नही करनी होती। इसके परिणामस्वरूप अब प्रवर्तक अंशदान की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रवर्तकों को अपनी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अरक्षित ऋणों की व्यवस्था नही करनी होगी।

सरकार के निर्देशक सिद्धान्तों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, राज्य सरकार की विकास या निवेश एजेंसियों और सरकारी वित्तीय संस्थानों जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, आदि द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किए गए 11 प्रतिशत तक अंशदान को सार्वजनिक अंशदान के भाग के रूप में समझा जाता रहेगा और यदि उपरिलिखित संस्थाएं अकेले या संयुक्त रूप से 11 प्रतिशत तक अभिदान कर देती है तो प्रवर्तकों द्वारा किया गया अंशदान इस प्रकार होगा कि शेयरों का न्यूनतम सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण 20 प्रतिशत से कम न हो।

(ग) उद्योग के वित्तपोषण के स्त्रोत के रूप में डिबेंचर

उद्योग के वित्तपोषण के स्त्रोत के रूप में डिबेंचर बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने डिबेंचरों पर ब्याज दर की सीमा को, 27 अक्तूबर, 1980 को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया और फिर 2 मार्च, 1981 को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत कर दिया। यदि कम्पनी पिछले तीन वर्षों की औसत से अधिक मात्रा में अधिलाभांश घोषित कर रही हो तो ब्याज की दर में एक प्रतिशत और प्रोत्साहन की भी अनुमति दी गई है। कम्पनियों को डिबेंचरों से और अधिक निधि एकत्र करने के योग्य बनाने के लिए और इस प्रकार सरकारी वित्तीय संस्थाओं पर उनका भार कम करने के लिए सरकार ने, ऋण इक्विटी अनुपात को 111 से बढ़ाकर 211 करके उसमें छूट भी दे दी है। कार्यशील पूंजी और परियोजना के वित्तपोषण के लिए डिबेंचरों को, उनके निर्गम की तारीख से सात वर्ष के बाद विमोच्य डिबेंचरों के रूप में निर्गमित किया जा सकता है।

(घ) ऋण इक्विटी अनुपात

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाए गए ऋण-इक्विटी अनुपात के मापदण्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(ङ) केन्द्रीय निवेश उप-सहायता

जैसा कि पहले सूचना दी गई है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान पात्र औद्योगिक संस्थाओं को विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अनुमत्य केन्द्रीय निवेश उप-सहायता की राशि को "इक्विटी" के रूप में मानते रहे। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पनप रही परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्थिर परिसम्पत्तियों पर केन्द्रीय निवेश उप-सहायता की मात्रा को पहली मार्च, 1981 से 15 प्रतिशत (15 लाख रुपये की सीमा तक) से बढ़ाकर 20 प्रतिशत (20 लाख रुपये की सीमा तक) कर दिया।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, उन मामलों में जिनमें वह "अग्रणी" था, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को केन्द्रीय निवेश उप-सहायता की राशि के संवितरण के लिए संवितरण एजेंसी के रूप में भी कार्य करता रहा।

अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थापित की गई परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त की योजना

अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थापित की परियोजनाओं, जो जुलाई, 1970 से कार्य कर रही है, के लिए रियायती वित्त की योजना में वर्ष के दौरान 2 मार्च, 1981 से परिवर्तन हुआ जब अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वाधान में निर्णय किया कि अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थापित की गई परियोजनाओं के लिए ब्याज की रियायती दर को केवल नई इकाइयों (विद्यमान इकाइयों द्वारा स्थापित नई इकाइयों सहित)

तक सीमित रखा जाना चाहिए और विद्यमान इकाइयों की विस्तार/विशाखन योजनाओं पर लागू नहीं होगी। लेकिन, इस योजना के अन्तर्गत सहायता की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यह साझे वित्तपोषण के मामले में 2.00 करोड़ रुपये रही और जिन मामलों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एकमात्र रूप से शामिल था उनमें 1.00 करोड़ रुपये रही। इस समय प्रवृत्तमान योजना का ब्योरा रिपोर्ट के परिशिष्ट-"ट" में दिया गया है।

आधुनिकीकरण सहायता देने के लिए योजना

जैसा कि पहले सूचना दी गई है पांच चुने हुए उद्योगो अर्थात् सूती वस्त्र सीमेंट, चीनी, पटसन और कुछ इंजीनियरिंग उद्योगों को आधुनिकीकरण सहायता देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की भागीदारी में नवम्बर, 1976 से प्रारम्भ की गई उदार ऋण योजना नामक एक योजना का संचालन कर रहा था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने उदार ऋण योजना पर पुनर्विचार किया तथा सभी उद्योगों को उनके सामान्य उधार कार्यों के एक भाग के रूप में आधुनिकीकरण सहायता प्रदान की।

फिर भी, उपर्युक्त दोनो योजनाओं अर्थात्, पांच चुने हुए उद्योगों के लिए उदार ऋण योजना और अन्य सभी उद्योगों के लिए आधुनिकीकरण सहायता योजना, के अन्तर्गत अब सहायता संपरिवर्तनीयता खण्ड को प्रतिबन्धित किए बिना दी जा रही है।

उधार शर्तें

(क) ब्याज की दर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की ब्याज दरों में संशोधन हुए, प्रथमतः वित्त अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानो की ब्याज आय पर लगाए गए ब्याज कर के तत्व को मिलाने के प्रयोजन के लिए और बाद में छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान संगृहीत की जाने वाली निधियों की लागत में वृद्धि को देखते हुए तथा ब्याज दर के ढांचे में बेहतर समरूपता लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2 मार्च, 1981 से संशोधन किया गया।

30 जून, 1980 को लागू ब्याज की उधार दरें, पहली जुलाई, 1980 से लागू की गई संशोधित दरें और बाद में 2 मार्च, 1981 से बढाई गई दरें परिशिष्ट-"ठ" में दी गई हैं।

उधार की मूल दरों में परिवर्तन के साथ पूरक ऋण की ब्याज दरों में भी संशोधन किया गया; लेकिन नियमित उधार दरों और पूरक ऋण की ब्याज दरों के बीच अन्तर एक प्रतिशत वार्षिक ही रहा।

वर्ष के दौरान, वित्तीय संस्थानो न, प्राइवेट लिमिटेड और समीप रूप से धारित कम्पनियों को उनकी उन परियोजनाओं के पूरा होने की तारीख से जिनके लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी, दिए गए ऋणों पर एक प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त ब्याज लेने की पद्धति को एकरूप ग्रहण करने का निर्णय भी किया है। लेकिन, उपर्युक्त अतिरिक्त ब्याज सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों पर, सहकारी समितियों और विस्तृत रूप से धारित लिमिटेड कम्पनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों पर तथा ऐसी कम्पनियों पर, जिनके शेयर संस्थानों द्वारा प्रत्यक्ष अभिदान के कारण सूचीबद्ध न किए गए हों, अथवा जिन्होंने यह वचन दिया हो कि वे अपने शेयरों को सहमति अनुसार निर्धारित तारीख तक सूचीबद्ध करवा लेंगी, लागू नहीं होगा।

(ख) वचनबद्धता प्रभार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वचनबद्धता प्रभार की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल उन मामलों में जिनमें आवेदनों पर उदार ऋण योजना, जिसमें सम्पूर्ण दीर्घावधि ऋण ब्याज की सामान्य दरों पर मंजूर किया गया था, के अन्तर्गत विचार किया गया था, उनमें वचनबद्धता प्रभार भी रियायती दर के बदले में सामान्य दर पर लागू किया गया।

(ग) संपरिवर्तनिय खण्ड

1971 में जारी किए गए सरकार के निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास इसके द्वारा दिए गए रुपया ऋण के भाग को, उन मामलों में जिनमें कुल वित्तीय सहायता 25 लाख रुपये से अधिक हो वित्तपोषित संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में संपरिवर्तित करने का अधिकार आरक्षित है। यह अनुबन्ध 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के मामले में वित्तीय संस्थाओं की स्वेच्छा पर था लेकिन 50 लाख रुपये से अधिक कुल सहायता के मामलों में यह अनिवार्य था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, संपरिवर्तनीयता खण्ड के लगाए जाने से सम्बन्धित निर्देशक सिद्धान्तो में संशोधन करने के लिए सरकार की घोषणा से पहली अगस्त, 1980 को यह निर्णय किया गया कि संपरिवर्तनीयता खण्ड अनिवार्य रूप से, यहां पहले निर्धारित 50 लाख रुपये की अपेक्षा 1.00 करोड़ रुपये से अधिक वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में लागू होगा। यह भी निर्णय किया गया कि वित्तीय संस्थान संपरिवर्तनीयता विकल्प का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि वे किसी विद्यमान संस्था की शेयर पूंजी का 40 प्रतिशत से अधिक भाग प्राप्त न करें। फिर भी, वित्तीय संस्थानो को देय राशियों की अदायगी में निरन्तर चूकों अथवा वित्तपोषित संस्था के कुप्रबन्ध या किसी वित्तपोषित संस्था के तीन महीने से अधिक समय तक लगातार बन्द रहने के मामलों में वित्तीय संस्थान सरकार की सहमति से संपरिवर्तनीयता विकल्प का इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं कि उनकी शेयरधारिता 51 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।

संपरिवर्तनीयता खण्ड पहले ही निम्नलिखित पर लागू नहीं था—

(क) सहकारी क्षेत्र की इकाइयों को मंजूर किए गए रुपया ऋण,

(ख) उदार ऋण योजना अथवा आधुनिकीकरण सहायता के अन्तर्गत प्रदान किए गए रुपया ऋण,

(ग) ऐसी इकाइयो को मंजूर किए गए रुपया ऋण जो या तो सार्वजनिक क्षेत्र में हो अथवा जिन पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ख के उपबन्ध लागू होते हों,

(घ) ऐसे रुपया ऋण, जिनमें कुल राशि 25 लाख रुपये से अधिक न हो और

(ङ) मंजूर किए गए विदेशी मुद्रा ऋण/समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित निर्देशक सिद्धान्तो के अनुरूप जिन मामलों में वित्तीय संस्थानो द्वारा दिया गया कुल रुपया ऋण सहायता 1.00 करोड़ रुपये से कम था उनके सम्बन्ध में प्रत्येक मामले के गुणावगुणो के आधार पर संपरिवर्तनीयता विकल्प को छोड़ दिया गया था। इसी प्रकार, जिन मामलो में किसी वित्तपोषित संस्था की इक्विटी

पूंजी में विद्यमान संस्थानों की शेयरधारिता 51 प्रतिशत या अधिक हो, उनमें "अग्रणी" संस्थान को प्रत्येक मामले के गुणावगुणों और परिस्थितियों के आधार पर संपरिवर्तनीय अधिकार से छूट देने का प्राधिकार प्राप्त है।

30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 469 संस्थाओं के सम्बन्ध में रुपया ऋण को इक्विटी में संपरिवर्तन करने सम्बन्धी शर्तें अनुबन्ध की थीं, जबकि वास्तव में संपरिवर्तन अधिकार का प्रयोग 51 मामलों में किया गया, अधिकांश अन्य मामलों में इस अधिकार के प्रयोग का समय अभी नहीं आया था तथा कुछ मामलों में वित्तीय संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद संपरिवर्तन अधिकार के प्रयोग से छूट देना उचित समझा गया।

(घ) पुनर्अदायगी सूची

वर्ष के दौरान निर्णय किया गया कि औद्योगिक संस्थाओं को मंजूर किए गए ऋण की पुनर्अदायगी अवधि सामान्यतः ऋण सेवा व्यवस्था सहित होनी चाहिए और उसे ध्यान में रखते हुए पुनर्अदायगी अवधि उचित प्रारम्भिक स्थगन-काल सहित न्यूनतम रखी जानी चाहिए।

(ङ) अधिलाभांश की घोषणा सम्बन्धी अनुबन्ध

वर्ष के दौरान नियम के रूप में इस शर्त में ढील दी गई थी ताकि उधार लेने वाली संस्था द्वारा अधिलाभांश की घोषणा के लिए अनुमति केवल तभी अपेक्षित हो जब अधिलाभांश की दर 15 प्रतिशत वार्षिक से अधिक हो अथवा पिछले तीन पूर्ववर्ती वर्षों की अवधि के दौरान अधिकतम अदा की गई हो, जो भी अधिक हो।

संवितरण कार्यविधि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने अपनी संवितरण कार्यविधियों को सरल बना लिया जिससे कि उधार लेने वाली संस्थाओं को न केवल राहत मिल सके अपितु उन्हें यथाशीघ्र वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिल सके। ऐसा एक निर्णय था कि सभी मामलों में समरूप बन्धक को निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया जबकि पहले अंग्रेजी बन्धक की पद्धति अपनाई जाती थी। अन्य महत्वपूर्ण कार्यविधि परिवर्तन, जिसमें दस्तावेजों को तैयार करने में लगने वाला समय काफी कम हो गया, मुख्तारनामा व्यवस्था थी जिसके अन्तर्गत साझे वित्तपोषण के सभी मामलों में "अग्रणी" संस्थान अपनी ओर से तथा अन्य भागीदार संस्थानों द्वारा दिए गए मुख्तारनामे के कारण उनके एजेंट के रूप में निष्पादित किए गए दस्तावेजों का एक साझा सेट तैयार करवाएगा।

पूरक ऋण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूरक ऋणों के संवितरण से सम्बन्धित कार्यविधि को काफी सरल बनाया गया। पूरक ऋण (चाहे वित्तपोषण की सामान्य योजना के अधीन हो या उदार ऋण योजना के अधीन) अब निम्नलिखित सरलीकृत दस्तावेजों के अधीन प्राप्त किया जा सकता है।

(क) प्रवर्तकों/संचालकों की व्यक्तिगत गारंटियां,

(ख) उधारकर्ताओं की मशीनरी और चल परिसम्पत्तियों को बन्धक रखना (बैंकरों के पक्ष में कार्यशील पूंजी के लिए विनिर्दिष्ट चल परिसम्पत्तियों पर प्राथमिक प्रभार की शर्त के अधीन);

(ग) ऋण देने वाले संस्थानों के पक्ष में मांग वचन-पत्र।

उधार लेने वाली संस्था द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले पूरक ऋण की राशि को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर नियमित ऋण राशि के 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। क्रमिक पूरक ऋणों के लिए दस्तावेजों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए यह निर्णय किया गया कि ऋण की राशि के 90 प्रतिशत के समकक्ष राशि के लिए पूरक ऋण दस्तावेजों को सीधा ही निष्पादित किया जा सकता है और कि पूरक ऋण राशि की किस्तों की आवश्यकताओं, अनिवार्य पूर्व-अपेक्षाओं के अनुपालन उदाहरणार्थ समान अंशदान, जहां कहीं आवश्यक हो तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं के आधार पर संवितरित किया जा सकता है।

सहकारी समितियों के मामले में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार की गारंटियों पर पूरक ऋण संवितरित किया जा सकता है और ऐसे मामलों में बन्धक विलेख के निष्पादन से भी छूट दी जा सकती है।

विधिक दस्तावेजों का सरलीकरण

"अग्रणी" संस्थान द्वारा अन्य भागीदार संस्थानों की ओर से साझे दस्तावेज तैयार करने की योजना आरम्भ करने," विधिक दस्तावेज तैयार करने की प्रचलित प्रक्रिया को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरल बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। एतद अनुसार, आशय-पत्र, हामीदारी पत्र, ऋण करार, बन्धक विलेख और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों के नए सरलीकृत प्रपत्र तैयार किए गए और उनका परिचालन शुरू किया गया।

भागीदारी प्रमाण-पत्र योजना

जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान काफी समय से ऐसे किसी उपाय पर विचार कर रहे थे जिससे आवेदक संस्था को, जहां तक सम्भव हो, अपनी परियोजना के मूल्यांकन, निधियों के संवितरण और मंजूरी के बाद अनुवर्तन के लिए केवल एक ही वित्तीय संस्थान से सम्पर्क रखना पड़ा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उन परियोजनाओं के लिए जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक न हो, भागीदारी प्रमाण-पत्र योजना नामक एक योजना पिछले वर्ष बनाई गई थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस योजना की रूपरेखा निश्चित की गई और अब यह योजना शुरू की जा चुकी है।

अनुवर्ती कार्यवाही

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि वित्तपोषण संस्थाएं अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं और रुग्णता से बचने के लिए वित्तपोषित परियोजनाओं की प्रगति और विकास पर नजर रखी जाती है और रुग्णता हो जाने की स्थिति में वित्तीय संस्थानों की अनुवर्ती भूमिका को वर्ष के दौरान पर्याप्त महत्व दिया गया।

अन्य सभी वित्तीय संस्थानों सहित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की अनुवर्ती कार्यवाही में निम्नलिखित बातें निहित हैं

(1) मासिक उत्पादन रिपोर्टें प्राप्त करना जो सहायता प्राप्त संस्थाओं को उनके अपने-अपने प्रवर्तन प्राधिकारियों अर्थात् तकनीकी विकास महानिदेशालय, वस्त्र आयुक्त, पटसन आयुक्त, चीनी और वनस्पति निदेशालय आदि को प्रस्तुत करनी होती हैं।

(2) वित्तीय संस्थानों द्वारा बनाए गए प्रपत्रों में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना।

(3) वित्तपोषित संस्थाओं के फैक्टरी स्थल पर जाकर जांच करना तथा लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करना।

(4) वित्तपोषित संस्थाओं के कार्य-परिणामों तथा वित्तीय स्थिति की अर्द्धवार्षिक/वार्षिक सारणियों की जांच करना।

(5) उचित मामलों में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित वित्तीय संस्थानों के हित की देखभाल करने और समय-समय पर वित्तपोषित संस्थाओं के प्रबन्ध तथा संचालन के बारे में सूचना देने के लिए वित्तपोषित संस्थाओं के संचालक बोर्डों/प्रबन्ध में सरकारी/गैर सरकारी नामित सदस्यों की नियुक्ति करना।

चूंकि उपर्युक्त कार्यवाही में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वर्ष के दौरान उसकी गहनता एवं आवधिकता में वृद्धि हुई। गहन अनुवर्ती कार्यवाही के अतिरिक्त, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अपने प्रधान कार्यालय में तथा अपने क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के माध्यम से, आरम्भिक रुग्णता के लक्षणों वाली इकाइयों के प्रवर्तकों/प्रमुख अधिकारियों के साथ निकट पारस्परिक सम्बन्ध और तालमेल बनाए रखता है। जहां कहीं आवश्यक हो, इकाइयों का अनुरक्षण समवर्ती लेखापरीक्षकों, वित्त संचालकों की नियुक्ति, प्रबन्ध समितियों के गठन, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने से तथा जिन मामलों में वित्तपोषित परियोजना का कमजोर पहलू तकनीकी, बाजार सम्बन्धी, गुणवत्ता, जागरुकता आदि हो, उनमें सलाहकारी संगठनों की नियुक्ति के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

वित्तपोषित संस्थाओं के बैंकरों, जिन्हें सामान्यतः औद्योगिक इकाइयों के प्रबन्ध के साथ दिन-प्रतिदिन का सम्पर्क होने के कारण आरम्भिक रुग्णता के लक्षण सर्वप्रथम ज्ञात होते हैं, से भी समय-समय पर परामर्श किया जाता है और जहां कहीं एक सांझी नीति बनाने तथा परिस्थिति में सुधार लाने के लिए निर्धारित की जाने वाली कार्यवाही का प्रश्न उठता है, बैंकरों का निश्चित सहयोग मांगा गया।

वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा आवश्यकतानुसार प्रबन्ध सूचना एवं नियंत्रण व्यवस्था को संगठन में लागू करने एवं उनके संचालक बोर्डों के सम्मुख वार्षिक परिचालन योजनाएं, पूंजी और आय बजट प्रस्तुत करने एवं उत्पादन, बिक्री, स्टाक, प्राप्य, देयताएं आदि की जानकारी देने पर अधिक बल दिया गया ताकि इनके संचालक बोर्डों की समग्र प्रभावशालिता एवं नामित संचालकों की प्रभावशालिता को बढ़ाया जा सके।

अनुवर्ती कार्यवाही से सम्बन्धित विभिन्न प्रपत्रों तथा सारणियों की, इस समय भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की अध्यक्षता के अधीन वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों की एक समिति द्वारा पुन: जांच की जा रही है। सम्भावना है कि आगामी वर्षों में कार्यविधियों तथा कार्यप्रणालियों को और अधिक सरल बनाया जा सकेगा।

नामांकन

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित वित्तीय संस्थानों तथा वित्तपोषित संस्थाओं के प्रबन्धक वर्गों के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आयाम उनके संचालक बोर्डों में अपने सदस्य नामित करना है। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसरण में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसके द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं के संचालक बोर्ड में सामान्यतः दो संचालक नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संयुक्त वित्तीय सहायता के मामले में प्रथा यह रही है कि भागीदारी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान एक अथवा अधिक सदस्यों को नामित कर सकें।

ऋणों को साधारण शेयरों में सपरिवर्तन करने से सम्बन्धित सरकार के निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार उन सभी वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में सदस्य नामित करना अनिवार्य है जिनके सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के करार में ऋणों को साधारण शेयरों में बदलने की सपरिवर्तन धाराएं अनुबन्धित की गई हैं। अन्य मामलों में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सामान्यतः निम्नलिखित स्थितियों में वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में अपने संचालक नामित करने की स्वेच्छा का उपयोग करता है —

(1) जिन मामलों में निगम की वचनबद्धता तुलनात्मक रूप से अधिक हो,

(2) जिन मामलों में निगम के ऋणों के मूलधन तथा ब्याज की अदायगी में चूक की गई हो; तथा

(3) जिन मामलों में वित्तपोषित संस्थाओं पर सतर्कता रखने अथवा नजदीकी देखभाल करने की अन्यथा आवश्यकता हो।

वित्तपोषित संस्थाओं के संचालक बोर्डों में नियुक्त किए जाने वाले नामित सदस्य सरकारी अथवा गैर-सरकारी हो सकते हैं। सरकारी नामित सदस्य सामान्यतः किसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं तथा गैर-सरकारी नामित सदस्यों की नियुक्ति, जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से उन सांझी नामिका में उचित व्यक्ति चुनकर की जाती है, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा रखी जाती होती है।

हाल ही में, वित्तीय संस्थानों के नामित संचालकों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था, वित्तीय संस्थानों ने संयुक्त रूप से गैर-सरकारी नामित संचालकों को प्रति नामित संचालक प्रति माह 1,000/- रुपये तक के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से सचिवालय सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है और प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है तथा उन्हें उन मामलों में बैठक शुल्क की भी अदायगी करने की सहमति दी है जहां वित्तपोषित संस्थाएं आर्थिक तंगी के कारण ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं। इसका उद्देश्य यह है कि नामित संचालक वित्तपोषित संस्थाओं के कार्य में पूर्ण रुचि लें तथा उन वित्तीय संस्थानों को सार्थक जानकारी उपलब्ध कराएं जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 527 वित्तपोषित संस्थाओं में नामित संचालक नियुक्त किए हैं। 335 संस्थाओं में केवल सरकारी नामित संचालक नियुक्त किए गए हैं, 176 संस्थाओं में गैर-सरकारी नामित संचालक नियुक्त किए गए हैं तथा 16 संस्थाओं में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों सदस्य नियुक्त किए गए हैं। नामित संचालकों के दायित्व की समीक्षा करने की दृष्टि से तथा उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एवं वित्तीय संस्थानों के पास उपलब्ध व्यावसायिक प्रबन्धकों का संवर्ग बनाने की आवश्यकता तथा रूपरेखा की जांच करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त

की जिसमें संयोजक के रूप में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) का संयुक्त सचिव तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के अध्यक्ष सदस्य हैं।

साझा दृष्टिकोण-अग्रणी संस्थान की धारणा

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों की काफी महत्वपूर्ण विशेषता है परियोजनाओं का संयुक्त वित्तपोषण अथवा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के निकट सहयोग में साझा दृष्टिकोण अपनाना।

साझे दृष्टिकोण से सम्बन्धित कार्यवाही में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वाधान में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की आवधिक बैठकें आयोजित करना शामिल है। जिन बैठकों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष हर माह भाग लेते हैं उन्हें अन्तर-संस्थान बैठक तथा पाक्षिक रूप से आयोजित की जाने वाली बैठकें जिनमें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं उन्हें वरिष्ठ अधिकारी बैठक कहते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वाधान में बम्बई में ग्यारह अन्तर-संस्थान बैठकें और पन्द्रह वरिष्ठ अधिकारी बैठकें आयजित की गईं। नीति, कारोबार, कार्य-विधि, आवेदनों पर विचार, परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुवर्तन तथा रूग्ण इकाइयों के पुनर-स्थापन सम्बन्धी मामलों में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने तथा सहमति प्राप्त करने के लिए ये बैठकें उपयोगी मंच का कार्य करती हैं।

साझे वित्तपोषण की कार्यवाही से सम्बन्धित धारणा है "अग्रणी" संस्थान की धारणा जो अब परियोजनाओं के मूल्यांकन, सहायता के संवितरण, संवितरण के बाद अनुवर्ती कार्यवाही और रूग्ण परियोजनाओं के उपचार के सम्बन्ध में सभी मामलों में और अधिक विस्तृत हो गई है। "अग्रणी", संस्थान की धारणा में आधारभूत दृष्टिकोण यह है कि आवेदक/वित्तपोषित संस्था को केवल एक ही संस्थान-जो "अग्रणी" हो—के सम्पर्क में रहना पड़ता है और अन्य संस्थान सामान्यतः "अग्रणी" संस्थान के साथ निकट सम्पर्क तथा सम्बन्ध बनाए रखते हैं, तथापि वे आवेदक/वित्त-पोषित संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क भी, यदि ऐसी आवश्यकता हो, स्थापित कर सकते हैं। 30 जून, 1981 तक 516 संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पर अग्रणी दायित्व था।

वाणिज्यिक बैंकों के साथ समन्वय

वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय बना रहा। दीर्घावधि ऋणों में भागीदार वाणिज्यिक बैंक तथा वित्तपोषित इकाइयों को कार्यशील पूंजी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले बैंकों में से "अग्रणी" बैंक को, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा "अग्रणी" संस्थान की हैसियत से वित्तपोषित इकाइयों के मूल्यांकन और अनुवर्तन निरीक्षणों के लिए आमंत्रित किया जाता रहा। वित्तपोषित संस्थाओं के प्रवर्तकों/संचालकों, आदि की साखा-पात्रता के सम्बन्ध में बैंकरों की रिपोर्टें प्राप्त करने की पद्धति तथा वित्तपोषित संस्थाओं से सम्बन्धित आवश्यक परिचालन सूचनाओं को आपस में बांटने का कार्य वर्ष के दौरान पारस्परिक आधार पर लगातार होता रहा। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय के लिए स्थायी समिति, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक करता है, के माध्यम से कठिन या रूग्ण मामलों में प्रतिभूतियों तथा नकद प्रवाह में हिस्सेदारी के मामले में भी बैंकों के साथ समन्वय किया गया।

रूग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के मामले में भी [illegible] इकाइयों के पुनर्जीवन से सम्बन्धित [illegible], अथवा संयुक्त रूप से वित्तपोषित अन्य इकाइयों के मामले में अन्य सुधारात्मक उपाय अपनाने के लिए सम्बन्धित वाणिज्यिक बैंकों का सहयोग प्राप्त किया गया।

निवेश कार्य

निवेशों के मामले में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उत्प्रेरक भूमिका अदा करता रहा है। मूल रूप से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निवेश कार्य, हामीदारी के परिणामस्वरूप शेयरों के अधिग्रहण, लघु/मध्यम आकार की परियोजनाओं के मामले में साधारण शेयरों में प्रत्यक्ष अभिदान और संपरिवर्तन धाराओं के उपयोग तक सीमित थे। 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कुल 34.53 करोड़ रुपये के निवेशों में से लगभग 65.5 प्रतिशत भाग हामीदारी के परिणामस्वरूप, 16.7 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में और 17.8 प्रतिशत भाग संपरिवर्तन धारा के विकल्प का प्रयोग करके प्राप्त किया गया था।

जहां तक सामान्य नीति का सम्बन्ध है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम हामीदारी कार्यों को परियोजना वित्तपोषण की पद्धति के रूप में ही मानता है। साधारण शेयरों में प्रत्यक्ष अभिदान चयनात्मक आधार पर लघु मध्यम आकार की परियोजनाओं के संबंध में किया जाता है। इसके अतिरिक्त नीति दृष्टिकोण से केवल उन निवेशों को छोड़कर, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने विशिष्ट वित्तीय संस्थानों तथा तकनीकी सलाहकारी संगठनों की शेयर पूंजी में प्रारंभिक अभिदान के रूप में किए थे। निगम इसकी निधियों के पुनर्निर्धारण और पूंजी बाजार को त्वरित करने के दोहरे लक्ष्य सहित शेयरों को छोटे-छोटे हिस्सों में जनता में बेचने का प्रयास करता है। यह निर्णय करने के लिए कि शेयरों को बेचा जाए या नहीं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम निम्नलिखित विशेष बातों को ध्यान में रखता है :—

(क) अधिग्रहण की तारीख के संदर्भ में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की विद्यमान शेयर धारिता।

(ख) कम्पनी के वित्तीय परिणाम और सुदृढ़ता।

(ग) सम्भावित बोनस/सुरक्षित निर्गम।

(घ) पिछला अधिलाभांश रिकार्ड और सम्भावित आगामी अधिलाभांश।

(ङ) उस मूल्य और अवधि, जिसके लिए शेयर धारित थे, के संदर्भ में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को औसत परिलब्धि।

(च) वर्तमान बाजार दरें और भविष्य प्रवृत्ति।

(छ) स्टाक बाजार और संस्था के प्रबन्ध पर प्रभाव।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अपनी शेयरधारिता मुख्यतः स्टाक दलालों के माध्यम से छोटे-छोटे हिस्सों में खुले बाजार में अथवा सहमति मूल्य पर निवेश संस्थानों को बेचता है। केवल विशेष मामलों और परिस्थितियों में, जिनमें प्रवर्तकों के साथ शेयरों को वापस खरीदने की सहमति हुई हो अथवा वर्तमान प्रबन्धक वर्ग की स्थिति को मजबूत करने के लिए अथवा सम्बन्धित शेयरों की बाजार में स्थिति अच्छी न होने पर, शेयरों को प्रत्यक्ष रूप से अथवा व्यक्तिगत विचार-विमर्श द्वारा मूल प्रवर्तकों को हस्तान्तरण करके बेच दिया जाता है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड द्वारा इसके निवेश कार्यों के रूप में समय-समय पर हामीदारी अथवा प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में प्राप्त हुए शेयरों के अधिग्रहण के

सम्बन्ध में प्राप्त हुई रिपोर्टों एवं निवेशों की बिक्री, बट्टे-खाते डालने/विमोचन एवं निपटान, के सम्बन्ध में विचार किया जाता है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हामीदारी/प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में 21.4 करोड़ रुपये का निवेश किया और निवेशों की बिक्री/बट्टा खाता/विमोचन 1.07 करोड़ रुपये रहा ।

अध्याय–4

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की वित्तपोषित संस्थाओं की समीक्षा

अवस्थापना सुविधाओं में सुधार होने और सरकार द्वारा औद्योगिक क्षमता का सर्वोत्तम सीमा तक उपयोग का निश्चित पर्यवेक्षण किए जाने के फलस्वरूप कुल औद्योगिक उत्पादन में वर्ष 1980-81 में 4.1 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1979-80 में उत्पादन में लगभग 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

औद्योगिक उत्पादन में समग्र सुधार का प्रभाव भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में भी समान रूप से दिखाई पड़ा। देश के कुछ चुने हुए उद्योगों तथा वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त नियम की वित्तपोषित संस्थाओं का क्षमता उपयोग परिशिष्ट-ड में दिखाया गया है। जैसा कि उक्त परिशिष्ट से स्पष्ट है कि नियम द्वारा वित्तपोषित अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में क्षमता उपयोग प्रतिशत वर्ष 1980-81 में पिछले वर्ष के क्षमता उपयोग प्रतिशत से अधिक था।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की प्रगति का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है। इन उद्योगों में से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित कुछ संस्थाओं की वर्ष 1980-81 (अप्रैल-मार्च) के दौरान प्रगति की समीक्षा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की लगभग 325 औद्योगिक संस्थाओं के सर्वेक्षण के आधार पर की गई है।

चीनी

वर्ष 1980-81 में 51.40 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की संभावना है जो पिछले वर्ष से 12.81 लाख टन अधिक है। 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार चीनी उद्योग के 323 चीनी कारखानों की विस्थापित क्षमता 62.03 लाख टन वार्षिक थी। सम्भावना है कि 1980-81 के अन्त तक चीनी की विस्थापित क्षमता 64.50 लाख टन होगी जबकि 342 चीनी कारखानों को 74.67 लाख टन चीनी उत्पादन का लाइसेंस दिया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई चीनी नीति आंशिक नियंत्रण एवं दोहरी कीमत प्रणाली पर आधारित थी। पहली सितम्बर, 1980 से सरकार ने नई विस्तार चीनी परियोजनाओं पर लागू प्रोत्साहनों, रियायतों और राहतों की योजना को संशोधित मापदण्डों के आधार पर पुनः चालू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप चीनी इकाइयों की आर्थिक व्यवहार्यता में पर्याप्त सीमा तक सुधार हुआ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 30 जून, 1981 तक 197 चीनी इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी जिनमें से 144 सहकारी क्षेत्र में थी और शेष निगमित क्षेत्र में। यह देखा गया कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भाग लेने वाली 68 सहकारिताओं का क्षमता उपयोग वर्ष 1980-81 में 77 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष सूचना देने वाली 62 सहकारिताओं द्वारा प्राप्त क्षमता उपयोग 61.7 प्रतिशत था। निगमित क्षेत्र की 18 इकाइयों का औसत क्षमता उपयोग प्रतिशत, पिछले वर्ष की 19 इकाइयों के 51.4 प्रतिशत के मुकाबले 67 8 प्रतिशत था। फिर भी, देश के कुछ भागों में मिलें या तो गन्ने की अनुपलब्धता के कारण अथवा गन्ने को चीनी कारखाने से गुड़ और खाडसारी की ओर भेजे जाने के कारण सम्भावित स्तर तक पिराई नहीं कर सकी। वसूली प्रतिशत में भी कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ हालांकि यह पिछले वर्ष के वसूली प्रतिशत से बेहतर था। आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, केरल, देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित चीनी इकाइयों के कार्य-परिणामों में, गन्ने की कमी के कारण कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में कुछ कारखाने समय पर पिराई शुरू नहीं कर सके। फिर भी, देश के अन्य भागों में स्थित इकाइयों में निश्चित सुधार दृष्टिगोचर हुआ।

सूती वस्त्र

1980-81 (अप्रैल-मार्च) में सूती वस्त्र उद्योग में काफी प्रगति हुई तथा उत्पादन और बिक्री में समग्र वृद्धि हुई। सिंथेटिक मिश्रित सहित सभी प्रकार के धागों का कुल उत्पादन 13,000 लाख कि. ग्रा. हुआ जो कि पिछले वर्ष में 12,170 लाख कि.ग्रा. था।

कपड़े की मिश्रित किस्मों सहित सभी प्रकार के कपड़ों का उत्पादन पिछले वर्ष में 40850 लाख मीटर के मुकाबले 41640 लाख मीटर रहा। कपड़े के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि से स्पष्ट है कि धागे का पर्याप्त बड़ा भाग, विकेन्द्रीकृत क्षेत्र द्वारा उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया था।

विस्तार क्षमता में अवरोध के कारण करघों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन, कुछ मिलों ने पुराने करघों के बदले में स्वचालित करघे लगा लिए और इससे उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली।

इस समय देश में 693 सूती वस्त्र मिलें हैं जिनमें 415 कताई मिलें और 278 संयुक्त मिलें हैं। इनमें से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 30 जून, 1981 तक 296 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की। हालांकि, निगम द्वारा वित्तपोषित सूती वस्त्र की अधिकांश इकाइयों ने कैलेण्डर वर्ष 1980 में सन्तोषप्रद प्रगति बनाए रखी, लेकिन वर्ष 1981 के आरम्भ में, मध्यम तथा मोटे किस्म के सूत की कीमतों में वृद्धि तथा धागे की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव और कुछ राज्यों में बिजली की कमी के कारण मिलों के कार्य परिणामों में गिरावट की प्रवृत्ति आई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सूचना देने वाली 88 इकाइयों में से 72 इकाइयों का क्षमता उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की कमी के कारण कम रहा और कुछ इकाइयों से तनावपूर्ण श्रमिक सम्बन्धों की भी सूचना मिली है। समग्रतः, इस उद्योग को, जिसे पिछले दो वर्षों के दौरान काफी लम्बे समय तक अनुकूल परिस्थितियां मिलती रहीं, अब कच्चे माल और अन्य निवेशों की बढ़ी हुई कीमतों और कपड़े के मन्दे बाजार का सामना करने में अपेक्षाकृत कठिनाई का अनुभव हो रहा है।

सरकार द्वारा 9 मार्च, 1981 को नई वस्त्र नीति, जिसमें बहु-धागा नीति की परिकल्पना की गई है और उद्योग को घरेलू स्रोतों से कृत्रिम तन्तु और धागा उपलब्ध कराने और कमी को आवश्यक आयातों से पूरा करने का आश्वासन दिया गया है,

की घोषणा से उद्योग की स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है।

पटसन उद्योग

हालांकि वर्ष 1980-81 (अप्रैल-मार्च) के दौरान पटसन की वस्तुओं के 13.91 लाख टन के कुल उत्पादन और पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के 13.37 लाख टन के उत्पादन में काफी समानता है तथापि, वर्ष 1980-81 के दौरान पटसन इकाइयों का उत्पादन उत्पादन-मिश्र दृष्टिकोण से असन्तुलित रहा, क्योंकि बोरियों और टाट का उत्पादन अधिक मात्रा में और गलीचे के अस्तर का उत्पादन कम हुआ। वर्ष 1980-81 के दौरान उद्योग की लाभप्रदता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसका मुख्य कारण तैयार माल के विक्रय मूल्य में गिरावट थी।

पटसन वस्तुओं के निर्यात में भी वर्ष 1980-81 (अप्रैल-मार्च) के दौरान पिछले वर्षों के मुकाबले 14 प्रतिशत की कमी हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि विदेशी खरीदारों ने कालीन का अस्तर कम मात्रा में उठाया।

इस समय देश में 71 पटसन मिलें हैं, पांच पटसन मिलों का, जिनका प्रबन्ध सरकार द्वारा पहले अधिग्रहीत कर लिया गया था, 21 दिसम्बर, 1980 का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकृत मिलों के कार्यों की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम नामक एक सांविधिक संगठन स्थापित किया गया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 30 जून, 1981 तक 24 पटसन मिलों को 16.77 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। इनमें से वर्ष 1980-81 के दौरान विद्यमान अधिकांश इकाइयों की प्रगति उद्योग की प्रवृत्ति के अनुकूल रही लेकिन असम, बिहार और पश्चिमी बंगाल की तीन पटसन मिलों के परिचालन परिणाम बिल्कुल असन्तोषप्रद रहे जिसका कारण कम उत्पादकता, तनावपूर्ण श्रमिक सम्बन्ध, आदि जैसे कुछ अतिरिक्त पहलू थे। जहां तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता से स्थापित की जा रही नई पटसन इकाइयों का सम्बन्ध है, उड़ीसा परियोजना का कार्य पूरा हो चुका था और जनवरी, 1981 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था, जबकि त्रिपुरा परियोजना ने अपना स्कीम को अभी कार्यान्वित करना है।

कुछ पटसन मिलें, जिन्हें उदार ऋण योजना के अधीन सहायता मंजूर की गई थी, मशीनरी निर्माताओं द्वारा प्रोसेसिंग मशीनों के विलम्बित वितरण और बाजार में उच्च कोटि के अतिरिक्त पुर्जों के अभाव के कारण उस सहायता का लाभ नहीं उठा सकीं।

मानव-निर्मित रेशा उद्योग

30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कृत्रिम रेशे और रेसिन्ज की श्रेणी की 39 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जिससे उन्हें 52.44 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इनमें से अधिकांश संस्थाओं की वित्तीय प्रगति सन्तोषप्रद रही। अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में औसत क्षमता उपयोग उचित रूप से सन्तोषजनक ही रहा अन्यथा यह पिछले वर्ष की स्थिति से बेहतर था।

मानव-निर्मित रेशे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए और कीमतों में सन्तुलन लाने के लिए सरकार ने, वर्ष के दौरान कुछ उदार आयात नीति अपनाई जिसके अन्तर्गत विस्कोस/पोलिनोसिक रेशे विस्कोस/नाइलोन फिलामेंट धागे के आयात के लिए मुक्त सामान्य लाइसेंस पर अनुमति दी गई और वास्तविक उपयोक्ता को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई।

उर्वरक

देश में 32 बड़ी इकाइयों में अमिश्रित नाइट्रोजन, मिश्रित और फास्फेटीय उर्वरकों का विस्तृत मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 35 छोटी इकाइयां इकहरे सुपर फास्फेट का उत्पादन और 6 इकाइयां इस्पात संयंत्रों से उप-उत्पाद के रूप में अमोनिया सल्फेट का उत्पादन करती हैं। 1980-81 में नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन 27.5 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा 22 लाख टन होने की सम्भावना है। इस कमी के मुख्य कारण उर्वरक संयंत्रों में बिजली की भारी कमी और नेप्था, ईंधन तेल, आदि कच्चे माल की कमी तथा नई परियोजनाएं लगाने में विलम्ब हैं। वर्ष 1980-81 के दौरान क्षमता उपयोग नाइट्रोजन के लिए 56.2 प्रतिशत और इकहरे सुपर फास्फेट (पी२ ओ५) के लिए 68.1 प्रतिशत होने की संभावना है जो कि 1979-80 में नाइट्रोजन के लिए 66.2 प्रतिशत और पी२ ओ५ के लिए 67.3 प्रतिशत रहा।

मुख्य उर्वरकों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और पहली नवम्बर, 1977 से तथा पहली फरवरी, 1979 से फास्फेटीय उर्वरकों के लिए लागू की गई नई धारणा मूल्ययोजना में रही। लेकिन सरकार ने कुल नियोजित पूंजी के आधार पर प्रतिदेय के उद्देश्य के लिए निवल मूल्य के गणन करने की पद्धति को बदलकर साधारण पूंजी और निर्मुक्त आरक्षित निधियों के जोड़ के अनुसार करना संशोधित कर दिया। पहली नवम्बर, 1977 से लागू की गई उर्वरक भाड़ा उप-सहायता योजना भी प्रचलन में रही।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 30 जून, 1981 तक 59.57 करोड़ रुपये से सत्तरह उर्वरक इकाइयों को सहायता प्रदान की थी। इनमें से गुजरात राज्य के सहकारी क्षेत्र की उर्वरक इकाई में पूर्ण वर्ष के लिए धारण मूल्य के प्रभाव के कारण लाभ में लगभग 33 प्रतिशत की कमी हुई जबकि पिछले वर्ष इसका प्रभाव 25 प्रतिशत था। गुजरात के अन्य दो उर्वरक संयंत्र, एक सहकारी क्षेत्र में और दूसरा निगमित क्षेत्र में वर्ष के दौरान कार्यान्वित होने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की उर्वरक इकाई की प्रगति संतोषजनक रही, केवल लगभग 3 महीने के लिए असम से कच्चे तेल की सप्लाई रुक जाने से बरौनी रिफाइनरी में उत्पादन के बन्द हो जाने की वजह से नेप्था के सम्भरण में अवरोध के कारण यह संयंत्र बन्द रहा। इस अवधि के दौरान इकाई का क्षमता उपयोग कम होकर 44 प्रतिशत रहा, लेकिन संभरण के पुनः आरम्भ हो जाने के बाद इसमें लगभग 99 प्रतिशत सुधार हो गया। महाराष्ट्र की एक वित्तपोषित इकाई की प्रगति में, इसके प्रबंध में संस्थानों द्वारा किए गए परिवर्तन से काफी सुधार हुआ। तलोजा में स्थापित की जा रही एक अन्य इकाई कार्यान्वित की जा रही है। तमिलनाडु की एक इकाई में, बिजली की कमी, आदि के बावजूद अमोनिया, यूरिया और डाई-अमोनिया फास्फेट के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो संयंत्र के आरम्भ से लेकर प्राप्त उच्चतम उपलब्धि है। राज्य में अमोनिया क्लोराइड (उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला) का निर्माण करने वाली एक अन्य प्रमुख इकाई अभी तक कार्यान्वयन अवस्था में थी। कर्नाटक की एक उर्वरक इकाई का क्षमता उपयोग बिजली की अनुपलब्धता के कारण अत्यधिक कम रहा जिसके फलस्वरूप इकाई पूर्ण रूप से बन्द रही। संयंत्र में असंतुलन की स्थिति तथा श्रमिक समस्या से भी इस इकाई की और अधिक संकटपूर्ण स्थिति हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1979 में प्राप्त लाभप्रद स्थिति के मुकाबले भारी हानि हुई।

अकार्बनिक रसायन

प्रमुख अकार्बनिक रसायनों अर्थात सोडा एश, कास्टिक सोडा, कैलशियम कार्बाइड, कार्बन ब्लैक, लाल फासफोरस, पोटाशियम क्लोराइड और तरल क्लोरिन के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में केवल तरल क्लोरीन और पोटाशियम क्लोरेट को छोड़कर गिरावट आई। कास्टिक सोडा का निर्माण करने वाली संस्थाओं, जिन्होंने सूचना दी है, का औसत क्षमता उपयोग वर्ष के दौरान उद्योग की 73 5 प्रतिशत प्रगति के मुकाबले 74 9 प्रतिशत था। तरल क्लोरीन का निर्माण करने वाली इकाइयों का क्षमता उपयोग 59 2 प्रतिशत था जबकि अखिल भारतीय आंकड़ों के अनुसार यह 50 8 प्रतिशत था। वर्ष 1980-81 में कार्बन ब्लैक इकाइयों का क्षमता उपयोग पिछले वर्ष 91 6 प्रतिशत की तुलना में 65 1 प्रतिशत था।

सीमेंट

पहली नवम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार सीमेंट की विस्थापित क्षमता 257-5 लाख टन थी। छठी पंचवर्षीय योजना अर्थात 1984-85 के अन्त तक सीमेंट की विस्थापित क्षमता बढ़कर 430 लाख टन हो जाने की संभावना है जिसमें से 38 3 लाख टन के 1980-81 तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है।

1980-81 में सीमेंट का उत्पादन, 1979-80 में 176 लाख टन के मुकाबले 186 लाख टन हुआ जो मामूली संशोधित था लेकिन वर्ष 1978 में प्राप्त 194 लाख टन से अभी भी कम था। क्षमता उपयोग 72 प्रतिशत के लगभग रहा जिसका कारण विशेषत 1980-81 के मध्य तक बिजली, कोयला और रेल परिवहन की कमी थी।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की वित्तपोषित इकाइयों की प्रगति देश में प्रचलित सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार उल्लेखनीय नहीं थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक इकाई का क्षमता उपयोग समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के 66 प्रतिशत से कम होकर 53 प्रतिशत रह गया। पूर्वी क्षेत्र में बिहार तथा मेघालय में स्थित इकाइयों की स्थिति असन्तोषजनक बनी रही। फिर भी, ए सी सी की तथा देश के दक्षिणी भाग में स्थित सीमेंट इकाइयों का कार्य पूर्णरूप से सन्तोषप्रद था। वर्ष के दौरान, प्रतिदिन 1100 टन सीमेंट की क्षमता वाली एक इकाई ने आन्ध्र प्रदेश में उत्पादन आरम्भ कर दिया और उसके कार्य के सन्तोषप्रद होने की सूचना मिली है। जहां तक विभिन्न छोटे सीमेंट संयंत्रों, जिन्हें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, का सम्बन्ध है, परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की सूचना मिली है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकार ने, निवेशों की लागत में वृद्धि के कारण उद्योग की क्षतिपूर्ति के लिए सीमेंट की धारण कीमतों की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरान्त 3 मई, 1980 से सीमेंट की धारण कीमतों में 13 65 रु प्रति टन की वृद्धि की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त सरकार ने, 23 जुलाई, 1981 से सीमेंट की धारण कीमत को 34 74 रु प्रति टन बढ़ाने का निर्णय लिया। सीमेंट संयंत्रों के सामने में सरकार ने उसके द्वारा लगाए गए अन्तरिक्ष उपयोग के लिए शक्ति संयंत्रों के अतिरिक्त इन संयंत्रों द्वारा विस्थापित जनरेटर सेटों पर भी उप-सहायता योजना लागू करने का निर्णय किया।

सरकार ने छोटे सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्देशक सिद्धान्त भी बनाए हैं जिनसे यह सुनिश्चित है सके कि ये संयंत्र मुख्यत दूर-दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में और उन स्थानों पर, जहां बड़े सीमेंट संयंत्र स्थापित करना व्यवहार्य न हो, चूना पत्थर के भण्डारों का उपयोग करने के लिए स्थापित किए जाएं।

कागज

पहली जनवरी, 1980 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में कागज और गत्ते का निर्माण करने वाली 121 इकाइयां हैं जिनकी विस्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 15 38 लाख टन है। सम्भावना है कि विस्थापित क्षमता 1984-85 में 15.38 लाख टन की वर्तमान विस्थापित क्षमता से बढ़कर 19 12 लाख टन हो जाएगी। वर्ष 1980-81 के दौरान उत्पादन लगभग 11 00 लाख टन था जिसमें 71 5 प्रतिशत क्षमता उपयोग हुआ।

30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 86 कागज और गत्ते की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जो कुल 104 65 करोड़ रुपये थी। उद्योग की सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप निगम द्वारा वित्तपोषित परिचालित इकाइयों की प्रगति मामूली रही लेकिन सुधार के लक्षण दिखाई पड़े। बिजली की कमी के बावजूद अधिकांश इकाइयों के क्षमता उपयोग में पिछले वर्ष की प्रगति की तुलना में वृद्धि हुई। फिर भी, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कुछ इकाइयों को घाटे में चलने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा और वित्तीय संस्थानों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई।

वर्ष के दौरान सरकार ने इन उद्योगों में नए निवेशों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कागज उद्योग को उत्पादन शुल्क में रियायत देने की घोषणा की। बांस तथा अन्य प्रकार की लकड़ी की लुगदी से कागज बनाने वाली नई बड़ी एकीकृत लुगदी और कागज मिलों, जिन्होंने पहली अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1984 के दौरान पहली बार उत्पादन आरम्भ किया या करेंगी, द्वारा निर्मित लेखन और छपाई के कागज को, ऐसे कागज पर लागू उत्पादन शुल्क की दरों में 50 प्रतिशत की सीमा तक छूट दी जाएगी। लेकिन, इस योजना के अन्तर्गत किसी कागज इकाई को दी गई छूट की कुल राशि, उसमें लगाए गए संयंत्र और मशीनरी पर किए गए प्रारम्भिक निवेश के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी।

टायर और ट्यूबों सहित रबर सामान उद्योग

इस उद्योग ने रबर से बनाई गई सभी महत्वपूर्ण मदों में व्यवहारिक रूप से आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है और इसके अन्तर्गत अनेक उत्पादन आते हैं जैसे आटोमोबाइल टायर और ट्यूबें, फुटवियर, बी-बेल्ट, विभिन्न प्रकार की रबर की नलियां, रेलवे फिटिंग्स, आटोमोबाइल रबर पुर्जे, कृत्रिम रबर बिछौना और एप्रेन, सर्जिकल और औद्योगिक रबर और पी वी सी कनवेयर बेल्टिंग्स, आदि। इस समय देश में रबर के सामान के उत्पादन में लगी 106 इकाइयां शामिल हैं।

30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने टायर और ट्यूबों सहित रबर उद्योग की 24 इकाइयों को कुल मिलाकर 32 90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की, जिनकी प्रगति वर्ष के दौरान पूर्णत सन्तोषप्रद रही। लेकिन समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोयला और बिजली की कमी तथा श्रमिक समस्याएं उद्योग की प्रगति में मुख्य बाधक बने रहे।

वर्ष के दौरान सरकार ने, रबर के सामान का निर्माण करने वाले उद्योग के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत की घोषणा की जिसके अन्तर्गत ऐसी इकाइयां जिन्होंने पहली अप्रैल, 1976 को या उसके बाद लेकिन पहली अप्रैल, 1984 से पहले टायरों

का निर्माण आरम्भ कर दिया हो या आरम्भ करेगी, नई उत्पाद शुल्क राहत योजना के लाभों की, अपनी-अपनी इकाइयों में टायरों की पहली बार उत्पाद शुल्क निकासी की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पात्र होंगी। इकाई के उत्पादन शुल्क में राहत लाने वाले शुल्क के 25% की दर से होगी और यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रारम्भिक लाइसेंस क्षमता के 75% तक सीमित रहेगी बशर्ते कि यह सम्बन्धित इकाई में लगाये गये संयंत्र और मशीनरी के प्रारम्भिक निवेश का अधिकतम 30% होगी।

धातु उद्योग

इस शीर्ष के अन्तर्गत लौह समूह के उद्योगों में लोहा और उत्पात, ढलवां लोहा, इस्पात की सिल्लियां और नर्म लोहे की ढलवां वस्तुएं, इस्तात की ढलवां और गढ़ी हुई वस्तुएं, छोटे इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल्स, ढलवां लोहे की बढ़ी हुई पाइपें, इस्पात निर्मित ढलवां वस्तुएं, आदि शामिल हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने इस समूह की 87 इकाइयों को 76.63 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जिसमें इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं., टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. और अनेक छोटे इस्पात संयंत तथा फोर्जिंग और रि-रोलिंग इकाइयां शामिल हैं। इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों के कारण इन इकाइयों की प्रगति पिछले वर्ष की प्रगति के मुकाबले पूर्णतः सन्तोषप्रद रही। उदाहरण के लिए, वर्ष 1979-80 में छोटे इस्पात संयंत्रों को दी गई रियायतों के अतिरिक्त सरकार ने, वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की पिघलने वाली कतरनों तथा जहां कहीं आवश्यकता हो, स्पंज लोहे के प्रत्यक्ष आयात की अनुमति देकर और राहत दी। आन्ध्र प्रदेश के कोठागुडम स्थित स्पंज लोहा संयंत्र ने भी उत्पादन शुरू कर दिया और उत्पाद को प्रयोग करने वाली भट्टियों से प्राप्त रिपोर्टें भी काफी सन्तोष जनक थीं। देश में उत्पादित स्पंज लोहे के प्रयोग के माध्यम से बिजली की चाप भट्टियों के उत्पादों को भी उत्पाद शुल्क में उसी दर से राहत दी गई जिस पर कि मेल्टिंग स्क्रैप/आयातित स्पंज लोहे की बिजली चाप भट्टियों को प्रदान की जा रही थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में से टिन प्लेट इकाइयों को छोड़कर इस्पात की पत्तियां, लोहे मिश्र, इस्पात की तारें और ढलवां वस्तुओं आदि का निर्माण करने वाली इकाइयों की प्रगति काफी अच्छी रही और वर्ष की अवधि के दौरान अपनी वचनबद्धताएं सामान्यतः पूरी कर सकें।

औद्योगिक मशीनरी

इस शीर्षक के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित मुख्य इकाइयां हैं वस्त्र मशीनरी, चीनी मिल मशीनरी, सीमेंट मशीनरी, कागज मशीनरी और अन्य विविध मदें जैसे टूल्स, गियर्स, रोलर्स, बियरिंगस आदि। 30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 83 इकाइयों को 54.47 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की। काम कर रही वित्तपोषित इकाइयों की प्रगति की स्थिति मिली-जुली रही। हालांकि कुछ इकाइयों के परिणाम सन्तोषप्रद रहे, अन्य मामलों में प्रगति निराशाजनक रही जिसके मुख्य कारण थे, श्रमिक असन्तोष, बिजली की कमी, प्रबन्ध समस्याएं, कुछ उत्पादों की बाजार में कमी के अतिरिक्त कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि। पूर्वी क्षेत्र और महाराष्ट्र की कुछ इकाइयां बन्द रहीं और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास किए गए। फिर भी, वस्त्र मशीनरी उद्योग के उत्पादन में, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान औसतन लगभग 26 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई। इसी प्रकार, मशीन टूल्स उद्योग में भी पिछले वर्ष से लगभग 12 प्रतिशत अधिक प्रगति हुई।

बिजली मशीनरी

30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने इस उद्योग की 64 इकाइयों को 40.36 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की थी जिसमें पंखों, मोटरों, जी. एल. एस. लैम्पों, फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्पों, ड्राई बैटरी सैलों, तारों और केबलों, फिलामेंट, वेल्डिंग इलैक्ट्रोडस, बैटरियां, ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स, आदि का निर्माण शामिल है। उद्योग के क्षमता उपयोग में पिछले वर्ष से अत्यधिक सुधार हुआ और इसे सर्वतोमुखी अनुकूल प्रवृत्तियां प्राप्त हुई। केवल कुछ क्षेत्रों अर्थात् केरल और तमिलनाडु में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की वित्तपोषित इकाइयों ने प्रगति नहीं की, अन्यथा कुछ मामलों में उत्पादन पूर्ण रूप से लाइसेंस प्राप्त क्षमता से भी अधिक हो गया था।

आटोमोबाइल उद्योग

देश में विभिन्न प्रकार के वाहनों का निर्माण करने वाली 43 इकाइयां हैं और कृषि ट्रैक्टर तथा पावर टिलरों का निर्माण करने वाली 18 इकाइयां हैं। समग्र उद्योग को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है उदाहरणार्थ व्यवसायिक वाहन, यात्री कार, जीप, मोटर साइकिल, स्कूटर, तिपहिया स्कूटर, मोपेड, आदि और इसके साथ कृषि ट्रैक्टर व पावर-टिलर। पावर टिलरों को छोड़कर वर्ष 1980 के दौरान लगभग सभी प्रकार के वाहनों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अधिकतम वृद्धि मोपेड और दो पहिए वाले स्कूटरों के निर्माण में हुई तथा यात्री कारों के निर्माण में मामूली वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद, विभिन्न निवेशों की बढ़ी हुई लागतों के कारण उद्योग को सन्तोषजनक वित्तीय परिणाम प्राप्त नहीं हुए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित स्कूटर इकाइयों की स्थिति घाटे में बनी रही और पावर टिलर इकाइयों की भी यही स्थिति थी। ट्रैक्टर इकाइयों को, उनकी कीमतों में वृद्धि के कारण बाजार समस्या का सामना करना पड़ा। केवल मोपेडों के उत्पादन की स्थिति सुस्थिर रही और उनकी मांग में भी वृद्धि हुई।

अध्याय–5

ऋणों की पुनर्अदायगी की प्रगति

निम्नलिखित, 8 और 9 सारणियों में वे राशियां दिखाई गई हैं, जो पिछले पांच वर्षों के अन्त में ब्याज और मूलधन की अदायगी के रूप में लेनी थीं, और जो राशियां वसूल हुई थीं। इनमें प्रत्येक वर्ष के अन्त में चूक की राशियों का ब्योरा भी दिया गया है।

सारणी—8

ब्याज की वसूली

(रुपये, करोड़ों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ऋण	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ब्याज	वर्ष के दौरान ब्याज की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान ब्याज की प्राप्त रकम	प्रतिशत वसूली	वर्ष के दौरान ब्याज की अदायगी में चूक होने से बकाया रकम*
1777	244.57	10.66	21.30	31.96	18.17	56 8%	12.11
1978	284.70	12.11	25.83	37.94	20.82	54.8%	15.06
1979	328.30	15.06	31.65	46.61	26.14	56.0%	15.32
1980	370.67	15.52	36.16	51.48	29.42	57.1%	18.75
1981 . . .	442.85	18.75	47.67	66.42	38.77	58.3%	17.68

*इसमें वे राशियां शामिल नहीं है, जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को चूकें नहीं माना जाता।

सारणी—9

मूलधन की पुनर्अदायगी

(रुपये, करोड़ों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ऋण*	वर्ष के प्रारम्भमें मूलधन की देय रकम	वर्ष के दौरान मूलधन की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान ब्याज की प्राप्त रकम	प्रतिशत वसूली	वर्ष के दौरान मूलधन की अदायगी में चूक से बकाया रकम**
1977	244.57	11.37	24.39	35.76	18.54	51.8%	14.70
1978	284.70	14.70	25.32	40.02	18.28	45.6%	21.15
1979	328.30	21.15	29.87	51.02	21.85	42.8%	25.30
1980	370.67	25.30	36.84	62.14	22.65	36.4%	32.79
1981	442.85	32.79	44.65	77.44	32.72	42.2%	35.83

*इसमें बकाया ऋण शामिल नहीं हैं जिनकी किस्ते अदायगी में चूके होने के कारण आस्थगित कर दी गई है और जिनकी गारंटी निगम ने दी थी और इसलिए निगम को उन्हें अदा करना पड़ा। ऐसे ऋणों और उनके ब्याज का ब्योरा सारणी 10 में दिया गया है।

**इसमें वे राशियां शामिल नहीं है जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को चूकें नहीं माना जाता।

***वदेशी मुद्रा उप-ऋणों को 30 जून, 1981 को लागू टेलीग्राफिक अन्तरण विक्रय दरों पर संपरिवर्तित किया गया।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों में दी गई और पूरी की गई आस्थगित अदायगी गारंटियों की किस्तों की अदायगी में चूकों और उन पर देय ब्याज और अन्य प्रभारों का ब्योरा सारणी 10 में दिया गया है।

सारणी—10

निगम द्वारा आस्थगित अदायगियों के लिये दी गई गारंटी की बकाया रकमें

(रुपये, करोड़ों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बाकी दारी की रकम	वर्ष के दौरान बाकी दारी की रकम	जोड़	वर्ष के दौरान वसूलियां	प्रतिशत वसूली	वर्ष के अन्त में देय बाकी दारी की रकम
1777 . . .	1.21	0.26	1.47	0.09	0.06%	1.38
1978 . . .	1.38	0.36	1.74	0.10	0.05%	1.64
1979 . . .	1.64	0.21	1.85	0.07	0.04%	1.78
1980 . . .	1.78	0.06	1.84	0.16	0.08%	1.68
1981 . . .	1.68	0.09	1.77	—	—	1.77

स्पष्ट है कि 30 जून, 1981 को 548 01 करोड रुपये के कुल बकाया रुपया तथा विदेशी मुद्रा ऋणा में ब्याज की 18 29 करोड रुपये की चूकें थीं जो कुल ऋणो का 3 4% है, ये चूकें पिछले वर्ष 4 2 प्रतिशत थीं। उपरिलिखित 18 29 करोड रुपय की राशि में कुछ वित्तपोषित सस्थाओ द्वारा वर्ष के दौरान की गई चूक शामिल नहीं है जिनकी साख स्थिति बहुत सन्तोषजनक नहीं थी, जैसा कि लेखे के साथ सलग्न टिप्पणिया में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त चूकों में 37 37 करोड रुपये की मूलधन राशि बकाया ऋणा अर्थात् 548 01 करोड रुपय का 6 8 प्रतिशत है जो कि पिछले वर्ष 7 4 प्रतिशत था।

पुनर्अदायगी की समग्र स्थिति

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किए गए उत्साहवर्द्धक प्रयासो के परिणामत वर्ष के दौरान मूलधन और ब्याज की प्रतिशत वसूली में क्रमश 3 प्रतिशत और 8 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समग्र तैंतीस वर्ष की अवधि, अर्थात् 1948--81 के दौरान पुनर्अदायगी/अदायगी के लिए देय मूलधन और ब्याज की कुल राशि 661 91 करोड रुपये थी और मूलधन तथा ब्याज दोनो खातो में, अतिदेय अदायगिया में सशोधन करने के समायोजन के बाद सचयी-ऋण वसूली अनुपात 88 8 प्रतिशत रहा।

चूकों का उद्योगवार विश्लेषण

30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार चूको का उद्योगवार ब्योरा तथा पिछले वर्ष के तुलनात्मक आकड़ परिशिष्ट "ढ" में दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय विशेषता यह रही कि चूक करने वाली सस्थाओ की सख्या 30 जून, 1981 को कम होकर 258 रह गई जो कि 30 जून, 1981 को 296 थी। इस प्रकार चूको की राशि कुल बकाया ऋणा का 10 2 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष 11 6 प्रतिशत थी। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि हालाकि कुल 755 ऐसी सस्थाओ के मुकाबले जिन पर ऋण बकाया थ 30 जून, 1981 को 258 सस्थाएं चूक में थीं इसमें कुछ ऐसे 37 टढ़े मामले भी थे (राष्ट्रीयकृत की गई अथवा उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिकृत की गई इकाइयो सहित) जिनमें "अन्य बातो के साथ-साथ" काफी पुनर्गठन और/अथवा पुन सयोजन आवश्यक समझा गया।

पुनर्स्थापन सहायता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम वित्तपोषित रुग्ण इकाइया के गहन अनरक्षण और उनके पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में सक्रिय भाग लेता रहा है।

सम्भावित व्यवहार्य इकाइया के लिए पुनर्स्थापन योजनाए इस प्रकार बनाई गई कि कुछ राहता और रियायता के अनुदान से वे उपयुक्त अवधि में काफी प्रगति कर सकें और सामान्य शर्तों पर उधारों की अदायगी करने में समर्थ हो सकें। इन कार्यों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को उपयुक्त मामला में केन्द्रीय और राज्य-सरकारों के साथ साथ भागीदारी सस्थानो और वाणिज्यिक बैंको की सहायता और सहयोग की आवश्यकता है।

वित्तीय सस्थानो द्वारा तैयार की गई पुनर्स्थापन योजनाओ के अनुसार, स्कूटर निर्माण करने वाली एक इकाई ने अपने कार्य-निष्पादन में काफी सधार किया तथा दो स्कूटर इकाइयो को स्वस्थ इकाइयो के साथ मिलाने के प्रस्तावो का वित्तीय सस्थानो द्वारा अनुमोदन कर दिया है और इस व्यवस्था को विधिसम्मत बनाने के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है। एक बडी स्कूटर इकाई, जिसमें केन्द्रीय सरकार का बहुत बड़ा जोखिम है, के मामले में वित्तीय पुनर्निर्माण कार्य सरकार के विचाराधीन है।

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि बिजली के बल्बो, ट्यूब लाइटो, आदि का निर्माण करने वाली एक इकाई में व्यावसायिक प्रबन्ध आरम्भ करके सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित किया गया था। वर्ष के दौरान, इस इकाई ने अत्याधिक उन्नति की और इसने न केवल सम्पूर्ण अतिदेय ब्याज और अतिदेय मूलधन के प्रमुख भाग की अदायगी कर दी अपितु, अब इस स्थिति में हो गई है कि निर्धारित अवधि से कम समय में बकाया ऋणो को पुनर्अदा कर सके। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि इलैक्ट्रिकल उद्योग की दो रुग्ण इकाइयो को स्वस्थ इकाइयो के साथ मिलाकर पुनर्स्थापित किया गया था। वर्ष के दौरान, एक इकाई ने अपनी अतिदेय राशियो के सम्बन्ध में अपनी वचनबद्धता को पूरा करना आरम्भ कर दिया तथा दूसरी इकाई ने भी अपने कार्यों में काफी सुधार किया और अपनी वचनबद्धताए पूरी करनी आरम्भ कर दी। उपर्युक्त सभी इकाइया अब आधुनिकीकरण/विशाखन कार्यक्रमो के अन्तर्गत कार्यरत हैं।

वर्ष के दौरान, रेडियो, ट्रांजिस्टर और इलैक्ट्रानिक उपस्कर का निर्माण करने वाली एक इकाई को स्वस्थ इकाई के साथ मिलाने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त हो गया था और इस मामले में अतिदेय राशियो की पुनर्अदायगी की, आयकर अधिनियम की धारा 72 क के अधीन मिलाई गई सस्था को कर लाभ प्राप्त होने के बाद, आरम्भ होने की सम्भावना है।

खनन उद्योग में लगी दो इकाइयो में से ताबा खनन कार्य में लगी एक इकाई के मामले में वर्ष के दौरान पुनर्स्थापन योजना तैयार की गई। दूसरी इकाई भारत सरकार को सौप दी गई तथा इसे स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि के साथ मिला दिया गया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम दूसरी इकाई के सम्बन्ध में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि के साथ सपर्क बनाए हुए है।

पिछले तेरह वर्ष से बन्द पडी इस्पात की ढलवा वस्तुओ का निर्माण करने वाली पूर्वी क्षेत्र की एक इकाई की पुनर्स्थापना के लिए वित्तीय सस्थानो द्वारा सयुक्त रूप से मजूर कर दी गई है। उत्तरी क्षेत्र में इस्पात की ढलवा वस्तुओ का निर्माण करने वाली एक और इकाई को भी प्रबन्ध/नियन्त्रण में परिवर्तन करके पुनर्स्थापित किया जा रहा है। टिन प्लेटों का निर्माण करने वाली एक इकाई का, उसी क्षेत्र की एक बडी इकाई में विशेषता प्राप्त करके पुनर्स्थापन कार्य आरम्भ किया जा रहा है। वर्ष के दौरान ग्राइन्डिंग मीडिया के निर्माण में लगी एक इकाई को एक स्वस्थ इकाई के साथ मिलाकर पुनर्स्थापित किया गया।

गोल खम्भा के निर्माण में लगी सयुक्त क्षेत्र की एक इकाई, जिसके निर्माण में काफी विलम्ब हो चुका था, को प्रबन्ध में परिवर्तन करके पुनर्स्थापित किया जा रहा है। प्रबन्ध में परिवर्तन करके ड्राई सैल बैटरी का निर्माण करने वाली एक अन्य इकाई को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान, पावर टिलरो के निर्माण में लगी एक इकाई ने काफी प्रगति की। जिसके परिणामस्वरूप, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने इससे, चालू देय राशियो के अतिरिक्त इसके अतिदेय ब्याज की राशि का प्रमुख भाग वसूल कर लिया।

चार इकाइयो में से उन तीन इकाइयो में परिसम्पत्तिया की बिक्री, अब पूरी हो चुकी है, जिनमें औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा, 30 के अन्तर्गत पहले रिसीवर

नियुक्त किए गए थे। चौथी इकाई के मामले में वर्ष के दौरान न्यायालय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन से, काफी कम थे और इसलिए न्यायालय से अनुरोध किया जा रहा है कि इस संबंध में पुनः विज्ञापन दिया जाए ।

वस्त्र इकाइयों के मामले में अनेक संस्थाओं ने, वर्ष के अधिकांश समय में समग्र उद्योग की बेहतर लाभप्रदता के कारण अत्याधिक प्रगति की। लेकिन, सहकारी क्षेत्र की वस्त्र इकाइयों के सम्बन्ध में, जिनमें अधिक सुधार नहीं हुआ, चूकों के खत्म करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों की मध्यस्थता का उपयोग करने के लिए प्रयास किए गए।

चीनी उद्योग की रुग्ण इकाइयां गन्ने की कमी के कारण प्रभावित होती रहीं। फिर भी, चीनी की चार इकाइयों के सम्बन्ध में पुनर्संरचना योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुरूप पिछली देय राशियों की वसूली दो मामलों में पूर्णतः और शेष दो मामलों में अंशतः कर ली गई थी। विमुक्त बिक्री चीनी कीमतों में वृद्धि के कारण कुछ अन्य इकाइयों ने भी वित्तीय संस्थानों को अनिदेय राशि की अदायगी करनी आरम्भ कर दी।

रसायन उद्योग समूह के अन्तर्गत कास्टिक सोडा, तरल क्लोरीन, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, आदि का निर्माण करने वाली एक राज्य सरकार इकाई ने वर्ष के दौरान अपनी प्रगति में सुधार किया और वित्तीय संस्थानों को चूक ब्याज की राशि पुनर्अदा करनी आरम्भ कर दी। कांच की बोतलों का निर्माण करने वाली एक अन्य इकाई के कार्य में प्रगति हुई और इसने अपनी देयराशियों की अदायगी करनी आरम्भ कर दी।

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि चमकीले कागज का निर्माण करने वाली एक कागज यूनिट का प्रबन्ध एक अन्य सुप्रतिष्ठित इकाई को, उसमें उसका विलय होने तक सौंप दिया गया था। वर्ष के दौरान उच्च न्यायालय ने मिलान का अनुमोदन कर दिया है और संस्थानों की चूकों की शीघ्र ही बेबाक किए जाने की सम्भावना है। वर्ष के दौरान दो अन्य कागज इकाइयां कठिनाई में पड़ गईं और इन्हें बन्द करना पड़ा। उन इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेशी टेक्नोलाजी पर आधारित रबर रसायन का निर्माण करने वाली एक इकाई को उच्च न्यायालय के अनुमोदन से एक बैनड समूह की स्वस्थ इकाई के साथ मिला दिया गया। अनुमोदित योजना के अनुसार संस्थानों द्वारा दी गई रियायतें और राहतें समाप्त हो जायेंगी तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को इसकी देय राशियों की पुनर्अदायगी प्रारम्भिक करार के अनुसार प्राप्त होती रहेंगी।

वर्ष के दौरान, पूर्वी क्षेत्र में स्थित फर्मास्यूटिकल उत्पादों और बाइसिकलों का निर्माण करने वाली दो इकाइयों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदान की गई क्षतपूर्ति राशि, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की देय राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, अतः निगम ने दोनों मामलों में अपने दावों को अदायगी आयुक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

होटल इकाइयों में से, हिमाचल प्रदेश के एक बन्द पड़े होटल ने वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के एक नए समूह के संभालने से अपना परिचालन पुनः आरम्भ कर दिया । जिसके परिणामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने इससे देय राशियों की अंशतः वसूली कर ली। बिहार के एक अन्य होटल को पुनर्स्थापित करने के लिए, होटल सम्पत्ति को एक सुप्रतिष्ठित संस्था को पट्टे पर देकर और पट्टा किराये के मूल्य भाग को देय राशियों की पुनर्अदायगी के लिए उपयोग करके प्रयास किए जा रहे हैं। मद्रास में पिछले छह वर्ष से अधरी पड़ी एक होटल परियोजना को भी वर्ष के दौरान इसमें नए प्रवर्तक समूह का समावेश करके पुनर्स्थापित किया गया। यह होटल अब अंशतः चल हो गया है और इसने अपने परिचालन शुरू कर दिए हैं।

ऐसी इकाइयों के मामलों में जिनमें यह विचार किया गया था कि कुछ संशोधनात्मक उपायों सहित विस्तृत अनुरक्षण, संस्थानों की देय राशियों की प्राप्ति में उपयोगी रहेगा, उनके सम्बन्ध में अनुरक्षण तथा अनुवर्तन को विस्तृत किया गया। ऐसी इकाइयों से प्रगति रिपोर्टों, निरीक्षण रिपोर्टों, नामित सचालकों की रिपोर्टों, आदि के रूप में प्राप्त होने वाली रिपोर्टों को विस्तृत बना दिया गया और इनकी अवधि कम कर दी गई। संचालक बोर्ड भी समस्या मामलों और वसूली सम्बन्धी स्थिति पर नियमित रूप से विचार करता रहा और निर्णीत किए गए उपायों को अलग-अलग इकाइयों के पुनर्स्थापन और पुनर्जीवन के लिए अपनाया गया। जहां कहीं आवश्यक हुआ, ऐसी इकाइयों के अनुरक्षण का कार्य समवर्ती लेखापरीक्षकों, वित्त निदेशकों को नियुक्ति करके, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत, प्रबन्ध समितियों का गठन करके आश्वस्त किया गया, ताकि इनमें सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का समावेश हो सके। जिन वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में, तकनीकी, बाजार, गुणवत्ता नियंत्रण, आदि पहलू कमजोर थे, उनमें सलाहकारी, परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई। जिन मामलों में अन्य सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने पर भी सफलता नहीं मिली उनमें औद्योगिक वित्त अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन अथवा अन्य रूप में विधिक कार्यवाही की गई, इन विधिक कार्यवाहियों के लगातार पैरवी की जा रही है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, बन्धक परिसम्पत्तियों की बिक्री न्यायालय के आदेश से ही पूरी की गई।

अध्याय—6

स्त्रोत और वित्तीय प्रबन्ध

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के स्त्रोतों में, इसकी शेयर पूंजी, बाड़ों के निर्गमन द्वारा बाजार से उधार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और केन्द्रीय सरकार से ऋण, विदेशी वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, दिए गए ऋणों की वसूलियां और इसके द्वारा धारित निवेशों की बिक्री/विमोचन निहित है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्त्रोतों की प्रगति के संबंध में निगम की स्थिति का निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

शेयर पूंजी

निगम की अधिकृत पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यह 20 करोड़ रुपए रही। लेकिन, 2 फरवरी, 1981 को 5,000/- रुपये प्रति शेयर की दर से 5,000 (छठी सीरीज) शेयरों के निर्गमन से निगम की निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी 15 करोड़ रुपये से बढ़कर 17.50 करोड़ रुपये हो गई।

30 जून, 1981 को निगम के शेयरधारियों के चार वर्गों के बीच प्रदत्त शेयर पूंजी का वितरण निम्नानुसार था।

शेयरधारियों का वर्ग	शेयरों की संख्या	प्रदत्त मूल्य (रुपये, करोड़ों में)	कुल का प्रतिशत
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	17,500	8.75	50
अनुसूचित बैंक	7,067	3.53	20
बीमा संस्थाएं, आदि	7,501	3.75	22
सहकारी बैंक	2,932	1.47	8
जोड़	35,000	17.50	100

आरक्षित निधियां

30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभों में से 7.25 करोड़ रुपये के अन्तरण से और भारत सरकार से विशेष अनुदान में 0.31 करोड़ रुपये की सीमा तक हुई निवल वृद्धि से, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की आरक्षित निधियां, वर्ष के दौरान दातव्य आरक्षित निधि के उपयोग के नाते उसमें 0.20 करोड़ रुपये तक समायोजन करने के बाद, 32.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 40.13 करोड़ रुपये हो गईं। 30 जून 1981 को आरक्षित निधियों का विवरण निम्नानुसार था:—

निधि	राशि (रुपये, करोड़ों में)
सामान्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त नियम अधिनियम की धारा 32 के अधीन)	18.19
आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 क के अधीन)	1.00
दातव्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, की धारा 32 ख के अधीन)	0.66
विशेष आरक्षित निधि (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन)	19.38
भारत सरकार से विशेष अनुदान	0 90
कुल निधियां	40.13

उपर्युक्त आरक्षित निधियां प्रदत्त पूंजी से 22.63 करोड़ रुपये अधिक है।

बाड निर्गम

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, इसके स्त्रोतों को बढ़ाने और 8.33 करोड़ रुपए के 5-3/4 प्रतिशत बांड, 1980 के विमोचन के लिए वर्ष के दौरान बांडों के दो सर्वजनिक निर्गमा किए अर्थात 36.00 करोड़ रुपये के लिए 6.75 प्रतिशत बांड, 1992 (दूसरी सीरीज) 10 दिसम्बर, 1980 को तथा 21.75 करोड़ रुपये के लिए 7.25 प्रतिशत बांड, 1996, 10 जून, 1981 को जारी किए दोनों निर्गमन पूर्णत : अभिदत्त थे। निर्गमन की 10 प्रतिशत अनुज्ञेय राशि को मिलाकर 63.52 करोड़ रुपये के बांड आबंटित किए गए।

30 जून, 1981 को बाड निर्गमनों की निवल बकाया राशि 433.47 करोड़ रुपये थी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से उधार

वर्ष के दौरान, उदार ऋण योजना के अन्तर्गत संवितरणों के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए 7.5 प्रतिशत तदर्थ बांड का निर्गम करके 20.00 करोड़ रुपये की राशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त की। इससे 30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से कुल उधार की राशि 45.00 करोड़ रुपये हो गई। 30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 2.00 करोड़ रुपये की पुनर्अदायगी करने के बाद 30 जून, 1981 को इस शीर्ष के अन्तर्गत निबल बकाया राशि 43.00 करोड़ रुपये थी।

केन्द्रीय सरकार से उधार

30 जून, 1980 को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों की कुल राशि 29.04 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान, यद्यपि केन्द्रीय सरकार से और कोई ऋण नहीं लिया गया, जबकि सरकार को 15.89 करोड़ रुपये की राशि अदा की गई जिससे 30 जून, 1981 को बकाया राशि केवल 13.15 करोड़ रुपये रह गई।

जहां तक के. एफ. डब्ल्यू. ऋणों से पैदा होने वाली ब्याज अन्तर जन्य निधियों के अधीन ऋण का सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार से 0.71 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई और इस खाते में 0.06 करोड़ रुपये की राशि अदा की गई। इस प्रकार, केन्द्रीय सरकार को देय ब्याज अन्तर निधियों से प्राप्त कुल ऋण की राशि 30 जून, 1981 को 3.69 करोड़ रुपये थी जबकि 30 जून, 1980 को यह राशि 3.04 करोड़ रुपये थी।

विदेशी मुद्राओं में उधार और विदेशी मुद्रा स्त्रोत

इस समय विदेशी मुद्रा में निगम के उधारों में के. एफ. डब्ल्यू द्वारा मंजूर किए गए जर्मन मार्क विदेशी मुद्रा ऋणों तथा बैंक फांसिस डु. कामर्स एक्सटीरियर द्वारा मंजूर किए गए उपस्कर ऋणों में से फ्रांसिस फ्रांक के ऋण शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जर्मन मार्क विदेशी मुद्रा ऋणों के अन्तर्गत 150 लाख जर्मन मार्क का एक और उन्नीसवां ऋण निगम को आबंटित किया गया। इस आबंटन से जर्मन मार्क ऋण की कुल राशि 2275 लाख जर्मन मार्क हो गई, जिसमें से 30 जून, 1981 तक निगम द्वारा कुल 2170 लाख जर्मन मार्क के उप-ऋण मंजूर किए जा चुके थे। जर्मन मार्क ऋण पूर्णत: संपरिवर्तनीय हैं और पूंजीगत माल, इंजीनियरिंग जानकारी और सेवाओं, आदि के आयात के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।

सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को जर्मन मार्क उप-ऋणियों से प्राप्त हुई रकमों को विदेशी मुद्रा में बदलने की स्वीकृति दे दी है और यह के. एफ. डब्ल्यू. को अदा करने तक औद्योगिक संस्थाओं द्वारा किए गए आयात का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग कर सकता है। जर्मन मार्क आवर्तन निधि की इस योजना के अधीन 30 जून, 1981 तक 320 लाख जर्मन मार्क तक के उप-ऋण मंजूर किए जा चुके थे।

30 जून, 1980 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को प्राप्त उपर्युक्त विदेशी मुद्रा ऋणों की बकाया राशि, भूतपूर्व विनियम समा-दर पर 21-96 करोड़ रुपये थी। 30 जून, 1981 को प्रवर्तनमान तार अन्तर विक्रय दरों पर इन उधारों की राशि 39.32 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 5.31 करोड़ रुपये के समकक्ष राशि प्राप्त की गई और 2.25 करोड़ रुपये (30 जून, 1981 को प्रवर्तनमान तार अन्तरण विक्रय दरों पर 2.12 करोड़ रुपये) के समकक्ष राशि अदा की गई, जिसके परिणामत: 30 जून, 1981 को विदेशी मुद्रा उधारों में बकाया राशि, 30 जून, 1981को प्रवर्तनमान तार अन्तरण विक्रय दरों के आधार पर 42.51 करोड़ रुपये थी।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को आबंटित किए गए बी. एफ. सी. ई. उपस्कर ऋण की राशि 150 लाख फ्रांसिस फ्रांक थी। यह ऋण पूर्णत: प्राप्त हो चुका है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को भारत सरकार द्वारा इण्डो-स्वीडिश विकास सहयोग करार और और यू. के./भारत पूंजी निवेश ऋण/अनुदान के अन्तर्गत भी ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने इण्डो-स्वीडिश सहयोग करार, 1979 के अन्तर्गत प्रत्येक 500 लाख स्वीडिश क्रोनर के दो और ऋण उपलब्ध कराये हैं। इन आबंटनों से

निगम को उपलब्ध स्वीडिश क्रोनर ऋणों की कुल राशि 1750 लाख स्वीडिश क्रोनर हो गई, जिसमें से 30 जून, 1981 तक 1240 लाख स्वीडिश क्रोनर के उप-ऋण मंजूर किए जा चुके थे। ये आबंटन पूर्णतः संपरिवर्तनीय हैं और पूंजीगत माल एवं सेवाओं के आयात के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।

जहां तक यू. के./भारत पूंजी निवेश ऋण/अनुदान के अधीन आबंटनों का सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान कोई और आबंटन नहीं किया गया और जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था, आबंटन 95 लाख पौंड पर स्थिर रहा। वर्ष की साप्ति तक इसमें से 70 लाख पौंड के उप-ऋण मंजूर किए जा चुके हैं।

स्वीडिश क्रोनर तथा पौंड स्टर्लिंग में प्रदान की जाने वाली सहायता वास्तव में रुपया ऋणों में "संपरिवर्तनीय" है (चूंकि इस व्यवस्था के अधीन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से विदेशों में विदेशी मुद्राओं में अदायगी के स्थान पर केवल रुपये में अदायगी करने की अपेक्षा की जाती है), इन आबंटनों के अधीन उप-ऋणों का समग्र वित्तपोषण भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के रुपया स्त्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

ऋणियों द्वारा ऋणों की पुनर्अदायगी तथा प्रतिभूतियों की बिक्री/विमोचन

पूंजी और आरक्षित निधियों और उधारों के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वित्तपोषण कार्यों में इस मुख्य स्त्रोत, ऋणियों द्वारा ऋणों और/अथवा गारंटी दायित्वों के रूप में पुनर्अदायगी, प्रतिभूतियों का विमोचन तथा निवेश कार्यों के रूप में निवेशों की बिक्री है। समीक्षाधीन रिपोर्ट के वर्ष के दौरान उपर्युक्त के सम्बन्ध में कुल 35.5 करोड़ रुपये की आवतियां हुई जो कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1980-81 के दौरान कुल स्त्रोतों का 19.3 प्रतिशत थी।

सारणी 11 में तीन वर्षों अर्थात 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान निधियों के वित्तीय स्त्रोत और उपयोग तथा 1948 से 1981 (जुलाई-जून) तक के संचयी आंकड़ों का वितरण दिखाया गया है।

सारणी-11

निधियों के स्त्रोत और उपयोग

(रुपये, करोड़ों में)

	1978-79	1979-80	1980-81	1948-81
क. निधियों के स्त्रोत :				
आन्तरिक स्त्रोत				
1. शेयर पूंजी	2.50*	2.50	2.50	17.50
2. कराधान पूर्व लाभ	8.07	10.18	12.94	104.38
3. उधार लेने वालों द्वारा ऋणों की अदायगी	24.82	25.84	34.95	296.02
4. निवेशों की बिक्री/विमोचन	0.45	0.45	0.62	18.36
5. गारंटी दायित्वों के रूप में वसूली	0.07	0.16	--	4.99**
उप-जोड़	35.91 (32.1)	39.12 (23.6)	51.01 (27.7)	441.25 (36.6)
उधार :				
6. बांड जारी करके बाजार से	35.02	113.50	63.52	497.46
7. केन्द्रीय सरकार से	0.62	0.74	0.71	116.35
8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	15.00	--	20.00	45.00
9. कुछ ऋणों से संबंधित अधिकारों और हितों के हस्तांतरण द्वारा	--	--	--	9.98
10. विदेशी साख संस्थानों से :				
(क) संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से अमरीकी डालर में ऋण	--	--	--	23.60
(ख) पश्चिमी जर्मनी के क्रेडिटानस्टाल्ट फर वाइडरफबाउ से जर्मन मार्क में ऋण	3.58	2.11	5.31	66.85
(ग) पेरिस के बैंक फ्रांसिस डू कामर्स एक्सटिरियर से फ्रांसिसी फ्रांक में ऋण	--	--	--	2.30
उप-जोड़	54.22 (48.5)	116.35 (70.1)	89.54 (48.7)	761.44 (63.1)
11. सरकार से विशेष अनुदान @	0.62 (0.5)	0.74 (0.4)	0.71 (0.4)	3.80 0(.3)
12. निवल विविध स्त्रोत	-- (--)	-- (--)	1.88 (1.0)	-- (--)
13. प्रारम्भ में नकदी और बैंक शेष	21.10 (18.9')	9.87 (5.9)	40.84 (22.2)	-- (--)
निधियों के स्त्रोत : जोड़	111.85 (100.0)	166.09 (100.0)	183.98 (100.0)	1206.49 (100.0)

*5.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शेयर पूंजी के निर्गमन से संबंधित शेयर आवेदन मुद्रा।

**इसमें दो संस्थाओं से संबंधित 2.66 करोड़ रुपये और 1.22 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं जो पुनर्स्थापना योजनाओं के अधीन क्रमशः ऋण और शेयरों में संपरिवर्तित करके निपटाये गये।

@के० एफ० डब्ल्यू० ऋण करारों की शर्तों के अधीन ब्याज अन्य अन्तर निधियों में से।

सारणी-11 (जारी)

(रुपये, करोड़ों में)

	1978-79	1979-80	1980-81.	1948-81
ख. निधियों के उपयोग :				
1. सहायता का संवितरण :				
(क) रुपया ऋण	62.66	82.77	105.63	698.61
(ख) विदेशी मुद्रा उप-ऋण	5 82	9 56	19.28	122.22
(ग) हामीदारी दायित्वों के रूप में औद्योगिक इकाइयों के शेयरों/डिबेंचरों में अभिदान	3.15	2.24	2 14	45.26
(घ) गारंटी दायित्वों के रूप में अदा की गई रकम	0.10	--	--	10.16
उप-जोड़	71 73	94.58	127.05	876.25
	(64.1)	(56.9)	(69 1)	(72.6)
2. वित्तपोषित संस्थाओं की शेयर पूंजी में संपरिवर्तित ऋण की राशि	1.22	0.93	1 98	6.98
	(1.1)	(0 6)	(1.1)	(05)
ऋणों की अदायगी :				
3. बांडों का विमोचन	6 13	8.25	8.33	63.99
4. केन्द्रीय सरकार को अदा किए गए ऋण	7 55	6 58	15.95	99.51
5. विदेशी साख संस्थानों से प्राप्त ऋणों की अदायगी	3.54	3.72	2 31	45.17*#
6. अन्य ऋणों की अदायगी	2.12	1.56	0 92	11 82
उप-जोड़	19.34	20.11	27 51	220 49
	(17.3)	(12.1)	(14.9)	(18.3)
अन्य उपयोग :				
7 वित्तीय/विकास संस्थानों की शेयर पूंजी/प्रारम्भिक पूंजी में अभिदान	0.34	0.03	0 09	1.24
8 प्रबन्ध विकास संस्थान को आबंटन	0.74	0.78	0 38	3.80
9 जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को आबंटन	0 45	0.93	0.13	2.17
10. आयकर के लिए व्यवस्था	3.53	5.39	4.56	46.61@
11. अधिलाभांश	0.65	0.94	1.12	10.62
12. निवल विविध उपयोग	3.98	1.56	--	18.17
उप-जोड़	9 69	9.63	6.28	82.61
	(8.7)	(5.8)	(3.4)	(6.8)
13 अन्त में नकदी और बैंक शेष	9.87	40.84	21.16	21.16
	(8.8)	(24.6)	(11 5)	(1.8)
निधियों का उपयोग जोड़	111.85	166.09	183.98	1206.49
	(100.0)	(110 0)	(100.0)	(100 0)

*30 जून, 1981 को प्रवर्तमान तार अन्तरण विक्रय दरों पर विदेशी ऋण संस्थानों को 49 95 करोड़ रुपये के ऋणों की पुर्न अदायगी की गई।

@वास्तव में अदा किया गया 42.88 करोड़ रुपये का आयकर सम्मिलित है।

टिप्पणियां : 1. विदेशी मुद्रा उप-ऋणों और विदेशी ऋण संस्थानों से उधारों के संवितरण 30 जून, 1981 को प्रवर्तमान तार अन्तरण विक्रय दरों पर दिखाये गये हैं।

2. कोष्ठकों में दी गई संख्यायें जोड़ के प्रतिशत का द्योतक हैं।

वित्तीय स्त्रोत आयोजन

30 जून, 1981 को, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पूरी की जाने वाली बकाया वचनबद्धता की राशि 322.69 करोड़ रुपये थी। वित्तीय संस्थानों को, वित्तीय स्त्रोतों का, घरेलू बचतों, अन्य क्षेत्रों को पंचवर्षीय योजना में आबंटन और सार्वजनिक उधारों की समग्र सीमाओं को देखते हुए औचित्यपूर्ण उपयोग ही करना पड़ता है। लेकिन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, अपनी बकाया वचनबद्धताओं और आगामी वर्ष के दौरान तैयार होने वाले नए प्रस्तावों के लिए वचनबद्धताओं को पूरा करने का विश्वस्त है। इस सम्बन्ध में निगम योजना आयोग और अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क बनाये हुए है।

नई लेखांकन व्यवस्था

संचालक बोर्ड ने जुलाई, 1978 में बेहतर संगठनात्मक दक्षता, प्रबन्ध सूचना, प्रभावशाली वित्तीय और ऋण लेखांकन व्यवस्था, नियमित बजट नियंत्रण, आदि की व्यवस्था करने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लेखांकन कार्यों की पद्धतियां, कार्यविधियां, प्रपत्र और संगठन के अध्ययन के लिए मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड क. सनदी लेखापाल को नियुक्त किया था। मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड क.,

सनदी लेखापाल की रिपोर्ट एवं लखा मैनुअल के आधार पर पहली जुलाई, 1980 से निगम में "नई लेखाकन व्यवस्था" आरम्भ की गई। नई व्यवस्था में, अपेक्षित सावधिक लेखाकन रिकार्ड रखने और परिसम्पत्तियों और देयताओं, आय और व्यय पर आन्तरिक नियत्रण रखने तथा वाणिज्यक व्यावहार्यता आधार पर निगम के परिचालनों के आयोजन एवं नियत्रण के लिए प्रबन्धक वर्ग को सूचना उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया है। इस व्यवस्था में इतनी लचक है कि जब कभी आवश्यक समझा जाए, इसे मशीनीकृत लेखाकन व्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार अपनाई गई नई व्यवस्था भली भांति कार्य कर रही है।

लेखा-परीक्षा

प्रवर्तन आन्तरिक लेखा-परीक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लेखों की सांविधिक लेखा-परीक्षा दो लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाती है जिनमें से एक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित होता है और दूसरा, शेयरधारियों की वार्षिक महासभा में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न शेयरधारियों द्वारा चुना जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 30 जून, 1981 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मैसर्स बी एल अजमेरा एण्ड को जयपुर को लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न निगम के शेयरधारियों ने 30 सितम्बर, 1980 को हुई पिछली वार्षिक महासभा में मैसर्स रे एण्ड रे, कलकत्ता को उसी अवधि के लिए लेखा-परीक्षकों के रूप में चुना था। वर्ष 1980-81 के लिए लेखा-परीक्षकों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट में, वर्ष के लेखों के साथ सलग्न है।

अध्याय—7

प्रवर्तन कार्य

निगम के विकास कार्य

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, स्वयं अपने द्वारा अथवा अन्य वित्तीय सस्थानो के साथ सयुक्त रूप से स्थापित की गई अनेक विशेष एजेंसियो के माध्यम से उद्योगो के प्रवर्तन के लिए सस्थानात्मक अवस्थापना सुविधाओ में, अन्तर को दूर करने के लिए तथा नये, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगो के उद्यमियो को परियोजना अभिज्ञान, निरूपण, कार्यान्वयन और परिचालन, आदि में अत्यावश्यक मार्ग-दर्शन प्रदान करने के लिए प्रयास किया है।

विकास बैंक के रूप में विभिन्न प्रवर्तन कार्य करने के लिए दातव्य आरक्षित निधि की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए 1972 में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में सशोधन करने से निगम के प्रवर्तन कार्यो को नई दिशाए प्राप्त हुई है। जिन प्रवर्तन और सामाजिक उद्देश्यो के लिए दातव्य आरक्षित निधि का उपयोग किया जा सकता है उनमें, (क) व्यावहार्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्टो, बाजार और तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षणों की लागत को पूरा करना, (ख) नये उद्यमियो और तकनीकज्ञो द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओ की सहायता करना, (ग) विश्वविद्यालयो और अन्य शैक्षणिक सस्थानो में चेयरो की स्थापना करके वित्तीय और औद्योगिक प्रबन्ध में अनुसन्धान को बढावा देना, (घ) वित्तीय सस्थानो आदि के कार्मिकों के प्रशिक्षण की लागत को पूरा करना शामिल है।

1972 में दातव्य आरक्षित निधि की स्थापना से लेकर निगम के लाभो में से 2 67 करोड रुपये की राशि इसमें अन्तरित की जा चुकी थी और वर्ष 1980-81 के लाभो से 0 25 करोड रुपये के और आवटन से 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार दातव्य आरक्षित निधि में अन्तरित कुल राशि 2 92 करोड रुपये हो गई। इसमें से 2 26 करोड रुपये की राशि निगम के विभिन्न प्रवर्तन कार्यों के लिए उपयोग की जा चुकी थी।

निगम के प्रवर्तन कार्यो के वित्तपोषण का एक अन्य स्रोत है के एफ डब्ल्यू द्वारा निगम को उपलब्ध किए गए जर्मन मार्क ऋणो के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, क्रेदितास्तल्ल-फर-वाइडरफबउ, पश्चिम जर्मनी और भारत सरकार तथा जर्मन सघीय गणराज्य के अनुसार के एफ डब्ल्यू ऋणो पर निगम द्वारा देय ब्याज में से भारत सरकार से प्राप्त ब्याज अन्तर जन्य निधियां। ये निधियां सरकार से ऋणो और अनुदानो के रूप में 50 50 के आधार पर प्राप्त होती हैं।

30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को ब्याज अन्तर जन्य निधि के अन्तर्गत ऋणो के रूप में 3 80 करोड रुपये की राशि और उतनी ही राशि अनुदानो के रूप में प्राप्त हो चुकी थी। 7 60 करोड रुपये के कुल आबटन में से 30 जून, 1981 तक प्रवर्तन कार्यो पर 5 25 करोड रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका था।

दातव्य आरक्षित निधि और ब्याज अन्तर जन्य निधि का वर्ष के दौरान और 30 जून, 1981 तक सचयी उपयोग का विवरण परिशिष्ट "ण" में दिया गया है।

प्रवर्तन (तकनीकी सहायता) योजनाए

जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अपनी और निम्नलिखित चार योजनाओ को, उनके सामने दी गई तारीखों से सचालन कर रहा है

(क) नये उद्यमियो को सहायता योजना—बाजार अध्ययन की लागत को पूरा करने के लिए उप-सहायता (30-11 1977),

(ख) देशी तकनीक को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन योजना (30-11-1977),

(ग) लघु उद्यमियो के लिए सहायता योजना (1-7-1978), और

(घ) सहायक और लघु उद्योगो के प्रवर्तन की योजना (1-9-1978) उपर्युक्त योजनाओ के अन्तर्गत सहायता का स्वरूप उद्यमियो को उप-सहायता प्रदान करना है। अन्तिम दो योजनाओ अर्थात् (ग) और (घ) के अन्तर्गत उप-सहायता विशेष एजन्सियो के माध्यम से प्रवाहित की जाती है जिनमें अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानो द्वारा प्रायोजित तकनीकी सलाहकारी सगठन शामिल है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, चूकि पहली दो योजनाओ के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओ का कोई उपयोग नहीं किया गया था, अन्तिम दो योजनाओ ने, जो उद्यमियो को तकनीकी सलाहकारी सगठनो द्वारा दी गई सेवाओ का, विशेषत पूर्व-व्यावहार्यता/व्यावहार्यता अध्ययनो, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, उनकी प्रस्तावित इकाइयों के लिए या सहायकीकरण के लिए उपयुक्त उत्पादों के अभिज्ञान के लिए बाजार अध्ययन तैयार करने, अथवा सहायक और लघु इकाइयां स्थापित करने के लिए रिपोर्टें तैयार करने में सम्बन्धित मामलों में उपयोग करने में सहायता प्रदान करती हैं, अपने परिचालन की अल्पावधि के दौरान अनेक उद्यमियो को लाभ पहुंचा कर तकनीकी सलाहकारी

संगठनों ने उपयोगिता और लोकप्रियता में काफी वृद्धि की है।

लघु उद्यमियों को सहायता योजना के अन्तर्गत तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रत्येक दत्तकार्य की लागत के लिए 80% या 5,000/- रुपये, जो भी कम हो, की सीमा तक निगम द्वारा उप-सहायता दी जाती है; शेष राशि उद्यमकर्ताओं को स्वयं पूरी करनी पड़ती है। सहायक और लघु उद्योगों के प्रवर्तन की योजना के अन्तर्गत तकनीकी सलाहकारी संगठनों और अन्य विशेष एजेन्सियों को दत्तकार्य की लागत का 75% उसके पूरा होते ही और शेष 25% दो शर्तों के पूरा करने पर, अर्थात् (1) सहायक परियोजना के लिए राज्य स्तर के संस्थान या वाणिज्यिक बैंक द्वारा वित्तीय सहायता मंजूर करने, और (2) मुख्य इकाई के साथ न्यूनतम माल उठाने का समझौता करने पर अदा किया जाता है। उक्त दो योजनाओं के अन्तर्गत किए गए दत्तकार्यों के सम्बन्ध में तकनीकी सलाहकारी संगठन प्रतिवर्ष 1.00 लाख रुपये की सीमा तक उपकारी संगठनों को प्रत्येक योजना के लिए प्रति तकनीकी सलाह-सहायता उपलब्ध है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तकनीकी सलाहकारी संगठनों को रियायत प्रदान की गई, जिसके अन्तर्गत वे उपर्युक्त दोनों योजनाओं में से किसी एक के अन्तर्गत उप-सहायता का पूर्ण रूप से उपयोग कर चुकने के बाद एक वर्ष में दूसरी योजना के लिए उपलब्ध निधि के 50 प्रतिशत भाग को, यदि ऐसी निधि उस योजना में अर्थात् दूसरी योजना में अनुप्रयुक्त रह जाए, उसी योजना के लिए आगे उपयोग कर सकते हैं।

लघु उद्यमियों को सहायता योजना के अन्तर्गत 30 जून, 1981 तक निगम, देश में परिचालित 13 तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से 492 परियोजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कुल मिलाकर 0.16 करोड़ रुपये की उप-सहायता विमुक्त कर चुका था। इनमें से 129 परियोजनाएं वर्ष 1980-81 से सम्बन्धित थीं। 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार शेष जिन 363 परियोजनाओं को उप-सहायता पहले दी गई थी उनमें से 99 परियोजनाओं के कार्यान्वित हो जाने की रिपोर्ट मिली है और 140 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसी प्रकार सहायक और लघु उद्योगों की प्रवर्तन योजना के अन्तर्गत निगम ने 31 सहायक इकाइयों को लाभ पहुंचाने वाली 6 विशिष्ट इकाइयों को 0.03 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति कर दी थी। इनमें से 9 परियोजनाएं वर्ष 1980-81 से सम्बन्धित थीं। 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार 18 परियोजनाओं के कार्यान्वित हो जाने की सूचना मिली है और 3 योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

विशेष दत्तकार्य

जिन मामलों में निगम की वर्तमान प्रवर्तन (तकनीकी सहायता) योजनाएं लागू नहीं होती उनके सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम मामलेवार आधार पर अपने-अपने क्षेत्रों में उद्योगीकरण के प्रवर्तन से सम्बन्धित सलाहकारी संगठनों और/अथवा अन्य राज्य स्तर की विकास एजेंसियों द्वारा किए गए पूर्व-व्यावहार्यता अध्ययनों, व्यावहार्यता अध्ययनों परियोजना रिपोर्टों, बाजार रिपोर्टों, तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षणों, परियोजना रूप-रेखा, आदि के सम्बन्ध में विशेष दत्तकार्यों की परामर्श लागत में, समय-समय पर अन्य संस्थानों के साथ भाग भी लेता रहा है।

30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार ऐसे विशेष दत्तकार्यों में से, जिनकी परामर्श लागत में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ सहमति आधार पर व्यय उठाया है, उनमें उल्लेखनीय हैं—संस्थानों द्वारा किए गए औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण, इनमें से कुछ सर्वेक्षणों में अभिज्ञान की गई प्रत्याशी परियोजनाओं की 17 व्यावहार्यता रिपोर्टें तैयार करना और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वाधान में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक परामर्शदाताओं की डायरेक्टरी छपवाना, टाटा आर्थिक सलाहकारी सेवा द्वारा किया गया तमिलनाडु का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार के भागलपुर जिले और पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण, प्रस्तावित हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स काम्पलेक्स से सम्बन्धित "अनुप्रवाहित" इकाइयों के लिए लघु और मध्यम क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल सलाहकारी संगठन लिमिटेड द्वारा 100 परियोजना रूपरेखाएं तैयार करना, हिमाचल सलाहकारी संगठन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग और खनिज स्रोतों सम्बन्धी अध्ययन, और मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश में क्रमशः छिंदवाड़ा और देवास जिलों में दो व्यावसायिक औद्योगिक काम्पलेक्सों अर्थात् कृषि-उत्पाद काम्पलेक्स और चमड़ा काम्पलेक्स की स्थापना।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा इन दत्तकार्यों के लिए 30 जून, 1981 तक अदा की गई राशि 0.03 करोड़ रु. रही थी।

तकनीकी सलाहकारी संगठन

राज्य स्तर पर संस्थानात्मक अवस्थापना सुविधाएं जुटाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू व कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, गुजरात तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेरह संगठन स्थापित किए हैं।

वर्ष के दौरान, "सम्पूर्ण दायित्व" दत्तकार्य करने, क्षेत्र और बाजार अध्ययन, विस्तृत इंजीनियरिंग, रुग्ण इकाइयों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, आदि करने की दृष्टि से तकनीकी सलाहकारी संगठनों की योग्यता और क्षमता में सुधार लाने पर काफी बल दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जिन्हें तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने शुरू किया है, वे हैं उद्यमकर्ताओं को प्रेरित करना और प्रशिक्षण देना, जिला कार्य योजनाएं, एकीकृत क्षेत्र विकास योजनाएं तैयार करना और व्यावसायिक औद्योगिक काम्पलेक्सों के लिए व्यापक सेवाओं की व्यवस्था करना। इस प्रकार, वर्ष के दौरान सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों के कार्य में गुणात्मक परिवर्तन हुए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम के सहयोग से, तकनीकी सलाहकारी संगठनों को और मजबूत बनाने और उनकी समग्र प्रभावशालिता को बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में भाग लिया। इन उपायों में, उनके पूंजी आधार में वृद्धि करना, तकनीकी सलाहकारी संगठनों में सूचना का आदान-प्रदान और विशेषतः छोटी और लघु इकाइयों के लाभ के लिए कौशल शिक्षण शामिल है।

हालांकि विद्यमान सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों के निर्माण में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने भाग लिया है, तीन तकनीकी सलाहकारी संगठनों, जो इसके द्वारा प्रायोजित किए गए हैं और जिनकी शेयर पूंजी का 50% से अधिक भाग इसके द्वारा धारित है, के परिचालनों की समीक्षा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

(क) हिमाचल सलाहकारी संगठन लि. (हिमकोन)

हिमाचल सलाहकारी संगठन ने, 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष, जो इसके परिचालन का चौथा वर्ष था, के दौरान 103 दत्तकार्य पूरे कर लिए थे जिनमें से 79 दत्तकार्य पूर्व-व्यावहार्यता अध्ययन और व्यावहार्यता अध्ययन तैयार करने से सम्बन्धित थे, 10 दत्तकार्य सहायक उद्योगों के विषय में अध्ययन से सम्बन्धित थे, एक दत्तकार्य बाजार सर्वेक्षण के सम्बन्ध में था और शेष 13 में तथ्य निरूपण अध्ययन, कच्चे माल का सर्वेक्षण, आदि शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हिमाचल सलाहकारी संगठन ने, राज्य स्तर के संस्थानों और उद्यमकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए बाजार सर्वेक्षण, क्षेत्रवार अध्ययन, औद्योगिक विकास योजनाएं बनाने और अन्य विशेष अन्तरसकाय अध्ययन करने के लिए एक "सर्वेक्षण व अध्ययन कक्ष" स्थापित किया। वर्ष के दौरान हिमाचल सलाहकारी संगठन द्वारा किए गए विशेष दत्तकार्यों में, (क) कांगड़ा जिले के लिए संकल्पित औद्योगिक विकास योजना तैयार करने से सम्बन्धित अध्ययन, (ख) हिमाचल प्रदेश में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के विस्तार और विकास के सम्बन्ध में अध्ययन, (ग) हिमाचल प्रदेश में खनिज स्त्रोतों का अध्ययन और इन स्त्रोतों पर आधारित उद्योगों का अभिज्ञान, (घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर उद्योगीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए परवानू औद्योगिक क्षेत्र का लागत-लाभ अध्ययन शामिल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वर्ष के दौरान हिमाचल सलाहकारी संगठन को, पंजाब के पटियाला और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिलों में "अग्रणी" बैंकों की प्रगति से सम्बन्धित अध्ययन का कार्य सौंपा।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हिमाचल सलाहकारी संगठन ने चण्डीगढ़ में एक शाखा कार्यालय खोला जिसने 22 अगस्त, 1980 से कार्य करना आरम्भ कर दिया। चण्डीगढ़ कार्यालय से चण्डीगढ़, पंजाब और हरियाणा के भावी उद्यमियों को सलाहकारी सेवायें प्रदान किए जाने की आशा है। हिमाचल सलाहकारी संगठन ने, उद्योग निदेशालय, हिमाचल प्रदेश और प्रबन्ध विकास संस्थान, नई दिल्ली के विकास बैंकिंग केन्द्र के सहयोग से एक उद्यम विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया और इसके द्वारा आयोजित किए गए पूर्ववर्ती कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही करता रहा है।

31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल सलाहकारी संगठन ने 5.77 लाख रु. की आय अर्जित की और 5.64 लाख रु. का व्यय किया जिसके परिणामतः 0.13 लाख रु. का सकल लाभ हुआ।

(ख) राजस्थान सलाहकारी संगठन लि. (राजकोन)

31 दिसम्बर, 1980 को राजस्थान सलाहकारी संगठन ने अपने परिचालन के तीन वर्ष पूरे कर लिए थे। वर्ष 1980 के दौरान राजस्थान सलाहकारी संगठन ने 79 दत्तकार्य पूरे किए जिनमें से 72 दत्तकार्य छोटे और लघु उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए थे, दो परियोजनाएं मध्यम स्तर के क्षेत्र से सम्बन्धित थीं और 5 प्रायोगिक अर्थ-व्यवस्था अनुसन्धान के क्षेत्र में थे अर्थात् राजस्थान में दबाव रहित एस्बेस्टोस सीमेन्ट पाईप्स और फिटिंग्स पर उद्योग अध्ययन, अलवर जिले के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए उद्योग प्रभाव अध्ययन और सांगानेर में रंगाई और छपाई, उद्योग, नागपुर में हस्त उपकरण उद्योग और कैथून में कोटा-डोरिया साड़ियों के सम्बन्ध में तीन अध्ययन।

राजस्थान सलाहकारी संगठन को, राज्य सरकार और तीन राज्य स्तरीय वित्तीय और विकास संस्थानों द्वारा गुजरात के उद्यम विकास केन्द्र के सहयोग से राजस्थान में उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य भी सौंपा गया है।

31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सलाहकारी संगठन ने 4.40 लाख रु. के व्यय के मुकाबले 4.62 लाख रुपये की आय अर्जित की जिसके परिमाणतः 0.22 लाख रुपये का संकल लाभ हुआ।

(ग) मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लि.

31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुई दो वर्ष की अल्पावधि में मध्यप्रदेश सलाहकारी संगठन ने स्वयं को राज्य की सलाहकारी आवश्यकताओं के अनुकूल बना लिया। उद्योग निदेशालय, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इसकी सेवाओं को परियोजनाओं के अभिज्ञान के लिए और दो व्यावसायिक औद्योगिक काम्पलेक्स अर्थात् छिंदवाड़ा जिले में कृषि-उत्पाद काम्पलेक्स और बैतूल जिले में चमड़ा काम्पलेक्स स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1980 के दौरान मध्यप्रदेश सलाहकारी संगठन ने 84 दत्तकार्य पूरे किए जिनमें 73 परियोजना व्यावहार्यता रिपोर्टें, 4 बाजार अनुसन्धान अध्ययन और 2 लागत-लाभ विश्लेषण थे। शेष दत्तकार्य इंजीनियरिंग, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण, ग्रामीण विकास, कम्पनी गठन और एक दानेदार उर्वरक इकाई के "विक्रय या संस्थापन" से सम्बन्धित थे। पूरे किए गए 84 दत्तकार्यों में से 68 छोटे और लघु उद्योग क्षेत्र में थे। व्यावसायिक चमड़ा मध्यप्रदेश में इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों के लिए मध्यप्रदेश सलाहकारी संगठन द्वारा एक उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान मध्यप्रदेश सलाहकारी संगठन ने 7.05 लाख रुपये की आय अर्जित की और 6.70 लाख रुपये का व्यय किया जिसके परिणामतः 0.35 लाख रुपये का लाभ हुआ।

सारणी—12

30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रायोजित तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा पूरे किए गए परियोजना दत्त कार्यों का विवरण

मद	हिमाचल सलाहकारी संगठन	राजस्थान सलाहकारी संगठन	मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन
1. कार्य प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की तारीख	20-4-1977	4-8-1978	10-5-79
2. पूरे किए गए परियोजना कार्यों की सं०	250	132	87
3. ऊपर (2) के सम्बन्ध में सम्भावित निवेशों अनुमान (करोड़ रुपयों में)	74.8	30.8	17.6
4. रोजगार क्षमता (व्यक्तियों की संख्या)	14,891	5,455	3,936
5. कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या [ऊपर (2) में से]	51	19	28 परियोजनाओं पूरी होने जा रही है।
6. उपर्युक्त (5) के सम्बन्ध में वास्तविक निवेश (करोड़ रुपयों में)	11.2	1.8	
7. उपर्युक्त (5) के सम्बन्ध में पहले ही उपलब्ध रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	2,018	422	

वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की अग्रता में महाराष्ट्र औद्योगिक और तकनीकी सलाहकारी संगठन लिमिटेड नामक एक तकनीकी सलाहकारी संगठन स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने महाराष्ट्र औद्योगिक और तकनीकी सलाहकारी संगठन की शेयर पूंजी में हिस्सा लेने और इसके परिचालन के पहले तीन पूर्ण वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए वर्तमान घाटे को, यदि कोई हो, इसकी शेयरधारिताओं के अनुपात में वहन करने के लिए सहमति दे दी है।

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पहला संस्थान है जिसने प्रवर्तकों की साधारण पूंजी में सहायता उपलब्ध करने की दृष्टि से संस्थानात्मक वित्तपोषण अवस्थापना सुविधाओं में कमी को दूर करने के लिए 1975 में, नई दिल्ली में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान का प्रायोजन किया।

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान उन परियोजनाओं की साधारण पूंजी में प्रवर्तकों के योगदान के भाग को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत ऋण प्रदान करता है, जिन्हें किसी एक अखिल भारतीय दीर्घावधि ऋण संस्थान अर्थात् भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम द्वारा अकेले या संयुक्त रूप में वित्तीय सहायता मंजूर की गई हो। इन ऋणों पर ब्याज नहीं लगाया जाता लेकिन नाममात्र का सेवा प्रभार लगाया जाता है। सेवा प्रभार की विद्यमान दर, ऋण की अवधि के पहले पांच वर्ष के दौरान एक एक प्रतिशत वार्षिक, 6 से 10 वर्ष के बीच 2% वार्षिक और 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 3% वार्षिक है। इसके अतिरिक्त, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान से लिए गए ऋण से प्राप्त किए गए और ऋण की प्रतिभूति के रूप में इसके पास गिरवी रखे गये साधारण शेयरों पर सकल अधिलाभांश के 40% की दर से प्रासंगिक सेवा प्रभार भी लगाया जाता है।

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की गई सहायता सामान्यतः परियोजना की साधारण पूंजी में प्रवर्तकों के योगदान के 50% तक सीमित होती है परन्तु किसी एक परियोजना के सम्बन्ध में उच्चतम सीमा, केवल एक ऋणी के मामले में 10 लाख रुपये और दो या दो से अधिक ऋणियों के मामले में 15 लाख रुपये होगी। मध्यम आकार का औद्योगिक परियोजना आरम्भ करने के लिए भारत में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी प्रवर्तित करने वाला कोई नया उद्यमी या नये उद्यमियों का समूह, जो तकनीकी, या, व्यावसायिक रूप से योग्य हों और जिन्हें उपयुक्त औद्योगिक या व्यावसायिक अनुभव हो, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान से वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के ऋण वित्तपोषण प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता, जो उस या उनके द्वारा प्रवर्तित परियोजना में होंगे, की गिरवी द्वारा रक्षित होंगे जिनका अधिग्रहण उनके द्वारा अपने साधनों एवं जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के ऋण से किया जाना है। जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान हितादिकारी से ऋण की राशि के बराबर बन्धक विमोच्य बीमा पालिसी लेने की भी अपेक्षा करता है।

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने अपना परिचालन जून, 1976 में आरम्भ किया।

सारणी—20

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की मंजूरियां और संवितरण

	1976 (जून-दिसम्बर)	1977	1978	1979	1980 (जनवरी-जून)	कुल
मंजूरियां						
—राशि (करोड़ रुपयों में)	0.26	0.27	0.28	0.67	0.61	0.42	2.54
—प्रवर्तकों की संख्या	9	4	10	16	14	7	60
—परियोजनाओं की संख्या	5	4	5	9	8	4	35
संवितरण						
—राशि (करोड़ रुपयों में)	0.07	0.22	0.17	0.49	0.52	0.26	1.73
—प्रवर्तकों की संख्या	1	6	4	14	14	5	44
—परियोजनाओं की संख्या	1	4	3	8	7	4	27

30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की संचयी मंजूरियां पैंतीस परियोजनाओं के संबंध में साठ हितादिकारियों को 2.54 करोड़ रुपए रही। उसी तारीख को सत्ताईस परियोजनाओं के चवालीस प्रवर्तकों को 1.73 करोड़ रुपये की कुल राशि का संवितरण किया गया।

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के पास, इसके कार्यों के परिणामस्वरूप 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए इसके वित्तीय वर्ष के दौरान 1.05 लाख रु. का आधिक्य था। इससे उनका संचित घाटा कम होकर 31 दिसम्बर, 1980 को 0.42 लाख रुपए हो गया।

इस समय जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की निधियों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उसकी दातव्य आरक्षित निधि में से और निगम को सरकार द्वारा आबंटित के. एफ. डब्ल्यू. ब्याज अन्तर जन्य निधियों में से उपलब्ध किए गए ऋण और अनुदान शामिल हैं। 30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ऋणों के रूप में 2.50 करोड़ रुपये अनुदानों के रूप में 0.55 करोड़ रुपये और जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के प्रशासनिक व्यय के लिए 0.11 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर चुका था जिससे कुल आबंटन 3.16 करोड़ रुपए हुआ। इसके लिए 30 जून, 1981 तक जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को 2.17 करोड़ रुपए की निधियां विमुक्त की गई थीं।

उद्यम विकास और प्रबन्धकीय कुशलता

विकास बैंक होने के नाते भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, न केवल उद्यम विकास की बल्कि प्रबंधकीय कुशलता की उन्नति और प्रबंध व्यवसायीकरण को भी बहुत महत्व देता रहा है।

उद्यम विकास में, संभावित उद्यमियों का अभिज्ञान, उनमें उद्यमी सफलता के लिए अपेक्षित विशेषताएं/योग्यताएं विकसित करना और उद्यम निर्माण की अनुवर्ती अवस्थाओं में उन्हें समर्थन प्रदान करना शामिल है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम समय-समय पर विभिन्न राज्यों में "औद्योगिक परियोजनाओं के अभिज्ञान, प्रवर्तन और कार्यान्वयन" पर कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। अप्रैल, 1980 में, उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर में एक "औद्योगिक परियोजनाओं के अभिज्ञान, प्रवर्तन और कार्यान्वयन" कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगामी वर्षों में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए भी एक कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। औद्योगिक परियोजनाओं के अभिज्ञान, प्रवर्तन और कार्यान्वयन कार्यक्रमों के अतिरिक्त जब कभी भी आवश्यक हो, निगम विभिन्न राज्यों के तकनीकी सलाहकारी संगठनों की, उनके द्वारा आयोजित किए गए उद्यम विकास-कार्यक्रमों के व्यय में अन्य संस्थानों, बैंकों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सहायता भी करता है।

प्रबन्ध विकास संस्थान

किसी औद्योगिक उद्यम की सफलता के लिए अति महत्वपूर्ण दिन-प्रतिदिन की प्रबंध व्यवस्था के स्तर में विकास और सुधार लाने के लिए और प्रबंध व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 1973 में विकास संस्थान का प्रायोजन किया, जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं —

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य संस्थानों द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं के कार्यकारी कार्मिकों, विशेषत नए उद्यमियों और तकनीकज्ञों को आधुनिक प्रबंध तकनीकों का प्रशिक्षण देना;

(ख) प्रवर्तन/वित्तीय संस्थानों और राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर की एजेंसियों के स्टाफ को विकास बैंकिंग में प्रशिक्षण देना और विदेशों में स्थित विकास बैंकों के स्टाफ को ये सुविधाएं प्रदान करना; और

(ग) औद्योगिक प्रबंध के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान करना।

प्रबंध विकास संस्थान ने, 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए इसके परिचालन वर्ष के दौरान सामान्य भागीदारी के 36 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें से 11 विशेष उद्योग कार्यक्रम थे। 1981 की पहली छमाही में प्रबंध विकास संस्थान ने, एक इन-कम्पनी कार्यक्रम सहित 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। 1981 की दूसरी छमाही के दौरान प्रबंध विकास संस्थान का 30 कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है जिनमें 4 इन-कम्पनी कार्यक्रम शामिल हैं।

प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा आयोजित काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में रायल इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू के के सहयोग से "कार्मिक प्रबन्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों पर एकीकृत कार्यक्रम", बाथ विश्वविद्यालय, यू के के संकाय की सहायता से "संचार प्रभावशालिता और संगठन विकास" पर एक कार्यक्रम, सरकारी उद्यम ब्यूरो, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से आयोजित "सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वित्तीय योजना और नियंत्रण" पर एक कार्यक्रम, केवल राज्य सहकारी शिखर बैंकों और विपणन फेडरेशनों के लिए "सहकारी क्षेत्र में कृषि-उद्योगों के अभिज्ञान, प्रवर्तन और प्रबन्ध पर एक कार्यक्रम, और आवास व नगर विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से "आवास प्रबन्ध" पर एक कार्यक्रम शामिल हैं।

विकास बैंकिंग केन्द्र

प्रबन्ध विकास संस्थान ने, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सहयोग से, देश में "विकास बैंकिंग के सिद्धान्त और कार्यप्रणाली" के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से दिसम्बर, 1977 में अपने अंदर-स्वायत्त केन्द्र के रूप में विकास बैंकिंग केन्द्र की स्थापना की।

विकास बैंकिंग केन्द्र ने इसके 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए परिचालन वर्ष के दौरान तीन इन-कम्पनी कार्यक्रमों सहित 19 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 491 भागीदारों ने भाग लिया और उनमें से 43 भागीदार विदेशों से थे।

1981 की पहली छमाही में विकास बैंकिंग केन्द्र ने सामान्य भागीदारी के लिए 10 कार्यक्रम और एक इन-कम्पनी कार्यक्रम आयोजित किया। विकास बैंकिंग केन्द्र ने पहली बार "औद्योगिक परियोजनाओं का आर्थिक विश्लेषण" पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। 1981 की दूसरी छमाही में विकास बैंकिंग केन्द्र का 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का विचार है, जिनमें 2 इन-कम्पनी कार्यक्रम होंगे।

विकास बैंकिंग केन्द्र का एक विशेष कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष विकास बैंकिंग के विशेष पहलू को केन्द्र बनाते हुए लगभग प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, इसने केवल विकासशील देशों के भागीदारों के लिए ही संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा प्रायोजित विकास बैंकिंग पर दो कार्यक्रम भी आयोजित किए। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जिनका विशेष उल्लेख किया जा सकता है, वे हैं (1) एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन द्वारा विश्व बैंक के आर्थिक विकास संस्थान, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से प्रायोजित "विकास बैंकों में मध्य स्तर के व्यवसायियों का अधिकारी विकास, और (2) अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए जर्मन प्रतिष्ठान तथा विश्व बैंक के आर्थिक विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "लघु उद्यमों का प्रवर्तन और वित्तपोषण"।

प्रबंध विकास संस्थान और विकास बैंकिंग केन्द्र ने विभिन्न क्षेत्रों में अब तक ग्यारह अनुसंधान परियोजनाएं हाथ में ली हैं जिनमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं। महत्वपूर्ण अनुसंधान अध्ययनों में से जिनका उल्लेख किया जा सकता है, वे हैं— योजना आयोग द्वारा प्रायोजित "औद्योगिक रुग्णता" पर अध्ययन, "लघु औद्योगिक परियोजनाओं में रुग्णता की संभावनता का अध्ययन, "भारतीय होटलों में वर्तमान प्रबंध पद्धतियों सहित होटल प्रबंध" पर अध्ययन, "आर्थिक विकास के वित्तपोषण के लिए अपतटीय बैंकिंग केन्द्र की स्थापना पर अध्ययन" और "नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लि (नेफेड) पर अध्ययन"।

प्रबन्ध और विकास बैंकिंग, आदि के क्षेत्र में अनुसन्धान प्रवर्तन

विकास बैंकिंग में और वित्तीय एवं औद्योगिक प्रबन्ध में अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद और दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों में पहले ही पीठें स्थापित कर चुका है। इन पीठों के लिए वित्तीय सहायता वृत्तियों/वार्षिक अनुदानों के रूप में दी जाती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गौहाटी और मद्रास विश्वविद्यालयों में दो और पीठें स्थापित करने का निर्णय किया गया जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी "विकास बैंकों के लिए सूचना प्रणाली का विकास तथा संरचना-व्यवस्थात्मक पहुंच" पर व्याख्यान जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबन्ध अध्ययन संकाय में निगम के अतिथि प्राध्यापक द्वारा फरवरी, 1981 में दिया गया ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने चार अनुसन्धान फेलोशिप स्थापित करने का भी निर्णय किया है। क्षेत्रवार साक्षात्कार के आधार पर चुने गए फेलो को औद्योगिक अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबन्ध, और क्षेत्रीय अर्थशास्त्र सहित विकास बैंकिंग क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य करना होता है। फेलोशिप की अवधि तीन वर्ष होती है। जिसे और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। फेलोशिप की राशि 2,000/-रुपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त प्रासंगिक अनुदान सहित 1,000/-रुपये प्रतिमाह होगी, लेकिन यह दोनों मिलाकर प्रतिवर्ष प्रति फेलोशिप 14,000/-रुपये से अधिक नहीं होगी।

राज्य स्तर के संस्थानों के लिए उन्मुख कार्यक्रम और सहायता

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम राज्य स्तर के संस्थानों के व्यवसायिक स्टाफ को आमन्त्रित करके और जहां कहीं आवश्यक हो, अपने स्वयं के स्टाफ को नियुक्त करके उन्हें निगम द्वारा अपनाई गई नीतियों और पद्धतियों से परिचित करवा कर सहायता कर रहा है। योजना के आरम्भ से लेकर 39 राज्य स्तरीय संस्थानों के 123 मध्यम स्तर के अधिकारियों और 62 वरिष्ठ अधिकारियों को लाभ पहुंचा है। वर्ष के दौरान योजना के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई थी ताकि निगम के अनुभव का लाभ प्रवर्तन एजेंसियों और तकनीकी सलाहकारी संगठनों सहित राज्य स्तर के संस्थानों को और अधिक संख्या में पहुंच सके तथा उनके अनुभव से लाभ प्राप्त किया जा सके। नई योजना के शीघ्र ही बनाए जाने का प्रस्ताव है।

अध्याय 8

बोर्ड, प्रशासन व कार्मिक

संचालक बोर्ड

केन्द्रीय सरकार ने, 22 अप्रैल, 1981 से औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1)(ख) की शर्तों के अधीन श्री एन. आर. रंगानाथन के स्थान पर श्री आर. के. कौल, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग को निगम के बोर्ड के संचालक के रूप में नामित किया। इसके अतिरिक्त, श्री बी. राय, जिन्हें 11 अप्रैल, 1981 को केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालक के रूप में नामित किया गया था, ने निदेशक, सरकारी उद्यम अनुवर्ती शिक्षा केन्द्र के पद पर उनकी नियुक्ति हो जाने पर 3 जुलाई, 1981 से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर श्री एम.एल.कपूर, संयुक्त सचिव, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग को, केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 10(1)(ख) के अधीन 14 अगस्त, 1981 से निगम के बोर्ड के संचालक के रूप में नामित किया गया है।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1)(कक) की शर्तों के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 15 नवम्बर, 1980 से श्री एम. आर बी. पूंजा के स्थान पर डा. एस. ए. दवे, कार्यकारी निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को तथा 17 नवम्बर, 1980 से श्री बागाराम तलपले के स्थान पर श्री के. आर. त्रिपाठी को निगम के बोर्ड के संचालक के रूप में नामित किया।

एक निर्वाचित संचालक श्री जे. आर. जोशी, जो निगम के संचालक बोर्ड में बीमा संस्थाओं, निवेश न्यासों और ऐसे ही अन्य वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते थे, ने 12 अगस्त, 1980 को त्याग-पत्र दे दिया और श्री जे. आर. जोशी के त्याग-पत्र देने से हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए 30 सितम्बर, 1980 को हुई भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारियों की 32वीं वार्षिक महासभा में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1)(घ) के अधीन श्री एस. हरिहरन, कार्यकारी निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम, बम्बई को निगम के बोर्ड के संचालक के रूप में नामित किया गया।

संचालक बोर्ड, श्री एन. आर. रंगानाथन, श्री बी. राय, श्री एम. आर बी पूंजा, श्री बागाराम तलपले और श्री जे. आर जोशी द्वारा निगम में उनके कार्यकाल के दौरान की गई अति अमूल्य सेवाओं की अत्यधिक सराहना करता है।

वर्ष के दौरान बोर्ड की बारह बैठकें हुई, जिनमें से ग्यारह नई दिल्ली में और एक बंगलौर में हुई।

सलाहकारी समितियां

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड द्वारा औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 15 के अधीन गठित की गई सलाहकारी समितियां, आवेदक संस्थाओं को वित्तीय सहायता मंजूर करने से सम्बन्धित मामलों पर निर्णय लेने में और सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उनके संचालन के दौरान सामना किए जाने वाली तकनीकी और अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में, जब कभी भी वे उनके सामने लाई जाएं, सलाह देने में संचालक बोर्ड की सहायता करती है।

वर्ष के दौरान विभिन्न सलाहकारी समितियों की 25 बैठकें हुई जिनका ब्योरा निम्नलिखित है:—

सलाहकारी समिति का नाम	बैठकों की संख्या
रसायन प्रक्रिया और समवर्गीय उद्योग	5
इंजीनियरिंग	2
चीनी	3
वस्त्र	8
होटल	5
पटसन	2

इन बैठकों में 52 संस्थाओं से सम्बन्धित परियोजनाओं की वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार किया गया। उपरिलिखित समितियों ने कुछ चुनी हुई इकाइयों के कार्यों का भी मूल्यांकन किया।

स्थानीय सलाहकारी समितियां

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अपनाई गई नीतियों और पद्धतियों के बारे में जानकारी बढ़ाने की दृष्टि से और साथ ही, किसी राज्य/क्षेत्र के औद्योगिक विकास के बारे में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निगम के संचालक बोर्ड ने तेरह स्थानों पर, अर्थात् अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर कलकत्ता, कोचीन, गोहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, मद्रास और शिमला में स्थानीय सलाहकारी समितियों का गठन किया।

स्थानीय सलाहकारी समितियों के गठन का प्रमुख लक्ष्य जनसम्पर्क की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और समग्र देश में फैली हुई इसकी अनेक ऋणी संस्थाओं के बीच संचार

अन्तर को कम करना और राज्य/क्षेत्र में उद्योग के प्रवर्तन और विकास से सम्बन्धित सभी संस्थाओं के साथ निकट पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना है। स्थानीय सलाहकारी समितियों से प्राप्त हुई सूचना से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा तथा पुनर्निर्धारण कर सकता है और औद्योगिक विकास के मामले में प्रत्येक राज्य की विशेष समस्याओं और सम्भावनाओं का मूल्यांकन कर सकता है। स्थानीय सलाहकारी समितियों के गठन में, समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रमुख क्षेत्रों जैसे उद्योग, वित्त, सहकारिता, आदि में राज्य सरकार के अधिकारी, राज्य स्तर के वित्तीय और विकास संस्थानों, बैंकों के अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, तकनीकी सलाहकारी संगठनों के प्रतिनिधि प्रमुख अर्थशास्त्री और उद्योगपति, आदि शामिल हैं। इस प्रकार के गठन का उद्देश्य सभी सम्बन्धित पक्षों के प्रति जागरूकता पैदा करना है — चाहे वह औद्योगिक विकास के मामले में कोई लक्ष्य, योजना या कार्यक्रम, राज्य/क्षेत्र की समस्याएं और सम्भावनाएं हों।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्थानीय सलाहकारी समितियों की पांच बैठकें कलकत्ता (31 अक्तूबर, 1980), जयपुर (20 दिसम्बर, 1980), बंगलौर (29 दिसम्बर, 1980) हैदराबाद (13 अप्रैल, 1981) और गोहाटी (23 अप्रैल, 1981) में हुईं। इन बैठकों के समय अध्यक्ष तथा बोर्ड के उपस्थित सदस्यों को, राज्य सरकारों और अन्य वित्तीय एवं विकास संस्थानों के अधिकारियों से और स्थानीय व्यापार एवं उद्योग संगठनों या मंडलों के प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जिससे वे अपने-अपने राज्यों अथवा क्षेत्रों में औद्योगिक परिस्थिति तथा सहायता प्राप्त कुछ संस्थाओं की समस्याओं का बेहतर मूल्यांकन कर सकें।

इन बैठकों के कार्य-विवरणों पर संचालक बोर्ड द्वारा विचार किया गया और जहां कहीं आवश्यक था, इन बैठकों में किए गए विचार-विमर्श के अनुसार अनुवर्ती कार्यवाही की गई और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के क्षेत्रीय, शाखा और अन्य कार्यालयों के माध्यम से उनका अनुवर्तन किया जा रहा है।

अन्य देशों के विकास बैंकों के साथ सम्बन्ध

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन का संस्थापक-सदस्य है। उसी हैसियत में, 6 अप्रैल, 1981 से 8 अप्रैल, 1981 की अवधि के दौरान आस्ट्रेलिया में हुई एसोसिएशन की तीसरी महासभा की बैठक में निगम का प्रतिनिधित्व इसके महाप्रबन्धक श्री डी. एन. डावर द्वारा किया गया। इस बैठक में, टेक्नालाजी अन्तरणा में विकास वित्तीय संस्थानों की भूमिका और एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन के व्यवसायियों का निदेशन तथा जनशक्ति विकास कार्यक्रमों पर विचार किया गया।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष श्री बी. बी. सिंह ने, वर्ष में दो बार पश्चिम जर्मनी की यात्रा की; 10 मिलियन जर्मन मार्क के 18वें ऋण और क्रेडितांस्टाल्ट-फर-वाइडरफबाउ (के. एफ. डब्ल्यू.), पश्चिम जर्मनी द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को मंजूर किए गए 15 मिलियन जर्मन मार्क के 19वें ऋण से सम्बन्धित करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने न केवल के. एफ. डब्ल्यू. प्राधिकारियों के साथ बल्कि फ्रांस, लक्समबर्ग और लन्दन के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ भी उपयुक्त विचार-विमर्श किए।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने देश से बाहर के अन्य विकास वित्तीय संस्थानों आदि से और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, विश्व बैंक के आर्थिक विकास संस्थान, वाशिंगटन और एशियाई उत्पादकता एसोसिएशन, जापान के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा। वर्ष के दौरान, एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन, फिलीपाइन्स के विकास बैंक के जनशक्ति विकास केन्द्र, आर्थिक विकास संस्थान, वाशिंगटन और एशियाई उत्पादकता संगठन, जापान द्वारा आयोजित सेमिनारों और विकास कार्यक्रमों में भाग के लिए निगम के छह अधिकारियों को भेजा गया।

अपनी ओर से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, जाम्बिया के विकास बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को छह सप्ताह के लिए विचार-विमर्श करने की सुविधा प्रदान की जिससे वह इसकी नीतियों और मूल्यांकन सम्बन्धी पद्धतियों, अनुवर्ती और पर्यवेक्षण गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। नाइजीरिया के औद्योगिक विकास बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी, सामान्यत: सुसंगठन सम्बन्धी विभिन्न मामलों और विशेषत: जनशक्ति आयोजन और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विचारों के आदान-प्रदान के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की यात्रा की।

विदेशी यात्राओं पर किया गया व्यय

वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, अपने अधिकारियों की विदेश में यात्राओं/पाठ्यक्रमों में भागीदारी पर 1,78,603/- रु. खर्च किए जिसमें से 94,142/- रु. इसके अध्यक्ष और महाप्रबन्धक की क्रमश: पश्चिम जर्मनी और आस्ट्रेलिया की यात्रा पर खर्च किए गए।

जन-सम्पर्क

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रधान कार्यालय में जन-सम्पर्क विभाग और अन्य स्थानों पर इसके कार्यालय नये और भावी उद्यमियों को उद्यम के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय ने दो पत्रकार-सम्मेलन बुलाए, एक 29 नवम्बर, 1980 को दिल्ली में और दूसरा 29 दिसम्बर, 1980 को बंगलौर में। इन प्रेस-सम्मेलनों में अध्यक्ष महोदय ने प्रत्यक्ष वित्तपोषण और प्रवर्तन कार्यों के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों पर प्रकाश डाला। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किए गए कार्य-विधि सुधारों और पुनर्जीवन की सम्भावना रखने वाली रूग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए वित्तीय संस्थानों के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर बांडों के निर्गम और अन्य परिचालन मामलों के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। हाल ही में, अध्यक्ष महोदय ने जर्मन संघीय गणराज्य के पत्रकारों के एक समूह से बातचीत की, जो देश में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की भूमिका के सम्बन्ध में उनसे वार्तालाप करने के लिए आये थे।

विज्ञापन और प्रचार पर व्यय

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष के दौरान विज्ञापन और प्रचार पर 77,974/- रु. व्यय किए।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने की सरकारी नीति के अनुरूप निगम में हिन्दी के प्रयोग की अभिवृद्धि के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसी कि पिछले वर्ष सूचना दी गई थी, निगम के प्रधान कार्यालय, बम्बई और दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों में तीन राजभाषा कार्यान्वियन समितियां कार्य कर रही थी। हिन्दी की प्रगति को देखने तथा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने हेतु अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर और मद्रास में भी राजभाषा कार्यान्वियन समितियों का गठन किया गया।

निगम के कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले प्रपत्रों को द्विभाषी बनाने की नीति के अनुरूप, लेखा विभाग द्वारा प्रयोग

किए जाने वाले सभी प्रपत्रों का, वर्ष के दौरान, द्विभाषी रूप में तैयार किया है और हिन्दी तथा अंग्रेजी में छपवाया गया। 30 जून, 1981 तक निगम में 198 प्रपत्रों को द्विभाषी रूप में तैयार करवाया गया। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले "वित्तीय सहायता के लिए साझा आवेदन प्रपत्र" को द्विभाषी रूप में बनाने में भी निगम को विशिष्टता प्राप्त हुई है। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 के अधीन निगम के "सामान्य विनियम" और "कर्मचारिवृन्द विनियमों" का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से उनका पुनरीक्षण भी करवा लिया गया है और उन्हें शीघ्र ही मुद्रित करवाने का प्रस्ताव है। वर्ष के दौरान, बांडों के निर्गम के माध्यम से धन एकत्र करने के सम्बन्ध में जारी किए गए प्रविवरण हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए।

निगम ने भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना को भी ग्रहण किया है तथा कर्मचारियों को हिन्दी, हिन्दी टाइपराइटिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से भेजा जाता है। वर्ष के दौरान विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी कर्मचारियों के हित के लिए पांच हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं और इसके अतिरिक्त, चार अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिन्दी के प्रयोग पर एक सत्र शामिल किया गया था। उसी अवधि के दौरान, निगम के अधीनस्थ स्टाफ के सदस्यों के हित के लिए भी दो कार्यक्रम आयोजित किए गए।

संगठनात्मक ढांचा

30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में चार क्षेत्रीय कार्यालय और अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद और कानपुर में चार शाखा कार्यालय तथा गोहाटी, पटना, भुवनेश्वर, भोपाल, नागपुर, पणे, कोचीन, जयपुर और चण्डीगढ़ में नौ अन्य कार्यालय थे। पहली जुलाई, 1981 से गोहाटी और पटना कार्यालयों को पूर्ण रूप से शाखा कार्यालय के रूप में कार्य करने के लिए उनका स्तर बढ़ा दिया गया है। गोहाटी स्थित शाखा कार्यालय अब उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विद्यमान एवं नई परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्य करेगा और पटना स्थित शाखा कार्यालय के क्षेत्राधिकार में बिहार तथा उड़ीसा में स्थित विद्यमान और नई परियोजनाएं आएंगी। निगम का अद्यतन संगठन चार्ट परिशिष्ट "त" में दिया गया है।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संचालन बोर्ड ने क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों को और अधिक शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण किया और 35 लाख रु. की कुल सीमा तक वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए अध्यक्ष को, 25 लाख रु. तक महाप्रबन्धक को और 20 लाख रु. तक निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय मंजूरी प्राधिकारियों को स्वविवेकाधिकार प्रत्यायोजित किए गए।

मानव स्त्रोत

30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में 941 कर्मचारी और व्यवसायिक स्टाफ का समूह था (इसके क्षेत्रीय, शाखा और अन्य कार्यालयों में स्टाफ के सदस्यों सहित) जिसमें विभिन्न संकायों के व्यक्ति हैं जिसका परिणाम है – सन्तोषप्रद कार्य-परिणाम। निगम के अनुसूचित जातियों के और अनुसूचित जनजातियों के तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के प्रति विशेष ध्यान दिया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा का सामान्यतः अनुपालन किया गया।

नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किया। वेतनमानों में संशोधन लाभ अधिकारियों को पहली अक्तूबर, 1979 से दिया गया जबकि लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ को यह लाभ पहली सितम्बर, 1978 से दिया गया। अधीनस्थ और लिपिकीय स्टाफ के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली आई. एफ. सी. आई. इम्पलाइज एसोसिएशन के साथ निगम द्वारा 6 जून, 1980 और 28 अप्रैल, 1981 को निष्पादित किए गए समझौता ज्ञापन पहली सितम्बर, 1978 से लेकर चार वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगे। किए गए समझौतों के अनुसार वेतनमानों और भत्तों में संशोधन के अतिरिक्त स्टाफ के सदस्यों को उपलब्ध अन्य अनुषंगी लाभों और सुविधाओं को भी काफी उदार कर दिया गया है। सम्पूर्ण वर्ष के दौरान नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध पूर्णतः सद्भावनापूर्ण रहे।

मानव स्त्रोत विकास

निगम, इसकी मानव स्त्रोत विकास की नीति के अनुरूप वर्ष के दौरान अपनी प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाता रहा है। वर्ष 1980-81 के दौरान, छह अधिकारियों को समुद्र पार प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भेजने के अतिरिक्त 34 अल्पकालीन सेवा-दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें प्रति कार्यक्रम औसतन 20 भागीदारों ने भाग लिया। इनमें से 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के लिए थे और 12 कार्यक्रम स्टाफ के अन्य सदस्यों के लिए थे। इसके अतिरिक्त, 39 अधिकारियों को लाभ के लिए प्रबन्ध विकास संस्थान के विकास बैंकिंग केन्द्र की सहायता से दो "इन-कम्पनी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आयोजन अवधि 89 कार्य दिवस रही। इसके अतिरिक्त, 81 अधिकारियों को प्रबन्ध विकास संस्थान, नई दिल्ली, अखिल भारतीय प्रबन्ध एसोसिएशन, नई दिल्ली, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज, बम्बई, आदि द्वारा आयोजित 59 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया।

स्टाफ सुझाव योजना

वर्ष के दौरान, स्टाफ सुझाव योजना के अन्तर्गत स्टाफ के विभिन्न सदस्यों से उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ और कार्य के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित 109 सुझाव प्राप्त हुए। उपयुक्त पाए गए 24 सुझावों को स्वीकार किया गया और संगठन की समग्र प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के प्रयोजन के लिये कार्यान्वित किया गया। सर्वोत्तम सुझावों के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किए गए और अन्य भी मामलों में प्रशंसा-पत्र जारी किए गए।

उत्पादकता में सुधार

निगम के प्रबन्ध और उत्पादकता सेवाएं विभाग ने, आगामी वर्षों के लिए मानव शक्ति योजना के विकास, शक्तियों के प्रत्यायोजन की संशोधित योजना के निरूपण, कार्यालय के दक्ष और तीव्र निपटाना के लिए स्तर-लंघन रिकार्ड व्यवस्था और फाइल पद्धति, आदि क्षेत्रों में अनेक गहन अध्ययन किए। उक्त विभाग द्वारा की गई अनेक सिफारिशों को अब कार्यान्वित कर लिया गया है जिससे संगठन की समग्र उत्पादकता में सुधार हुआ है।

कर्मचारी कल्याण

निगम ने दस वर्ष पहले अगस्त, 1971 में अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए "कर्मचारी कल्याण निधि" नाम से एक निधि स्थापित की थी। 30 जून, 1981 तक, कर्मचारियों और उनके आश्रितों के समग्र कल्याण के लिए विभिन्न कार्यों के वित्त-पोषण के लिए इस निधि को 0.12 करोड़ रुपये आबंटित और अन्तरित किए गए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कर्मचारी कल्याण कार्यों में हुई वृद्धि से निपटने के लिए निधि को दो भागों में विभाजित करने का निर्णय किया गया अर्थात् (क) ऋणों के लिए आवर्तन निधि और (ख) अनुदान और व्यय लेखा। अगले कुछ वर्षों के दौरान आवर्तन निधि में 0.10 करोड़ रुपये की राशि जमा की जानी है। कर्मचारी कल्याण निधि विनियमों में निर्धारित अन्य सभी मदों पर होने वाला व्यय अनुदान और व्यय लेखे से पूरा किया जाता है।

वर्ष के दौरान 93 कर्मचारियों को, घरेलू टिकाऊ सामान जैसे टेलीविजन सेट रेफ्रिजरेटर्स, एयर कूलर्स खरीदने के लिए और स्वयं के, पुत्र, पुत्री, बहिन के विवाह के लिए तथा आत्म विकास के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों के आवर्तन निधि में से कुल 2,53,633/-रु. के ऋण दिए गए। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी कल्याण निधि विनियमों के अन्तर्गत कर्मचारियों के 14 बच्चों को औषधि, इंजीनियरिंग, होटल प्रबन्ध, भवन निर्माण कला, आदि में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां, दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में 60% या अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के 27 बच्चों को एक मुश्त पुरस्कार और निगम के तीन दिवंगत कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा-शुल्क की अदायगी की गई। अन्य कल्याण गतिविधियां हैं निगम के कर्मचारियों के खेलकूद और मनोरंजन क्लबों को अनुदान, श्रीनगर, शिमला, बंगलौर, ऊटी और पुरी, आदि में पांच अवकाश गृहों की देखभाल करना।

कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना

बीमा और सामूहिक बीमा योजनाएं

निगम ने सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में अपने सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों को ओरिएन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी और भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा पालिसी के अन्तर्गत बीमे की सुविधा प्रदान की है। उपर्युक्त उपायों से, उन कर्मचारियों के परिवारों या उत्तराधिकारियों को, दुर्भाग्यवश जिनकी सेवा-दौरान असामयिक मृत्यु हो गई थी, अत्यावश्यक राहत मिली है।

कार्यालय परिसर

प्रधान कार्यालय परिसर के लिए लोधी रोड, नई दिल्ली में सरकारी उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप) द्वारा निर्माण किए जाने के लिए प्रस्तावित सरकारी उद्यम काम्पलेक्स में 4400 वर्ग फुट कार्यालय स्थान के लिए अग्रिम के रूप में 30 जून, 1981 तक 0.92 करोड़ रु. की राशि अदा की जा चुकी है। निगम के कुछ क्षेत्रीय, शाखा और अन्य कार्यालयों के अब अपने परिसर हैं और निगम के शेष कार्यालयों के लिए भी स्वामित्वाधिकार आधार पर परिसर प्राप्त करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

स्टाफ आवास काम्पलेक्स

निगम के नई दिल्ली, स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पश्चिम विहार, नई दिल्ली में 3.35 एकड़ भूमि क्षेत्र में 195 आवासीय इकाइयों के आवास काम्पलेक्स का निर्माण किया गया है जिसकी कुल अनुमानित लागत 2.18 करोड़ रु. है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों के लिए निर्धारित फ्लैटों की कमी को पूरा करने के लिए 0.27 करोड़ रु. की लागत से हौज खास, नई दिल्ली में नौ नव-निर्मित तैयार फ्लैट भी खरीदे गये हैं।

निगम के पास बम्बई में नियुक्त अधिकारियों को आवास स्थान की सुविधा प्रदान करने के लिए स्वामित्वाधिकार आधार पर 15 फ्लैट हैं और निगम ने, वहां नियुक्त कर्मचारियों के लिए 0.35 करोड़ रु. की लागत से शास्त्री नगर, घाटकोपर, बम्बई में 32 फ्लैट खरीदने के लिए एक करार भी किया है। कलकत्ता में भी स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार से साल्ट लेक सिटी में 0.13 करोड़ रु. की लागत से एक एकड़ भूखण्ड ले लिया गया है।

आभार प्रदर्शन

संचालक बोर्ड, विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों, भारत सरकार के विभागों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अन्य सहयोगी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य स्तर के वित्तीय और विकास संस्थानों से प्राप्त हुए सहायता, सहयोग और सद्भाव के लिए अपना आभार प्रदर्शित करता है।

संचालक बोर्ड, तकनीकी सलाहकारी संगठनों, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान और प्रबन्ध विकास संस्थान के अध्यक्षों और बोर्ड के सदस्यों द्वारा उनके अपने-अपने संगठनों के कार्यों और योगदान को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना करता है।

बोर्ड, विभिन्न सलाहकारी समितियों के सदस्यों का तथा सहायता प्राप्त विभिन्न संस्थानों के बोर्डों में निगम की ओर से नामित गैर-शासकीय सदस्यों का भी, उनकी अमूल्य सहायता और परामर्श के लिए आभारी है।

संचालक बोर्ड, विदेशों में स्थित विभिन्न विकास वित्तीय संस्थानों से प्राप्त निरन्तर सहायता तथा सक्रिय सहयोग, विशेष रूप से कोदितान्स्टाल्ट फर वाइडरफबाउ, पश्चिमी जर्मनी, के प्रबन्धक वर्ग, यू. के. सरकार के समुद्र-पार विकास मंत्रालय और स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, स्वीडन द्वारा प्राप्त सहायता के लिए भी आभार प्रकट करता है और आगामी वर्षों में और अधिक उपयोग सहायता की आशा करता है।

बोर्ड, निगम के सभी स्तरों के सभी कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान की गई निष्ठावान और समर्पित सेवा के लिए भी उनकी अत्यधिक सराहना करता है।

संचालक बोर्ड की ओर से,
(बी. बी. सिंह)
अध्यक्ष

नई दिल्ली

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारी

हम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षक निगम के 30 जून, 1981 के तुलन-पत्र और लेखों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने सम्बन्धित वाउचरों और लेखों तथा शाखा कार्यालयों से प्राप्त परीक्षित विवरणियों के साथ संलग्न तुलन-पत्र की जांच कर ली है। ये विवरणियां संलग्न तुलन-पत्र में शामिल कर ली गई हैं। हम इस बात की रिपोर्ट देते हैं कि हमने जहां कहीं भी कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी है, वह सम्बन्धित स्पष्टीकरण या जानकारी हमें दी गई है और सन्तोषप्रद रही है। हमारी राय में प्रस्तुत तुलन-पत्र पूर्ण और निष्कपट है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार जैसा कि निगम के बही-खातों से पता चलता है, यह तुलन-पत्र निगम के अधिनियम, 1948 और नियमावली के अनुसार इस प्रकार उचित रीति से बनाया गया है कि इससे निगम के कार्यों का सच्चा और सही चित्र सामने आ जाता है।

ह०

रे० एण्ड रे०

ह०

बी० एल० अजमेरा एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 31 अगस्त, 1981

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली

30-6-1981 को तुलन-पत्र

क्रम सं०	देयताएं	अनु-सूची	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०	क्रम सं०	परिसम्पत्तियां	अनु-सूची	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
1.	शेयर पूंजी	क	17,50,00,000	15,00,00,000	1.	रोकड़ और बैंक शेष	छ	21,15,67,269	40,84,20,924
2.	रिजर्व और आरक्षित निधियां . .	ख	40,12,57,735	32,77,14,621	2.	निवेश	ज	35,48,16,037	32,42,92,557
3.	दीर्घकालीन ऋण	ग	5,35,81,30,565	4,55,80,86,234	3.	ऋण और अग्रिम	झ	5,48,00,71,330	4,42,84,68,344
4.	चालू देयताएं तथा व्यवस्थाएं .	घ	32,33,35,142	27,72,93,094	4.	स्थिर परिसम्पत्तियां	ञ	2 ,79,13,420	2,10,14,381
5.	अन्य देयताएं .	ङ	. 2,48,74,121	2,38,28,095	5.	अन्य परिसम्पत्तियां	ट	20,82,29,507	15,47,25,838
6.	पुनर्रफा मदों के अनुसार आकस्मिक देयताएं	च	50,33,083	73,99,241	6.	पुनर्रफा मदों के अनुसार संघटक आभार	ठ	50,33,083	73,99,241
			6,28,76,30,646	5,34,43,21,285				6,28,76,30,646	5,34,43,21,285

ह०

रे एण्ड रे

ह०

बी० एल० अजमेरा एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

ह०

(डी० एन० डावर)

महाप्रबन्धक

ह०

(डी० बी० सिंह)

अध्यक्ष

आर० के० कौल
एस० के० दवे
जे० सी० सन्देसारा
एस० के० दत्ता
पी० सी० डी० नाम्बियार
} सन्चालक

ओ० पी० गुप्ता
जी० बी० कपाड़िया
एस० हरिहरन
जे० मू० पटेल
एन० एस० सपकल
} संचालक

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
नई दिल्ली
30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि लेखा

व्यय	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०	आय	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
बांडों तथा ऋणों आदि पर ब्याज	30,79,89,637	26,29,72,177	ब्याज (बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण और अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों अग्रिमों तथा अन्य समायोजनों के लिए की गई व्यवस्था)	44,38,14,427	37,22,88,640
विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार	2,13,788	2,54,722			
बांडों के निर्गम पर दलाली	26,18,408	47,90,637			
बांडों के निर्गम पर बट्टा	—	—			
निवेशों पर हानि	47,41,335	3,71,595	कमीशन	29,42,984	22,16,960
स्थापना व्यय	2,56,51,669	1,81,93,447	निवेशों की बिक्री से लाभ	60,15,342	39,18,094
संचालकों तथा समिति सदस्यों की फीस तथा खर्चे	2,12,494	1,12,818	परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	26,300	2,528
किराया, कर, बीमा तथा रोशनी	35,09,099	34,05,637	शेयरों पर अधिलाभांश	1,67,48,125	89,19,339
डाक., तार, टिकटें तथा टेलीफोन	9,72,890	8,25,237	वचनबद्धता प्रभार	1,27,82,684	1,01,53,680
छपाई लेखन सामग्री तथा विज्ञापन	10,80,741	9,68,980	विविध आय	1,91,716	2,08,133
विधि प्रभार	32,672	51,240			
लेखा परीक्षा शुल्क	56,000	56,000			
यात्रा व किराया व्यय	7,52,857	5,76,138			
अन्य व्यय	31,07,801	24,28,596			
विनिमय में उतार चढ़ाव के कारण हानि	10,70,510	—			
मूल्य ह्रास	5,27,344	4,38,515			
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान	5,00,000	5,00,000			
कर्मचारी कल्याण निधि खर्चे	82,745	—			
कराधान के लिए व्यवस्था	4,55,79,204	5,38,81,635			
घटाइये : पिछले वर्षों से सम्बन्धित आयकर की वापसी तथा समायोजन					
वर्ष के लिए निवल लाभ नीचे ले जाया गया	8,38,22,384	4,78,80,000			
	48,25,21,578	39,77,07,374		48,25,21,578	39,77,07,374
अन्तरित राशि :					
सामान्य आरक्षित निधि	1,45,83,000	84,80,000	वर्ष के लिए निवल लाभ नीचे लाया गया	8,38,22,384	4,78,80,000
विशेष रिजर्व (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) के अधीन	5,54,00,000	2,73,00,000			
वांतव्य आरक्षित निधि	25,00,000	25,00,000			
कर्मचारी कल्याण निधि	1,25,000	2,00,000			
प्रस्तावित अधिलाभांश	1,12,14,384	94,00,000			
	8,38,22,384	4,78,80,000		8,38,22,384	4,78,80,000

रु०
रे एण्ड रे

रु०
(डी० एन० डावर)
महाप्रबन्धक

रु०
(बी० बी० सिंह)
अध्यक्ष

रु०
बी० एल० अजमेरा एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

आर० के० कौल
एस० ए० दवे
जे० सी० सन्देसारा
एस० के० दत्ता
पी० सी० डी० नाम्बियार
} संचालक

ओ० पी० गुप्ता
जी० वी० कपाड़िया
एस० हरिहरन
जे० यू० पटेल
एन० एस० सपकल
} संचालक

अनुसूची 'क'
शेयर पूंजी

30 जून, 1981 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
अधिकृत :			
पांच-पांच हजार रुपये के 40,000 शेयर		20,00,00,000	20,00,00,00,0
जारी, अभिदत्त तथा प्रदत्त (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तगत मूलधन की पुनर्अदायगी और न्यूनतम वार्षिक अधिलाभांश की अदायगी के संबंध में भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)			
(i) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर		5,00,00,000	5,00,00,000
(ii) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सीरीज)		2,00,00,000	2,00,00,000
(iii) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय सीरीज) . . .		1,34,60,000	1,34,60,000
(iv) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ सीरीज) . . .		1,65,40,000	1,65,40,000
(v) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (पांचवी सीरीज) . . .		5,00,00,000	5,00,00,000
(vi) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (छठी सीरीज) . . .		2,50,00,000	
		17,50,00,000	15,00,00,000

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम वार्षिक अधिलाभांश की गारंटी मद संख्या (i) के लिए $\frac{1}{4}$ प्रतिशत, मद संख्या (ii) तथा (iii) के लिए 4 प्रतिशत और मद संख्या (iv) के लिए $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा मद संख्या (v) और (vi) के लिए 6 प्रतिशत है ।

अनुसूची 'ख'
रिजर्व तथा आरक्षित निधियां :

(i) सामान्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन) पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . . .	16,72,80,000		15,88,00,000
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित . .	1,45,83,000		84,80,000
		18,18,63,000	16,72,80,000
(ii) आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32क के अधीन) . .		1,00,00,000	1,00,00,000
(iii) दातव्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 32 क के अधीन)			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . .	61,36,111		65,81,656
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित . .	25,00,000		25,00,000
	86,36,111		90,81,656
घटाइये : उपयोग की गई राशि . .	20,30,169		29,45,545
		66,05,942	61,36,111

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(iv) विशेष रिजर्व (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) के अधीन :			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . .	13,83,78,362		11 10,78,362
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित . .	5,54,00,000		2,73,00,000
			13,83,78,362
		19,37,78,362	
(v) भारत सरकार से विशेष अनुदान पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	59,20,148		59,49276
अदितास्तल्ल फिर वाइकरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार प्राप्त अनुदान . .	71,40,000		74,22,000
	1,30,60,148		1,33,71,276
घटाइये विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई राशि	40,49,717		74,51,128
		90,10,431	59,20,148
		40,12,57,735	32,77,14,621

अनुसूची 'ग'

दीर्घ कालीन ऋण

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
1. बांड (आरक्षित औद्योगिक, वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अधीन जारी—भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त)		
5½% बांड 1977		
5½% बांड 1978		
5¾% बांड 1979		
5¾% बांड 1980		8,33,30,800
5¾% बांड 1981	5,50,00,000	5,50,00,000
5¾% बांड 1982	4,95,00,000	4,95,00,000
5¾% बांड 1983	8,80,08,800	8,80,08,800
5¼% बांड 1984	11,00,67,300	11,00,67,300
5¾% बांड 1985	13,16,67,800	13,16,67,800
6% बांड 1986 . . .	7,99,08,000	7,99,08,000
6% बांड 1984	11,00,12,000	11,00,12,000
6% बांड 1985	12,47,37,800	12,47,37,800
6% बांड 1985 (द्वितीय सीरीज) . .	16,54,79,200	16,54,79,200
6% बांड 1986 (द्वितीय सीरीज) . .	19,25,05,400	19,25,05,400
6% बांड 1986 (तृतीय सीरीज) . .	32,45,87,200	32,45,87,200
6% बांड 1987	19,88,73,800	19,88,73,800
6% बांड 1987 (द्वितीय सीरीज) . .	25,39,45,500	25,39,45,500
6¼% बांड 1988	33,00,00,000	33,00,00,000
6¼% बांड 1988 (द्वितीय सीरीज) . .	35,01,54,000	35,01,54,000
6½% बांड 1989	34,93,75,000	34,93,75,000

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
$6\frac{1}{2}\%$ बांड 1989 (द्वितीय सीरीज) . .		40,06,25,000	40,06,25,000
$6\frac{3}{4}\%$ बांड 1992		38,50,00,000	38,50,00,000
$6\frac{3}{4}\%$ बांड 1992 (द्वितीय सीरीज) . .		39,60,00,000	—
$7\frac{1}{4}\%$ बांड 1996		23,92,22,000	—
		433,46,68,800	378,27,77,600
2. उधार :			
(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (4) के अधीन) 5.00 करोड़ रुपये की राशि के $6\frac{3}{4}\%$ तदर्थ बांड, प्रत्येक 10.00 करोड़ रुपये की राशि के $6\frac{1}{4}\%$ और $6\frac{1}{2}\%$ तदर्थ बांड, 20.00 करोड रुपये की राशि के 7.5% तदर्थ बांड । .		43,00,00,000	23,50,00,000
(ii) भारत सरकार से (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (4) के अधीन) . .		13,14,80,542	29,03,74,377
(iii) फ्रदितास्नल्तफा वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से . .		3,68,96,900	3,03,50,500
(iv) विदेशी मुद्राओं में विदेशी साख संस्थानो से (रुपये 26,14,760/- तक की राशि को छोड़कर भारत सरकार की गारंटी द्वारा रक्षित)		42,50,84,323	21,95083,757
		535,81,30,565	455,80,86,234

अनुसूची 'घ'
चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

30 जून, 1981 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछल वर्ष रु०
क. चालू देयताएं :				
(i) भारतीय रिजर्व बैंक से अल्प-कालीन ऋण 3.25 करोड़ रु० के अंकित मूल्य के निगम द्वारा जारी किए गए रक्षित बांडों द्वारा (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (3) (ख) के अधीन) .			—	—
(ii) विदेशों में बैंक अधिवकर्ष .			25,61,485	—
(iii) फुटकर लेनदार . .			16,74,08,048	9,74,95,118
(iv) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं :				
(क) उधार				
(i) भारत सरकार से		22,90,779		69,59,275

विवरण		रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(ii) विदेशी मुद्रा में विदेशी साख संस्थानों से		23,940		1,77,933
		23,14,719		71,37,208
(ख) बांडों पर		3,44,47,099		3,29,00,992
			3,67,61,818	4,00,38,200
(v) अग्रिम गारंटी कमीशन			43,419	47,200
(vi) विधिक और मूल्यांकन के लिए प्राप्त अग्रिम			12,58,448	7,93,400
(vii) दावा न किया गया अधिलाभांश			—	250
(viii) विदेशी साख संस्थानों से विदेशी मुद्रा में ऋण पर प्रोद्भूत वचनबद्धता प्रभार			16,327	13,629
(ix) विदेशी साख संस्थानों से विदेशी मुद्रा में प्राप्त ऋणों पर वसूल किए गए ब्याज में से सरकार को देय/उप-ऋणियों को प्रतिदेय राशि			52,00,306	—
			21,32,49,851	13,83,87,797
ख. व्यवस्थाएं :				
(i) विनिमय जन्य उचंत लेखे में				3,44,79,499
(ii) उचंत खाते डाली गई रकमें :				
(क) ब्याज		6,12,04,808		6,20,59,850
(ख) वचन बद्धता प्रभार		66,311		66,311
(ग) प्रासंगिक प्रभार		2,37,704		2,37,704
(घ) गारंटी कमीशन		1,70,051	6,16,78,874	1,70,051
				6,25,33,916
(iii) कराधान के लिए व्यवस्था :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		14,57,30,035		15,82,19,744
जोड़िए : वर्ष के लिए व्यवस्था		4,55,79,204,		5,38,81,635
		19,13,09,239		21,21,01,379
घटाइए : गत वर्षों के लिए समायोजन		2,20,94,476		6,63,71,344
		16,92,14,763		14,57,30,035
घटाइए : स्रोत पर काटा गया कर	1,18,80,526			72,81,920
अदा किया गया अग्रिम कर	12,01,42,204	13,20,22,730		10,59,56,233
				11,32,38,153
			3,71,92,033	3,24,91,882
			1,12,14,384	94,00,000
(iv) प्रस्तावित अधिलाभांश			11,00,85,291	13,89,05,297
			32,33,35,142	27,72,93,094

अनुसूची 'ङ'
अन्य देयताएं

30 जून, 1981 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) स्टाफ कल्याण निधि :			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . .	7,49,680		6,20,043
घटाइए : उपयोग की गई राशि .	—		70,363
	7,49,680		5,49,680
जोड़िए : लाभ-हानि लेखा से अन्तरित राशि .	1,25,000		2,00,000
		8,74,680	7,49,680
(ii) औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि .		2,23,49,441	1,72,20,415
(iii) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21. (ख) के अधीन अन्तरित ऋणों तथा अग्रिमों में अधिकार एवं हित के सम्बन्ध में देयता . .		16,50,000	58,58,000
		2,48,74,121	2,38,28,095

अनसूची 'च'

बुतरफा मदों के अनुसार आकस्मिक देयताएं

(i) गारंटियां (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (ख) के अधीन) . .		34,14,112	44,96,213
(ii) विदेशी ऋण गारंटियां (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1) (ग) के अधीन) .		—	8,20,812
(iii) मूलधन की अदायगी के लिए आस्थगित फ्रांसिसी ऋण		16,18,971	20,82,216
(iv) हामीदारी संविदा (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (घ) के अधीन) . (पिछले वर्ष-रु० 66,33,000/-)	54,30,000		
(v) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1) (घ) तथा धारा 23 (1) (च) के अधीन निवेश के रूप में अंशतः प्रदत्त शेयरों के लिए अयाचित राशि (पिछले वर्ष-रु० 19,67,482/-) . .	19,34,198		
		50,33,083	73,99,241

अनुसूची 'छ'

रोकड़ तथा बैंक शेष

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं मे रोकड़ तथा स्टाम्प हाथ में		33,377	49,067
(ii) चैक हाथ में तथा वसूली के अधीन . .		3,84,78,676	3,08,58,058
(iii) बैंकों में शेष .			
(क) चालू खाते में :			
भारत में	8,18 05,216		7,65,72,726
विदेशों में	—	.	99,002
		8,18,05,216	7,66,71,728
(ख) जमा खाते मे :			
भारत में	9,12,50,000		25,84,50,000
विदेशों में	—		4,23,92,071
		9,12,50,000	30,08,42,071
			37,75,13,799
		21,15,67,269	40,84,20,924

अनुसूची 'ज'

निवेश (लागत पर)

30 जून, 1981 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

(i) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अधीन :			
कुछ वित्तीय सस्थानो की प्रारम्भिक पूजी शेयर		96,00,000	96,00,000
(ii) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (घ) के अधीन :			
(क) औद्योगिक संस्थाओं के स्टाक, शेयर, बांड तथा डिबेंचर	22,59,96,372		22,04,42,257
(ख) शेयरों, डिबेंचरों, आदि पर अदा की गई आवेदन मुद्रा	—		—
		22,59,96,372	22,04,42,257
(iii) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (च) के अधीन :			
(क) शेयर	5,69,15,969		5,38,80,040
(ख) शेयरों के लिए अदा की गई आवेदन मुद्रा .	6,40,313		—
		5,75,56,282	5,38,80,040
(iv) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (छ) के अधीन . . .	23,77,875		5,59,600
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (छ) के परन्तुक के अधीन लिए गए शेयर .	5,92,85,508		3,98,10,660
		6,16,63,383	4,03,70,260
		35,48,16,037	32,42,92,557

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(क) कथित निवेश :				
पुस्तक मूल्य			17,24,29,811	16,94,89,793
बाजार मूल्य			35,78,66,219	23,41,17,977
(ख) निवेश, जिनके मूल्य उपलब्ध नहीं हैं :				
पुस्तक मूल्य			18,23,86,226	15,48,02,764

अनुसूची 'झ'

ऋण तथा अग्रिम

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
ऋण तथा अग्रिम :				
भारतीय मुद्रा में		5,00,54,08,848		4,18,12,72,668
विदेशी मुद्रा में		47,46,62,482		24,71,95,676
		5,48,00,71,330		4,42,84,68,344
टिप्पणियां :				
(क) संस्थाओं द्वारा देय ऋण जिनमें निगम के संचालक नामित संचालक की हैसियत से संचालक के रूप में हितबद्ध है			17,56,92,325	6,25,64,463
(ख) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल रकम, जिनमें निगम के संचालक नामित संचालक की हैसियत से संचालक के रूप में हितबद्ध है			1,48,50,000	48,00,000
(ग) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज की किस्तों की कुल अतिदेय रकमें, जिनमें निगम के संचालक, संचालक के रूप में हितबद्ध है			89,60,924	7,59,999

अनुसूची '—ञ'

स्थिर परिसम्पत्तियां

30 जून, 1981 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
1. पट्टे पर भूमि :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य		1,16,77,327		53,36,313
वर्ष के दौरान वृद्धियां		52,63,309		63,41,014
			1,69,40,636	1,16,77,327
2. निष्कर भूमि तथा भवन :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य		77,77,963		77,76,263
वर्ष के दौरान वृद्धियां		14,37,660		1,700
		92,15,623		77,77,963
घटाइए : ह्रास मूल्य :				
पिछले वर्ष तक	5,71,483			4,30,799
वर्ष के लिए	1,73,104	7,44,587		1,40,684
			84,71,036	5,71,483

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
3. मोटर कार, साइकिल, फर्नीचर, जुड़नार फिटिंग, आदि :			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य	43,43,715		41,09,787
वर्ष के दौरान वृद्धियां/समायोजन	7,38,076		2,56,563
	50,81,791		43,66,350
घटाइए : बेची गई/फेंकी गई	24,541		22,635
	50,57,250		43,43,715
घटाइए : ह्रास मूल्य :—			
पिछले वर्ष तक 22,13,141			19,33,090
वर्ष के लिए 3,54,240			2,97,831
25,67,381			22,30,921
घटाइए : बेची गई /फेंकी गई परिसम्पत्तियों पर 11,879			17,780
	25,55,502		22,13,141
		25,01,748	21,30,574
		2,79,13,420	2,10,14,381
अनुसूची 'ट' अन्य परिसम्पत्तियां		30 जून, 1981 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग	
(क) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं :			
(i) बैंकों में जमा रकमों पर	22,95,065		12,04,654
(ii) डिबेंचरों पर	55,479		4,80,336
(iii) ऋणों तथा अग्रिमों पर	12,59,88,336		9,53,78,330
(iv) अन्य	19,78,891		16,31,349
		12,83,17,771	9,86,94,669
(ख) वचनबद्धता तथा अन्य प्रोद्भूत प्रभार		28,44,147	45,46,171
(ग) फुटकर देनदार		4,32,60,548	2,08,42,315
(घ) कर्मचारियों को अग्रिम		58,88,446	47,63,866
(ङ) पूर्वदत्त खर्चे		71,270	44,937
(च) स्टाफ कल्याण निधि की निवल परिसम्पत्तियां		7,49,680	5,49,680
(छ) "कम्पनी जमा" (आयकर पर अधिभार) योजना 1976		9,17,200	9,17,200
(ज) जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को ऋण (ब्याज रहित)		1,75,32,000	1,63,67,000
(झ) विनिमय अन्तर		86,48,445	—
		20,82,29,507	15,47,25,838
अनुसूची 'ठ' दुतरफा मदों के अनुसार संघटक आधार			
(क) गारंटियां [औद्योगिक वित्त निगम, अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (ख) के अधीन]		34,14,112	44,96,213
(ख) विदेशी ऋण गारंटियां [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (1) (ग) के अधीन]		—	8,20,812
(ग) मूलधन के लिए आस्थगित फ्रांसिसी ऋण		16,18,971	20,82,216
		50,33,083	73,99,241

टिप्पणियां—लेखे का भाग

1. (क) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों को पहले की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की समदरों के अनुसार अर्थात् डालर =7.50 रुपये और 1 जर्मन मार्क=2.05 रुपये की बजाय, 30 जून, 1981 को लागू टेलीग्राफिक ट्रांसफर विक्रय दरों पर रुपये में संपरिवर्तित और अभिव्यक्त किया गया है । इसी प्रकार उप-ऋणियों को दिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 27 (3) के अनुसार उनके प्रदान किए जाने के समय लागू विनियम दरों अथवा पहले की भांति समदरों की अपेक्षा 30 जून, 1981 को लागू टेलिग्राफिक ट्रांसफर विक्रय दरों पर रुपये में संपरिवर्तित और अभिव्यक्त किया गया है । उक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप विदेशी संस्थानों से उधार 1890.23 लाख रुपय बढ़ गया है और उप-ऋणियों से अग्रिम भारतीय मुद्रा के अनुसार 1813.03 लाख रुपये बढ़ गया है।

(ख) जिस विनियम शेष अन्तर का समायोजन नहीं किया गया है उसे तुलन-पत्र में "अन्य परिसम्पत्तियां शीर्षक के अन्तर्गत आगे ले जाया गया है । जब भी विदेशी साख संस्थानों से लागू ऋणों पर लाभ अथवा हानि होगी, उसकी अन्तिम स्थिति का जायजा लेने के पश्चात समायोजन किया जायेगा, लेकिन निगम की नीति के अनुरूप उन विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में जिन्हें विदेशी साख संस्थानों को 30 जून, 1981 तक पूर्णत: अदा किया जा चुका है । विनियम जन्य खाते में हुई हानि निगम के खातों से समायोजित कर दी गई है।

2. "आकस्मिक देयताओं के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा, में अभिव्यक्त 53.93 लाख रु० (30-6-1980 को 73.99 लाख रुपये) की आकस्मिक देयताएं शामिल हैं, जो कि विभिन्न तारीखों को लागू विनियम दरों के अनुसार हैं। तुलन-पत्र की तारीख को लागू टेलिग्राफिक ट्रांसफर विक्रय दरों के अनुसार यह राशि 49.74 लाख रुपये (30-6-80 को 126.18 लाख रुपय) होगी ।

3. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 23 (1) (घ) और 23 (1) (च) के अन्तर्गत कुछ कम्पनियो के क्रमश: 20.78 लाख रुपये और 6.75 लाख रुपये (30-6-80 को 44.32) साधारण पूजी के रूप में विनियोजित राशि शामिल है, कम्पनियों ने परिसमापन कर दिया है और सम्भवत: निगम की नियोजित पूरी राशि वसूल न की जा सकेगी। इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है ।

4. निवेशों मे 27.78 लाख रुपये (दातव्य आरक्षित निधि के उपयोग से 3.51 लाख रुपये और विशेष अनुदान से 24.28 लाख रुपये) (30-6-80 को 18.48 लाख रुपये) जो कि निगम के प्रवर्तन कार्यों के तौर पर तकनीकियों और अद्यमियो द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से कुछ तकनीकी सलाहकारी संगठनों से शेयरों में सम-मूल्य पर निगम ने विनियोजित किए थे ।

5. (क) ऋणों और अग्रिमों में 40.30 लाख रुपये (30-6-80 को 70.19 लाख रुपये) शामिल है, जिनमें सम्बन्धित अधिकार तथा हित औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (ख) के अधीन हस्तान्तरित किये गये।

(ख) ब्याज आय में 4.11 लाख रुपये (30-6-80 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 12.10 लाख रुपये) शामिल नहीं हैं, यह राशि उन ऋणों और अग्रिमों का ब्याज है जिनके अधिकार तथा हित औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (ख) के अधीन हस्तांतरित किए गए है, यह राशि हस्तान्तरी को देय ब्याज की राशि से अलग रख दी गई है।

6. कुछ कम्पनियों का केन्द्रीय/राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, उनमें तुलन-पत्र की तारीख के दिन कुल 879.08 लाख रुपये (30-6-80 को 406.87 लाख रुपये) बकाया थे । यह निश्चित नहीं हो पाया है कि मुआवजे की राशि में से अथवा गारंटरों से उक्त राशि का कितना भाग वसूल हो सकेगा । इसके अतिरिक्त तुलन-पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों से 635.57 लाख रुपय (30-6-80 को 796.84 लाख रुपये) देय हैं, जिनकी देयताएं औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम के अधीन अवरुद्ध हो गई है यह विचार किया गया है कि संदिग्ध ऋणों और अग्रिमो और फुटकर देनदारों के लिए निवल कर आधार पर की गई व्यवस्था, इन्ही कारणों की वसूली में संभव किन्हीं भी हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

7. (क) पहले की भाँति, जिन मामलो मे निगम की बकाया को प्राप्त करने की संभावनाएं कम आंकी गई है, उनमें ब्याज, वचनबद्धता प्रभार और कमीशन आदि का कम नहीं किया गया है।

(ख) जिन कुछ खातों में न्यायालयों से आदेश प्राप्त किए गए हैं उनमें ब्याज का गणन प्राप्त होने पर ही किया जाता रहा है

8. ऐसे बांडों के सम्बन्ध में जो परिपक्व है परन्तु अभी तक अदत्त है और तदनुसार इन्हें 539.26 लाख रुपये की राशि का फुटकर लेनदार के रूप में माना है, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकी है।

9. आयकर विभाग के संकेत पर जिन मामलो में निगम के पक्ष में फैसला हुआ है, ट्रिब्यूनल/उच्च न्यायालय में अपील/संदर्भ किया गया है उन मामलों में कर की कुल राशि 30-6-81 तक 40.60 लाख रुपये की है । (30-6-80 को 40.60 लाख रुपये) ।

10. चाल वर्ष के साथ पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुरूप बनाने के लिए पुन: एकत्रित किया गया है।

परिशिष्ट 'क'

वित्तीय सार के लिये आवेदनों का निपटान
(उदार ऋण योजना सहित)

(रुपये, करोड़ों में)

राज्य/क्षेत्र	वर्ष के दौरान प्रक्रियारत आवेदन-पत्र				निपटान					
	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया (1-7-1980)				वर्ष के दौरान वापस लिये, बन्द किये आवेदन-पत्र		वर्ष 1980-81 के दौरान सहायता मंजूर (सकल) किए गए आवेदन		वर्ष के अन्त में बकाया आवेदन-पत्र (30-6-1981 को)	
	संस्थाओं की सं०	राशि	संस्थाओं की सं०	राशि	संस्थाओं की सं०	राशि	संस्थाओं की सं०	राशि	संस्थाओं की सं०	राशि
आंध्र प्रदेश	2	7.31	30	162.21	—	—	27	25.84	5	42.34
असम	—	—	1	1.50	—	—	1	0.50	—	—
बिहार	—	—	7	32.17	—	—	7	5.69	—	—
गुजरात	2	6.85	17	66.87	1	3.58	16	15.05	2+	5.0
हरियाणा	1	5.17	9	17.15	—	—	8	5.19	2	1.59
हिमाचल प्रदेश	—	—	3	16.39	—	—	3	3.79	—	—
जम्मू और कश्मीर	1	6.59	1	0.50	—	—	2	2.15	—	—
कर्नाटक	1	3.02	13	61.69	—	—	13	14.51	1	2.80
केरल	2	13.05	4	7.54	—	—	5	5.05	1	0.80
मध्य प्रदेश	1	3.73	7	24.87	1	3.73	4	3.93	3	10.64
महाराष्ट्र	1	2.50	39	296.12	1	2 50	35	36.43	4	73.36
उड़ीसा	2	5.36	4	26.35	—	—	5	3.88	1	14.47
पंजाब	—	—	14	91.46	—	—	13	21.03	1	3.06
राजस्थान	4	31.52	24	97.04	—	—	24	22.48	4	12.73
तमिलनाडु	1	3.71	19	161.66	—	—	16	13.71	4	78.83
त्रिपुरा	—	—	1	1.87	—	—	1	0.36	—	—
उत्तर प्रदेश	4£	9.89	23	43.16	1	2.30	25	17.05	1	2.52
पश्चिम बंगाल	3$	5.55	10	58.14	—	—	10	9.32	3×	9.73
गोआ	1	2.20	3	10.61	—	—	3	2.47	1	1.93
दिल्ली	1	0.76	2	34.42	—	—	3	4.14	—	
पांडिचेरी	1	0.64	—	—	—	—	1	0.16	—	—
	28*	107 85	231	1211.72	4	12.11	222**	212.73	33@	260.50

£उदार ऋण योजना के अधीन एक संस्था से प्राप्त 1.36 करोड़ रुपये की राशि का आवेदन सम्मिलित किया गया है।

$उदार ऋण योजना के अधीन दो संस्थाओं से प्राप्त कुल 5.10 करोड़ रुपये के आवेदनों को सम्मिलित किया गया है।

**उदार ऋण योजना के अधीन 39 संस्थाओं को 25.52 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के आदेश सहित।

+उदार ऋण योजना के अधीन एक संस्था के 2.00 करोड़ रुपये के आवेदन सहित।

×उदार ऋण योजना के अधीन एक संस्था के 2.90 करोड़ की राशि के आवेदन सहित।

@इसके अतिरिक्त संयुक्त वित्तीय सहायता के आधार पर 617.85 करोड़ रुपये और 15.87 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता के लिये क्रमशः सामान्य योजना के अधीन 70 संस्थाओं के और उदार ऋण योजना के अधीन 6 संस्थाओं के आवेदन भी अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं सहित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के विचाराधीन थे। इन मामलों में कुछ महत्वपूर्ण मामलों/मूलभूत मुद्दों का समाधान किया जा रहा है।

*उदार ऋण योजना के अधीन 3 सस्थानों के 6.46 करोड़ रुपये के तीन संस्थाओं के आवेदनों को सम्मिलित करते हुए लेकिन 58 संस्थाओं के कुल 416.60 करोड़ रुपये की राशि के आवेदनों को छोड़कर जो कि कुछ मूलभूत मुद्दों/अलग किए जाने वाले महत्वपूर्ण मामलों के अभी न सुलझाए जाने के कारण सक्रिय कार्रवाईरत नहीं थे।

टिप्पणी : केवल मजूरियों (जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सहायता के हिस्से का द्योतक है) के आंकड़ों को छोड़कर सभी अन्य आकड़े अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से आवेदक सस्थाओं का सूचक हैं।

1 जलाई, 1980 से 30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण

क्रमांक	संस्था का नाम	जिला	मुख्य प्रवर्तक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक का नाम	क्षेत्र	प्रयोजन	उत्पादन/उद्योग	उत्पन्न एवं जोड़ी जाने वाली प्रस्तावित स्थापित क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	आन्ध्र प्रदेश						
1.	आन्ध्र सीमेंट कं० लि० (3 परियोजनायें)	विशाखापट्टनम; गुन्टूर; कृष्णा	एम० पी० जैन प्रबन्ध निदेशक	निजी	आधुनिकीकरण अति व्यय	सीमेंट	—
2.	आन्ध्र साइट्रटस लि०	हैदराबाद	एम० के० राजू प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परियोजना; अति व्यय	साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट	—
3.	आन्ध्र प्रदेश हैवी मशीनरी एण्ड इंजीनियरिंग लि०	कृष्णा	एम० आर० पै, आई०ए० एस० अध्यक्ष	सरकारी	नई परियोजना	औद्योगिक	3500 टन
4.	आन्ध्र प्रदेश रेयन्स लि० (थापर ग्रुप)	वारंगल (पिछड़ा जिला)	एल० एम० थापर अध्यक्ष	निजी	नई परियोजना; अति व्यय	रेयन ग्रेड पल्प	—
5.	अवन्थी लैदर्स लि०	चित्तूर (पिछड़ा जिला)	आर० एन० रेड्डी अध्यक्ष	निजी	नई परि०; अति व्यय	खालों, चमड़ों को तयार करना	—
6.	कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि०	कुडप्पा (पिछड़ा जिला)	डा० भरत राम अध्यक्ष	निजी	नई परि०; विशाखन	सीमेंट	10,00,000 टन
7	दक्कन सीमेंट्स लि०	नलगोंडा (पिछड़ा जिला)	एम० वी० राजू प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	सीमेंट	66,000 टन
8.	डोल्फिन होटल्स लि०	विशाखापट्टनम	रामाजी राव, अध्यक्ष (प्रबन्ध निदेशक)	निजी	नई परि०; अति व्यय	होटल	—
9.	गोलकुण्डा एब्रेसिप्स लि०	मेडक (पिछड़ा जिला)	टी० एन० दामोदरन अध्यक्ष	निजी	नई परि०,	ग्राइन्डिंग	1000 टन
10.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	हैदराबाद	बी०रामचन्द्र अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	सरकारी	आधुनिकीकरण	मशीनी औजार	—
11.	काकातिया सीमेंट्स लि०	नलगोंडा (पिछड़ा जिला)	पी० वेंकटेश्वरलू प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	सीमेंट	66000 टन
12.	नागार्जुन सीमेंट्स	नलगोंडा (पिछड़ा जिला)	के० आर० राजू	निजी	नई परि०	सीमेंट	66000 टन
13.	नागार्जुन मिग्नोट्टे (प्रा०) लि०	मेडक (पिछड़ा जिला)	एन० राव (प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक)	निजी	नई परि०	फीते और उपकरण	12000 टन
14.	नान्दयाल कोआपरेटिव शूगर्स लि०	कुरनूल (पिछड़ा जिला)	एम० जी० जी० नायडू प्रबन्ध निदेशक	सहकारी	नई परि०; अति व्यय	चीनी	—

परिशिष्ट—ख

(रुपये, करोड़ों में)

मास एवं वर्ष जिसमें परियोजना/योजना के पूरा हो जाने की आशा है	परियोजना लागत	वित्तपोषण के साधन				भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता (सर्कल)			
		शेयर पूंजी	आस्थगित अदायगियों सहित ऋण	अन्य	जोड़	रुपया ऋण*	विदेशी मुद्रा ऋण (रुपये के बराबर)	हामीदारियां	जोड़
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
—	1.05	—	0.60	0.45	1.05	0.15	—	—	0.15 (अति०)
अक्तूबर, 1981	0.85	0.20	0.65	—	0.85	0.25	—	—	0.25 (अति०)
सितम्बर, 1982	13.60	4.85	8.75	—	13.60	2.00	—	—	2.00
मार्च, 1981	4.50	—	2.65	1.85	4.50	0.37	—	—	0.37 (अति०)
—	0.90	—	0.74	0.16	0.90	0.17	—	—	0.17 (अति०)
जनवरी, 1984	74.00	—	54.00	20.00	74.00	6.00	—	—	6.00 (अति०)
जुलाई, 1982	5.84	1.65	3.68	0.15	5.48	0.84	—	0.22 (इक्विटी)	1.06
—	0.54	—	0.35	0.19	0.54	0.10	—	—	1.00 (अति०)
—	1.90	0.50	1.25	0.15	1.90	—	—	0.05 (प्रत्यक्ष अभिदान)	0.05 (इक्विटी)
मार्च, 1984	12.45	—	8.00	4.45	12.45	1.75	—	—	1.75 (अति०)
जनवरी, 1983	5.80	1.80	4.00	—	5.80	0.85	—	0.24 (इक्विटी)	1.09
जनवरी, 1983	5.94	1.85	3.94	0.15	5.94	0.87	—	0.25 (इक्विटी)	1.12
सितम्बर, 1983	7.00	2.20	4.65	0.15	7.00	0.40	—	0.10 (इक्विटी)	0.50
अप्रैल, 1981	1.00	0.60	0.40	—	1.00	0.10	—	—	0.10 (अति०)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	निज़ाम शूगर फैक्ट्री लि०	अनन्तपुर (पिछड़ा जिला)	एस० आनन्द्रम उप अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	सरकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रति-दिन
16.	निज़ाम शूगर फैक्ट्री लि०	करीम नगर (पिछड़ा जिला)	एस० आनन्द्रम उप अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	सरकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रति-दिन
17.	पैलेयर कोआपरेटिव शूगर्स लि०	खम्मम (पिछड़ा जिला)	सी० पी० राव अध्यक्ष	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
18.	पन्याम सीमेंट एंड मिनरल्स इंडस्ट्रीज लि० (2 परियोजनाये)	कुरनूल (पिछड़ा जिला)	एम० रामन्ना अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	निजी	आधुनिकी-करण	सीमेंट	—
19.	पेशार पेपर्स लि०	कुडप्पा (पिछड़ा जिला)	के० एच० रेड्डी के० आर० रेड्डी निदेशक	संयुक्त	नई परि०; अति व्यय	कागज	4950 टन
20.	रासी सीमेंटस लि०	नलगोंडा (पिछड़ा जिला)	एस० आर० रामामूर्ति अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०; अति व्यय	सीमेंट	—
21.	श्री हनुमान कोआपरेटिव शूगर्स लि०	कृष्णा	ए० आर० राव प्रबन्ध निदेशक	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
22.	श्री मैन्यूफैक्चरिंग लि०	मेडक (पिछड़ा जिला)	जी० डी० कोठारी अध्यक्ष	निजी	नई परि०	कताई (ब्लेंडिड एंड एक्रेलिक)	15840 तकुए
23.	श्री अम्बुजा पेट्रोकेमिकल्स लि०	मेडक (पिछड़ा जिला)	आर०जे० हरिवल्लभदास निदेशक	निजी	नई परि०; अति व्यय	पथैलिक एनहाइड्राइड	—
24.	श्री रामचन्द्र टूल्स लि०	मेडक (पिछड़ा जिला)	बी० एस० राजू प्रबन्ध निदेशक	संयुक्त	नई परि०	विशेष औजार	153200 औजार
25.	सिरपुर पेपर मिल्स	आदिलाबाद	के० पी० सिंधी अध्यक्ष	निजी	आधुनिकी-करण संतुलन	कागज	—
26.	सोमेश्वरा सीमेंट एण्ड कैमिकल्स लि०	आदिलाबाद	के० सी० वीरप्पा अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	सीमेंट	66000 टन
27.	थन्डारा कोआपरेटिव शुगर्स लि०	विशाखापट्टनम	सी०एस० राव आई० ए० एस अध्यक्ष	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रति-दिन;

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
नवम्बर, 1981	5.17	2.00	2.82	0.35	5.17	1.00	—	—	1.00 (अति०)
मई, 1979	5.60	2.00	3.36	0.24	5.60	1.12	—	—	1.12
मार्च, 1982	7.65	2.80	4.70	0.15	7.65	1.15	—	—	1.15
अगस्त, 1981	2.75	—	2.00	0.75	2.75	0.50	—	—	0.50 (अति०)
अक्तूबर, 1981	1.95	0.54	1.25	0.16	1.95	—	—	0.06 (प्रत्यक्ष अभिदान (इक्विटी)	0.06
अप्रैल, 1981	2.93	0.89	3.04	—	3.93	0.50	—	0.09 (प्रत्यक्ष अभिदान) (सु० ति०)	0.59 (अति०)
दिसम्बर, 1981	7.61	2.67	4.94	—	7.61	1.24	—	(इक्विटी)	1.24
जनवरी, 1983	8.10	2 02	5 10	0 98	8.10	1.10	—	0.25 (इक्विटी)	1.35
अप्रैल, 1981	2.69	1.14	1.33	0.22	2.69	0.21	—	0.13 (इक्विटी) (सुरक्षित निर्गम)	0.34 (अति०)
अक्तूबर, 1981	1.44	0.32	0.97	0.15	1.44	—	—	0.05 (प्रत्यक्ष अभिदान) (इक्विटी)	0.05
दिसम्बर, 1983	22.45	—	12.00	10.45	22.45	1.50	—	—	1.5
जनवरी, 1983	5.90	1.85	3.90	0.15	5.90	1.00	—	0.25 (इक्विटी)	1.25
दिसम्बर, 1981	6.80	2.77	3.88	0.15	6.80	0.98	—	—	0.98

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	असम						
28.	असम गैस कं० लि०	डिब्रूगढ़	बी०के० बोरगोहाई अध्यक्ष	सरकारी	विस्तार.	गैस का वितरण	2 कम्प्रेशरों का प्रति-स्थापन और 20 कि०मि० लम्बी पाइप लाइन बिछाना
	बिहार						
29.	बी० ए० एस० एफ० इन्डिया लि० (2 परियोजनाएं)	धनबाद थाना (महाराष्ट्र)	पी० के० सान्याल प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि० विस्तार	औद्योगिक रसायन कीटनाशक	1500 टन 385 टन
30.	बिहार एयर प्राडक्ट्स	सिंहभूम	आर० के० सिन्हा अध्यक्ष	संयुक्त	नई (परि०) अति व्यय	आक्सीजन व एसिटीलीन	—
31.	बिहार कास्टिक एण्ड केमिकल्स लि०	पालमऊ (पिछड़ा जिला)	आर० के० सिन्हा अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०	कास्टिक सोड़ा* लिक्विड क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनिया क्लोराइड	
32.	बिहार फिनिश्ड लैदर्स लि० (3 परियोजनाएं)	पश्चिम चम्पारन (पिछड़ा जिला) बेगूसराय (पिछड़ा जिला) मुजफ्फरपुर (पिछड़ा जिला)	ए० आर० स्वामीनाथन अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	सरकारी	नई परि०; अति व्यय	खालों और चमड़ों को तैयार करना	
33.	चम्पारन शूगर कं० लि० (सूरजमल नागरमल ग्रुप)	पश्चिम चम्पारन (पिछड़ा जिला)	डी० सी० साहूनी अध्यक्ष	निजी	विस्तार व आधुनिकी-करण	चीनी	350 टन गन्ना प्रतिदिन
34.	श्रीराम नीडल बियरिंग इन्डस्ट्रीज	रांची	के० एल० गांधी अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	खुले नीडल सेलर्स यूनिट के जिस शेल बियरिंग	2000 लाख 6.2 लाख 12 लाख
35.	टाटा आयरन एण्ड स्टील लि० (टाटा ग्रुप)	सिंहभूम	जे० आर० डी० टाटा अध्यक्ष	निजी	विस्तार व विशाखन	लोहा तथा इस्पात	1.9 लाख टन
	गुजरात						
36.	एलकोन इंजीनियरिंग कं०	कैरा	बी० आई० पटेल अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	नि ी	विस्तार व विशाखन	मैटीरियल हैन्डलिंग उपकरण	4000 टन
37.	कांकरिया कैमिकल (प्रा०) लि०	पंचमहाल (पिछड़ा जिला)	पी० कांकरिया अध्यक्ष	निजी	नई परि०; विशाखन	कागज	10000 टन

*परियोजना की लागत का गणन वर्ष 1979–80 के लिये किया जा चुका है।

**बाद में घटाकर 1.00 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
जुलाई, 1981	2.67	—	1.90	0.77	2.67	0.50	—	—	0.50 (अति०)
जनवरी, 1983	14.00	2.90	5.94	5.16	14.00	—	0.42 (जर्मन मार्क)	—	0.42
अप्रैल, 1983 —	0.54	0.20	0.24	0.10	0.54	0.12	—	—	0.12 (अति०)
अक्तूबर, 1982		—	—	—	—	0.03	0.06 (स्वे० फो०)	—	0.09 (अति०)
अक्तूबर, 1982	0.94	—	0.64	0.30	0.94	0.17	—	—	0.17 (अति०)
जनवरी, 1983	2.75	—	2.00	0.75	2.75	0.50	—	—	0.50
दिसम्बर, 1980	1.70	0.85	0.85	--	1.70	—	0.34 (जर्मन मार्क)	0.05 (इक्विटी)	0.39 (अति०)
मार्च, 1983	209.90	—	181.00	28.90	209.90	4.00	—	—	4.00 (अति०)
दिसम्बर, 1982	18.50	—	12.71	5.79	18.50	1.25*	—	0.50 (डिबेंचर)	1.75
जुलाई, 1981	5.50	1.00	3.55	0.95	5.50	0.90	—	0.10 (इक्विटी)	1.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38.	महेन्द्रा मिल्स लि०	मेहसाणा (पिछड़ा जिला)	एम० ए० पटेल अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	निजी	आधुनिकीकरण	कताई व बुनाई (सूती)	—
39.	निपको सीमलेस रिंग्स (गुजरात) लि०	भरुच (पिछड़ा जिला)	एम० आई० पटेल प्रस्तावित अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	बियरिंग के लिये रोल्ड रिंग	66 लाख
40.	नर्मदा सीमेंट कं० लि० (3 परियोजनाएं)	अमरेली (पिछड़ा जिला) सूरत रत्नागिरी (पिछड़ा जिला) (महाराष्ट्र)	डी० एल० चौगुले अध्यक्ष	निजी	नई परि०	सीमेंट क्लिंकर सीमेंट ग्राइन्डिंग सीमेंट ग्राइन्डिंग	£
41.	नवसारी काटन एण्ड सिल्क मिल्स लि०	वलसाड	एफ० के० एफ० नरीमन अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	कताई तथा बुनाई (सूती/ ब्लेंडिड)	—
42.	नासा वाचस लि०	बड़ौदा	डी० एल० वारिया अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	संयुक्त	नई परि०	घड़ियां	5 लाख
43.	पेट्रोसिन्थीज प्रा० लि०	बड़ौदा	श्रीमती एस० आर० ठक्कर प्रबन्ध निदेशक डा० आर० एम० ठक्कर प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	पोल्यूटनीज	5000 टन
44.	प्रिसीजन बियरिंग्स इंडिया लि० (रामचन्द्र ग्रुप)	बड़ौदा	विद्या सागर अध्यक्ष	निजी	विस्तार व आधुनिकीकरण	बाल बियरिंग	20.4 लाख
45.	रिलायन्स टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लि० (रिलायन्स टैक्सटाइल ग्रुप)	अहमदाबाद	डी० एच० अम्बानी अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	निजी	आधुनिकीकरण	कताई व बुनाई (ब्लेंडिंग)	
46.	रोहित मिल्स लि०	अहमदाबाद	आर० सी० मेहता अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	निजी	आधुनिकीकरण	कताई व बुनाई (सूती/ ब्लेंडिड)	—
47.	रुस्तम मिल्स इन्डस्ट्रीज लि०	अहमदाबाद	पी० अनुभाई अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	निजी	आधुनिकीकरण	कताई व बुनाई (सूती/ ब्लेंडिड)	—

£वर्ष 1978–79 के लिये गणना किया गया है।

*वर्ष 1977–78 के लिये गणना किया गया है।

**सुरक्षित डिबेंचर में अभिदान।

@सुरक्षित डिबेंचर के निर्गम के 10.80 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
दिसम्बर, 1982	3.40	–	2.20	1.20	3.40	0.55	–	–	0.55
जनवरी, 1982	5.85	2.50	2.92 0.12 (आस्थगित अदायगी)	0.31	5.85	–	0.95 (जर्मन मार्क)	0.05 (इक्विटी)	1.00
अगस्त, 1981	£	–	–	–	–	–	–	0.15 (इक्विटी)	0.15 (अति०)
दिसम्बर, 1983	2.84	–	2.00	0.84	2.84	0.50	–	–	0.50 (अति०)
अप्रैल, 1982	11.68	4.50	7.18	–	11.68	1.86	–	0.40 (इक्विटी)	0.26
जनवरी, 1983	7.13	2.38	4.75	–	7.13	1.00	–	0.40 (इक्विटी)	1.40
अगस्त, 1982	6.80	–	5.10	1.70	6.80	0.57	–	–	0.57 (अति०)
सितम्बर, 1981	31.88	–	23.92@	7.96	31.88	–	–	0.15** (प्रत्यक्ष अभिदान) (डिबेंचर)	0.15 (अति०)
जून, 1982	2.82	–	1.90	0.92	2.82	0.48	–	–	0.48
जून, 1982	2.26	–	1.90	0.36	2.26	0.48	–	–	0.48 (अति०)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
48	सारमपुर मिल्स लि० (कस्तूर भाई लाल भाई ग्रुप)	अहमदाबाद	चीनूभाई चिमनभाई अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	कताई व बुनाई (ब्लेंडिड)	—
49.	सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि०	पोरबन्दर	के० एन० मेहता अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	सीमेंट	—
50.	श्री महुवा प्रदेश स्कम लि०	सूरत	जी० एन० पटेल अध्यक्ष	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
51.	श्री राम सीमेंट लि०	बनासकांठा (पिछड़ा जिला)	एम० जी० पारीख	निजी	नई परि०	सीमेंट	66000 टन
	हरियाणा						
52.	एल्सन काटन मिल्स लि०	गुड़गांव	के० बी० हाडा अध्यक्ष	निजी	विस्तार	कताई (ब्लेंडिड)	12480 तकुए
53.	हरियाणा डिटर्जेंट लि०	महेन्द्रगढ़ (पिछड़ा जिला)	बी० के० सिबल आई० ए० एस० अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०; अति व्यय	सिन्थैटिक डिटर्जेंटस	—
54.	हरियाणा स्टील एण्ड एलायज लि०	सोनीपत	ओ० पी० गोयल प्रबन्ध निदेशक	निजी	आधुनिकीकरण	स्टील इंगोट्स रोल्ड प्राडक्ट्स	—
55.	इन्डो स्विस टाइम लि०	गुड़गांव	प्रेम गुप्ता प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	घड़ियां	
56.	के० सी० टैक्सटाइल्स लि०	जीद (पिछड़ा जिला)	के० सी० गोयल प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	कताई (ब्लैंडिड)	15748 तकुए
57.	मल्टीटेक इन्टरनेशनल लि०	महेन्द्रगढ़ (पिछड़ा जिला)	संजय डालमिया प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	सिंगल सुपर फास्फेट सल्फ्यूरिक एसिड	82500 टन 3000 टन
58.	पशुपति स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	महेन्द्रगढ़ (पिछड़ा जिला)	आर० के० जैन प्रस्तावित प्रबंध निदे०	निजी	नई परि०	कताई (ब्लेंडिड)	15360 तकुए
59.	विक्टर केबल्स लि०	फरीदाबाद	बी० के० गुप्ता प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	पी० वी० सी० पावर केबल्स	2000 किलोमीटर
	हिमाचल प्रदेश						
60.	ग्रैब्रायल इण्डिया लि०	सोलन (पिछड़ा जिला)	डी० सी० आनन्द अध्यक्ष	निजी	नई परि०; अति व्यय	बाईमेटल स्ट्रिप्स बाईमैटल बियरिंग बुशिंग	
61.	पेपर मशीन वायर इण्डस्ट्रीज लि०	सोलन (पिछड़ा जिला)	पी० वी० गांधी अध्यक्ष	निजी	नई परि०; विशाखन	स्पेशेलिटी टिंशू कागज	5450 टन
62.	सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्स लि०	सोलन (पिछड़ा जिला)	एच० सी० जैन अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि०	कताई (काटन कार्डिड और सिन्थेटिक)	16184 तकुए

*वर्ष 1977-78 के लिए गणन किया गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
दिसम्बर, 1983	4.90	–	3.20	1.70	4.90	0.80	–	–	0.80 (अति०)
जून, 1983	16.10	–	11.83	4.27	16.10	1.49	0.67 (स्वे० क्रो०)	–	2.16 (अति०)
नवम्बर, 1980	6.50	2.52	3.75	0.23	6.50	0.60	–	–	0.60
अप्रैल, 1983	6.45	2.00	4.20	0.25	6.45	0.94	–	0.26 (इक्विटी)	1.20
सितम्बर, 1983	5.10	–	3.75	1.35	5.10	0.90	–	–	0.90 (अति०)
—	0.40	–	0.32	0.08	0.40	0.10	–	–	0.10 (अति०)
दिसम्बर, 1981	2.52	–	1.50	1.02	2.52	0.30	–	–	0.30
—							0.03 (जर्मन मार्क)	–	0.03 (अति०)
अप्रैल, 1982	6.05	1.85	3.55	0.65	6.05	0.90	–	0.25 (इक्विटी)	1.15
अगस्त, 1981	4.30	1.25	2.47	0.58	4.30	0.50	–	–	0.50
जनवरी, 1982	5.95	1.95	3.80	0.20	5.95	1.05	–	0.20 (इक्विटी)	1.25
अक्तूबर, 1981	2.42	0.85	1.57	–	2.42	0.82	–	0.14 (इक्विटी)	0.96
दिसम्बर, 1981	1.54	–	1.00	0.54	1.54	0.20	–	–	0.20 (अति०)
अक्तूबर, 1982	15.75	4.60	10.80	0.35	15.75	1.64	–	0.40 (इक्विटी)	1.55
अप्रैल, 1983	6.70	2.55	4.15	–	6.70	1.15	–	0.40 (इक्विटी)	1.55

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	जम्मू और कश्मीर						
63.	जम्मू और कश्मीर इण्डस्ट्रीज लि०	जम्मू (पिछड़ा जिला)	एम० के० टिक्कू अध्यक्ष	सरकारी	नई परि०	रोसिन, टरपेन्टाइन, रेसिन डेरिवेटिव्स, टरपन्टाइन डेरिवेटिव्स	4015 टन 825 टन 1500 टन 790 टन
64.	होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	श्रीनगर (पिछड़ा जिला)	रघुराज प्रबन्ध निदेशक	सरकारी	नई परि०	5—स्टार होटल	275 कमरे
	कर्नाटक						
65.	केनरा स्टील लि०	साऊथ कनारा (पिछड़ा जिला)	टी० आर० यू० पति अध्यक्ष	निजी	विस्तार व आधुनिकीकरण	एलाय और स्टील कास्टिंग	600 टन
66.	फारमर्स कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	धारवाड़ (पिछड़ा जिला)	के० एच० पाटिल अध्यक्ष	सहकारी	नई परि०	कताई (सूती)	24960 तकुए
67.	पाटप्रभा एस० एस० के० नियमित	बेलगांव (पिछड़ा जिला)	बी० सी० येलासांगीकर प्रबन्ध निदेशक	सहकारी	नई परि० अति व्यय	चीनी	
68.	गोगटे टैक्सटाइल्स लि०	बेलगांव (पिछड़ा जिला)	बी० एम० गोगटे अध्यक्ष	निजी	नई परि०	कताई (ब्लेंडिड)	17600 तकुए
69.	जिन्दल एल्यूमिनियम लि०	बंगलौर	एस० जिन्दल अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे०	निजी	विस्तार	एल्यूमिनियम एक्स्ट्रूजन्स	3000 टन
70.	कर्नाटक एल्यूमिनियम लि०	मैसूर (पिछड़ा जिला)	एस० एन० अग्रवाल अध्यक्ष	निजी	नई परि०	एल्यूमिनियम एलाय एक्स्ट्रूजन्स	3000 टन
71.	कर्नाटक सीमेंट्स लि०	गुलबर्गा (पिछड़ा जिला)	आर० टी० दोषी अध्यक्ष	निजी	नई परि०	सीमेंट	66000 टन
72.	कर्नाटक एस० एस० के० लि०	धारवाड़ (पिछड़ा जिला)	आई० एस० तावरे अध्यक्ष	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
73.	कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि० (3 परियोजनाएं)	बंगलौर, मैसूर (पिछड़ा जिला)	वी० देवासर प्रबन्ध निदेशक	सरकारी	विस्तार व आधुनिकीकरण	कताई एवं बुनाई	1200 तकुए 70 करघे 127 टन रेशम फिलाच्योर
74.	मैसूर पेपर मिल्स लि०	शिमोगा	वी० कृष्णन् आई० ए० एस० (अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक)	सरकारी	विस्तार व अति व्यय	कागज और अखबारी कागज	—
75.	कृष्णा राजेन्द्र मिल्स लि०	मैसूर (पिछड़ा जिला)	एस० एम० आर० राव अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	कताई और बुनाई (सूती/ ब्लेंडिड)	—

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
दिसम्बर, 1981	2.44	0.83	1.15	0.46	2.44	0.50	–	–	0.50
अक्तूबर, 1982	14.49	5.50	8.50 0.27 (आस्थगित अदायगी)	0.22	14.49	1.65	–	–	1.65
अक्तूबर-नवम्बर, 1981	0.99	–	0.79	0.20	0.99	0.39	–	–	0.39 (अति०)
जुलाई, 1984	7.20	3.35	3.60	0.25	7.20	1.05	–	–	1.05
—	1.50 (अति०)	0.57	0.40	0.53	1.50	0.20	–	–	0.20 (अति०)
जनवरी, 1982	7.00	2.00	3.90	1.10	7.00	1.00	–	0.13 (इक्विटी)	1.13
जनवरी, 1983	1.30	–	0.97	0.33	1.30	–	0.33 (जर्मन मार्क)	–	0.33
दिसम्बर, 1981	2.87	1.00	1.72	0.15	2.87	0.17	0.26 (जर्मन मार्क)	0.08 (इक्विटी)	0.51
जनवरी, 1983	6.00	2.05	3.75	0.20	6.00	0.95	–	0.25 (इक्विटी)	1.20
फरवरी, 1982	7.50	3.00	4.10	0.40	7.50	1.00	–	–	1.00
अप्रैल, 1984	24.00	8.00	16.00	–	24.00	2.00	–	–	2.00
जुलाई, 1981	45.32	0.93 (सुरक्षित निर्गम)	44.39	–	45.32	3.69	–	–	3.69 (अति०)
मार्च, 1983	2.09	–	1.50	0.59	2.09	0.38	–	–	0.38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
76.	स्पन सिल्क (इंडिया) लि०	कोलार	एम० सईद अब्बास अध्यक्ष	निजी	नई परि०	कताई (रेशम)	3200 तकुए
77.	विश्वरामा होटल्स लि०	बंगलौर	आर० एस० अग्रवाल अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि०	5 स्टार होटल	158 कमरे
78.	कार्बन एण्ड केमिकल्स इंडिया लि०	एर्नाकुलम	सी० एन० जार्ज प्रबन्ध निदेशक	संयुक्त	नई परि०	कार्बन ब्लैक	20000 टन
79.	केरल एसिड्स एण्ड केमिकल्स लि०	एर्नाकुलम	एम० पी० एस० वी० पिल्लै, प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०; प्रति व्यय	फार्मिक एसिड एण्ड सोडियम सल्फेट	
80.	प्रीमियर केबल्स कं० लि०	एर्नाकुलम	एम० एम० पेरीवाल अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे०	निजी	विस्तार व विशाखम	एक्स०एल० पी० ई० केबल्स	1200 कि० मीटर
81.	ट्रावनकोर टिटैनियम प्राडक्ट्स लि०	त्रिवेन्द्रम (पिछड़ा जिला)	वी० रामचन्द्रन, आई० ए० एस० अध्यक्ष	सरकारी	आधुनिकीकरण	सल्फ्यूरिक एसिड	300 टन प्रतिदिन
82.	ट्रांसफार्मर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स केरल लि०	एर्नाकुलम	जार्ज थमस अध्यक्ष	संयुक्त	विस्तार व विशाखन	ट्रांसफारमर्स बुशिंग लोड कैप चेन्जर्स	326 300 135
	मध्य प्रदेश						
83.	मध्य प्रदेश यूनाइटेड पोली प्रोपिलीन लि०	रायसेन (पिछड़ा जिला)	बी० एस० सेठ अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०	पोली प्रोपिलीन फिल्म	800 टन
84.	मध्य प्रदेश विद्युत् यंत्र लि०	जबलपुर	एम० के० चतुर्वेदी आई० ए० एस० अध्यक्ष	संयुक्त	विस्तार-व-पुनर्स्थापन; प्रति व्यय	ट्रांसफारमर	—
85.	मालवा एस० एस० के० लि०	इन्दौर	एम० आर० कृष्णन् आई० ए० एस० अध्यक्ष	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
86.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (एम० पी०) लि० —इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स —कल्याणमल मिल्स —बंगाल नागपुर काटन मिल्स (3 परियोजनाये)	इन्दौर (2 परियोजनाये) राजनंदगांव	कर्नल जे० डी० कुमार अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे०	सरकारी	आधुनिकीकरण	कताई तथा बुनाई (सूती)	—
	महाराष्ट्र						
87.	अम्बालाल साराभाई एन्टरप्राइजेज लि० (साराभाई ग्रुप)	थाणे	गौतम साराभाई अध्यक्ष	निजी	नई परि०	मिक्सड फैट्टी एसिड	10000 टन

*बाद में घटा कर 1.20 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
जून, 1982	2.73	0.90	1.83	--	2.73	1.68*	--	0.25** (प्रत्यक्ष अभिदान) (इक्विटी)	1.93
दिसम्बर, 1981	6.15	2.25	3.90	--	6.15	0.70	--	--	0.70
सितम्बर, 1982	12.50	4.17	8.33	--	12.50	1.38	--	0.55 (इक्विटी)	1.93
नवम्बर, 1981	0.28	--	0.24	0.04	0.28	0.07	--	--	0.07 (अति०)
सितम्बर, 1982	7.50	0.57	4.80	1.98	7.50	--	1.37	--	1.37
			0.15 (आस्थगित अदायगी)				1.37	--	(अति०)
--	2.11	--	1.40	0.71	2.11	0.42	0.26 (स्वे० फो०)	--	0.68 (अति०)
जून, 1982	8.56	--	5.00	3.56	8.56	1.00	--	--	1.00 (अति०)
जुलाई, 1982	5.76	2.40	3.30	--	5.76	--	0.64 (जर्मन मार्क)	0.30 (इक्विटी)	0.94
--	0.90	0.30	0.12	0.48	0.90	0.12	--	--	0.12 (अति०)
नवम्बर, 1980	6.75	2.65	4.10	--	6.75	10.05	--	--	1.05
मार्च, 1982	6.08	--	5.47	0.61	6.08	1.82	--	--	1.82 (अति०)
जलाई 1981	2.80	--	1.75	1.05	2.80	0.75	--	--	0.75

*बाद में घटा कर 0.15 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88.	औरंगाबाद पेपर मिल्स लि०	औरंगाबाद (पिछड़ा जिला)	एम० जी० मित्तल अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण व संतुलन	रैपिंग/क्राफ्ट पेप	—
89.	बजाज टैम्पो लि०	पुणे	एच० के० फिरोडिया अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे०	निजी	विस्तार व आधुनिकीकरण	वाणिज्यिक वाहन और डीजल इंजन	12000 3000
90.	भोगावती एस० एस० के० लि०	शोलापुर	टी०एस० जाधव अध्यक्ष	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
91.	बालकृष्ण पेपर मिल्स मि०	थाणे	एम० पी० आर० पोद्दार अध्यक्ष	निजी	विस्तार	कोटेड डुप्लेक्स बोर्ड	10000 टन
92.	क्राम्पटन ग्रीव्स लि० (थापर ग्रुप) (2 परियोजनाएं)	बम्बई	एन० एम० वागले अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	ट्रांसफारमर्स	—
93.	एक्सोमेट प्लास्टिक्स लि०	कोलावा (पिछड़ा जिला)	के० एल० खन्ना प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि० विशाखन अति व्यय	ओक्टोइक एसिड और अरोमा कैमिकल्स	—
94.	फिनालेक्स केबल्स लि०	पुणे	पी० पी० छाबरिया अध्यक्ष	निजी	विशाखन	एक्स० एल० पी० ई० केबल्स	1200 कि० मीटर
95.	गाधीगलज तालुका एस० एस० के० लि०	कोल्हापुर	ए० नलवाडे अध्यक्ष	सहकारी	नई रि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
96.	घाटगे पाटिल इण्डस्ट्रीज लि०	कोल्हापुर	एन० डब्ल्यू० गुर्जर	निजी	आर्थोकीब	आयरन कास्टिंग, मेरीन गियर बाक्स आदि	—
97	गोदावरी दूधना एस० एस० के० लि०	परभणी (पिछड़ा जिला)	डी०ए० परजाने प्रबन्ध निदेशक	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
98.	गोदावरी मनार एस० के० लि०	नान्देड़ (पिछड़ा जिला)	एस० धेंकटास्वामी प्रबन्ध निदेशक	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
99.	इछालकरन्जी कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	कोल्हापुर	ए० के० बाबूराम अध्यक्ष	सहकारी	विस्तार	कताई सूती	20976 तकुए
100.	जैन स्पिनर्स लि०	औरंगाबाद (पिछड़ा जिला)	एस० सी जैन प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	कताई (ब्लेंडिड)	14280 तकुए
101.	कलामेश्वर टैक्सटाइल मिल्स लि०	नागपुर	एस० पुन्सानी, आई० ए० एस० अध्यक्ष	सरकारी	नई परि०	कताई-व-बुनाई (सूती)	42752 तकुए 300 करघे
102.	लारसेन एण्ड टूब्रो लि० (लारसेन एण्ड टूब्रो ग्रुप)	चन्द्रपुर (पछिड़ा जिला)	एन० एम० देसाई अध्यक्ष व प्रबंध निदे०	निजी	नई परि०	सीमेंट	3200 टन प्रतिदिन
103.	मफतलाल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि०	थणे	ए० एन० मफतलाल अध्यक्ष	मिजी	आधुनिकीकरण	वस्त्र मशीनरी	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
दिसम्बर, 1981	0.71	—	0.50	0.21	0.71	0.25	—	—	0.25 (अति०)
सितम्बर, 1982	10.82	—	1.40	9.42	10.82	—	0.38 (स्वे०फो०)		0.38 (अति०)
नवम्बर, 1980	7.93	2.78	5.15	—	7.93	1.33	—	—	1.33
अक्तूबर, 1981	2.90	0.69 (सुरक्षित निर्गम)	2.30	—	2.90	0.70	—	—	0.70
जून, 1982	10.55	—	4.10	6.45	10.55	0.75	—	—	0.75 (अति०)
सितम्बर, 1980	0.76	—	0.50	0.26	0.76	0.25	—	—	0.25 (अति०
नवम्बर, 1982	4.45	0.45	1.82	2.18	4.45	—	0.78 (जर्मन मार्क)	—	0.78
जून, 1979	6.50	2.27	4.23	—	6.50	1.12	—	—	1.12
जून, 1982	2.47	0.11	1.85	0.51	2.47	—	0.38 (जर्मन मार्क)	—	0.38 (अति०)
जनवरी, 1981	7.65	2.68	4.97	—	7.65	1.24	—	—	1.24
जनवरी, 1981	7.60	2.72	4.88	—	7.60	1.22	—	—	1.22
जनवरी, 1982	5.66	1.10	3.56	1.00	5.66	0.75	—	—	0.75
अक्तूबर, 1981	5.40	1.50	3.50	0.40	5.40	0.88	0.88	0.18 (इक्विटी)	1.06
अप्रल, 1983	14.00	6.85	7.00	0.15	14.00	3.00	—	—	3.00
जनवरी, 1983	77.00	6.34	60.13	10.53	77.00	6.00	—	—	6.00
मार्च, 1983	9.54	1.33	6.00	2.21	9.54	1.50	—	—	1.50 (अति०)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
104.	मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लि० (यूनिट सं० 2) (पीरामल ग्रुप)	बम्बई	ए० जी० पीरामल अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे०	निजी	आधुनिकी-करण	कसाई और बुनाई (सूती/ब्लेंडिड)	—
105.	मूला एस० एस० के० लि०	अहमदनगर	वी० वी० आम्बे प्रबन्ध निदेशक	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
106.	नीडल रोलर बियरिंग कं० लि०	औरंगाबाद (पिछड़ा जिला)	टी० एस० साहनी अध्यक्ष व प्रबन्ध निदे०	निजी	विशाखन	रोलर बियरिंग	4.2 लाख
107.	पंचशील पेपर मिल्स लि०	जलगांव (पिछड़ा जिला)	एस० आर० केडिया प्रमुख प्रवर्तक	निजी	नई परि०	टिश् पेपर	2000 टन
108.	पोरवाल पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०	चन्द्रपुर (पिछड़ा जिला)	एस० एन० पोरवाल प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	पोस्टर कागज	4950 टन
109.	राजप्रकाश मिकल्स लि०	थाणे	आर० वी० पटेल प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०; अति व्यय	मिथाइल एक्रिलेट इथाइल एक्रिलेट बुटाइल एक्रिलेट	—
110.	रविन्द्रा स्टील लि०	चन्द्रपुर (पिछड़ा जिला)	एम० एल० अग्रवाला अध्यक्ष	निजी	नई परि०,	कागज	7250 टन
111.	रिलायन्स टक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लि० (रिलायन्स टैक्सटाइल ग्रुप)	रायगढ़	डी० एच० अम्बानी अध्यक्ष	निजी	नई परि०	पोलिएस्टर फिलामट यार्न	10000 टन
112.	सी० लार्ड कन्टेनर्स लि०	बम्बई	पहलाज बजाज अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि०	मेरीन कन्टेनर्स	4500
113.	श्री सिद्धेश्वरी सल्फर प्राडक्ट्स (प्रा०) लि०	रायगढ़	एस० बी० शाह निदेशक	निजी	नई परि०	सल्फ्यूरिक एसिड	33000 टन
114.	श्री विन्ध्या पेपर मिल्स लि० (बांगर ग्रुप)	जलगांव (पिछड़ा जिला)	के०ए० सोमानी अध्यक्ष	निजी	नई परि०	कागज	10000 टन
115.	श्री विट्ठल एस० एस० के० लि०	शोलापुर	एस० बी० पवार प्रबन्ध निदेशक	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
116.	सीमेंस इण्डिया लि० (खटाऊ ग्रुप)	थाणे	सी० एम० खटाऊ अध्यक्ष	निजी	आधुनिकी-करण	स्विचगियर स्विच बोर्ड इलैक्ट्रिक मोटर	—
117.	स्पनडिंग इंजीनियर्स लि०	थाणे	जे० एस० चावला अध्यक्ष	निजी	वित्तीय पुनर्स्थापन	प्रेशर वैसल	—

*24 करोड़ रुपये के संपरिवर्तनीय डिबेंचर सम्मिलित हैं।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
दिसम्बर, 1982	6.30	—	3.60	2.70	6.30	0.90	—	—	0.90 (अति०)
जनवरी, 1979	6.65	2.45	3.60	0.60	6.65	0.90	—	—	0.90
सितम्बर, 1982	5.10	—	2.50	2.60	5.10	—	0.65 (जर्मन मार्क)	—	0.5 (अति०)
अप्रैल, 1981	1.55	0.40	1.00	0.15	1.55	0.20	—	0.03 (प्रत्यक्ष अभिदान) (इक्विटी)	0.23
जुलाई, 1983	3.65	0.95	2.30	0.40	3.65	0.55	—	0.06 (इक्विटी)	0.61
सितम्बर, 1981	0.43	—	0.33	0.10	0.43	0.10	—	—	0.10 (अति०)
अक्तूबर, 1983	4.40	0.20	3.10	1.10	4.40	0.75	—	—	0.75
जनवरी, 1983	79.50	6.00	62.00*	11.50	79.50	—	—	2.50** (डिबेंचर)	2.50 (अति०)
जून, 1981	3.05	1.25	1.80	—	3.05	0.45	—	0.16 (इक्विटी)	0.61
जनवरी, 1982	2.72	0.82	1.72	0.18	2.72	0.46	—	—	0.46
जनवरी, 1983	6.40	0.60	4.95	0.85	6.40	1.00	—	—	1.00 (अति०)
नवम्बर, 1980	7.00	2.45	3.75	0.80	7.00	0.95	—	—	0.95
सितम्बर, 1982	5.00	—	3.00	2.00	5.00	0.75	—	—	0.75
—	1.52	0.05	0.75	015	1.52	0.05	—	—	0.05 (अति०)

**संपरिवर्तनीय डिबेंचर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
118.	स्टैन्डर्ड मिल्स कं० लि० (मफतलाल ग्रुप) 3 परियोजनाएं	बम्बई, देवास (पिछड़ा जिला) (मध्य प्रदेश)	आर०एन० मफतलाल अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे०	निजी	आधुनिकीकरण	कताई तथा बुनाई (सूती/ ब्लेंडिड वस्त्र)	–
119.	स्वान मिल्स लि० (2 परियोजनाएं)	बम्बई	जे० पी० गोयनका अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	कताई तथा बुनाई (सूती/ ब्लेंडिड)	–
120.	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लि० (टाटा ग्रुप) (2 परियोजनाएं)	पुणे; सिंहभूम (बिहार)	एस० मूलगावकर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे०	निजी	आधुनिकीकरण	कम्प्यूटर जनरेटर का संस्थापन	–
121.	ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (इकाई : मुकेश टैक्सटाइल मिल्स) उड़ीसा	बम्बई	पी० डी० अग्रवाल अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	कताई तथा बुनाई (सूती)	–
122.	कोणार्क जूट लि०	कटक	एस० के० लाल, आई० ए० एस०, अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०; अति व्यय	पटसन सामान	–
123.	कोणार्क पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	मयूरभंज (पिछड़ा जिला)	बी०एस० कोठारी प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	कागज	4800 टन
124.	निक्को उडीसा लि०	मयूरभंज (पिछड़ा जिला)	एस० के० लाल आई० ए० एस० अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०	एक्स एल० पी०ई० केबल्स	700 किलो मीटर
125.	उड़ीसा वीवर्स कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	सम्बलपुर	ए० के० सामन्तराय आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक	सहकारी	विस्तार-व-आधुनिकीकरण	कताई (सूती)	30280 तकुए
126.	सोनपुर स्पिनिंग मिल्स लि० पंजाब	बोलंगीर (पिछड़ा जिला)	आर० एन० पुजारी महाप्रबन्धक	सरकारी	नई परि०	कताई (सूती)	25080 तकुए
127.	हीरों फायबर्स लि०	संगरूर (पिछड़ा जिला)	बी० एम० एल० प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक	मुन्जाल निजी	नई परि०	कताई (सूती/ ब्लेंडिड)	17136 तकुए
128.	मालवा काटन स्पिनिंग मिल्स लि०	संगरूर (पिछड़ा जिला)	जी० पटनायक अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०	कताई (सूती/ ब्लेंडिड)	24000 तकुए
129.	मुकेरियां पेपर्स लि०	होशियारपुर (पिछड़ा जिला)	टी० के० ए० नायर आई० ए० एस० अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०; अति व्यय	कागज	—
130.	ओरियन्टल कारपेट मैन्यूफैक्चरर्स (इण्डिया) लि०	अमृतसर	एस० के० बिरला अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरनण	कताई तथा बुनाई (ऊनी)	—

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		(18)
मार्च, 1983	10.60	–	5.25	5.35	10.60	2.00	–	–		2.00 (अति०)
दिसम्बर, 1982	7.10	–	4.00	3.10	7.10	1.00	–	–		1.00 (अति०)
मार्च, 1982	8.45	–	2.65	5.80	8.45	–	1.06 (स्वे० फ्रां०)	–		1.06 (अति०)
जून, 1983	2.25	–	1.80	0.45	2.25	0.45	–	–		0.45 (अति०)
जनवरी, 1981	1.42	0.34	0.69	0.39	1.42	0.20	–	–		0.20 (अति०)
सितम्बर, 1981	1.97	0.46	1.36	0.15	1.97	–	–		0.03 (इक्विटी)	0.03
दिसम्बर, 1982	10.60	3.60	6.85	0.15	10.00	–	1.75 (जर्मन मार्क)	0.25 (इक्विटी)		2.00
—	3.75	–	2.00	1.75	3.75	0.50	–	–		0.50 (अति०)
जनवरी, 1982	6.40	2.41	3.84	0.15	6.40	1.15	–	–		1.15
जनवरी, 1982	7.15	2.70	4.45	–	7.15	1.25	–	0.27	(इक्विटी)	1.52
जनवरी, 1981	8.40	3.00	5.25	0.15	8.40	1.35	–		0.25 (इक्विट)	1.60
—	0.56	–	0.40	0.16	0.56	0.25	–	–		0.25 (अति०)
अप्रैल, 1983	3.58	–	2.48	1.10	3.58	0.50	0.27 (जर्मन मार्क)		–	0.77 (अति०)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
131.	प्रताप पेपर मिल्स लि०	गुरदासपुर (पिछड़ा जिला)	जी० एस० कैरो प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	कागज	10000 टन
132	पंजाब अलकालीज लि०	रोपड़	टी० के० ए० नायर आई० ए० एस० अध्यक्ष	सरकारी	नई परि०	कास्टिक सोडा	37059 टन
						तरल क्लोरीन	16500 टन
						हाइड्रोक्लोरिक एसिड	26400 ट
133.	पंजाब खांड उद्योग लि० (2 परियोजनाएं)	गुरदासपुर (पिछड़ा जिला) फिरोजपुर (पिछड़ा जिला)	टी०के० ए० नायर आई० ए० एस० अध्यक्ष	सरकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन 1250 टन गन्ना प्रतिदिन
134.	पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०	रोपड़	टी० के० ए० नायर आई० ए० एस० अध्यक्ष	सरकारी	नई परि०	सोडा एश	66000 टन
						अमोनिया क्लोराइड	66000 टन
135.	श्रेयांस पेपर मिल्स लि०	संगरूर (पिछड़ा जिला)	अशोक ओसवाल प्रस्तावित प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि०	कागज	10000 टन
136.	स्टपन केमिकल्स लि०	पटियाला	टी० के० ए० नायर आई० ए० एस० अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०; अति व्यय	सिन्थेटिक डिटर्जेन्टस टायलेट सोप ग्लिसरीन	–
137.	वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल्स लि०	लुधियाना	एस० पी० ओसवाल अध्यक्ष एवं संयुक्त प्रबंध निदेशक	निजी	आधुनिकीकरण	कताई (सूती तथा सिन्थेटिक)	–
138.	विनोद पेपर मिल्स लि०	संगरूर (पिछड़ा जिला)	पी० डी० राजगढ़िया प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०; अति व्यय	कागज	–
139.	जैनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० राजस्थान	होशियारपुर (पिछड़ा जिला)	ए० बी० बिरला अध्यक्ष	निजी	नई परि०	कागज	10000 टन
140.	अजय पेपर मिल्स लि०	अलवर (पिछड़ा जिला)	आर० एल० राजगढ़िया अध्यक्ष	निजी	नई परि०; विशाखन	कताई (ब्लेंडिड)	
141.	सिरैमिक्स इण्डिया लि०	अलवर (पिछड़ा जिला)	टी० आर० स्वामीनाथन प्रस्तावित प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि०	सिरैमिक ग्लेज्ड टाइल	5500
142.	डर्बी टैक्सटाइल्स लि०	जोधपुर (पिछड़ा जिला)	एन० के० डागा प्रस्तावित अध्यक्ष	निजी	नई परि०	कताई (सूती/ (ब्लेंडिड)	16128 तकुए
143.	जयपुर पोलिस्पलीन लि०	सीकर (पिछड़ा जिला)	एस० एल० धानुका प्रस्तावित अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	कताई (ब्लेंडिड)	13440 तकुए
144.	जयपुर सिन्टेक्स लि०	अलवर (पिछड़ा जिला)	एम० डी० अग्रवाल प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०; अति व्यय	कताई (ब्लेंडिड)	–

*वर्ष 1979–80 के लिये गणन किया गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
अप्रैल, 1983	5.10	1.70	3.25	0.15	5.10	0.81	—	0.23 (इक्विटी)	1.04
जनवरी, 1984	25.00	8.20	16.65	0.15	25.00	3.30	—	0.81 (इक्विटी)	4.11
नवम्बर, 1980 जनवरी, 1981	14.20	5.00	8.45	0.75	14.20	3.00	—	—	3.00
दिसम्बर, 1983	39.55	11.30	28.10	0.15	39.55	5.00	—	1.25 (इक्विटी)	6.25
जून, 1982	6.00	2.05	3.55	0.40	6.00	0.75	—	0.25 (इक्विटी)	1.00
—	2.60	—	0.75 0.76 (आस्थगित अदायगी)	1.09	2.60	0.16	—	—	0.16 (अति०)
जून, 1982	2.70	—	1.45	1.25	2.70	0.36	—	—	0.36 (अति०)
नवम्बर, 1980	1.01	—	0.65	0.36	1.01	0.17	—	—	0.17 (अति०)
अक्तूबर, 1982	6.65	—	4.80	1.85	6.65	0.80	—	—	0.80
मई, 1982						0.13	—	—	0.13
जनवरी, 1982	2.94	1.00	1.78	0.16	2.94	0.45	—	0.12 (इक्विटी)	0.57
अक्तूबर, 1982	6.90	2.60	4.15	0.15	6.90	1.15	—	0.25 (इक्विटी)	1.40
अप्रैल, 1982	6.00	2.15	3.85	—	6.00	0.90	—	0.25 (इक्विटी)	1.15
—	0.64	0.05	0.47	0.12	0.64	0.12	—	—	0.12 (अति०)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
145.	इन्डेग रबर लि०	अलवर (पिछड़ा जिला)	नन्द खेमका प्रस्तावित प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि०	रबर अभिसंस्कार	3539 टन
146.	जे० के० इण्डस्ट्रीज लि० (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	उदयपुर (पिछड़ा जिला)	आर० सिंघानिया प्रबन्ध निदेशक	निजी	विस्तार	टायर	1.20 लाख
147.	महावीर एल्यूमिनियम लि०	अलवर (पिछड़ा जिला)	प्रदीप जैन प्रस्तावित प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि-योजना	एल्यूमिनियम एलाय एक्स्ट्रूजन्स	3000 टन
148	मेवाड़ शुगर मिल्स लि०	चित्तौड़गढ़	एम० पी० धन्धामा प्रस्तावित संयुक्त प्रबन्ध निदेशक	निजी	विस्तार-व-आधुनिकी-करण अति व्यय	चीनी	–
149.	माडर्न सिन्टेक्स लि०	अलवर (पिछड़ा जिला)	एच० एस० रांका प्रबन्ध निदेशक	निजी	विस्तार, अति व्यय	कताई (स्टेपल/ पोलिएस्टर धागा)	–
150.	माडर्न थ्रेड्स (इण्डिया) लि०	भीलवाड़ा (पिछड़ा जिला)	एन० के० बरवा अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०	सिलाई धागा	12376 तकुए
151.	माडर्न अलकालीज एण्ड कैमिकल्स लि०	अलवर (पिछड़ा जिला)	के० के० मदी अध्यक्ष	निजी	नई परि०	कास्टिक सोडा तरल क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर	37060 टन 20460 टन 19800 टन 10000 टन
152.	प्रताप राजस्थान कापर जयपुर पवायल्स एण्ड लैमिनेट लि०		पी०सी० महेश्वरी प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक	संयुक्त	नई परि०	कापर पवायल लैमिनेट्स	6.6 लाख वर्गमीटर 3.35 लाख वर्गमीटर
153.	पी० जी० पवायल्स लि०	पाली	पी० जी० शाह प्रस्तावित प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि०	अल्यूमिनियम पवायलस	1500 टन
154.	राजस्थान ग्लाइश्रीक्सल लि०	उदयपुर (पिछड़ा जिला)	एन० के० झुनझुनवाला प्रबन्ध निदेशक	संयुक्त	नई परि०; अति व्यय	ग्लाइश्रोक्सल सोडियम एसिटेट	–
155.	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० (2 परियोजनायें) (भीलवाड़ा ग्रुप)	भीलवाड़ा	एल० एम० झुनझुनवाला अध्यक्ष एवं	निजी	आधुनिकी-करण विस्तार	कताई (सूती/ ब्लैंडिड) कताई तथा बुनाई (ब्लैंडिड)	– 7680 तकुए 150 करघे

**बन्द में घटाकर 1.88 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
नवम्बर, 1982	7.70	2.75	4.95	–	7.70	0.90	0.39 (अर्मल मार्क)	0.33 (इक्विटी)	1.62
अक्तूबर, 1982	9.88	1.93	7.88	0.07	9.88	1.89**	–	–	1.89 (अति०)
अप्रैल, 1982	4.14	1.50	2.49	0.15	4.14	0.45	–	0.09 (इक्विटी)	0.54
दिसम्बर, 1982	0.56	0.10	0.40	0.06	0.56	0.10	–	–	0.10 (अति०)
—	0.22	–	0.20	0.02	0.22	0.20	–	–	0.20 (अति०)
जनवरी 1984	6.73	2.31	4.27	0.15	6.73	0.92	–	0.22 (इक्विटी)	1.14
जुलाई, 1982	26.70	8.75	17.95	–	26.70	1.44	1.39 (स्वे०फो०)	0.45 (इक्विटी)	3.28
सितम्बर, 1982	10.25	3.40	4.63 2.22 (आस्थगित अदायगी)	–	10.25	0.90 0.70 (आस्थगित अदायगी गारंटी)	–	0.35 (इक्विटी)	1.95
जून, 1981	3.25	1.25	2.00	–	3.25	–	0.47 £	–	0.47
नवम्बर, 1980	0.63	0.09	0.40 0.14 (आस्थगित अदायगी)	–	0.63	0.20	–	–	0.20 (अति०)
अक्तूबर, 1982	3.30	–	1.75	1.55	3.30	0.55	–	–	0.55 (अति०)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
156	रामपुर इंजीनियरिंग कं० कं० लि०	अलवर (पिछड़ा जिला)	एच० आर० गुप्ता आधुनिकीकरण	निजी	नई परि०	मैटीरियल हैन्डलिंग इक्विपमेंट	3000 टन
157.	राठी एलायज एण्ड स्टील लि० (2 परियोजनाएं)	अलवर (पिछड़ा जिला) गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	एच० के० राठी अध्यक्ष	निजी	विस्तार आधुनिकीकरण	खनिजभट्टी का संस्थापन रोल्ड उत्पाद	25 टन प्रतिदिन
158	सराफ पेपर मिल्स लि०	अलवर (पिछड़ा जिला)	जी० एस० सराफ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि० प्रति० व्यय	कागज	
159	सराफ सिन्थेटिक्स (राजस्थान) लि०	अलवर (पिछड़ा जिला)	एस० डी० सराफ प्रस्तावित प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि०	कताई (सिन्थेटिक/ब्लेंडिड)	15360 तकुए
160	सिनिंग एक्सेसरीज (प्रा०) लि०	जयपुर	बी० के० खेतान (निदेशक)	निजी	विशाखन	सिन्थेटिक/आयर क्लाथ	12600 वर्गमीटर
161.	स्ट्रा प्राडक्ट्स लि० (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	सिरोही (पिछड़ा जिला)	एच० एस० सिंघानिया अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि०	सीमेंट	5 लाख टन
162	तिरुपति फायबर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	सिरोही (पिछड़ा जिला)	पी० डी० डालमिया प्रस्तावित प्रबन्ध निदे०	संयुक्त	नई परि०	कताई (सूती)	15400 तकुए
163	विशाल कैमिकल्स (इण्डिया) लि०	अलवर (पिछड़ा जिला)	पी० बर्मन प्रस्तावित प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि०	गरगम एण्ड डेरिवेटिव्स	2700 टन
		तमिलनाडु					
164	अडयार गेट होटल्स लि०	मद्रास	हरीराम (प्रबन्ध निदेशक)	निजी	नई परि०	होटल	165 कमरे
165.	अशोक लेलैण्ड लि० (अशोक लेलैण्ड ग्रुप)	चिंगलपेट	आर० जे० साहनी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	निजी	आधुनिकीकरण	कमर्सियल व्हीकल इंजन	–
166.	एशियन बियरिंग लि०	धर्मपुरी (पिछड़ा जिला)	एस०एम०पी० चेट्टियार प्रबन्ध निदेशक	संयुक्त	नई परि०	एन्टीफ्रिक्शन बियरिंग	
167	बजाज जट एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० इकाई : श्री सबारी मिल्स	तिरुचिरापल्ली (पिछड़ा जिला)	बी० पी० पोद्दार अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	कताई (सूती)	–
168	चेट्टिनाड सीमेंट कारपोरेशन लि०	तिरुचिरापल्ली (पिछड़ा जिला)	डा० एम० ए० चेट्टियार अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	सीमेंट	–
169	ई० आई० डी० पैरी लि० (पैरी ग्रुप)	मद्रास	डा० एसी जान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे०	निजी	आधुनिकीकरण	मेथानोल	–
170.	एन्फील्ड इंडिया लि०	मद्रास	एस० विश्वनाथन प्रबन्ध निदेशक	निजी	आधुनिकीकरण	मोटर साइकिल	–

*वर्ष 1979–80 के लिये गणना किया गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
अप्रैल, 1982	3.03	1.00	1.79	0.24	3.03	0.60	-	0.15 (इक्विटी)	0.75
दिसम्बर 1981	9.18	0.34	6.84	2.00	9.18	1.50	–	–	1.50 (अति०)
जून 1982									
दिसम्बर 1980	1.35	–	0.83	0.52	1.35	0.25	–	–	0.25 (अति०)
जनवरी 1983	6.95	2.40	4.40	0.15	6.05	1.10	–	0.29 (इक्विटी)	1.30
मार्च 1982	0.90	0.05	0.67	0.18	0.90	–	0.42 (जर्मन मार्क)	–	0.42
दिसम्बर 1981	36.00	–	26.00	10.00	36.00	1.00	–	–	1.07
जनवरी 1983	7.05	2.60	4.30	0.15	7.05	0.90	–	0.29 (इक्विटी)	1.19
सितम्बर 1982	3.50	1.07	2.41	0.02	3.50	0.35	0.30 (जर्मन मार्क)	0.11 (इक्विटी)	0.76
जनवरी 1981	5.88	2.26	3.15	0.47	5.88	0.41	–	–	0.41
दिसम्बर 1981	5.17	–	2.95	2.22	5.17	–	1.08 (जर्मन मार्क)	–	1.20 (अति०)
सितम्बर 1981						–	0.12 £ –	0.07 (इक्विटी)	0.07 (अति०)
सितम्बर 1982	2.24	–	1.66	0.58	2.24	0.35	–		0.35 (अति०)
मार्च 1983	4.37	–	3.00	1.37	4.37	0.60	–	–	0.60 (अति०)
जून 1982	7.47	–	3.47	4.00	7.47	0.22	0.47 (स्वे० ट्री०)	–	0.69 (अति०)
दिसम्बर 1982	2.87	–	2.00	0.87	2.87	0.50	–	–	0.50 (अति०)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
171.	एन्नौर फाउण्ड्रीज लि० (अशोक लेलैण्ड ग्रुप)	चिंगलपेट	एन० एन० वान्चू अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	ढलाई	—
172.	मद्रास सीमेंट्स लि० (मद्रास सीमेंट ग्रुप)	रामनाथापुरम् (पिछड़ा जिला)	आर० राजा प्रबन्ध निदेशक	निजी	आधुनिकीकरण	सीमेंट	—
173.	मदुरा कोट्स लि० (मदुरा कोट्स ग्रुप) 2 परियोजनायें	मदुरै (पिछड़ा जिला) तिरुनलवेली	एम० ए० एम० चेट्टियार अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	कताई तथा बुनाई (सूती)	—
174.	पोयशा इण्डस्ट्रियल कं० लि० (3 परियोजनायें)	मद्रास	एम० आर० रइया अध्यक्ष	निजी	नई परि०	मेटल कन्टेनर्स	300 लाख
		कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)			नई परि०		300 लाख
		कोचीन (केरल)			विस्तार		168 लाख
175.	सिलट्रोनिक्स (इंडिया) लि०	धर्मापुरी (पिछड़ा जिला)	जेड० एफ० मुसा निदेशक	निजी	नई परि०	अल्ट्रा प्योर सिलिकोन वैफर्स	750 लाख
176.	सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	तिरुनलवेली	एम० एम० चिदम्बरम अध्यक्ष	संयुक्त	विस्तार	डायमोनियम फास्फेट	500 टन प्रतिदिन
177.	ट्यूब इन्वेस्टमेंट आफ इण्डिया लि० (मुरुगप्पा चेट्टियार ग्रुप) (2 परियोजनाएं)	मद्रास	ए० एम० एम० अरुणाचलम अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	निजी	आधुनिकीकरण	साइकिलें	
						कोल्ड रोल्ड प्राडक्ट्स	—
178.	तूतीकोरिन अलकाली केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	तिरुनलवेली	ए० सी० मुथिया अध्यक्ष	सरकारी	नई परि०; अति० व्यय	सोडा एश और क्लोराइड	—
179.	वैनाविल डाइज एण्ड कैमिकल्स लि०	दक्षिणी आरकाट (पिछड़ा जिला)	टी०एस० सुब्रामनियम अध्यक्ष	सयुक्त	नई परि०	नेफथाल्स	245 टन
						फास्ट कलर बेस	200 टन
	त्रिपुरा						
180.	त्रिपुरा जूट मिल्स लि०	पश्चिमी त्रिपुरा (पिछड़ा जिला)	एस० के० घोषाल प्रबन्ध निदेशक	सरकारी	नई परि० अति व्यय	पटसन सामान	—
	उत्तर प्रदेश						
181.	अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०	बुलन्दशहर (पिछड़ा जिला)	सी० एल० अन्सल अध्यक्ष	निजी	विस्तार	कागज	5000 टन
182.	अजन्ता टेक्सटाइल्स लि०	गाजियाबाद	एस० एन० झाडा अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	कताई (ब्लेंडिड)	—
183.	अजन्ता ट्यूब्स लि०	गाजियाबाद	जे० आर० जैन प्रबन्ध निदेशक	निजी	विस्तार; अति व्यय	स्टील पाइप	—
184.	आटो ट्रैक्टर्स लि०	प्रतापगढ़ (पिछड़ा जिला)	एस० एस० बिशन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे०	सरकारी	नई परि०	कृषि ट्रैक्टर्स	7500
						डीजल इंजन	2500
185.	बागपत कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०	मेरठ	जी० के० कुमार महाप्रबन्धक	सहकारी	विस्तार-व-आधुनिकीकरण	चीनी	550 टन गन्ना प्रतिदिन

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
दिसम्बर 1982	5.75	–	3.80	1.95	5.75	–	0.46 (जर्मन मार्क)	–	1.06 (अति०)
दिसम्बर 1981	2.20	–	1.45	0.75	2.20	0.36	0.60 £	–	0.36 (अति०)
जून 1983	11.57	–	5.50	6.07	11.57	1.37	–	–	1.37 (अति०)
मार्च 1982	7.60	0.60	5.42	1.58	7.60	0.50	0.86 (जर्मन मार्क)	–	1.36
जून, 1982	3.04	1.20	1.69	0.15	3.04	–	0.41 (जर्मन मार्क)	–	0.41
मई, 1983	13.60	–	10.88	2.72	13.60	2.28	–	–	2.28 (अति०)
दिसम्बर 1982	8.46	–	5.00	3.46	8.46	0.75	–	–	0.75
जनवरी, 1982	13.45	1.50	8.64	3.31	13.45	1.50	–	0.26 (इक्विटी)	1.76 (अति०)
अक्तूबर, 1981	4.06	1.60	2.46	–	4.06	0.38	–	0.16 (इक्विटी)	0.54
अक्तूबर, 1981	3.55	1.45	1.87	0.23	3.55	0.36	–	–	0.36 (अति०)
दिसम्बर, 1981	2.92	0.18	2.10	0.64	2.92	1.05	–	–	1.05
अप्रैल, 1983	1.63	–	1.20	0.43	1.63	0.40	–	–	0.40 (अति०)
दिसम्बर, 1981	2.05	–	1.00	1.05	2.05	0.35	–	–	0.35 (अति०)
सितम्बर, 1981	18.86	7.50	11.36	–	18.86	2.50	–	–	2.50
जनवरी, 1983	2.83	1.41	1.42	–	2.83	0.35	–	–	0.35 (अति०)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
186.	बनारस होटल्स लि०	वाराणसी	वी एन० सिंह अध्यक्ष	निजी	नई परि० प्रति व्यय	होटल	—
187.	कानपुर शूगर वर्क्स लि० (सूरजमल नागरमल ग्रुप) (2 परियोजनाएं)	देवरिया	डी० सी० साहनी अध्यक्ष	निजी	विस्तार-व-आधुनिकी-करण	चीनी	900 टन गन्ना प्रतिदिन
188.	कानपुर टैक्सटाइल्स लि० (सूरजमल नागरमल ग्रुप)	कानपुर	वी एन० टंडन महाप्रबन्धक	निजी	आधुनिकी-करण	कताई तथा बुनाई (सूती)	—
189.	इण्डिया इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कं० लि०	उन्नाव (पिछड़ा जिला)	आई० पी० मिश्र मुख्य कार्यकारी	संयुक्त	नई परि० प्रति व्यय	स्टील पाइप आदि	—
190.	किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०	पीलीभीत (पिछड़ा जिला)	बी० पी० शर्मा महाप्रबन्धक	सरकारी	विस्तार-व-आधुनिकी-करण	चीनी	750 टन गन्ना प्रतिदिन
191.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०	सहारनपुर	एम० जी० पांडे महाप्रबन्धक	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
192.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०	शाहजहांपुर (पिछड़ा जिला)	बी० कुमार महाप्रबन्धक	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
193.	मयूर सिन्टैक्स लि०	बुलन्दशहर (पिछड़ा जिला)	पी० के० जैन प्रस्तावित प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि०	कताई (सूती)	15840 तकुए
194.	मुरादाबाद स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं० लि०	मुरादाबाद (पिछड़ा जिला)	एस० आर० स्वरूप अध्यक्ष	निजी	आधुनिकी-करण	कताई (सूती/ब्लेंडिड)	—
195.	नेशनल टैक्सटाइल कार-पोरेशन (यू०पी०) लि०——म्योर मिल्स	कानपुर	डी० एन० दीक्षित अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	सरकारी	आधुनिकी-करण	कताई बुनाई (सूती)	—
196.	ओरिएन्ट सिरेमिक्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०	बुलन्दशहर (पिछड़ा जिला)	सी०के० केजरीवाल प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि० प्रति व्यय	सिरैमिक टाइल	—
197.	पी० बी० के० पेपर्स लि०	बस्ती (पिछड़ा जिला)	पी० कुमार आई० ए० एस० अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०	कागज	4400 टन
198.	सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि०	लखीमपुर खीरी	आर० एन० त्रिवेदी आई० ए० एस० अध्यक्ष	सहकारी	नई परि०	चीनी	1250 टन गन्ना प्रतिदिन
199.	सर्वोदय पेपर मिल्स लि०	बुलन्दशहर	जे० आर० शर्मा प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि० प्रति व्यय	कागज	—
200.	शिवालिक रसायन लि०	देहरादून	के० सी० शर्मा अध्यक्ष	निजी	नई परि०	पैलथिओन	1000 टन
201.	त्रिवेनी इंजीनियरिंग वर्क्स लि० (साहनी ग्रुप)	मुजफ्फरनगर	के० एल० साहनी अध्यक्ष	निजी	विस्तार-व-आधुनिकी-करण प्रति व्यय	चीनी	—
202.	यू० पी० ट्विगा फाइबर ग्लास लि०	बुलन्दशहर (पिछड़ा जिला)	अशोक चन्द्रा, आई० ए० एस० अध्यक्ष	संयुक्त	वित्तीय पुनर्स्थापन	कांच	—

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
जनवरी, 1981	0.98	0.28	0.60	0.10	0.98	0.15	–	–	0.15 (अति०)
अक्तूबर, 1982	7.38	–	5.20	2.18	7.38	1.80	–	–	1.80
मार्च, 1982	2.52	–	2.00	0.52	2.52	0.50	–	–	0.50
फरवरी, 1981	0.71	0.23	0.27	0.21	0.71	0.18	–	–	0.18 (अति०)
अक्तूबर, 1982	3.00	1.50	1.50	–	3.00	0.37	–	–	0.37 (अति०)
जून, 1982	7.16	2.94	4.07	0.15	7.16	1.00	–	–	1.00
मार्च, 1981	6.72	2.60	4.10	0.02	6.72	1.02	–	–	1.02
जून, 1982	6.23	2.27	3.96	–	6.23	0.92	–	0.33 (इक्विटी)	1.25
दिसम्बर, 1983	1.22	–	0.92	0.30	1.22	0.33	–	–	0.33
दिसम्बर, 1982	3.00	–	2.70	0.30	3.00	0.90	–	–	0.90 (अति०)
—	0.57	–	0.40	0.17	0.57	0.15	–	–	0.15 (अति०)
जनवरी, 1982	2.55	0.70	1.70	0.15	2.55	0.55	–	0.09 (इक्विटी)	0.64
जनवरी, 1981	6.95	2.60	3.51	0.84	6.95	0.88	–	–	0.88
—	0.88	–	0.46 0.06 (आस्थगित अदायगी)	0.36	0.88	0.16	–	–	0.16 (अति व्यय)
जुलाई, 1981	1.90	0.71	1.19	–	1.90	0.49	–	0.07 (इक्विटी)	0.56
अक्तूबर, 1982	1.76	–	1.20	0.56	1.76	0.24	–	–	0.24 (अति०)
—	1.20	–	0.42	0.78	1.20	0.12	–	–	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
203.	यूनिवर्सल ग्लास लि०	गाजियाबाद	जे० जायसावल प्रबन्ध निदेशक	निजी	विस्तार-व-आधुनिकीकरण	कांच की बोतलें	45000 टन
204.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	देहरादून	अशोक चन्द्रा आई० ए० एस० अध्यक्ष	सरकारी	नई परि०	मार्बल/लाइम स्टोन	4.5 लाख टन
205.	वैम आर्गेनिक केमिकल्स लि०	मुरादाबाद (पिछड़ा जिला)	एस० एस० भरत प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०	विनाइल एसिटेट मोनोमर	
	पश्चिमी बंगाल						
206.	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन (इण्डिया) लि०	24 परगना	बी० मित्तर अध्यक्ष	निजी	विस्तार; प्रति व्यय	पावर जनरेशन	–
207.	काम्कास्ट प्राडक्टस लि०	नदिया (पिछड़ा जिला)	बी० के० बर्मन अध्यक्ष	निजी	नई परि०; प्रति व्यय	अलोह धातु कतरनें	–
208.	गजिस मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि० (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	हुगली (पिछड़ा जिला)	बी० एच० सिंघानिया प्रबन्ध निदेशक	निजी	आधुनिकीकरण	कताई (पटसन)	–
209.	हाडा टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लि०	24 परगना	एस० एन० हाडा अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	कताई (सूती तथा ब्लेंडिड)	–
210.	हिमाचल रबर प्राडक्ट्स लि०	नदिया (पिछड़ा जिला)	ओ० पी० मूंदड़ा प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०; प्रति व्यय	आटोमोबाइल फैन/वी० बेल्ट्स	–
211.	मेघना मिल्स क० लि०	24 परगना	बी० पी० बाजोरिया अध्यक्ष	निजी	आधुनिकीकरण	कताई तथा बुनाई (पटसन)	–
212.	मेटल बाक्स इंडिया लि० (मेटल बाक्स ग्रुप) (6 परियोजनाएं)	कलकत्ता; दिनाजपुर (पिछड़ा जिला) बम्बई; (महाराष्ट्र) मद्रास; (तमिलनाडु) गुड़गांव (हरियाणा)	पी० के० नन्दा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे०	निजी	आधुनिकीकरण नई परि० प्रति व्यय	मेटल कन्टेनर्स क्लोजर्स पेपर/प्लास्टिक पैकेज बालि बियरिंग आदि	–
213.	सुप्रीम पेपर मिल्स लि०	नदिया (पिछड़ा जिला)	एस० एन० केडिया अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदे०	निजी	नई परि०; प्रति० व्यय	कागज	–
214.	टीटागढ़ पेपर मिल्स लि० (बर्ड हीलजर्स ग्रुप) 2 परियोजनाएं	24 परगना	एस० पी० पुरी अध्यक्ष	निजी	विस्तार-व-आधुनिकीकरण	कागज	37,300 टन
215.	वेस्ट दिनाजपुर स्पिनिंग मिल्स लि०	वेस्ट दिनाजपुर (पिछड़ा जिला)	बी० भट्टाचार्य अध्यक्ष	सरकारी	नई परि०	कताई (सूती)	25088 तकुए

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
जून, 1981	1.55	–	1.00	0.55	1.55	0.30	–	–	0.30
जून, 1982	8.20	4.10	4.10	–	8.20	1.50	–	–	1.50
अप्रैल, 1982	–	–		–	–	0.35	–	–	0.35
मार्च, 1984	54.30	–	28.25	26.05	54.30	2.60	–	–	2.60 (अति०)
—	0.80	–	0.68	0.12	0.80	0.17	–	–	0.17 (अति०)
जून, 1984	3.82	–	2.60	1.22	3.82	0.70	–	–	0.70
जुलाई, 1982	1.45	–	1.00	0.45	1.45	0.25	–	–	0.25
दिसम्बर, 1981	0.95	–	0.76	0.19	0.95	0.20	–	–	0.20 (अति०)
जून, 1984	3.74	–	2.50	1.24	3.74	0.65	–	–	0.65
सितम्बर, 1982	15.70	–	4.03	11.67	15.70	0.90	–	0.25 (इक्विटी)	1.15 (अति०)
अप्रैल, 1981	3.05	–	2.30	0.75	3.05	0.50	–	–	0.50 (अति०)
सितम्बर, 1982	8.70	–	6.90	1.80	8.70	1.60	–	–	1.60 (अति०)
अप्रैल, 1983	8.09	3.94	4.00	0.15	8.09	1.50	–	–	1.50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	दिल्ली						
216.	जयप्रकाश एन्टरप्राइजेज लि०	नई दिल्ली	जे० पी० गौड़ प्रबन्ध निदेशक	निजी	नई परि०; अति० व्यय	होटल	
217.	कास्मोपोलिटन बिल्डर्स एण्ड होटलायर्स (प्रा०) लि०	नई दिल्ली	एल० के० महरोत्रा निदेशक	निजी	नई परि०	5–स्टार होटल	258 कमरे
218.	एशियन होटल्स लि०	नई दिल्ली	आर० एस० सराफ अध्यक्ष	निजी	नई परि०	5–स्टार होटल	588 कमरे
	गोआ						
219.	आटोमोबाइल कारपोरेशन आफ गोआ लि०	गोआ (पिछड़ा जिला)	वी० एम० सालगावकर अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०	आटो प्रेस्ड पुर्जे	5310 टन
220.	गोमान्तक लैण्ड डेवलप-लि०	गोआ (पिछड़ा जिला)	ए० टिम्बलो प्रस्तावित प्रबंध निदे०	निजी	नई परि०	होटल	104 कमरे और 4 सूट
221.	मन्डोवी पलेट्स लि० (चौगुले ग्रुप)	गोआ (पिछड़ा जिला)	वी० डी० चौगुले अध्यक्ष	संयुक्त	नई परि०; अति० व्यय	खनिज लोहे के छरे	–
	पाण्डिचेरी						
222.	पाण्डिचेरी पेपर्स लि०	पाण्डिचेरी (पिछड़ा जिला)	एस० के० सुन्दरम अध्यक्ष	निजी	नई परि०; अति० व्यय	कागज	–

*क्रम सं० 152 में संस्था को मंजूर की गई आस्थगित अदायगी गारन्टियों की सुविधाओं भी कालम में दर्शायी गई है। पांच संस्थाओं को पहले के वर्षों में मंजूर सहायता की रुपया ऋण में सपरिवर्तन करने से मंजूर राशि 0.62 करोड़ रुपये (रुपया ऋण) और 0.02 करोड़ रुपये (जर्मन मार्क)

टिप्पणियां : (1) कुछ संस्थाओं के सामने जो 'औद्योगिक समूह' का नाम दिया गया है, वे उन उपक्रमों से संबंधित हैं जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अधीन पंजीकृत हैं। यह भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को प्राप्त नवीनतम जानकारी पर आधारित है।

(2) प्रत्येक संस्था के आगे अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों, आदि के नाम जो दिये गये हैं वह वित्तीय सहायता मंजूर करते समय थे।

(3) परियोजना लागत तथा वित्तीय साधन के आंकड़े वित्तीय सहायता मंजूर करते समय लगाए गए अनुमान पर निर्भर हैं।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
मार्च, 1981	1.09	0.33	0.76	–	1.09	0.19	–	–	0.19 (अनि०)
नवम्बर, 1982	15.50	4.50	9.50	1.50	15.50	1.20	–	–	1 20
नवम्बर, 1982	33.68	11.00	22.00	0.68	33.68	2.75	–	–	2.75
दिसम्बर, 1982	7.00	2.35	4.50	0.15	7.00	0.80	–	0.25 (इक्विटी	1.05
सितम्बर, 1981	3 75	1.35	2.12	0.28	3.75	0.65	–	0.08 (इक्विटी)	0.73
—	7.48	–	6.10 0.46 (आस्थगित अदायगी)	0.92	7.48	0.69	–	–	0.69 (अनि०)
—	1.16	–	0.64	0.52	1.16	0.16	–	–	0.16 (अनि०)
जोड़	1816.71	282.87	1228.46	305.83	1816.71	177.81	17.57	17.35	212.73

परिशिष्ट—ग

नई परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के अनुसार वर्गीकरण 1980–81 और 1979–80

(रुपये, करोड़ों मे)

पूंजीगत लागत की मात्रा	नई परियोजनाओं की संख्या		परियोजना लागत में प्रतिशत भाग		मंजूर सहायता		मंजूर सहायता प्रतिशत भाग	
	1980–81	1979–80	1980–81	1979–80	1980–81	1979–80	1980–81	1979–80
3.00 तक	15	17	3.1	6.6	7.12	7.09	5.4	11.7
3.01–4.00	9	6	3.1	4.0	5.71	4.10	4.3	6.8
4.01–5.00	4	11	1.7	11.3	2.32	9.29	1.8	15.4
5.01–10.00	58	14	39.0	18.8	63.84	14.26	48.6	23.6
10.00 से ऊपर	18	13	53.1	59.3	52.42	25.69	39.9	42.5
जोड़	104	61	100.0	100.0	131.41	60.43	100.0	100.0

परिशिष्ट—घ

सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण—उद्योगवार—1980–81

(रुपये, करोड़ों में)

उद्योग	सरकारी क्षेत्र		निगमित क्षेत्र						जोड़	
			निजी		सरकारी		संयुक्त			
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर सहायता	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर सहायता	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर सहायता	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर सहायता	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर सहायता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
चीनी	19	16.70	5	2.64	4	5.12	—	—	28	24.46
सूती वस्त्र	3	2.30	39	25.89	7	8.36	2	2.80	51	39.35
सिल्क वस्त्र	—	—	1	1.35	3	2.00	—	—	4	3.35
पटसन उत्पाद	—	—	2	1.35	1	0.36	1	0.20	4	1.91
वस्त्र उत्पाद	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ऊन उत्पाद	—	—	1	0.77	—	—	—	—	1	0.77
रसायन और रसायन उत्पाद										
—मूल औद्योगिक रसायन	—	—	9	5.79	2	5.87	3	0.41	14	12.07
—कृत्रिम रेशे	—	—	3	4.22	1	0.50	—	—	4	4.72
—उर्वरक	—	—	2	0.50	1	6.25	1	2.28	4	9.03
—कीटनाशक	—	—	1	0.56	—	—	—	—	1	0.56
—अन्य रसायन	—	—	4	3.34	1	0.69	4	2.71	9	6.74
	—	—	19	14.41	5	13.31	8	5.40	32	33.12

परिशिष्ट—घ (जारी)

सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण–उद्योगवार—1980–81

(रुपये, करोड़ों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
सीमेंट	–	–	19	23.84	–	–	1	0.59	20	24.43
कागज व कागज उत्पाद	–	–	21	14.84	1	3.69	3	0.95	25	19.48
रबर उत्पाद	–	–	3	3.70	–	–	–	–	3	3.70
प्लास्टिक उत्पाद	–	–	–	–	–	–	–	0.94	1	0.94
चमड़ा उत्पाद	–	–	1	0.17	3	0.17	–	–	4	0.34
कांच उत्पाद	–	–	1	0.30	–	–	1	0.12	2	0.42
लोहा व इस्पात	–	–	9	8.73	–	–	–	–	9	8.73
मशीनरी व उपकरण	–	–	9	6.01	2	3.75	1	0.07	12	9.83
बिजली मशीनरी	–	–	6	4.61	–	–	3	3.12	9	7.73
कृषि मशीनरी	–	–	–	–	1	2.50	–	–	1	2.50
परिवहन उपस्कर	–	–	6	3.14	–	–	1	1.05	7	4.19
बिजली व गैस	–	–	1	2.60	1	0.50	–	–	2	3.10
धातु उत्पाद	–	–	13	5.20	–	–	3	2.18	16	7.38
विविध अधातु खनिज उत्पाद	–	–	3	0.77	1	1.50	–	–	4	2.27
अलौह धातुएं	–	–	2	1.45	–	–	–	–	4	1.45
विविध उत्पाद उद्योग	–	–	2	0.45	–	–	1	2.26	3	2.71
खनन	–	–	–	–	–	–	1	0.69	1	0.69
होटल	–	–	8	6.23	1	1.65	–	–	9	7.88
जोड़	22	19.00	173	128.45	30	42.91	28	21.52	253	211.88

(परिशिष्ट ङ)

उद्योगवार मंजूरियां तथा वितरण 1980-81

(रुपये करोड़ों में)

उद्योग	मंजूरियां						संवितरण	
	परियोजनाओं की संख्या	हामीदारियां/प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियां	जोड़	कुल मंजूरियों का प्रतिशत	राशि	कुल संवितरणों का प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सूती वस्त्र								
—सहकारी क्षेत्र	3	2.30	–	–	2.30	1.1	2.17	1.7
—निगमित क्षेत्र	48	33.90	3.15	–	37.05	17.5	22.88	18.0
	51	36.20	3.15	–	39.35	18.6	25.05	19.7

उद्योगवार मजूरियां तथा संवितरण 1980–81—जारी

परिशिष्ट ङ—जारी
(रुपये, करोड़ों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
रसायन तथा रसायन उत्पाद								
—मूल औद्योगिक रसायन उत्पाद	14	10.42	1.65	—	12.07	5.7	16.07	12.6
—कृत्रिम रेशे	4	1.97	2.75	—	4.72	2.2	5.68	4.5
—उर्वरक	4	7.78	1.25	—	9.03	4.2	2.57	2.0
—कीटनाशक	1	0.49	0.07	—	0.56	0.3	0.28	0.2
—अन्य रसायन	9	5.52	1.22	—	6.74	3.2	2.15	1.7
	32	26.18	6.94	—	33.12	15.6	26.75	21.0
चीनी								
—सहकारी क्षेत्र	19	16.70	—	—	16.70	7.8	1.64	1.3
—निगमित क्षेत्र	9	7.76	—	—	7.76	3.7	1.22	1.0
	28	24.46	—	—	24.46	11.5	2.86	2.3
सीमेंट	20	22.72	1.71	—	24.43	11.5	16.90	13.3
कागज और कागज उत्पाद	25	18.23	1.25	—	19.48	9.2	9.31	7.3
मशीनरी और उपस्कर	12	9.06	0.77	—	9.83	4.6	2.67	2.1
लोहा और इस्पात	9	8.73	—	—	8.73	4.1	11.64	9.2
होटल	9	7.33	0.08	—	7.88	3.7	1.67	1.3
बिजली मशीनरी	9	7.33	0.40	—	7.33	3.7	3.78	3.0
धातु उत्पाद	16	5.64	1.04	0.70	7.38	3.5	2.92	2.3
रबर उत्पाद	3	3.37	0.33	—	3.70	1.7	0.95	0.7
परिवहन उपस्कर	7	3.94	0.25	—	4.19	2.0	3.71	2.9
रेशमी वस्त्र	4	3.20	0.15	—	3.35	1.6	—	—
बिजली और गैस	2	3.10	—	—	3.10	1.5	10.25	8.1
विविध निर्माण उद्योग	3	2.31	0.40	—	2.71	1.3	0.33	0.3
कृषि मशीनरी	1	2.50	—	—	2.50	1.2	—	—
	231	184.77	16.47	0.70	201.94	95.3	118.79	93.5
विविध अधातु खनिज उत्पाद	4	2.10	0.17	—	2.27	1.1	1.80	1.4
पटसन उत्पाद	4	1.91	—	—	1.91	0.9	0.71	0.6
अलौह धातुएं	4	1.37	0.08	—	1.45	0.7	1.26	1.0
वस्त्र उत्पाद	1	0.92	0.23	—	1.15	0.5	0.40	0.3
प्लास्टिक उत्पाद	1	0.64	0.30	—	0.94	0.4	—	—
ऊनी उत्पाद	1	0.77	—	—	0.77	0.4	0.45	0.4
खनन	1	0.69	—	—	0.69	0.3	0.83	0.7
कांच उत्पाद	2	0.42	—	—	0.42	0.2	0.95	0.7
चमड़ा उत्पाद	4	0.34	—	—	0.34	0.2	0.67	0.5
विविध खाद्य उत्पाद	—	—	—	—	—	—	0.89	0.7
लकड़ी उत्पाद	—	—	—	—	—	—	0.14	0.1
नारियल जटा उत्पाद	—	—	—	—	—	—	0.16	0.1
जोड़	253	193 93	17.25	0.70	211.88	100.0	127 05	100.0

परिशिष्ट—च

कुल मंजूरियो, सवितरणो और बकाया का सुविधा-वार विवरण

(रुपये, करोडो मे)

	मजूरिया (निवल)		सवितरित सहायता	बकाया राशि
	मजूरियो की सख्या	राशि		
1 ऋण				
रुपया ऋण :				
—उदार ऋण योजना	218	141 75	58.08	58 26
—सामान्य ऋण	1625	848 78	650 69	442 28
उप-जोड	1843	990 53	708 77	500 54
विदेशी मुद्रा	363	152.99	122 22	47.47
जोड	2206	1143 52	830 99	548.01
2 हामीदारिया :				
—साधारण शेयर	460	61 63	20 81	17 22
—अधिमान शेयर	157	10 66	8 23	4 60
—डिबेचर	32	15 63	8 99	0 78
जोड	657	87 92	38 03	22 60
3. प्रत्यक्ष अभिदान :				
—साधारण शेयर	99	6 13	4 88	10 85
—अधिमान शेयर	8	0 32	0 32	0 83
—डिबेचर	4	2.03	2 03	0 24
जाड़	111	48 8	7.23	11.92
1 से 3 तक का जोड	2974	1239 92	876 25	582 53
4 गारटिया				
—आस्थगित अदायगी गारटिया	45	29 52	28 76	0 34
—वि० मु० ऋ० गारटिया	6	23 61	23 53	—
जोड	51	53 13	52 29	0 34
कुल जोड	3025	1293 05	928 54	582 87

परिशिष्ट—छ

30 जून, 1981 तक (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का राज्य/क्षेत्रवार वितरण

(रुपये, करोड़ों में)

राज्य/क्षेत्र	मंजूरियां						
	परियोजनाओं की संख्या	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा उप-ऋण	हामीदारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के के लिए गारंटियां	जोड़	कुल का प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	117	79.29	6.79	10.11	9.26	105.45	8.2
असम	11	6.88	1.37	3.78	—	12.03	0.9
बिहार	50	35.51	5.01	4.54	3.30	48.36	3.7
गुजरात	119	86.06	10.97	9.43	1.59	108.05	8.4
हरियाणा	61	31.23	4.57	3.68	0.19	39.67	3.1
हिमाचल प्रदेश	12	5.04	1.57	1.15	—	7.76	0.6
जम्मू और कश्मीर	8	4.25	—	0.07	—	4.32	0.3
कर्नाटक	113	88.41	10.02	6.54	2.21	107.18	8.3
केरल	41	36.29	6.98	1.85	1.72	46.84	3.6
मध्य प्रदेश	38	24.51	7.46	4.58	0.40	36.95	2.9
महाराष्ट्र	276	191.78	29.91	14.20	3.76	239.65	18.5
मेघालय	2	2.70	—	0.04	—	2.74	0.2
नागालैंड	1	0.50	—	—	—	0.50	—
उड़ीसा	28	20.16	5.46	2.38	—	28.00	2.2
पंजाब	51	43.08	5.38	5.33	0.10	53.89	4.2
राजस्थान	57	47.75	7.84	5.66	8.56	69.81	5.4
तमिलनाडु	123	91.97	15.71	9.03	12.27	128.98	10.0
त्रिपुरा	1	1.16	—	—	—	1.16	0.1
उत्तर प्रदेश	141	105.96	21.04	7.09	3.54	137.36	10.6
पश्चिमी बंगाल	129	68.19	11.22	4.78	5.32	89.51	6.9
अंडमान तथा निकोबार	1	0.27	0.22	—	—	0.49	—
दिल्ली	13	11.01	1.47	0.34	0.83	13.85	1.1
गोआ	8	7.17	—	1.53	—	8.70	0.7
पांडिचेरी	3	1.63	—	0.09	0.08	1.80	0.1
जोड़	1404	990.53	152.99	96.40	53.13	1293.05	100.0

परिशिष्ट—ज

30 जून 1981 तक (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों के समायोजन के बाद) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार उद्योगवार मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का विवरण

(रुपये, करोड़ों में)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	मंजूरियां						कुल का प्रतिशत
		परियोजनाओं की संख्या	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा उप-ऋण	हामीदारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	खनन और खदान :							
100	—कोयला खनन	3	1.20	—	—	—	1.20	0.1
110	—कच्चा पट्रोलियम	1	—	—	3.50	—	3.50	0.3
120, 125, 127	—धातु खनन	5	4.04	—	0.45	—	4.49	0.4
	खाद्य उत्पाद :							
206	—चीनी	197	186.58	0.15	0.85	—	187.58	14.5
200, 201, 202, 204								
219, 211, 212	अन्य खाद्य उत्पाद	15	4.42	0.55	0.48	—	5.45	0.4
217, 219, 222								
231, 232, 241,	वस्त्र	296	193 75	5.42	8.88	3.07	211.12	16.3
244, 247, 248, 249								
251	पटसन उत्पाद	24	16.56	0.01	0.20	—	16.77	1.3
268	नारियल जटा उत्पाद	1	0.27	—	—	—	0.27	—
270, 278	लकड़ी उत्पाद	9	2.74	2.68	0.43	—	5.85	0.4
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद	86	77.96	11.52	9.66	5.51	104.65	8.1
290, 291	चमड़ा उत्पाद	9	2.79	0.25	0.53	—	3.57	0.3
300 से 303	रबर उत्पाद	24	22.27	5.09	2.88	2.66	32.90	2.5
	रसायन और रसायन उत्पाद :							
310	—मूल औद्योगिक संगठित तथा विघटित रसायन और गैसें	72	63.29	14.45	10.50	4.32	92.56	7.2
311	—उर्वरक और कीट नाशक	23	35.74	8.05	6.80	12 79	63.38	4.9
316	—कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे	25	21.09	12.69	6.25	0.74	40.77	3.2
316	—कृत्रिम रेसिन्स तथा प्लास्टिक सामान	14	4.75	5.84	1.08	—	11.67	0.9
305, 312 से 315, 318, 319	—अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	47	16.78	2.80	3.38	—	22.96	1.8
	आगे ले जाया गया	851	654.23	69.50	55.87	29.09	808.69	62.6

परिशिष्ट—ज (जारी) (2)

30 जून, 1981 तक (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों के समायोजन के बाद) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार उद्योगवार मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण

(रुपये, करोड़ों में)

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	मंजूरियां						
		परियोजनाओं की संख्या	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा उप-ऋण	हामीदारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	आगे लाया गया	851	654.23	69.50	55.87	29.09	808.69	62.6
	अधातु खनिज उत्पाद :							
321	—कांच तथा कांच उत्पाद	17	6.29	3.86	0.87	—	11.02	0.9
324, 328	—सीमेंट	66	93.03	9.42	6.94	0.18	109.57	8.5
320, 323, 329	—अन्य अधातु खनिज उत्पाद	30	13.83	3.44	2.20	—	19.47	1.5
	मूल धातु तथा मिश्र धातु उद्योग :							
330 से 332	—लोहा तथा इस्पात फेरो-मिश्र धातु	87	56.60	11.39	7.61	1.03	76.63	5.9
333 से 336, 339	—अलौह धातु उद्योग	31	12.49	1.11	3.58	19.45	36.63	2.8
340, 341, 343 344, 349	—धातु उत्पाद सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	54	13.86	9.67	3.87	1.28	28.68	2.2
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी							
350	—कृषि यंत्र पुर्जे	9	6.01	1.04	0.56	—	7.61	0.6
351 से 359	—मशीनरी तथा पूर्जे	83	31.77	17.13	4.53	1.04	54.47	4.2
360 से 364, 367, 369	—बिजली मशीनरी, उपकरण उपस्कर तथा पुर्जे	64	23.37	13.35	3.64	—	40.36	3.1
	परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे							
371, 372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा सवारी डिब्बे	4	1.23	—	0.10	—	1.33	0.1
374	—मोटर गाड़ियां तथा कल पुर्जे	27	17.73	9.65	2.64	—	30.02	2.3
373	—मोटर साइकिल, आटोसाइकिल स्कूटर तथा पुर्जे	17	7.33	1.66	0.63	0.27	9.89	0.8
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	4	1.98	0.16	—	—	2.14	0.2
247, 261, 380, 382, 385, 824	विविध निर्माण उद्योग	14	4.41	1.61	0.83	—	6.85	0.5
40, 41	बिजली और गैस	11	25.58	—	1.67	—	27.25	2.1
691	होटल उद्योग	34	20.79	—	0.72	0.79	22.30	1.7
710	जहाजरानी उद्योग	1	—	—	0.14	—	0.14	—
	जोड़ :	1404	990.53	152.99	96.40	53.13	1293.05	100.0

परिशिष्ट—II (1)

30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में परियोजनाओं के लिए (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता के उद्योगवार विवरण

रा० औ० वा० कोड संख्या	उद्योग समूह	आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	खनन और खदान											
100	—कोयला खनन	—	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—
110	—कच्चा पट्रोलियम	—	3.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120, 125, 127	धातु खनन	—	—	—	—	—	—	—	1.13	—	—	—
	खाद्य उत्पाद :											
206	—चीनी	19.20	1.85	2.17	9.43	2.86	—	—	15.53	1.80	2.50	69.58
200, 201, 202, 204, 210, 211, 212, 217, 219, 222	—अन्य खाद्य उत्पाद	0.88	—	0.33	—	0.27	—	—	0.92	—	—	0.68
231, 232, 241, 244, 247, 248, 249	वस्त्र	4.70	0.26	1.63	29.65	9.51	2.31	0.84	13.22	2.93	7.88	45.45
251	पटसन उत्पाद	0.98	0.79	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—
268	नारियल जटा उत्पाद	—	—	—	—	—	—	—	—	0.27	—	—
270, 278	लकड़ी उत्पाद	1.41	1.14	—	0.07	—	—	—	—	1.68	0.48	—
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद	16.34	2.32	8.10	4.01	7.08	2.04	—	18.03	1.79	—	8.42
290, 291	चमड़ा उत्पाद	1.11	—	0.92	—	—	—	—	—	0.29	—	—
300 से 303	रबर उत्पाद	—	—	0.31	—	—	—	—	1.65	3.29	0.94	2.36
	रसायन तथा रसायन उत्पाद:											
310	—मूल औद्योगिक संघटित तथा विघटित तथा रसायन वैसें	6.27	—	2.79	10.06	—	—	—	3.50	11.60	—	16.73
311	—उर्वरक तथा कीटनाशक	11.16	0.44	—	16.20	0.50	0.20	—	2.36	3.06	0.84	0.32
316	—कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे	5.24	—	—	10.72	0.23	—	—	4.85	1.11	1.96	5.32
316	कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक सामान	1.73	0.90	—	0.91	—	—	0.83	0.15	—	—	3.60
305, 312 से 315, 318, 319	—अन्य रसायन तथा उत्पाद	1.96	—	0.45	2.33	0.82	0.03	—	0.96	5.44	1.96	2.43
	आगे ले जाया गया	70.98	11.20	17.54	83.38	21.27	4.58	1.67	62.30	33.26	16.56	154.09

(रुपये, करोड़ों में)

रा०औ०वा० कोड संख्या	उद्योग समूह	मेघालय	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	जोड़	परियोजनाओं की संख्या
1		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	खनन और खनाद												
100	—कोयला खनन	—	—	—	—	—	—	—	—	0.70	—	1.20	3
110	—कच्चा पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.59	1
120, 125, 127	धातु खनन	—	—	—	0.75	—	0.85	—	—	—	1.76	4.49	5
	खाद्य उत्पाद												
206	—चीनी	—	0.50	2.05	7.27	2.45	16.72	—	32.17	—	1.50	187.58	197
200, 201, 202, 204, 210, 211, 212, 217, 219, 222	—अन्य खाद्य तत्पाद	—	—	—	1.47	—	—	—	0.41	0.07	0.42	5.45	15
231, 232, 241, 244, 247, 248, 249	वस्त्र	—	—	5.17	13.06	21.44	15.92	—	24.45	8.78	3.92	211.12	296
251	पटसन उत्पाद	—	—	1.65	—	—	—	1.16	—	11.86	—	16.77	24
268	नारियल जटा उत्पाद	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.27	1
270, 278	लकड़ी उत्पाद	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	0.87	5.85	9
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद	—	—	3.75	7.16	0.76	2.46	—	11.03	10.71	0.65	104.65	86
290, 291	चमड़ा उत्पाद	—	—	—	0.73	—	0.36	—	—	0.16	—	3.57	9
300 से 303	रबर उत्पाद	—	—	—	—	6.36	3.85	—	4.85	7.91	1.38	32.90	24
	रसायन तथा रसायन उत्पाद :												
310	—मूल औद्योगिक संघटित तथा विघटित तथा रसायन वैसें	—	—	1.67	4.11	3.95	21.57	—	6.60	3.71	—	92.56	72
311	—उर्वरक तथा कीट-नाशक	—	—	—	6.25	2.58	6.82	—	11.90	—	0.75	53.38	23
316	—कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे	—	—	—	2.69	2.35	1.60	—	4.70	—	—	40.77	25
316	—कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक सामान	—	—	—	—	2.20	1.05	—	0.30	—	—	11.67	14
305, 312, से 315, 318, 319	—अन्य रसायन तथा उत्पाद	0.04	—	0.27	0.74	0.76	2.54	—	1.78	0.45	—	22.96	47
	आगे ले जाया गया	0.04	0.50	15.31	42.48	42.83	73.74	1.16	98.19	44.54	11.25	808.69	851

परिशिष्ट झ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	आगे लाया गया	70.98	11.20	17.54	83.38	21.27	4.58	1.67	62.30	33.26	16.56	154.89
	अधातु खनिज उत्पाद :											
321	—काच तथा काच उत्पाद	1.65	—	1.16	—	0.34	—	—	0.02	0.40	—	2.35
324, 328	—सीमेंट	18.22	—	5.18	10.89	—	—	1.00	17.73	3.00	14.21	6.00
320, 323, 329	—अन्य अधातु तथा खनिज उत्पाद	0.79	—	3.18	0.79	1.04	—	—	0.03	—	1.74	1.15
	मूल धातु अलाय उद्योग											
330 से 332	—लोहा एवं इस्पात और फेरो अलायज	3.17	0.03	17.49	—	5.35	—	—	4.64	0.48	1.29	19.07
333 से 336, 339	—अलौह धातु उद्योग	—	—	0.90	—	—	—	—	2.48	3.09	—	3.30
340, 341, 343, 344, 349	धातु उद्योग सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	0.55	—	—	1.47	2.47	—	—	4.26	0.86	—	1.95
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी											
350	—कृषि यंत्र तथा पुर्जे	—	—	—	—	1.11	—	—	0.33	0.33	—	1.19
351 से 359	—मशीनरी तथा पुर्जे	5.11	—	1.39	6.53	0.93	1.40	—	4.77	—	0.88	15.14
360 से 364, 367, 369	बिजली मशीनरी, उपस्कर और कल पुर्जे	2.06	—	0.31	0.93	3.01	0.95	—	5.40	5.16	1.34	8.67
	परिवहन उपस्कर तथा तुर्जे:											
371, 372	—लोकमोटिव, रेलवे वगन तथा सवारी डिब्बे	—	—	0.15	—	—	—	—	0.88	—	—	—
374	—मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे		—	0.25	0.90	0.30	—	—	2.73	—	0.93	10.64
375	—मोटर साइकल, आटो-साइकल, स्कूटर तथा पुर्जे	0.54	—	—	—	1.86	—	—	0.50	—	—	2.49
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	—	—	—	—	0.75	—	—	—	—	—	—
247, 261, 380, 382, 385, 824	विविध निर्माण उद्योग	0.59	—	—	2.26	1.24	0.63	—	—	0.26	—	0.24
40 41	बिजली और गैस	—	0.80	—	0.90	—	—	—	—	—	—	9.67
691	होटल उद्योग	1.79	—	0.81	—	—	0.20	1.65	1.11	—	—	2.76
710	जहाजरानी उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14
	जोड़	105.45	12.03	48.36	108.05	39.67	7.76	4.32	107.18	46.04	36.95	239.65
	राज्य वार परियोजनाओं की संख्या	(117)	(11)	(50)	(119)	(61)	(12)	(8)	(113)	(41)	(38)	(276)

परिशिष्ट II (जारी—2)

(रुपये, करोड़ों में)

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	आगे लाया गया	0.04	0.50	15.31	42.48	43.35	73.74	1.16	98.19	44.51	11.25	808.69	851
	अधातु खनिज उत्पाद :												
321	—कांच तथा कांच उत्पाद	—	—	—	—	—	—	—	3.79	1.31	—	11.02	17
324, 328	—सीमेंट	2.70	—	1.36	—	8.99	15.48	—	4.91	—	—	109.57	66
320, 323, 329	—अन्य अधातु तथा खनिज उत्पाद	—	—	3.88	1.08	0.57	0.04	—	2.09	3.09	—	19.47	30
	मूल धातु अलाय उद्योग												
330 से 332	—लोहा एवं इस्पात और फेरो अलायज	—	—	5.45	3.07	2.51	4.97	—	5.70	3.41	—	76.63	87
333 से 336, 339	—अलौह धातु उद्योग	—	—	—	—	7.22	12.80	—	0.71	6.13	—	36.63	31
340, 341, 343, 344, 349	धातु उद्योग सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	—	—	—	0.66	3.56	1.82	—	4.49	6.59	—	28.68	54
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी :												
350	—कृषि यंत्र तथा पुर्जे	—	—	—	1.10	—	0.15	—	3.40	—	—	7.61	9
351 से 359	—मशीनरी तथा पुर्जे	—	—	—	—	0.75	7.74	—	0.40	8.80	0.63	54.47	83
360 से 364, 367	बिजली मशीनरी,	—	—	2.00	1.35	2.22	1.51	—	1.95	2.04	1.46	40.36	64
369	उपस्कर और कल पुर्जे												—
	परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे :												
371, 372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा सवारी डिब्बे	—	—	—	--	--	—	—	--	0.30	—	1.33	4
374	—मोटर गाड़ियों तथा पुर्जे	—	—	—	2.29	—	6.61	—	1.62	2.70	1.05	30.02	27
375	—मोटर साइकल, आटोसाइकल स्कूटर तथा पुर्जे	—	--	--	0.43	0.33	2.56	—	0.75	0.43	—	9.89	17
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	—	—	—	—	—	—	—	—	1.39	--	2.14	4
247, 261, 380, 382, 385, 824	विविध निर्माण उद्योग	—	—	—	0.43	0.42	—	—	0.01	0.40	0.37	6.85	14
40, 41	बिजली और गैस	—	—	—	—	—	—	—	7.50	8.38	—	27.25	11
691	होटल उद्योग	—	—	—	—	0.49	1.56	—	1.85	—	10.08	22.30	34
710	जहाजरानी उद्योग	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	0.14	1
	जोड़	2.74	0.50	28.00	53.89	69.81	128.98	1.16	137.36	89.51	24.84	1293.05	
	राज्यवार परियोजनाओं की संख्या	(2)	(1)	(28)	(51)	(57)	(123)	(1)	(141)	(129)	(25)	(1404)	

30 जून, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त नियम द्वारा मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का धन राशि के अनुसार वर्गीकरण
(प्रत्येक औद्योगिक संस्था के लि मंजूर की गई रकमों के अनुसार)

(रुपये करोड़ों में)

	सहकारिताएं		लिमिटेड कम्पनियां					जोड़				
	संस्थाओं की संख्या	ऋण	संस्थाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां/ प्रत्यक्ष/ अभिदान	मशीनरी की अस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	संस्थाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की अस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1. रकमें जो दस लाख रु० से अधिक न हो	—	—	93	2.65	2.69	—	5.34	93	2.69	2.69	—	5.34
2. रकमें, जो दस लाख रु० से अधिक पर 20 लाख रु० से अधिक न हों	1	0.20	47	5.76	1.55	—	7.31	48	5.96	1.55	—	7.51
3. रकमें, जो 20 लाख से अधिक पर 30 लाख रु० से अधिक न हों	3	0.75	61	14.16	1.74	0.04	15.94	64	14.91	1.74	0.04	16.693
4. रकमें, जो 30 लाख रु० से अधिक पर 40 लाख रु० से अधिक न हो	9	3.38	96	30.82	3.53	0.20	34.55	105	34.20	3.53	0.20	37.93
5. रकमें, जो 40 लाख रु० से अधिक पर 50 लाख रुपये से अधिक न हों	9	4.24	100	42.75	3.11	0 39	46.25	109	46.99	3.11	0.39	50.49
6. रकमें, जो 50 लाख रु० से अधिक पर 60 लाख रु० से अधिक न हों	15	8.52	60	29.82	3.59	—	33.41	75	38.34	3.59	—	41.93
7. रकमें, जो 60 लाख रु० से अधिक पर 70 लाख रु० से अधिक न हों	13	8.55	72	42.95	3.35	0.58	46.88	85	51.50	3.35	0.58	55.43
8. रकमें, जो 70 लाख रु० से अधिक पर 80 लाख रु० से अधिक न हों	16	12.43	52	35.88	3.31	0.25	39.44	68	48.31	3.31	0.25	51.87
9. रकमें, जो 80 लाख रु० से अधिक पर 90 लाख रु० से अधिक न हों	36	31.74	33	25.14	3.18	—	28.32	69	56.88	3.18	—	60.06
10. रकमें, जो 90 लाख रु० से अधिक पर एक करोड़ रु० से अधिक न हों	23	22.61	50	43.10	4.35	0.58	48.03	73	65.71	4 35	0.58	70.64
11. रकमें, जो एक करोड़ रु० से अधिक हों	63	92.52	326	685.55	66.00	51.09	802.64	389	778.07	66.00	51.09	895.16
जोड़ :	188	184.94	990	958.58	96.40	53.13	1108.11	1178	1143.52	96.40	53.13	1293.05

परिशिष्ट ट (1)

अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के विकास के लिए रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की योजना

देश के कम विकसित भागों में उद्यमों का प्रसार करने की दृष्टि से उद्यमकर्ताओं को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 23 जुलाई, 1970 से एक योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों की परियोजनाओं को रियायती दरों पर वित्त प्रदान किया जाता है। समय-समय पर किए गए पुनरीक्षणों और संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में इकाइयों को रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की योजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :—

1. स्थिति :

2 मार्च, 1981 से प्रभावी रियायती दरों, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न राज्यों या केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में चुने हुए जिलों/क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली वर्तमान औद्योगिक संस्था की नई इकाइयों के रूप में या नए उपक्रमों के रूप में लगाई गई केवल नई पात्र औद्योगिक इकाइयों को ही यह सहायता* प्राप्त हो सकेगी।

2. योजना का क्षेत्र :

रियायती दरों पर वित्त अब केवल निगमित तथा सहकारी दोनों क्षेत्रों की नई पात्र औद्योगिक इकाइयों (होटल सहित) को ही दिया जायेगा और अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थापित वर्तमान इकाइयों को उनके विस्तार, विशाखन, आधुनिकीकरण या पुनर्स्थापन योजनाओं के सम्बन्ध में 2 मार्च, 1981 से नहीं उपलब्ध होगा।

3. सहायता की सीमा :

अकेले भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्थगित अदायगी गारन्टियों सहित ऋणों के सम्बन्ध में वित्त प्रदान करने की समग्र सीमा पहले की तरह 1.00 करोड़ है। लेकिन संयुक्त वित्तपोषण, जहां कि अन्य संस्थान भी भागीदार है, के अधीन रियायती दरों पर वित्तीय सहायता की कुल सीमा पहले की तरह 2.00 करोड़ रुपये है। उल्लिखित पिछड़े जिलों में मूल लागत अनुमानों में अति व्ययों की वित्तीय सहायता के लिए जिन नई इकाइयों को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है वे रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं बशर्ते कि संयुक्त वित्तपोषण के अधीन कुल वित्तीय सहायता 2.00 करोड़ रुपये से अधिक नहो। यदि उल्लिखित पिछड़े क्षेत्र में नई इकाई के लिए 2.00 करोड़ रुपये की संयुक्त वित्तपोषण सीमा के अन्तर्गत अति व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण सम्मिलित नहीं हैं तो इस पर सामान्य ब्याज दर लगेगी। सीमा के भीतर वर्तमान सस्थानों की नई इकाइयां रियायती दरों पर वित्तीय सहायता की पात्र हैं यदि वे अन्तिम उत्पाद की भिन्न श्रेणी का उत्पाद करें। दूसरे शब्दों में, उल्लिखित सीमा के भीतर रियायती वित्त नई परियोजनाओं को इकाई वार आधार पर उपलब्ध होगा और उनपर वही प्राचालिक मूल्य लागू होंगे जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय निवेश उप-सहायता प्रदान करने के लिए लागू होते हैं।

4. शर्तें : (2-3-1981 से प्रभावी केवल नई इकाइयों के सम्बन्ध में)

(1) ब्याज की दर

योजना के अन्तर्गत रुपया ऋणों पर तथा विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज की सामान्य दर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम ब्याज दर अर्थात् 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ली जाती है। यदि उल्लिखित पिछड़े क्षेत्र में किसी नई इकाई ने संयुक्त वित्तपोषण के अन्तर्गत रुपया ऋण तथा विदेशी मुद्रा दोनों ऋण लिए हैं और रुपया ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण दोनों का कुल जोड़ 2.00 करोड़ रूपये से अधिक है तो रियायती ब्याज की दर लागू करने के प्रयोजन से पहले समग्र रुपया ऋण पर ब्याज लगाया जायेगा और फिर बाद में यदि कुछ शेष बचता है तो विदेशी मुद्रा ऋण के शेष भाग पर रियायती ब्याज की दर लागू होगी।

(2) ऋणों की अदायगी अवधि

निगम की सामान्य पद्धति रही है कि ऋण अदायगी में मूलधन की प्रथम किस्त् प्रदान करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाता है। कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए प्रत्येक मामले की लाभ संभावनाओं और साधन तथा स्रोतों की मांग को देखते हुए यह अवधि ऋण के प्रथम संवितरण की तारीख से पांच वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं के प्रत्येक मामले में गुणावगुणों के आधार पर उनकी लाभ क्षमता और नकद बहाव स्थिति को देखते हुए ऋण अदायगी की सामान्य स्वीकृत अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(3) प्रवर्तकों का योगदान तथा ऋण इक्विटी अनुपात

प्रवर्तक के परियोजना लागत में सामान्यतः 20% प्रवर्तक योगदान के स्थान पर अधिसूचित पिछड़ जिले/क्षेत्र में यह परियोजना लागत के 17 1/2% तथा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर निरूपित (पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित की जाने

*सूची संलग्न है।

वाली परियोजनाओं के मामले में 10%) तक कर दिया गया है। 29 अप्रैल, 1981 से, प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर इसे गैर एकाधिकार अवरोधक व्यापार प्रथा संस्थाओं द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए 17 1/2% से घटाकर 15% कर दिया गया है। प्रत्येक मामले में अन्य बातों के साथ-साथ प्रवर्तकों के वित्तीय स्तर, उनका ख्याति, सम्बन्धित परियोजना के परिपक्व होने में लगने वाली अवधि, लाभ क्षमता और अन्य सम्बन्धित तत्वों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अधीन ऋण इक्विटी अनुपात में नरम रुख अपनाया जाता है।

(4) साधारण और अधिमान पूंजी में साझेदारी

प्रत्येक मामले में गुणावगुणों के आधार पर निगम अन्य जिलों/क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं की तुलना में कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए हामीदारी अथवा शेयर पूंजी में अधिक योगदान देने पर विचार करेगा।

(5) अन्य प्रभारों में कटौती

रुपया ऋणों के मामले में निगम के सामान्य प्रभारों, हामीदारी प्रभार, आवेदनों की जांच के लिए अप्रतिदेय शुल्क तथा विधिक प्रभारों में 50 प्रतिशत तथा आस्थगित अदायगी कमीशन के निवल प्रभार में 25 प्रतिशत की कटौती कर दी जायेगी। हामीदारी किए गए शेयरों/डिबेंचरों के सम्बन्ध में हामीदारी कमीशन से सम्बन्धित निगम के सामान्य प्रभारों में भी 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

सरकारी वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पात्र जिलों/क्षेत्रों की समेकित सूची

*टिप्पणियां : (1) जिले/क्षेत्र, जो 'केन्द्रीय निवेश उप-सहायता' की केन्द्रीय योजना के भी पात्र हैं, को तारांकित किया गया है।

(2) जिले/क्षेत्र के समक्ष '£' का चिह्न यह दर्शाता है कि इसके पुनर्गठन से पूर्व भी इसका अस्तित्व था। जिलों पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सूची में जिन जिलों को सम्मिलित किया गया समझा गया है, वे अन्त में दिए गए हैं।

(3) $ का चिह्न यह दर्शाता है कि जिलों का पुनर्गठन किया गया है।

(4) प्रत्येक जिले के नीचे कोष्ठकों में दी संख्या उस राज्य मे पुनर्गठित जिलों की कुल संख्या को दर्शाती है और प्रत्येक राज्य में अधिसूचित पिछड़े जिलों के बाद कोष्ठकों में दी गई संख्या उस राज्य में पुनर्गठित आधार पर अधिसूचित पिछड़े जिलों को दर्शाती है।

राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	चुने हुए जिले
राज्य :	
1. आन्ध्र प्रदेश (23)	अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डाप्पा, करीम नगर, खम्मम, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नैल्लोर निजामाबाद, प्रकाशम, श्रीकाकुलम*, और वारंगल। (14)
2. असम (10)	कछार*, गोआलपाड़ा*, कामरूप*, मिकिर हिल्स*, उत्तरी कछार हिल्स, नया लीखमपुर* तथा नौगांव,* (7)
3. बिहार (31)	औरगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर,* भोजपुर*, चम्पारन*£, दरभंगा*$, गया, मुंगेर, मुज्जफरपुर£ नालन्दा, नवादा, पलामू*, पूर्णिया£, सहरसा*, संथाल परगना*, और सारन£ (24)
4. गुजरात (19)	अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, बड़ौच*, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाणा, पंचमहल* साबरकांठा तथा सुरेन्द्रनगर* (10)
5. हरियाणो (12)	भिवानी, हिसार$, जींद तथा महेन्द्रगढ़$, (4)
6. हिमाचल प्रदेश (12)	चम्बा*, कांगड़ा*£, किन्नौर, कुल्लू*, लाहौल तथा स्पीती, सिरमूर* और सोलन*, (9)
7. जम्मू और कश्मीर (10)	अनन्तनाग*, बारामूला*, डोडा*, जम्मू*, कठुआ, लद्दाख, पुंछ*, राजौरी, श्रीनगर* तथा उधमपुर (10)
8. कर्नाटक (19)	बेलगांव, बीदर, बीजापुर, धारवाड़*, गुलबर्गा, हसन, मैसर*, उत्तरी कनारा, रायचूर*, दक्षिणी कनारा तथा तुमकुर (11)
9. केरल (11)	एल्प्पी*, कन्नानौर*, मलापुरम*, त्रिचिचूर तथा त्रिवेन्द्रम (5)

(1)	(2)
10. मध्य प्रदेश (45)	बालाघाट, बस्तर, बैतूल, बिलासपुर, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, देवास, गुना, होशंगाबाद, झाबुआ, खरगौन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, राजगढ़, राजनदगांव, रतलाम, रीवां, सागर, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, विदिशा, तथा नया सिहोर जिला। (36)
11. महाराष्ट्र (26)	औरंगाबाद*, भंडारा, भीर, बुलढाणा, चन्द्रपुर*, कोलाबा (रायगढ़), धूलिया, जलगांव, नान्देड़, उस्मानाबाद, परभणी, रत्नगिरी*, और यवतमाल। (13)
12. मणिपुर (6)	सभी छः जिले* (6)
13. मेघालय (5)	गारो हिल्स*£, खासी हिल्स*£, तथा जयन्तिया हिल्स*£ (5)
14. नागालैण्ड (7)	कोहिमा*£, मोकोकचुंग*£, तथा तुएनसंग*£ (7)
15. उड़ीसा (13)	बालासोर, बोलंगीर*, धेनकनाल*, कालाहांडी*, क्योंझर*, कोरापुट*£, मयूरभंज* तथा फूलझनी (8)
16. पंजाब (12)	भटिंडा*£, फिरोजपुर$, गुरदासपुर, होशियारपुर*, और संगरुर* (6)
17. राजस्थान (26)	अलवर*, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा*, चूरू*, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुन, झालावाड़, जोधपुर*, नागौर*, सीकर, सिरोही, टौंक तथा उदयपुर* (16)
18. सिक्किम (4)	गंगतोक*, गयालसिंह*, मंगां*, एवं नमची* के सभी चार जिले (4)
19. तमिलनाडु (16)	धर्मापुरी, कन्याकुमारी, मदुरै, उत्तरी अरकोट, पुडुकोट्टई, रामानाथापुरम, दक्षिण अरकोट, थंजावूर और तिरुचिरापल्ली (9)
20. त्रिपुरा (3)	सभी तीनों जिले* (3) (3)
21. उत्तर प्रदेश (56)	अल्मोड़ा*, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया*, बांदा, बाराबंकी, बस्ती*, बुलन्दशहर, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद*, फरुर्खाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी*£, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद पीलीभीत पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली*, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टिहरी, गढ़वाल, उन्नाव, तथा उत्तर काशी (39)
22. पश्चिमी बंगाल (16)	बांकुरा, बीरभूम, बर्दवान, कूचबिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मालदा, मिदनापुर मुर्शिदाबाद, नदिया*, पुरुलिया* तथा पश्चिमी दिनाजपुर (13)

केन्द्र प्रशासित क्षेत्र

1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह*	सम्पूर्ण क्षेत्र
2. अरुणाचल प्रदेश*	सम्पूर्ण क्षेत्र
3. दादरा और नगर हवेली*	सम्पूर्ण क्षेत्र
4. गोा, दमण और दीव*	सम्पूर्ण क्षेत्र (केन्द्र शासित क्षेत्र के नगर पालिका के अधीन क्षेत्र को छोड़कर)
5. लक्षद्वीप*	सम्पूर्ण क्षेत्र
6. मिजोरम*	सम्पूर्ण क्षेत्र
7. पांडिचेरी	सम्पूर्ण क्षेत्र (केन्द्र शासित क्षेत्र के नगर पालिका के अधीन क्षेत्र को छोड़कर)

पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अधिसूचित पिछड़े जिलों की सूची में सम्मिलित समझे गए जिले

राज्य	पुनर्गठन पूर्व जिले की स्थिति	पुनर्गठित आधार पर जिले
(1)	(2)	(3)
1. बिहार	चम्पारन	1. पश्चिमी चम्पारन 2. पूर्वी चम्पारन
	दरभंगा	1. मधुबनी 2. दरभंगा 3. समस्तीपुर

(1)	(2)	(3)
	मुजफ्फरपुर	1. सीतामढ़ी
		2. मुजफ्फरपुर
		3. वैशाली
	पूर्णिया	1. कटिहार
		2. पूर्णिया
	सारन	1. गोपाल गंज
		2. सिवान
		3. सारन
2. हिमाचल प्रदेश . . .	कांगड़ा	1. कांगड़ा
		2. हमीरपुर
		3. ऊना
3. मेघालय . . .	गारो हिल्स	1. पूर्वी गारो हिल्स
		2. पश्चिमी गारो हिल्स
	खासी हिल्स	1. पूर्वी खासी हिल्स
		2. पश्चिमी खासी हिल्स
4. नागालैण्ड . . .	कोहिमा	1. कोहिमा
	मोकोकचुंग	2. मोकोकचुंग
	त्युयेनसंग	3. त्युयेनसंग
		4. फेक
		5. झुनेबोती
		6. वोखा
		7. मीन
5. पंजाब . . .	भटिण्डा	1. फरीदकोट
		2. भटिंडा
6. उत्तर प्रदेश . . .	झांसी	1. ललितपुर
		2. झांसी

टिप्पणियां : (केवल केन्द्रीय निवेश उपसहायता की योजना के सम्बन्ध में)

टिप्पणियां :

(1) आंध्र प्रदेश

श्रीकाकुलम जिला और 5 क्षेत्र :

रायलसीमा खण्ड के 22 ब्लाकों वाले दो 'क्षेत्र' 13 ब्लाकों वाले क्षेत्र I चित्तूर %, बंगारूपेलम %, पुलिचेरला %, पत्तूर % चन्द्रगिरी तथा कालाहस्थी % (चित्तूर जिले से) और कौडर, राजमपेट, सिद्धौत, कुडप्पा, कमलापुरम, प्रोद्दतूर और पुलिवेंडला (कुडप्पा जिले से) हैं और 9 ब्लाकों वाले क्षेत्र II में तदपत्तरी, सिंहमाला, गुट्टी, कुडेर % (नन्तपुर जिले से) और धोन कुरनूल, बंगानपल्ली %, नन्दयाल %, और गिदालूर (कुरनूल जिले से) तेलंगाना क्षेत्र में 43 ब्लाकों वाले 3 क्षेत्र 14

ब्लाकों वाले क्षेत्र I में महबूब नगर%, जदचेरला%, शादनगर%, कल्वा कुर्ती और अमंगल (महबूब नगर जिले से) और नालगौंडा, मुंगाडी, नकराकल, सूर्यपेट, कोडाद%, कुजुग्नगर%, मिरयलगुडा%, पेडावोरा%, तथा देवर कोण्डा%, (नालगौण्डा जिले से) हैं, 14 ब्लाकों वाले क्षेत्र II में खम्मम, तिरुमाइलपेलम, कैलूर%, येलंडू, कोदागुडम%, अश्वारपेट, बुर्गामपद%, भद्राचलम% (खम्मम जिले से) और महबूबाबाद, नरसामपेट, हनमकोंडा, धनापुरम%, जंगांव%, और मुलुग%, (वारंगल जिले से) हैं; 15 ब्लाकों वाले क्षेत्र III में जहीराबाद, पत्तनचेरुवु%, नरसापुर%, मेडक%, सिद्दीपेट (मेडक जिले से), येदापाली%, निजामाबाद%, कमारेड्डी, डीमकोंडा (निजामाबाद जिले से) और सिरसिल्ला, करीमनगर, सुल्तानाबाद, पेदापल्ली, मंथानी%, और हुजूराबाद (करीम नगर जिले से) केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं ।

(2) हरियाणा

महेन्द्रगढ़ का पुनर्गठित जिला (महेन्द्रगढ़ तथा रिवाड़ी % उप-खण्डों वाला) भिवानी जिला (भिवानी और दादरी*%, उप-खण्डों वाला) और आठ ब्लाकों वाला एक क्षेत्र, अर्थात् हिसार ब्लाक नं० I और बड़वाला ब्लाक (हिसार तहसील), हांसी ब्लाक नं० I (हांसी तहसील से), बहुणा ब्लाक (फतेहाबाद तहसील से) टोहाणा ब्लाक/ तहसील (टोहाणा तहसील से)—हिसार जिले से जींद ब्लाक और जुलाणा ब्लाक, (जींद तहसील से) उचाना ब्लाक (नरवाणा तहसील से)—जींद जिले से —केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(3) मध्य प्रदेश

छः क्षेत्र

पूर्वी खण्ड से 12 ब्लाकों वाला एक क्षेत्र अर्थात् कोरबा, बलौदा, चम्पा, कोटा, मस्तूर और बिल्हा (बिलासपुर) ब्लाक (बिलासपुर जिले से); भाटापारा, सिग्गा, तिल्दा, धारसीवा (रायपुर) अभनपुर और राजिम ब्लाक (रायपुर जिले से); उत्तरी खण्ड से 9 ब्लाकों वाला 'क्षेत्र%, अर्थात् शिवपुरी एवं करेड़ा (शिवपुरी जिले से) दतिया और स्यौंढ़ा (दतिया जिले से); भिंड़, मेहगांव और गोहद (भिंड़ जिले से) और मुरैना और जौरा (मुरैना जिले से); पश्चिमी खण्ड से 10 ब्लाकों वाला क्षेत्र अर्थात् देवास, और टौंक खुर्द ब्लाक (देवास जिले से), गुलाना, शुजालपुर तथा शाजापुर ब्लाक (शुजापुर जिले से) ; पंचौर (सारंगपुर) और बियौरा ब्लाक (रायगढ़ जिले से) और चाचौरा राधौगढ़ और गुना ब्लाक (गुना जिले से); पश्चिमी खण्ड 2 के 12 ब्लाकों वाला क्षेत्र अर्थात् पोटलवाड़, एवं मैथनगर (झबुआ जिले से), बदनावर, धार और नालचा (धार जिले से) महेश्वर और बरवाहा (खरगौन जिले से) रतलाम और जौरा (रतलाम जिले से), मन्दसौर, महारगढ़ और नीमच (मन्दसौर जिले से), मध्य क्षेत्र से II ब्लाकों वाला 'क्षेत्र% अर्थात् बीना, इटावा, खुरी, बांदा (बिनेका), राहतगढ़, सागर शाहगढ़ (अमरमऊं) (सागर जिले से), टीकमगढ़ और बलदेव गढ़ (टीकमगढ़ जिले से), विदिशा और ग्यारसपुर (विदिशा जिले से) और छतरपुर (छतरपुर जिले से), उत्तर पूर्वी खण्ड से II ब्लाकों वाला 'क्षेत्र% अर्थात् रीवा और रायपुर (गढ़) (रीवा जिले से), मझौली, सीधी, देवसर और वैधान (सीधी जिले से) सोंहट, बैकुण्ठपुर, महेन्द्रगढ़, सूरजपुर और अम्बिकापुर (सरगुजा जिले से) केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(4) तमिलनाडु

33 तालुकों वाले तीन क्षेत्र/खण्ड :

(उपतालुकाओं सहित) 12 तालुकाओं वाला क्षेत्र, अर्थात् रामानाथापुरम, मुदुकुलातुर, शिवगंगा, परमाकुडी, थिरुवदानी करायकुडी एवं थिरूपाथुर तालुक (रामानाथापुरम जिले से); मेलूर तालुका (मदुरै जिले से) पुडुकोट्टई, थिरुमयम, अलांगुडी, कुलाथुर तालुक (पुडुकोट्टई जिले से), दो क्षेत्र% एक II तालुकों वाला क्षेत्र अर्थात् धर्मापुरी, पालकोड, होसूर, देनकेनी कोट्टा; कृष्णागिरी, उथानगराई, हरुर (धर्मापुरी जिले से) तिरुपतुर, वनियमवदी, वेल्लूर, वालाजापेट (उत्तरी अरकोट जिले से) तथा दूसरा 10 तालुकों वाला क्षेत्र अर्थात् अरुपकोटई, विरुधनगर, सत्तूर, श्रीविलीपुतुर, राजापालयम् (रामानाथापुरम जिले के पश्चिमी रामानाथापुरम् से) तिरुमंगलम्, उसिलमपट्टी, निलाकोट्टई, डिंडीगुल, वेदासंदूर (मदुरै जिले से) केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं ।

%10-7-1972 के बाद चुने हुए जिलों/उपखण्डों/तालुकों/ तहसीलों का द्योतक है।
*हाल ही में किए गए पुनर्गठन से पहले के जिले।

परिशिष्ट ठ

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की ब्याज दर का ढांचा

	30-6-80 तक प्रभावी ब्याज की दर	1-7-80 से प्रभावी ब्याज की दर	2-3-81 से प्रभावी ब्याज की दर
	o/o प्रतिवर्ष	o/o प्रतिवर्ष	% प्रतिवर्ष
1. मूल उधार दर	11 00	11.85	14.00
2. रियायती दरे			
(क) निर्दिष्ट पिछडे क्षेत्रो की इकाइयों मे इकाई को कुल 2 करोड रुपये तक	9.50	10.25	12.50@
(ख) उदार ऋण योजना के अधीन उदार सघटको पर . .	7.50	8.10	12.50
3. पूरक/अन्तरिम ऋण			
(क) सामान्य ऋण	12.00	12.85	15.00
(ख) निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रो की इकाइयो मे इकाई को कुल 2 करोड़ रुपये तक	10.50	11.25	13.50@
(ग) उदार ऋण योजना के अधीन उदार संघटको पर . .	8.50*	9.10*	13.50*
4. विदेशी मुद्रा ऋण			
(क) सामान्य ऋण	11.00	11.85	14.00
(ख) निर्दिष्ट पिछडे क्षेत्रो की इकाइयो मे इकाई को कुल 2 करोड रुपये तक	10.00	10.75	12.50@

@केवल नई इकाइयों पर ही लागू होगा न कि वर्तमान इकाइयो द्वारा विस्तार/ विशाखन परियोजनाओ पर

*उदार ऋण योजना के अधीन मजूर किए गए ऋणो के सम्बन्ध मे पूरक ऋणो पर ब्याज की दर उदार ऋण योजना के अधीन लागू दर से 1% अधिक है। यह 1% अधिक दर प्रथम सवितरण की तारीख से 365 दिनो के बाद लगायी जाएगी।

ध्यान दे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से होटल उद्योग की प्रति परियोजना के लिए केवल 75 लाख रुपये तक के रुपया ऋण पर ब्याज की दर 1% कम करके लागू होगी बशर्ते और जब तक कि 1% के ब्याज जन्य अन्तर पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई हो और लाभभोगी ने कोई चूक न की हो।

परिशिष्ट ड

वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान देश के चुने हुए उद्योगो और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त सस्थानो का क्षमता उपयोग

उद्योग	सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध मे				भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त सस्थाओ के सम्बन्ध मे			
	1979-80		1980-81		1979-80		1980-81	
	इकाइयो की सख्या	प्रतिशत उपयोग क्षमता	इकाइयो की सख्या	प्रतिशत उपयोग क्षमता	इकाइयो की सख्या	प्रतिशत उपयोग क्षमता	इकाइयो की सख्या	प्रतिशत उपयोग क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. चीनी								
—सहकारिता	142	64.4	153	81.1@	62	61.7	68	77.0
—अन्य	165		170		19	51.4	18	67.8
2. सूती वस्त्र	686£		693£		62$		88$$	
क. (1) तकुए (सख्या लाखो मे)		207.4		211.5		22.0		36.18
(2) धागा (लाख कि० ग्रा०)		12174		13004		1209		1694
ख. (1) करघे (सं० लाखों में)		2.1		2.1		0.18		0.34
(2) कपड़ा (लाख मीटर)		40850		42642		4054		5665

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. पटसन	71	102.8	71	107.0			8	80.6
4. कृत्रिम रेशे								
—नाइलोन फिलामेंट धागा	8	83.7	8	98.5	3	89.7	2	96.9
—पोलिएस्टर फिलामेंट धागा	8	111.9	8	131.8	5	88.9	4	109.7
—पोलिएस्टर स्टेपल धागा	5	83.9	5	67.2	1	82.9	1	88.8
5. उर्वरक								
—नाइट्रोजन	33	66.2	36*	56.2	3	71.4	6	79.3
—फास्फटिक	44	67.3	48**	68.1	2	92.9	3	123.1
6. रसायन तथा रसायन उत्पाद								
—कास्टिक सोडा	33	74.5	33	73.5	6	74.0	8	74.9
—तरल क्लोरिन	27	49.4	27	50.8	5	59.8	6	59.2
—सोडा एश	4	87.5	4	79.0	—	—	2	92.1
—एसिटिक एसिड	12	74.8	12	70.2			3	56.8
—कार्बन ब्लैक	5	67.0	5	64.2			2	65.1
7. सीमेंट	57	78.4	60	72.3	6	75.8	15	75.1
8. कागज तथा गत्ता	106	75.9	121	71.5	17	59.1	27	71.9
9. रबर उत्पाद								
—आटोमोबाइल टायर	17	83.5	17	94.8	3	63.1	7	70.7
—आटोमोबाइल ट्यूब	17	66.1	17	75.0	3	56.4	7	59.0
10. लोहा तथा इस्पात								
—इस्पात की ढलवां वस्तुएं	58	42.9	61	39.3	2	61.9	3	63.4
—लोहे सी लोचदार ढलवां वस्तुएं	14	69.9	15	76.6	3	39.0	3	47.2
—इस्पात की सिल्लियां तथा बिल्टें	लागू नही	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9	70.5	14	68.8
11. कृषि मशीनरी								
—ट्रैक्टर	13	97.9	13	84.2	3	96.0	2	81.7
—शक्ति टिलर्स	5	15.6	5	12.5	2	18.0	2	14.4
12. बिजली मशीनरी तथा उपस्कर								
—बिजली मोटरें	37	58.6	37	65.2	1	118.8	2	107.4
—ट्रांसफार्मर	33	71.5	33	70.9	2	89.9	2	72.0
—पी०आई०एल०सी० पावर केबल्स	12	53.4	14	61.7	2	20.4	2	21.3
—पी०वी०सी० पावर केबल्स					3	75.7	3	108.6
13. आटोमोबाइल उद्योग								
—मोटर साइकिल	4	96.7	4	111.1				
—स्कूटर	13	55.2	13	74.1	7	45.3	8	44.9
—तिपहिया	3	59.0	3	82.8				
—मोपेड	10	74.7	10	105.1				
14. होटल	—	—	338	72.0	—	—	11	50.7

*6 उप-उत्पाद इकाइयां सम्मिलित हैं।

**नाइट्रोजन में सम्मिलित 11 काम्पलेक्स उर्वरक इकाइयां सम्मिलित हैं।

@1980-81 के मौसम के लिए 31 जुलाई 1981 की स्थिति के अनुसार उत्पादन हर आधारित (अनन्तिम)।

£291 संयुक्त मिलें सम्मिलित हैं।

20 संयुक्त मिलें सम्मिलित हैं।

$$37 संयक्त मिलें सम्मिलित।

टिप्पणियां : 1. कालम 2, 3, 4 और 5 में दिए गए आंकड़े उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक (रसायन और उर्वरक विभाग) कृषि और सिंचाई (खाद्य विभाग) मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों और भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, पटसन आयुक्त के कार्यालय, पर्यटन विभाग और महानिदेशक तकनीकी विकास के कार्यालय से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित हैं। सूती वस्त्र से सम्बन्धित संख्याएं वास्तविक हैं। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कुछ मामलों (पिछली रिपोर्ट के संदर्भ में) मे वर्ष 1979-80 के और 3 कालमों के आंकड़े संशोधित किए गए हैं।

2. कालम 6,7,8 और 9 में दिए गए आंकड़े वित्तपोषित संस्थाओं प्राप्त निगम की प्रश्नावली के उत्तरों पर आधारित हैं।

परिशिष्ट ङ

चूकों का उद्योगवार वर्गीकरण

(रुपये करोड़ों में)

उद्योग	30 जून, 1980 को चूकें				30 जून, 1981 को चूकें				बकाया ऋणों से, चूकों का प्रतिशत
	संस्थाओं की सं०	मूलधन	ब्याज	जोड़	संस्थाओं की सं०	मूलधन	ब्याज	जोड़	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
खनन	4	0.64	0.53	1.17	2	0.67	0.38	1.05	29.7
चीनी	70	8.96	5.04	14.00	59	12.94	5.39	18.33	20.8
विविध खाद्य उत्पाद	4	0.04	0.05	0.09	1	—	नगण्य	नगण्य	नगण्य
वस्त्र	35	3.89	1.88	5.77	34	4.03	2.05	6.08	7.2
पटसन उत्पाद	8	1.15	0.41	1.56	5	1.07	0.33	1.40	18.3
लकड़ी उत्पाद	4	0.07	0.18	0.25	4	0.13	0.26	0.39	9.0
कागज व कागज उत्पाद	21	1.18	1.33	2.50	21	1.61	1.69	3.30	6.8
चमड़ा उत्पाद	3	0.11	0.07	0.18	4	0,26	0.15	0.41	15.8
रबर उत्पाद	7	2.16	0.87	3.03	4	2.42	0.80	3.22	18.2
मूल औद्योगिक रसायन	11	0.85	0.69	1.54	10	0.66	0.26	0.92	3.0
उर्वरक व कीट नाशक	2	0.41	0.59	1.00	1	0.36	0.58	0.94	4.0
कृत्रिम रेशे व रेसिन्ज	4	0.56	0.22	0.78	6	0.61	0.29	0.90	4.5
विविध रसायन	8	0.54	0.13	0.67	9	0.56	0.12	0.68	8.3
कांच व कांच उत्पाद	6	0.36	0.22	0.58	5	0.46	0.42	0.88	14.6
सीमन्ट	3	0.82	0.62	1.44	5	1.16	0.84	2.00	3.7
विविध अधातु खनिज उत्पाद	6	0.29	0.17	0.46	4	0.34	0.20	0.54	7.9
लोहा व इस्पात	17	2.17	1.18	3.35	14	2.64	1.03	3.67	10.7
अलौह धातुएं	3	1.11	0.20	1.31	4	0.74	0.24	0.98	30.9
धातु उत्पाद	16	1.08	0.87	1.95	16	1.69	0.72	2.41	16.5
मशीनरी तथा पुर्जे	24	1.59	0.98	2.57	19	2.20	0.70	2.90	15.0
उपस्कर उपकरण और पुर्जे	18	2.28	1.10	3.38	14	1.34	0.71	2.05	11.2
परिवहन उपकरण और पुर्जे	9	1.91	0.67	2.58	6	0.77	0.35	1.12	7.2
विविध निर्माण उद्योग	3	0.02	0.04	0.06	2	0.03	0.06	0.09	3.2
होटल	10	0.61	0.71	1.32	19	0.68	0.72	1.40	11.8
जोड़	296	32.79	18.75	51.54	258	37.37	18.29	55.56	10.2

परिशिष्ट ण

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रवर्तन कार्यों के लिए दातव्य आरक्षित निधि और ब्याज जन्य अन्तर निधियों का उपयोग

(करोड़ रुपये)

क्रमांक	प्रयोजन	दातव्य आरक्षित निधि उपयोग की गई राशि		ब्याज जन्य अन्तर निधियां उपयोग की गई राशि		कुल
		1980-81 (जुलाई-जून) के दौरान	30-6-81 की स्थिति के अनुसार संचयी	1980-81 (जुलाई-जून) के दौरान	30-6-81 की स्थिति के अनुसार संचयी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रवर्तन (तकनीकी सहायता) योजनाएं	—	—	0.107	0.259	0.259
2.	औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षणों और व्यावहार्यता रिपोर्टों आदि सहित विशेष नियत कार्य	0.016	0.033	—	—	0.033
3.	तकनीकी सलाहकारी संगठन :					
	—शेयर पूंजी	—	0.035	0.093	0.243	0.278
	—घाटा	0.004	0.045	—	—	0.045
	—अनावर्ती तथा प्रारम्भिक प्रकृति के व्यय	0.001	0.042	—	—	0.042
	जोड़ (3)	0.005	0.122	0.093	0.243	0.365
4.	जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान :					
	—ऋण	—	—	0.117	1.753	1.753
	—अनुदान	—	—	—	0.300	0.300
	—प्रशासनिक व्यय	0.009	0.113	—	—	0.113
	जोड़ (4)	0.009	0.113	0.117	2.063	2.160
5.	उद्यमीय विकास तथा "औद्योगिक परियोजनाओं के अभिज्ञान, प्रवर्तन, कार्यान्वयन कार्यक्रम" कार्यक्रम	—	0.034	—	—	0.034
6.	प्रबन्ध विकास संस्थान :					
	—संकाय	—	0.300	—	0.700	1.000
	—प्रांगण	0.170	1.293	—	0.412	1.805
	—घाटा	—	—	0.108	0.440	0.440
	—अनुसंधान अध्ययन तथा कार्यक्रम उप सहायता आदि	—	0.021	0.015	0.081	0.102
	—विविध	—	0.075	—	—	0.075
	जोड़ (6)	0.170	1.689	0.123	1.733	3.422
7.	विकास बैंकिंग केन्द्र :					
	—वार्षिक अनुदान	—	—	0.082	0.368	0.368
	—अनुसंधान अध्ययन तथा कार्यक्रम उप सहायता आदि	0.002	0.011	—	—	0.011
	जोड़ (7)	0.002	0.011	0.072	0.368	0.379

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	भा० औ० वि० नि० पीठें	0.001	0.167	—	—	0.167
9.	विशेष अध्ययन (तिलहन अभिसंस्कार उद्योग अध्ययन)	—	0.049	—	—	0.049
10.	उन्मुख कार्यक्रम तथा राज्य स्तरीय संस्थानों की सहायता	—	0.041	—	—	0.041
11.	अन्य*	—	—	—	0.593	0.593
	1 से 11 का जोड़	0.203	2.259	0.522	5.249	7.508

*परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए उपयोग की गई ब्याज जन्य अन्तर निधियों (ऋण भाग) को दर्शाता है ।

	दातव्य आरक्षित निधि	ब्याज जन्य अन्तर निधियां	कुल
30 जून, 1981 तक कुल आबंटन	2.920	7.606	10.526
30 जून, 1981 तक उपयोग	2.259	5.249	7.508
	0.661	2.357	3.018

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 1981

सं० यू-16(53)/80-चिकित्सा-2 (पश्चिमी बंगाल) संग्रह-2—इस कार्यालय की इसी संख्या की अधिसूचना दिनांक 28-10-1980 के क्रम में तथा कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत मुझे निगम की शक्तियों प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में, मैं इसके द्वारा निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को उनके सामने दिए गए सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के अन्दर बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए दिनांक 1-11-1981 (पूर्वाह्न) से चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं। यह नियुक्ति 31-10-1982 तक के लिए या नियमित चिकित्सा निर्देशी की नियक्ति होने तक के लिए जो भी पहले हो, है ।

नाम	क्षेत्र	पारिश्रमिक
1. डा० टी० आर० साहा	हावड़ा मेंडल, चिकित्सा निर्देशी का कार्यालय, शिवपुर स्थानीय कार्यालय, 5/2, एल० एन० चटर्जी लेन, हावड़ा ।	700/- रुपए प्रति-माह
2. डा० एन० सी० दास	चिकित्सा निर्देशी, कार्यालय तारातल्ला, मार्फत बिहाला, स्थानीय कार्यालय, 623, डायमण्ड हारबर रोड, पोस्ट आफिस बिहाला, कलकत्ता-34 ।	700/- रुपए प्रति-माह

शुद्धि-पत्र

सं० यू०-16(53)/80-चिकित्सा-2 (पश्चिमी बंगाल) संग्रह-2—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० यू०-16(53)/80-चिकित्सा-2 (पश्चिमी बंगाल) दिनांक 28-10-1981 के क्रम में अधिसूचना में लिखी गई तारीख "3-11-1980" (पूर्वाह्न) को "1-11-1980 (पूर्वाह्न)" पढ़ा जाए ।

हर मन्दर सिंह
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1981

सं० 11(1)-11/72-यो० एवं वि० (1)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों मे वर्ग 'क' 'ख' तथा 'ग' के लिए प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 7-11-1981 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों

के लिए प्रारम्भ व समाप्त होंगी जसा कि निम्न सूची में दिया गया है :

	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
वर्ग	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क	7-11-81	30-1-82	7-8-82	30-10-82
ख	7-11-81	27-3-82	7-8-82	25-12-82
ग	7-11-81	28-11-81	7-8-82	25-8-82

अनुसूची :—

हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र

क्र० सं०	क्षेत्रहदबस्त संख्या	जिला
1.	राजस्वग्राम मेहतपुर, हदबस्त नं० 230	ऊना
2.	राजस्वग्राम खेरा, हदबस्त नं० 229	ऊना
3.	राजस्व ग्राम परमाणु	सोलन
4.	राजस्व ग्राम गुमा, हदबस्त नं० 949	सोलन
5.	राजस्व ग्राम अम्बोता, हदबस्त नं० 952	सोलन
6.	राजस्व ग्राम कामली, हदबस्त नं० 948	सोलन
7.	राजस्व ग्राम टकसाल, हदबस्त नं० 951	सोलन

सं० 11(1)-11/72-यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 8-11-1981 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम, 95-क तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1976 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हिमाचल प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे :—

अर्थात्

क्र सं०	क्षेत्र/हदबस्त सं०	जिला
1.	राजस्वग्राम मेहतपुर, हदबस्त सं० 230	ऊना
2.	राजस्व ग्राम जखेरा, हदबस्त नं० 229	ऊना
3.	राजस्व ग्राम परवानु	सोलन
4.	राजस्व ग्राम गुम्मा, हदबस्त नं० 949	सोलन
5.	राजस्व ग्राम अम्बोता, हदबस्त नं० 952	सोलन
6.	राजस्व ग्राम कामली, हदबस्त नं० 948	सोलन
7.	राजस्व ग्राम टकसाल, हदबस्त नं० 951	सोलन

डी० पी० मल्होत्रा, निदेशक
योजना एवं विकास

भारतीय खाद्य निगम

प्रधान कार्यालय,

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1981

सं० 10/फा० सं० 36-4/81-ई० पी०—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित विनियम बनाकर भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी वृन्द) विनियम, 1971 में और आगे संशोधन करता है :—

1. (1) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी वृन्द) (79वां संशोधन) विनियम, 1981 कहे जाएंगे।

(2) ये तुरन्त प्रभावी होंगे।

2. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 के विनियम 75 के अंतर्गत विद्यमान प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित बातें रखी जायेंगी :—

"75 विविध:

आदेश, नोटिस आदि दिया जाना :

निगम के कर्मचारियों को आदेश, नोटिस आदि देते समय निगम निम्नलिखित विधि अपनाएगा :—

(i) जहां तक संभव हो वहां तक इन विनियमों के अधीन बनाया गया अथवा जारी किया गया प्रत्येक आदेश, नोटिस और अन्य प्रक्रिया संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द की जाएगी अथवा दी जाएगी।

(ii) उपर्युक्त (i) के अनुसार जहां ऐसा आदेश, नोटिस या अन्य प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जा सकती है वहां नोटिस इत्यादि ऐसे कर्मचारी को रजिस्ट्री रसीदी डाक द्वारा कार्यालय में निगम के पास उपलब्ध कर्मचारी के उस पते पर जहां वह कार्यरत था, अथवा यदि वह छुट्टी पर है तो उसके छुट्टी आवेदन के विवरणों के अनुसार, (यदि कोई हों) भेजा जाये; और

(iii) यदि रजिस्ट्री डाक से भेजा गया नोटिस बिना लिये वापस आ जाता है तो यथोचित स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों और अखिल भारतीय समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित किया जाना चाहिए, इससे यह समझा जाएगा कि यह उस कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से दे दिया गया है।"

आर० नारायणस्वामी,
सचिव

छावनी बोर्ड, रानीखेत छावनी

रानीखेत, दिनांक 27 नवम्बर 1981

सं० का० नि० आ० 243/59/ए० टी० एन०—रानीखेत छावनी में माल, यानों और पशुओं के प्रवेश पर पथकर

लगाए जाने के संबंध में, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना अ० का० नि० आ० 378, तारीख 21 नवम्बर, 1968 में प्रस्तावित कतिपय संशोधनों के बारे में एक सार्वजनिक सूचना तारीख 18 नवम्बर, 1980 को जारी की गई थी और उसे छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 255 के साथ पठित धारा 61 की अपेक्षा अनुसार छावनी बोर्ड, रानीखेत के कार्यालय के सहजदृश्य स्थान पर चिपकाकर प्रकाशित किया गया था और उसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

और तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व छावनी बोर्ड की जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, छावनी बोर्ड, रानीखेत, उक्त अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 378, तारीख 21 नवम्बर, का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा (4) के उपपैरा (ख) के प्रथम परन्तुक की मद (V) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी।

अर्थात् :—

"(VI) निर्वाचन आयोग की ओर से लोक सभा या उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के निर्वाचन के संचालन से संबंधित कर्तव्य पर तैनात कर्मचारीवृन्द के स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रवेश के लिये, रिटर्निंग आफिसर या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर :—

(फा० सं० 53/7/सी०/एल० एण्ड सी०/80

आर० डी० चतुर्वेदी,
छावनी कार्यपालक अधिकारी रानीखेत

STATE BANK OF INDIA
DELHI REGIONAL OFFICE
REGION II

New Delhi, the 1st December 1981

No. R-II/Staff/6107.—

1. Shri I. J. Sehgal, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Accountant's duties on 12-6-81 at Jahangirpuri Branch.

2. Shri P. N. Gosain, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Branch Manager's duties on 3-7-81 at Laxmi Nagar Branch.

3. Shri Santosh Kumar, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Head Cashier' duties at Fatehpuri Branch on 6th July 1981.

4. Shri K. N. Juneja, Officer in Middle Management Grade (Scale II) assumed complete charge of Branch Manager's duties at Kamla Nagar Branch on 24-7-81.

5. Shri S. K. Behal, Officer in Junior Management Grade at Wazirpur Branch.

6. Shri P. K. Goel, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Accountant's duties on 9th July 1981 at Kishanganj Branch.

7. Shri V. K. Sehgal, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Head Cashier's duties at Narela Branch on 29-6-81.

8. Shri B. M. Kuchhal, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Branch Manager's duties at Narela on 29-6-81.

9. Shri H. L. Chawla, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Branch Manager's duties at Old Sectt. Branch on 25-7-81.

10. Shri H. R. Ojha, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Branch Manager's duties at Seemapuri Branch on 23-7-81.

11. Shri V. N. Pushp, Officer in Middle Management Grade (Scale II) assumed complete charge of Branch Manager's duties at Sonepat Branch on 21-9-81.

12. Shri H. R. Aggarwal, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Accountant's duties at Houz Qazi Branch as on 29-12-80.

13. Shri H. D. Kohli, Officer in Middle Management Grade (Scale II) assumed complete charge of Manager (PBD)'s duties at Delhi University Branch on 18-9-81.

14. Shri K. C. Bhatia, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Field Officer's duties at Kamla Nagar Branch on 23rd July 1981.

15. Shri R. K. Sharma, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Bhatgaon Branch as Branch Manager on 12-10-81.

16. Shri M. L. Bajaj, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Accountant's duties at G.T. Karnal Road on 5th October 1981.

17. Shri D. D. Katyal, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Branch Manager's duties as on 29-9-81 at Kharkhoda Branch.

18. Shri M. R. Gupta, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Head Cashier's duties at Kharkhoda Branch on 29-9-81.

19. Shri S. S. Chadha, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Branch Manager's duties at Roshanara Road branch as on 14-10-81.

20. Shri J. S. Chadha, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Accountant's duties on 2-6-81 at Kamla Nagar Branch

21. Shri K. M. Tomar, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Branch Manager's duties at Karwal Nagar Branch on 26-10-81.

22. Shri V. K. Sharma, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Head Cashier's duties at Karwal Nagar Branch on 26-10-81.

23. Shri V. K. Khanna, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Accountant's duties at Clock Tower Branch on 25-9-81.

24. Shri J. L. Khurana, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Accountant's duties at Roshanara Road Branch on 12-8-81.

25. Shri M. P. Sharma, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Manager (P)'s duties at Asaf Ali Road Branch on 10-8-81.

26. Shri S. K. Bhasin, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Manager (P)'s duties at Paharganj Branch on 9-11-81.

(Sd.) ILLEGIBLE
Regional Manager

NOTICE

New Delhi, the 1st December 1981

1 Shri H C Kumar Officer in Junior Management Grade assumed charge as Branch Manager of Inder Lok Branch on 7-3-81

2 Shri M R Malhotra, Officer in Junior Management Grade assumed charge as Branch Manager of Seelampur Branch on 19 2 81

3 Shri Atam Parkash Tuli, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Accountant's duties at Azadpur Branch on 20 3 81

4 Shri Sada Nand Officer in Junior Management Grade assumed complete charge as Manager (P) of Model Town Delhi Branch on 27th February 1981

5 Shri S K Jain Officer in Junior Management Grade assumed complete charge as Branch Manager Badli Branch as at the close of Business on 5th March 1981

6 Shri A K Bhanjee, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge as Branch Manager of Vijay Nagar Branch as at the close of business on 6th April 1981

7 Shri Ram Dutt Officer in Junior Management Grade assumed complete as Branch Manager of Samaipur Branch on 26th December 1980

8 Shri D S Ahuja Officer in Junior Management Grade assumed complete charge as Branch Manager of Samaipur Branch on 26th December 1980

9 Shri S S Khanna Officer in Junior Management Grade assumed complete charge as Accountant of Krishna Nagar Branch as at the close of business on 23rd March 1981

10 Shri S C S Rohilla, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge as Branch Manager of Krishna Nagar Delhi on 31 3-81

11 Shri A K Agarwala Officer in Junior Management Grade assumed complete charge as Branch Manager of Paharganj Branch as at the close of business on 10th April 1981

12 Shri Balraj Kapoor, Officer in Junior Management Grade assumed Field Officer's duties as at the close of business on 18th April 1981

13 Shri R P Dua Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Accountant's duties at G T Road Shahdara Branch as on 29th April 1981

14 Shri P C Garg Officer in Middle Management Grade (Scale III) assumed complete charge of Branch Manager's duties as from 13th April 1981 at G T Road Shahdara Branch

15 Shri S N Budhwar Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Field Officer's duties as on 25th April 1981 at Bartan Market Branch

16 Shri N K Sharma Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Manager (P)'s duties at Tis Hazari Branch as at the close of business on 31st March 1981

17 Shri K L Taneja, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Accountant's duties on 8th May 1981 at R P Bagh Delhi Branch

18 Shri S K Nagpal Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Branch Manager's duties at Kishanganj Branch as at the close of business on 16th April 1981

19 Shri L N Gupta, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Accountant's duties at Clock Tower Branch on 13th April 1981

20 Shri L N Gulati, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Branch Manager's duties on 6th May 1981 at Jahangirpuri Branch

21 Shri J P Sharma, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge as Branch Manager of Gandhi Nagar Branch on 21-1 81

22 Shri S P Sehgal Officer in Middle Management Grade (Scale III) Assumed complete charge of Tis Hazari Branch as Branch Manager as at the close of business on 16 1 1981

23 Shri B R Chawla, Officer in Junior Management Grade assumed complete charge as Cash Accountant at Tis Hazari Branch on 31 3-81

24 Shri B R Sharma Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Khera Khurd Branch on 5th April 1981

25 Shri R K Malhotra Officer in Junior Management Grade assumed complete charge as Branch Manager of Seelampur Branch as on 30 3-81

26 Shri R P Malhotra Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Raipur Road Branch as Branch Manager on 29-5-81

27 Shri S K Chopra Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Azad Market Branch as Branch Manager on 5 5 81

28 Shri B M Mehdiratta Officer in Junior Management Grade assumed complete charge of Clock Tower Branch as at the close of business on 29 5 81

(Sd) ILLEGIBLE
Regional Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(CHARTERED ACCOUNTS)

New Delhi, the 27th November 1981

No 1-CA(127)/81.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Part II of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 the Council of the Institute of Chartered Accountants of India hereby withdraws Notification No 1 CA(18)/67 dated 27th March 1967 published in Part III Section 4 of the Gazette of India dated 29th April 1967

P S GOPALAKRISHNAN,
Secretary

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

33RD ANNUAL REPORT 1980-81

NOTICE

Notice is hereby given that the THIRTY-THIRD ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA will be held on Wednesday, the 30th September, 1981, at 4 00 PM (Standard Time) at **Hotel Imperial, Janpath, New Delhi-110 001** to transact the following business

(1) To read and consider the Balance Sheet of the Corporation and the Profit and Loss Account for the year ended the 30th June 1981, together with the Report by the Board on the working of the Corporation for the year and the Auditors' Report on the said Balance Sheet and Accounts

(2) To elect one Director each in place of:—

(i) Shri P.C.D. Nambiar,

(ii) Shri S. Hariharan, and

(iii) Shri J. U. Patel,

being Directors elected to represent shareholders referred to in clauses (c), (d) and (e) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, respectively, who retire, but are eligible for re-election under third proviso to sub-section (2) of Section 11 of the IFC Act.

(3) To elect under Section 34 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, one Auditor duly qualified to act as Auditor of Companies under sub-section (1) of Section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) by the parties mentioned in sub-section (3) of Section 4 of the Industrial Finance Corporation Act, namely scheduled banks, insurance companies, investment trusts and other, like financial institutions, and cooperative banks, in place of Messrs Ray & Ray, Chartered Accountants, Calcutta, who retire, but are eligible for re-election.

D. N. DAVAR
General Manager

17th July, 1981

CHAIRMAN
B. B. SINGH

DIRECTORS
R.K. KAUL
S. L. KAPUR
Nominated by the Central Government

S. A. DAVE
J. C. SANDESARA

S. K. DATTA
K. P. TRIPATHI
Nominated by Industrial Development Bank of India

P. C. D. NAMBIAR
O. P. GUPTA
Elected for represent Scheduled Banks

G. V. KAPADIA
S. HARIHARAN
Elected to represent Insurance concerns, Investment Trusts and like financial institutions

J. U. PATEL
N. S. SAPKAL
Elected to represent Co-operative Banks

GENERAL MANAGER
D. N. DAVAR

BANKERS
Reserve Bank of India

AUDITORS
B. L. Ajmera and Co.

Chartered Accountants
Ray and Ray

Chartered Accountants

HEAD OFFICE
Bank of Baroda Building,
16-Sansad Marg,
New Delhi-110 001.

ADVISORY COMMITTEES

CHEMICAL PROCESS & ALLIED INDUSTRIES

B. B. Singh, Chairman
J. U. Patel
O. P. Gupta
G. V. Kapadia
K. P. Tripathi
S. K. Datta
S. S. Sachdeva
D. G. Rao
S. L. Kapur
N. V. C. Rao
A. K. Bose
D. K. Roy
J. P. Kapur
K. C. Sharma

TEXTILES

B. B. Singh, Chairman
J. U. Patel
J. C. Sandesara
N. S. Sapkal
M. D. Joshi
M. S. Pradhan
H. Ramakrishna Rao
H. S. Ranka
H. P. Bhattacharya
A. K. Bhansali
P. C. Mehta
S. S. Chhaparia

HOTELS

B. B. Singh, Chairman
O. P. Gupta
G. V. Kapadia
K. P. Tripathi
K. K. Srivastava
S. K. Misra
R. N. Renjen
C. L. Sharma
S. N. Chib
K. G. Appusamy
A. K. Dave
J. Krishnaswamy

ENGINEERING

B. B. Singh, Chairman
J. U. Patel
J. C. Sandesara
S. K. Datta
K. P. Tripathi
Hari Bhushan
K. N. Ramaswamy
S. R. Tata
K. V. Sardesai
P. Sen
M. L. Jain
B. Ramachandra
Chandra Mohan
S. M. Patil
B. N. Khosla

SUGAR

B. B. Singh, Chairman
J. C. Sandesara
N. S. Sapkal
K. P. Tripathi
C. N. Raghavan
N. R. Banerji
M. D. Joshi
N. A. Ramaiah
K. J. S. Bhatia
J. P. Mukherji
A. L. N. Moorthy
D. K. Patel
Kishan Singh

JUTE

B. B. Singh, Chairman
J. C. Sandesara
S. K. Datta
S. P. Mallick
A. K. Mukherjee
S. Krishnamoorthi
K. Margabanthu
C. T. Das
D. Gupta
G. Sivaraman
S. K. Bhattacharya
S. Sarkar

IFCI—A PORTRAIT

- Industrial Finance Corporation of India (IFCI) is the first Development Bank established in the country soon after independence by an Act of Parliament on the 1st July, 1948, with the object of providing meduim and long term credits to eligible industrial concerns in the country.

- Fifty per cent share capital of IFCI is held by the Industrial Development Bank of India (IDBI) and the rest by nationalised and scheduled banks, co-operative banks, insurance concerns and a investment trusts, etc. The general superintendence and direction of the affairs and business of IFCI vests in a Board of Directors consisting of a whole-time Chairman appointed by the Central Government after consultation with IDBI and 12 other directors, of whom, 6 are elected by shareholders other than IDBI, 2 are nominated by the Central Government and 4 are appointed by IDBI.

- IFCI provides direct financial assistance in the form of rupee and foreign currency loans, underwriting and/or direct subscription to shares/debentures as also guarantees for deferred payments and foreign loans to all eligible meduim and large-sized industrial projects set up or proposed to be set up in the country in the corporate and/or co-operative sector.

- Financial assistance from IFCI is available for the setting-up of new industrial projects as also for the expansion, diversification, renovation or modernisation of existing ones.

- Through its Benevolent Reserve Fund (BRF) and allocations out of Interest Differential Funds (IDFs) received by it from the Central Government and its specially devised promotional schemes, IFCI helps in the development and growth to small scale and ancillary units. It also provides much-needed guidance to small and medium scale new entrepreneurs through the specialised agencies like Technical Consultancy Organisation (TCOs), etc., set up for the purpose.

- IFCI has set up the Risk Capital Foundation (RCF) at New Delhi to help new entreprcneurs in raising the promoters' equity. The Management Developmet Institute (MDI) and the Development Banking Centre (DBC), sponsored by IFCI, provide training in modern management techniques and thereby help in the development of entrepreneurship and managerial skills in different sectors of industry.

Summary of Operations

(Rs Crores)

Nature of Assistance	1979-80 Sanctions No	1979-80 Amount	1979-80 Amount disbursed	1980-81 Sanctions No	1980-81 Amount	1980-81 Amount disbursed	1948-81 Amount sanctioned	1948-81 Amount disbursed	Total outstanding as on the 30th June, 1981
Loans									
Rupee	188	125 29	82 78	200	176 36	105 63	990 53	708 77	500 54
Foreign curreny@	28	21 78	9 56	31	17 57	19 28	152 99	122 22	47 47
Total	216	147 07	92 34	231	193 93	124 91	1143 52	830 99	548 01
Underwritings									
Equity shares	37	7 38	1 73	56	13 67	1 37	61 63	20 81	17 22
Preference shares	1	0 10	—	—	—	0 06	10 66	8 23	4 60
Debentures	2	1 12	—	2	3 00	0 07	15 63	8 99	0 78
Total	40	8 60	1 73	58	16 67	1 50	87 92	38 03	22 60
Direct Subscriptions									
Equity shares	11	0 58	0 47	5	0 43	0 49	6 13	4 88	10 85£
Preference shares	—	—	—	—	—	—	0 32	0 32	0 83£
Debentures	1	0 04	0 04	1	0 15	0 15	2 03	2 03	0 24
Total	12	0 62	0 51	6	0 58	0 64	8 48	7 23	11 92
Gurantees									
For deferred payments	1	0 14	—	1	0 70	—	29 52	28 76	0 34
For foreign loans	—	—	—	—	—	—	23 61	23 53	—
Total	1	0 14	—	1	0 70	—	53 13	52 29	0 34
Grand Total	269*	156 43	94 58	296**	211 88	127 05	1293 05	928 54	582 87*

@All foreign currency figures have been converted at T T selling rates of exchange as on the 30th June, 1981

£Includes Rs 0 87 crores representing part of outstanding loans (overdue interest, etc) of 5 concerns coverted into shares Rs, 0 18 crore of convertible debentures of 3 concerns converted into equity shares and also Rs 5 80 crores of outstanding loan amount converted into equity shares in respect of 48 concerns, where the condition of right of conversion was stipulated at the time of sanction of loan assistance

*These sanctions were made to 237 projects of 202 cocerns

**These sanctions were made to 253 projects of 222 concerns

Spread and Coverage of Assistance 1948-81

	SPREAD			COVERAGE	
	Amount Sanctioned (Rs Crores)	No of projects		Amount sanctioned (Rs Crores)	No of projects
1	2	3	4	5	6
State/Territory			**Industry**		
Andhra Pradesh	105 45	117	Sugar		
Assam	12 03	11	Co-operatives	148 89	144
Bihar	48 36	50	Others	38 69	53
Gujarat	108 05	119		187 58	197

1	2	3	4	5	6
Haryana	39·67	61			
Himachal Pradesh	7·76	12	Textiles	211·12	296
Jammu & Kashmir	4·32	8	Jute manufactures	16·77	24
Karnataka	107·18	113	Chemicals :		
Kerala	46·84	41	Basic chemicals	92·56	72
Madhya Pradesh	36·95	38	Fertilisers & pesticides	63·38	23
Maharashtra	239·65	276	Synthetic fibres & resins	52·44	39
Meghalaya	2·74	2	Other chemicals	22·96	47
				231·34	181
Nagaland	0·50	1			
Orissa	28·00	28	Cement	109·57	66
Punjab	53·89	51	Paper	104·65	86
Rajasthan	69·81	57	Rubber products	32·90	24
Tamil Nadu	128·98	123	Iron & Steel	76·63	87
Tripura	1·16	1	Machinery	62·08	92
Uttar Pradesh	137·36	141	Transport equipment	43·38	52
West Bengal	89·51	129	Electrical machinery & appliances	40·36	64
Andaman & Nicobar Islands	0·49	1	Non-ferrous metals	36·63	31
Delhi	13·85	13	Metal products	28·68	54
Goa	8·70	8	Electricity & gas	27·25	11
Pondicherry	1·80	3	Hotels	22·30	14
			Others	61·81	105
TOTAL :	1293·05	1404	TOTAL :	1293·05	1404

Financial Summary
1980-81

	Rs. Crores	US $ Million Equivalent*
Share capital (Paid-up)	17·50	21·82
Reserves	40·13	50·03
Borrowings in Rupees	493·30	615·08
Borrowings in Foreign Currencies	42·51	53·00
Current & other liabilities	34·82	43·41
Contingent liabilities	0·50	0·52
Loans & advances	548·01	683·30
Investments	35·48	44·23
Cash & bank balances	21·16	26·38
Fixed & other assets	23·61	29·43
Constituents' obligations	0·50	0·62
Gross income	48·25	60·16
Profit before tax	12·94	16·13
Tax	4·56	5·68
Net Profit	8·38	10·45
Dividend	1·12	1·39

*Rupee amount converted at T.T. selling rate of exchange on the 30th June 1981 @ Rs. 8 02/US$.

The Year..

ECONOMIC SCENE

The fiscal year 1980-81 recorded a growth rate of 6·5% in the GNP in contrast to a fall of 4·5% in the previous year.

The agricultural production in the year 1980-81 increased by 18% in contrast to a decline of 15·5% in 1979-80. Output of cash crops, like sugarcane, cotton, jute, oilseeds, etc., registered a significant increase. Foodgrains production in 1980-81 reached the figure of 133 million tonnes against 109 million tonnes in 1979-80.

The concerted efforts by Government to improve infrastructure facilities helped industrial production during the year 1980-81 steadily. The industrial growth rate registered an increase of 4·1% in the year compared to a fall of 1·4% during 1979-80.

While the exports showed an increase of nearly 11% in 1980-81 over the previous year, the import bill, mainly because of substantial increase in the world price of petroleum/petroleum products, shot up by 43% with the result that export earnings in 1980-81 could finance only about 55% of the total import bill of the country.

The position of exports could, of course, have been better, but for the protectionist policies adopted by the developed countries, affecting the growth rate of exports particularly of jute, engineering goods, leather, etc. On the other hand, the liberalisation of the import policy, in the context of other imperatives of the economy, added to the pressure on the balance of trade. Concerted efforts for improvement in this sector of economy continue to be made.

The wholesale price index (1970-71 = 100) which had risen by 19·9% during 1979-80 (July-June) rose by 17·1% only in 1980-81. The encouraging trends of economic activity during the year thus presented a picture of overall confidence.

A major land mark during the year was the Industrial Policy Statement of July, 1980. The optimum utilisation of installed capacity and the expansion of industries, as part of a wider strategy for the revival of the industrial economy, constitute the core of this policy and the objectives include higher employment generation, correction of regional imbalances, faster growth of export-oriented industries as well as self-reliance through deliberate and systematic import substitution development of agro-based industries and equitable opportunities for investment and dispersal of small and growing units in rural as well as urban areas.

In budget proposals for the year 1981-82, Government decided to give a number of incentives and reliefs. 'Investment Allowance' or 'tax holiday' was extended to another 14 industries. Interest rates on deposits with banks were raised with a view to encourage savings and investment. Interest rate ceiling on debentures was also raised from the existing 12% to 13·5%, besides enhancing the debt-equity ratio norm from 1:1 to 2 : 1. The requirements under Stock Exchange guidelines restricting the promoters to hold a maximum of 40% of the equity of a new company were also relaxed.

The year under report also saw the launching of the Sixth Five Year Plan (1980—85) envisaging an outlay of Rs. 1,72,210 crores at 1979-80 prices so as to achieve an annual growth rate of 5·2% p.a. in the gross domestic product and of 3·3% p.a. in per capita income.

Of the total plan outlay, Rs. 97,500 crores (including Rs. 13,500 crores on current outlay) are to be invested in the public sector and Rs. 74,710 crores in the private sector. Out of the above outlays, 'Industry & Minerals' have been allocated Rs. 15,018 crores in the public sector and Rs. 15,182 crores in the organised private corporate and co-operative sectors.

Of late, Government and the Reserve Bank of India have implemented a package of anti-inflationary measures. The Bank Rate and the Statutory Liquidity Ratio of banks have been enhanced by 1% each from 9% to 10% and 34% to 35% respectively.

The impact of the improvement in the economic situation had also a stimulating effect on the operations of IFCI. Activities of IFCI recorded an all-round progress in 1980-81.

The Year..

IFCI'S OPERATIONS

The net financial assistance sanctioned by IFCI during 1980-81 amounted to Rs. 211·88 crores for 253 projects, which showed an increase of 35·4% over the previous year's sanctions.

Industries of high national priority and other selected industries of importance claimed a major share of IFCI's assistance during the year 1980-81, which accounted for 83·4% of the total assistance sanctioned.

During the year, 104 new projects claimed assistance of Rs. 131·41 crores. Assistance was granted to 84 projects for modernisation and renovation amounting to Rs. 39·70 crores in addition to assistance of Rs. 25·52 crores sanctioned to 50 projects, under the Soft Loans Scheme. Assistance amounting to Rs. 15·25 crores was sanctioned to 15 projects for implementing the schemes of expansion/diversification.

During the year 7 new projects promoted by new entrepreneurs claimed assistance of the order of Rs. 9·10 crores. Another 8 new projects set up by new entre preneurs, which were assisted earlier, were provided additional and/or over-run assistance amounting to Rs. 1·44 crores for their completion.

During the year, assistance to projects located in notified less developed districts/areas aggregated Rs. 103·26 crores for 127 projects, which worked out to 48·7% of the total assistance sanctioned during the year as against 46·5% in the previous year.

Sugar and textile co-operatives numbering 22 claimed assistance of the order of Rs. 19 crores during the year. This was substantially higher than the assistance of Rs. 4·34 crores sanctioned during the previous year to 9 co-operatives.

Private corporate sector claimed assistance to the extent of 60·6% ·joint sector 10·2%, public sector 20·2% and co-operative sector 9%.

Disbursements amounted to Rs. 127·05 crores, which showed an increase of 34·3% over the preceding year's figure of Rs. 94·58 crores.

The operations for the year showed a gross profit of Rs. 12·94 crores as against Rs. 10·18 crores in the previous year. After providing Rs. 4·56 crores for taxation, the net profit amounted Rs. 8·38 crores which was the highest attained by IFCI so far in its thirty-three years of existence. For the first time, IFCI has declared a dividend of 7% on its paid-up share capital.

The cumulative net financial assistance sanctioned by IFCI during thirty-three years of its service to industry aggregated, up to the 30th June, 1981, Rs. 1293·05 crores for 1404 projects of 1178 concerns involving a capital outlay of Rs. 9546·20 crores. This assistance was extended to 188 concerns in the co-operative sector, 109 concerns in the joint sector, 80 concerns in the public sector and 801 in the private corporate sector.

Total disbursements up to the 30th une, 1981 aggregated Rs. 928·54 crores, which constitutecd 71·8% of the total sanctions. The total assistance outstanding up to the 30th June, 1981 amounted to Rs. 582·87 crores.

The Technical Consultancy Organisations (TCOs), sponsored by IFCI, one each for Himachal Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh, improved their performance significantly. TCOs constitute an important institutional infrastructure for promotion of industries and for providing the much-needed guidance in project identification, formulation, implementation and operation, etc., to the new, small and meduim scale entrepreneurs.

The Risk Capital Foundation (RCF), sponsored by IFCI with a view to providing assistance towards promoters' equity, did a good business. The eumulative sanctions of RCF as on the 30th june, 1981, stood at Rs. 2·54 crores to 60 beneficiaries in respect of 35 projects. The assistance from RCF, which is interest-free and carries only a service charge, enables new entrepreneurs and technologists to contribute their share of the promoters' equity in respect of projects being promoted by them.

The Management Development Institute (MDI) along with its Development Banking Centre (DBC) continued to fulfil needs of industry in the field of management development and research in an effort to promote the application of management sciences, generally to industrial concerns. During the year, the total programmes organised by MDI, including DBC, aggregated 55 and another 30 programmes in all were conducted in the fiist half of the year 1981.

During the year, IFCI decided to institute two more Chairs for the promotion of research in the field of industrial management and develoment banking, one each at the Department of Commerce, University of Gauhati and University of Madras.

Report of the Board of Directors for the year Ended the 30th June, 1981, under Section 35 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948)

1. WORKING RESULTS AND PERFORMANCE—1980-81

The Board of Directors of IFCI have pleasure in presenting the 33rd Annual Report with the audited Statement of Accounts for the year ended the 30th June, 1981.

Working Results

The year's working resulted in a total income of Rs. 48·25 crores, as against Rs. 39·77 crores in the previous year. After deducting interest paid on bonds and other borrowings, amounting to Rs. 30·80 crores, and, after meeting all expenses, including Rs. 0·05 crore towards depreciation, and, Rs. 0·11 crore towards loss on account of exchange fluctuations, the profit before tax for the year amounted to Rs. 12·94 crores, as against Rs. 10·18 crores in the previous year. After providing for income-tax liability to the extent of Rs. 4·56 crores, the net profit for the year worked out to Rs. 8·38 crores, as against Rs. 4·79 crores in the previous year.

The net profit for the year has been appropriated as under :—

(Rs Crores)

	This year 1980-81			Previous year 1979-80	
Net profit for the year		**8·38**		4·79	
Appropriations					
Transferred to—					
(a) General Reserve Fund	1·46				0.85
(b) Benevolent Reserve Fund	0·25				0·25
(c) Special Reserve (Under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)	5·54				2·73
		7·25		3·83	
Allocation to Staff Welfare Fund		0.01		0·02	
Payment of dividend		1·12	(7%)	0·94	(6½%)
		8.38		4.79	

The increase in the net profit for the year by 74·9% over the previous year's profit is largely due to improved working as also the higher tax relief available to the financial institutions under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961.

With the transfer of Rs. 7·25 crores to the reserves, it may be possible for IFCI to mobilise more resources for financing by way of borrowings.

Operations—1980-81

Due to an overall improvement in the economy, particularly in the latter half of the fiscal year 1980—81, there was a marked increase in the number of applications received for financial assistance. IFCI, jointly with other all-India financial institutions, processed applications from 259 concerns for an aggregate assistance of Rs. 1319·57 crores (including Soft Loan cases), during the year, as against applications from 237 concerns for an aggregate assistance of Rs. 865·84 crores (including Soft Loan cases) in the previous year. On an average more than 21 applications were processed in each month of the year.

A Statement showing disposal of applications (including Soft Loan cases) during the year, State-wise, is given in **Appendix -A** to the Report.

As on the 30th June, 1981, complete applications from thirty-three concerns (including applications from two concerns for Rs. 4·90 crores under the Soft Loans Scheme) for an aggregate assistance of Rs. 260·50 crores, were under various stages of processing. In addition, applications from 70 concerns under normal schemes of financing and 6 concerns under Soft Loans Scheme for an aggregate assistance of Rs. 617·85 crores and Rs. 15·87 crores respectively, on joint financing basis, were also under examination of IFCI along with other all-India financial institutions.

Sanctions

The gross financial assistance sanctioned by IFCI during 1980—81, aggregated Rs. 212·73 crores for 253 projects, of 222 concerns, as against Rs. 157·24 crores sanctioned for 237 projects of 202 concerns in 1979—80. The net financial assistance sanctioned, after adjusting cancellation of Rs. 0·85 crore, amounted to Rs. 211·88 crores for 253 projects, which showed an increase of 35·4% over the net financial assistance of Rs. 156·43 crores for 237 projects in the preceding year. Full particulars of concerns sanctioned assistance during the year are given in **Appendix-B** to the Report.

Rupee sanctions, comprising rupee loans of Rs. 176·36 crores including underwriting and direct subscription assistance of Rs. 17·25 crores and guarantees of Rs. 0·70 crore, were of the

order of Rs. 194·31 crores in 1980-81, as against Rs. 134·65 crores in 1979-80—an increase of 44·3%. Rupee loans amounting to Rs. 176·36 crores sanctioned during 1980-81 included a sum of Rs. 25·52 crores to 50 projects under the Soft Loans Scheme.

Foreign currency loans sanctions during the year amounted to Rs. 17·57 crores as against the sanctions of Rs. 15·16 crores sanctioned in the preceding year (Rs. 21·78 crores, if converted at the T.T. selling rate ruling as on the 30th June, 1981). It may be noted that in conformity with the procedure adopted by IFCI from the 1st July, 1980, the rupee equivalents of foreign currency loans are being reckoned at the T.T. selling rates prevailing on the last day of the accounting year, as against the erstwhile practice of converting them at the parity rates.

Disbursements

Disbursements in 1980-81 were of the order of Rs 127·05 crores as against Rs. 94·58 crores in 1979-80 showing an increase of about 34·3%. The rupee loan disbursements aggregated Rs. 105·63 crores, including a sum of Rs. 24·59 crores disbursed under the Soft Loans Scheme. Foreign currency loan disbursements amounted to Rs. 19·28 crores in the year as against Rs. 9·56 crores disbursed in the preceding year at the T.T. selling rates as on the 30th June, 1981, (Rs. 7·91 crores at erstwhile parity rate) in 1979-80. The investments by way of underwriting/direct subscription during the year amounted to Rs. 2·14 crores.

Assistance to Priority Sector

Industries of high national priority and other selected industries of importance continued to claim the major share of IFCI's assistance during the year, which accounted for 83·4% of the total assistance sanctioned. Cotton textiles claimed 18·6% of the total assistance sanctioned followed by sugar 11·5%, cement 11·5%, paper 9·2%, basic industrial chemicals 5·7% and power generation including equipments etc., 4·8%. Out of 253 projects assisted during the year, the number of projects in industries of high natioal priority and other selected industries of importance was 199, and, claimed assistance of Rs. 176·75 crores.

Types of Projects Assisted

An analysis of the assistance sanctioned during the year 1980-81 shows that Rs. 131·41 crores were claimed by 104 new projects, while assistance for modernisation and renovation, etc., amounted to Rs. 39·70 crores for 84 projects. Expansion/diversification of 15 projects claimed Rs. 15·25 crores, and Rs. 25·52 crores went to 50 projects sanctioned assistance under the Soft Loans Scheme. The analysis also reveals that the industry attached considerable importance to the setting up of new units as also for modernisation of existing units, and, insofar as the expansion programmes were concerned, the industry was able to, in most of the cases, meet of the requirement to a consideable extent from their own internal generations.

Another significant feature of the year's assistance was that high-cost projects involving project cost of above of Rs. 5·00 crores claimed 88·5% of the assistance sanctioned to the new projects as against 66·1% in 1979-80. **Appendix-C** to the Report gives the classification of new projects assisted during the last two years, according to the size of the total capital outlay.

Assistance to Projects set up by New and Technician Entrepreneurs

During the year, 7 new projects promoted by new entrepreneurs claimed assistance of the order of Rs. 9·10 crores. Another 8 new projects set up by new entrepreneurs, which were assisted earlier, were provided additional and/or over-run assistance amounting to Rs. 1·44 crores for their completion. The new projects set up by new entrepreneurs included 3 cement plants, 2 in Andhra Pradesh and one in Karnataka, a hotel in Goa, a spun silk plant in Karnataka, a polybutenes manufacturing plant in Gujarat and a ceramic glazed tiles plant in Rajasthan.

Assistance for Projects in Less Developed Areas

During the year, assistance to projects located in the notified less developed districts/areas aggregated Rs. 103·26 crores for 127 projects, which worked out to 48·7% of the total assistance sanctioned during the year as against 46·5% in the previous year. Of the projects assisted in the notified less developed districts/areas, 68 were new projects, of which 19 projects involved a capital outlay of Rs. 5·00 crores and below each, and 49 projects had a capital outlay of more than Rs. 5·00 crores each.

Sectoral Classification of Assistance

During the year, IFCI sanctioned assistance to 19 sugar co-operatives of the order of Rs 16·70 crores and three textile co-operatives to the extent of Rs. 2·30 crores, totalling Rs. 19·00 crores. This was substantially higher than the assistance sanctioned during the previous year, which was Rs. 4·34 crores only to 9 co-operatives. Of the 22 co-operatives sanctioned assistance during the year, 7 co-operatives from Maharashtra claimed assistance of the order of Rs. 7·51 crore followed by 5 in Uttar Pradesh (Rs. 3·62 crores), 4 in Andhra Pradesh (Rs. 3·47 crores), 3 in Karnataka (Rs. 2·25 crores) and one each in Gujarat (Rs. 0·60 crores), Madhya Pradesh (Rs. 1·05 crores) and Orissa (Rs. 0·50 crores).

In the corporate sector, 173 projects in the private sector claimed assistance of the order of Rs. 128·45 crores, while 28 joint sector units and 30 public sector units claimed assistance of Rs. 21·52 crores and Rs. 42·91 crores respectively. In the private corporate sector, assistance to large industrial houses, i.e., inter-connected under

takings registered under MRTP Act, 1969, showed a steep decline to 17·4% of the total assistance sanctioned during the year from 30·6% of the total assistance sanctioned in the previous year.

Percentage-wise, the private corporate sector claimed assistance to the extent of Rs. 60·6%, joint sector 10·2%, public sector 20·2% and co-operative sector 9%.

Appendix-D to the Report gives the sector-wise as well as industry-wise classification of financial assistance sanctioned during the year.

Industry-wise Sanctions and Disbursements (1980-81)

The industry-wise distribution of financial assistance sanctioned and disbursed during the year is given in **Appendix-E** to the Report. Industry-wise statistical data in the Report has been presented according to the National Industrial Classification.

It would be observed that the textile industry claimed major share of assistance followed by chemicals and chemical products, sugar, paper, cement, engineering industries, etc.

Soft Loans Scheme

As mentioned earlier, the assistance sanctioned during the year 1980-81 included a sum of Rs. 25·52 crores for 50 projects of 39 concerns under the Soft Loans Scheme.

The assistance sanctioned under the Soft Loans Scheme showed a decline in the year 1980-81 compared to the sanctions accorded in previous year. This trend could be attributed to (a) the favourable conditions that prevailed in the textile industry, in particular, cotton textiles which helped most of the units to finance their modernisation and renovation schemes out of their own resources and (b) the units, particularly in the jute sector, possibly relegating their modernisation programmes to the background, more so due to non-availability of quality spare parts and machinery required for the renovation as also the unduly long delivery schedules indicated by the few machinery suppliers in the country.

Out of the total assistance of Rs. 25·52 crores sanctioned under the Soft Loans Scheme (Rs. 2·90 crores on soft terms and Rs. 22·62 crores on normal terms), 54·3% (Rs. 13·86 crores) was claimed by 28 projects in cotton textile industry followed by 9 projects in engineering industry which accounted for 25·9% (Rs. 6·60 crores). Six sugar units shared 11·1% of assistance (Rs. 2·84 crores), five cement units claimed 3·4% (Rs. 0·87 crore) and two jute units had a share of 5·3% (Rs. 1·35 crores) in the total sanctions under the Soft Loans Scheme.

Of the 50 projects claiming assistance under the Soft Loans Scheme, 11 belonged to Maharashtra, 8 to Uttar Pradesh, 7 to Gujarat, 4 to Madhya Pradesh, 5 to Andhra Pradesh, 5 to Tamil Nadu, 3 to West Bengal, 2 to Karnataka and one each to Bihar, Haryana, Punjab, Orissa and Rajasthan. Assistance to projects in Maharashtra and Gujarat together was of the order of Rs. 11·30 crores which worked out to 44·3% of the total assistance sanctioed under the Soft Loans Scheme. This was due to the fact that a number of textile units located in Maharashtra and Gujarat availed themselves of the assistance under the Scheme.

State-wise Sanctions and Disbursements (1980-81)

IFCI's assistance was spread over 18 States and 3 Union Territories. Table 1 gives the State-wise sanctions and disbursements during the year.

It will be observed from the Table that Maharashtra, Andhra Pradesh, Rajasthan and Punjab accounted for 49·9% of the total assistance sanctioned during the year under review. The corresponding share of these States during the preceding year, i.e., 1979-80 was 34·2%. The share of these four States went up mainly on account of large assistance sanctioned to certain highly capital intensive projects in the said States, as for instance, cement, synthetic fibre, textiles, heavy industrial machinery, caustic soda, soda ash, sugar, etc.

The share in the assistance sanctioned to the States of Uttar Pradesh, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu and West Bengal varied between 8·0% to 4·4%. All other States/Union Territories claimed assistance between 2·7% to 0·1%.

Table 1

State-wise Sanctions and Disbursements 1980-81

(Rs. Crores)

State/Territory	SANCTIONS						DISBURSEMENTS		
	Loans		Underwritings/ Direct subscriptions	Guaranteed	Total	Percentage of total sanctions	No. of projects	Amount	Percentage of total disbursement
	Cooperative Sector	Corporate Sector							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Andhra Pradesh . . .	3·47	20·68	1·69	—	25·84	12·2	29	6·08	4·8
Assam	—	0·50	—	—	0·50	0·2	1	—	—
Bihar	—	5·64	0·05	—	5·69	2·7	10	3·20	2·5
Gujarat	0·60	12·18	2·02	—	14·80	7·0	17	6·97	5·5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haryana	—	4·60	0·59	—	5·19	2·4	9	3·29	2·6
Himachal Pradesh	—	2·99	0·80	—	3·79	1·8	3	1·34	1·1
Jammu Kashmir	—	2·15	—	—	2·15	1·0	2	—	—
Karnataka	2·25	11·07	0·61	—	13·93	6·6	15	13·91	11·0
Kerala	—	4·50	0·55	—	5·05	2·4	5	9·93	7·8
Madhya Pradesh	1·05	2·58	0·30	—	3·93	1·8	7	3·51	2·8
Maharashtra	7·51	25·99	2·93	—	36·43	17·2	41	23·09	18·2
Orissa	0·50	3·10	0·28	—	3·88	1·8	5	3·22	2·5
Punjab	—	17·97	3·06	—	21·03	9·9	14	7·55	5·9
Rajasthan	—	18·95	2·81	0·70	22·46	10·6	25	8·78	6·9
Tamil Nadu	—	13·22	0·49	—	13·71	5·8	21	15·50	12·2
Tripura	—	0·36	—	—	0·36	0·2	1	0·15	0·1
Uttar Pradesh	3·62	12·94	0·49	—	17·05	8·0	27	13·77	10·8
West Bengal	—	9·07	0·25	—	9·32	4·4	14	4·18	3·3
Delhi	—	4·14	—	—	4·14	2·0	3	1·36	1·1
Goa	—	2·14	0·33	—	2·47	1·2	3	1·08	0·8
Pondicherry	—	0·16	—	—	0·16	0·1	1	0·14	0·1
Total :	19·00	174·93	17·25	0·70	211·88	100·0	253	127·05	100·0

Processing of Sanctions

Of the 222 concerns sanctioned assistance during the year 1980—81, as many as 174 concerns were sanctioned assistance within a period of 3 months, 32 within a period of 6 months and 16 within a period of more than 6 months. By and large, more than 80% of the concerns were sanctioned assistance within the time frame of 4 months which the institutions have been endeavouring to adhere to.

Economic Contribution of Projects Assisted during the year.

An analysis of the economic contribution of 117 new, expansion and diversificatin projects assisted by IFCI during the year is given in Table 2. This does not, however, include the cases of overruns in project cost and modernisation schemes, etc.

Table 2

Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects Assisted by the Corporation during 1980-81

(Rs. Crores)

Industry	No. of projects	Total capital cost	Direct employment to be created (Nos.)	Value of output	Gross value added	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar	19	131·94	11988	128·77	17·03	3,22,095 tonnes of sugar.
Cotton textiles	18	126·23	14953	162·00	40·31	3,63,578 spindles* and 300 looms.
Paper & paper products	11	61·82	3878	62·43	19·82	66,650 tonnes of writing and printing paper, 4,950 tonnes of poster paper, 5,450 tonnes of speciality paper and 10,000 tonnes of duplex boards.
Cement	9	222·57	2965	102·73	51·35	29·96 lakh tonnes.
Fertilisers & pesticides	4	59·35	792	74·14	14·89	82,500 tonnes of single super phosphate, 66,000 tonnes of ammonium chloride 1,50,000 tonnes of diammonium phosphate and 1,000 tonnes of malathion.
Chemicals & chemical products	14	124·19	2573	121·98	43·69	74,119 tonnes of caustic soda, 36,900 tonnes of liquid chlorides, 46,200 tonnes of hydrochloric acid, 10,000 tonnes stable bleaching powder 1,000 tonnes of calcium hypochloride, 33,000 tonnes of sulphuric acid, 800 tonnes of polypropylene film, 245 tonnes of napthols, 200 tonnes of fast colour base, 2,700 tonnes of guargum and derivatives, 200, tonnes of fluchloralin (Basalin), 135 tonnes of carbandazim (Bavistin,) 50 tonnes of tridomorph (Calixin), 600 tonnes of acrylic binders, 700 tonnes of fat liquors, 200 tonnes of metal complex dyes, 5,000 tonnes of polyoutenes, 20,000 tonnes of carbon black, 4,015 tonnes of rosin, 825 tonnes of turpentine, 2,290 tonnes of derivatives of rosin etc., 3,539 tonnes of precured tread rubber and accessories and 1,20,000 nos. of automobile tyres.

Table 2 (Contd.)

(Rs. Crores)

Industry	No. of projects	Total capital cost	Direct employment to be created (Nos.)	Value of output	Gross Value added	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
B/f	75	726·10	36789	652·05	187·09	
Metal products	9	39·87	1761	64·35	19·34	1,500 tonnes of aluminium foils, 3,000 tonnes of aluminium alloy extrusions, 6·5 million nos. of rolled ring bearings, 4,500 nos. of marine containers, 12,000 tonnes of strappings and accessories 6·6 lakh sq. metres of copper foils and 3·35 lakh sq. metres of copper clad phenolic base laminates and 76·8 million nos. of metal containers.
Hotel	6	79·45	3212	40·52	19·79	1,548 rooms
Other industries	27	220·00	8906	223·63	65·45	
	117	1065·42	50668	980·55	291·67	

*Excludes marginal expansion in capacity involved in certain cases where assistance was sanctioned under the Soft Loans Scheme.

It will be observed from the Table that IFCI's assistance is expected to help create additional capacities in various industries including consumer industries like cotton textiles, sugar, cement, paper, etc. The total capital cost of 117 projects studies is estimated to be Rs. 1065·42 crores and the value of output is expected to be of the order of Rs. 980·55 crores. The projects are also expected to create direct employment for about 50,668 persons. The gross value is likely to be Rs.' 291·67 crores.

2. THIRTY THREE YEARS A : REVIEW

The performance of IFCI over thiry-three years of its existence bears testimony to the fact that it has made appreciable progress not only quantitatively but also qualitatively in fulfilling the 'objectives' set under the I.F.C Act, 1948.

With the modest business of Rs. 3·25 crores in 1948—49, the first year of its operations, IFCI completed its thirty-three year on the 30th June, 1981 with a total sanctioned assistance of Rs. 1293·05 crores covering 1404 industrial projects of 1178 industrial concerns spread all over the country. This assistance was extended to 188 concerns in the co-operative sector, 109 concerns in the joint sector, 80 concerns in the public sector and 801 concerns in the private corpo rate sector.

Total disbursements upto the 30th June, 1981, amounted to Rs. 928·54 crores which represented nearly 71·8% of the total sanctions. The total assistance outstanding as on the 30th June, 1981, amounsted to Rs. 582·87 crores.

Appendix 'F' to the Report gives the number of sanctions, net cumulative sanctions, the amount disbursed and the assistance outstanding facility-wise as on the 30th June, 1981.

More important than the quantum of assistance sanctioned by IFCI, is its catalytic role, which has meant overall resource mobilisation of Rs. 9546·20 crores for 1404 assisted projects of 1178 industrial concerns.

Plan-wise Classification of Assistance Sanctioned and disbursed

A significant feature of IFCI's operations has been the integration of its lending and investment policies with the country's Five Year Plans. The way IFCI has kept pace with the tempo of industrialisation in the country during each of the plan periods can be gauged for Table 3 below.

Table 3

Assistance Sanctioned and Disbursed during the Five Year Plans

(Rs. Crores)

Year ending June 30	Net financial assistance sanctioned				Financial assistance disbursed			
	Loans	Under-writings	Guarantees	Total	Loans	Under writings	Guarantees	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PERIOD PRIOR TO THE FIRST PLAN : 1949—51	8·12	—	—	8·12	5·79	—	—	5·79
THE FIRST PLAN : 1952—56	27·02	—	—	27·02	10·94	—	—	10·94
THE SECOND PLAN : 1957—61	50·56	3·57	16·30	70·43	40·62	1·31	15·11	57·04
THE THIRD PLAN :								
1962	19·23	0·73	0·48	20·44	11·01	0·24	0·41	11·66
1963	21·17	4·63	10·58	36·38	15·75	3·99	3·18	22·92
1964	27·12	4·34	13·23	44·69	17·63	1·96	6·39	25·98
1965	21·41	3·55	3·89	28·85	21·45	3·36	14·65	39·46
1966	26·12	3·97	1·30	31·39	27·47	4·48	2·17	34·12
Total :	115·05	17·22	29·48	161·75	93·31	14·03	26·80	134·14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
THE ANNUAL PLANS :								
1967	12·70	1·87	4·00	18·57	32·57	2·90	5·64	41·11
1968	14·76	1·49	0·88	17·13	25·68	1·06	2·61	29·35
1969	23·73	2·41	0·39	26·53	15·98	1·68	0·28	17·94
Total	51·19	5·77	5·27	62·23	74·23	5·64	8·53	88·40
THE FOURTH PLAN :								
1970	11·87	1·24	0·04	13·15	17·52	0·85	0·34	18·71
1971	27·50	2·15	0·42	30·07	18·36	0·87	0·20	19·43
1972	33·53	4·57	—	38·10	23·31	1·00	0·11	24·42
1973	40·54	2·01	0·60	43·15	32·78	2·29	0·61	35·68
1974	35·23	2·47	0·04	37·74	30·32	1·46	0·05	31·83
Total :	148·67	12·44	1·10	162·21	122·29	6·47	1·31	130·07
THE FIFTH PLAN :								
1975	29·29	3·89	—	33·18	37·38	1·06	0·34	38·78
1976	45·74	3·11	—	48·85	43·27	2·40	—	45·67
1977	085·47	8·36	—	93·83	58·45	1·72	—	60·17
1978	10·40	5·49	0·28	106·17	58·88	5·10	—	63·98
Total :	260·90	20·85	0·28	282·03	197·98	10·28	0·34	208·60
1979	141·01	10·08	—	151·09	68·58	3·15	0·20	71·93
1980	147·07	9·22	—	156·29	92·34	2·24	—	94·58
Total :	288·08	19·30	—	307·38	160·92	5·39	0·20	166·51
THE SIXTH PLAN :								
1981	193·93	17·25	0 70	211·88	124·91	2·14	—	127·05
GRAND TOTAL :	1143·52	96·40	53·13	1293·05	830·99	45·26	52·29	928·54

The 'Spread' & 'Coverage'

The State/Territory-wise and industry-wise classification of the net finacial assistance sanctioned by IFCI up to the 30th June, 1981, is given in **Appendices 'G' and 'H'** to this Report. **Appendix 'I'** shows the industry-wise distribution of the net financial assistance sanctioned in each State as on the 30th June, 1981.

It would be observed from the aforesaid appendices that depending upon the level of economic activity and growth in a particular Region/State/Territory, IFCI's assistance has practically reached all places wherever a medium, medium-large or large-sized industrial unit has come up. IFCI has been able to spread its net wide enough for catching the industries in as many as 20 States out of 22 and 4 Union Territories out of 19. If IFCI has not been able to reach the two States and a few Union Territories, it is due to two specific reasons; *firstly*, IFCI cannot set up, on its own, any industrial unit at a place where it does not exist, in other words, it has to depend upon applications for variable industrial projects coming to it for financial assistance form a particular State or Union Territory and *secondly*, IFCI finances only medium, medium-large and large-sized industrial units in corporate and co-operative sectors.

With regard to coverage, a wide variety of industries are now in IFCI's portfolio; in fact, it is no exaggeration to say that there is hardly any industry of importance in the country which has not been the beneficiary of some assistance from IFCI.

IFCI's contribution to the industrial development has been substantial, which can be judged by the benefits that have flown from its direct financial assistance to diversified industries. The two major recipients of IFCI's assistance, viz., sugar and textile industries, most of the industrial units relating to whom have come up in the less developed districts/areas and are largely in the co-operative sector, have helped to transform the rural scene. They have not only canalised the savings of the agricultural sector for the industrial use, but, due to their labour-intensive nature, have provided larger avenues for both direct and indirect employment. Like-wise, assistance to fertilisers, pesticides, agricultural machinery, transport equipments as given a boost to the agricultural production in the country.

Sectoral Classification of Assistance

(*a*) *The-Co-operative Sector*

Table 4 below gives the State and industry-wise classification of assistance to the co-operative sector up to the 30th June, 1981.

The aggregate assistance of Rs. 184·94 crores, sanctioned to 189 co-operative sector projects, has claimed a share of 14·3% in the total sanctions of IFCI up to the 30th June, 1981. Further,

Table 4

Assistance Sanctioned to Industrial Co-operatives 1948 - 81

(Rs. Crores)

State/ Territory	Assistance sanctioned industry-wise								Percentage of total
	Sugar		Cotton Spinning		Others		Total		
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	
Andhra Pradesh	15	14·63	4	2·35	—	—	19	16·98	9·2
Assam	1	0·60	—	—	1*	0·79	2	1·39	0·8
Bihar	1	0·90	1	0·25	—	—	2	1·15	0·6
Gujarat	13	9·44	2	2·43	3**	5·50	18	17·37	9·4
Haryana	4	2·86	1	1·00	—	—	5	3·86	2·1
Karnataka	14	12·15	4	2·84	1***	0·22	19	15·21	8·2
Kerala	2	1·80	1	0·82	—	—	3	2·62	1.4
Madhya Pradesh	2	1·85	1	0·80	—	—	3	2·65	1·4
Maharashtra	57	68·53	14	10·67	—	—	71	79·20	42·8
Orissa	2	2·05	2	1·59	—	—	4	3·64	2·0
Punjab	4	3·70	1	1·00	—	—	5	4·70	2·5
Rajasthan	1	0·95	2	1·64	—	—	3	2·59	1·4
Tamil Nadu	9	9·24	2	0·85	—	—	11	10·09	5·5
Uttar Pradesh	18	18·69	4	2·90	—	—	22	21·59	11·7
West Bengal	—	—	1	0·40	—	—	1	0·40	0·2
Goa	1	1·50	—	—	—	—	1	1·50	0·8
Total :	144	148·89	40	29·54	5	6·51	189	184·94	100·0

*Jute Co-operative.

**Fertiliser & synthetic fibre Co-operatives.

***Vegetable oil extraction Co-operative.

an analysis of the assistance sanctioned to the co-operative sector reveals that about 81% of the assistance has been for new projects and nearly 43% has gone to 83 industrial co-operatives set up in notified less developed districts/areas.

Sugar co-operatives (144) with an assistance of Rs. 148·89 crores have claimed 80·5% of total assitance sanctioned to the co-operative sector, followed by 16·0% share of 40 co-operative cotton spinning mills. Five other co-operatives in industrial like fertilisers, vegetable oil extraction, jute and synthetic fibres have accounted for assistance amounting to Rs. 6·51 crores (3·5% of the total assistance sanctioned to the co-operative sector).

(b) The Corporate Sector

Table 5 below gives the classification of projects and assistance sanctioned to (i) joint (ii) public and (iii) private sector, industry-wise upto the 30th June, 1981 :

Table 5

Industry-wise Distribution of Assistance to Corporate Sector up to the 30th June, 1981

(Rs. Crores)

INDUSTRY	JOINT		PUBLIC		PRIVATE		TOTAL	
	No. of projects	Assistance sanctioned	No. of projects	Assistance sanctioned	No. of projects	Assistance sanctioned	No. of projects	Assistance sanctioned
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Sugar	2	1·44	15	16·60	36	20·65	53	38·69
2. Textile	10	8·92	56	39·79	190	132·87	256	181·58
3. Jute manufactures	1	1·65	1	1·16	21	13·17	23	15·98
4. Basic chemicals	16	19·62	5	18·27	51	54·67	72	92·56
5. Fertilisers & pesticides	4	22·33	3	9·51	14	28·54	21	60·38
6. Synthetic fibres & resins	3	6·38	2	2·70	33	40·86	38	49·94
7. Other chemicals	9	6·90	6	4·63	31	11·21	46	22·74
8. Cement	1	3·53	8	18·79	57	87·25	66	109·57
9. Paper	12	17·13	1	10·39	73	77·13	86	104·65
10. Non-ferrous metals	—	—	—	—	31	36·63	31	36·63
11. Rubber products	4	3·93	—	—	20	28·97	24	32·90
12. Iron & steel	10	10·43	3	2·35	74	63·85	87	76·63
13. Machinery	4	4·68	5	7·86	83	49·54	92	62·08
14. Transport equipment	5	2·71	2	1·18	45	39·49	52	43·38
15. Electrical machinery & appliances	8	7·69	4	4·51	52	28·16	64	40·36
16. Metal products	4	4·77	1	—	49	23·91	54	28·68
17. Electricity & gas	—	—	1	0·50	10	26·75	11	27·25
18. Hotel	—	—	1	1·65	33	20·65	34	22·30
19. Others	17	14·99	12	6·63	76	40·19	105	61·81
Total :	110	137·10	126	146·52	979	824·49	1215	1108·11

An analysis of the aggregate assistance of Rs. 1108·11 crores to the corporate sector reveals that 72·7% of it was in the form of rupee loans (Rs. 805·74 crores), 13·8% in sub-loans in foreign currencies (equivalent to Rs. 152·84 crores), 8·7% by way of underwriting and direct subscription (Rs. 96·40 crores) and 4·8% by way of guarantees for deferred payments in respect of machinery imported from abroad and/or guarantees for foreign currency loans raised by the assisted industrial units abroad (Rs. 53·13 crores).

Purpose-wise Classification of Assistance Sanctioned

Table 6 below gives the purpose-wise classification of total assistance sanctioned up to the 30th June, 1981.

Table 6

Total assistance sanctioned classified according to Type of Project

(Rs. crores)

Type of project	Total cost of the projects	Net financial assistance sanctioned			Total	Percentage of total
		Loans	Underwritings and direct subscriptions	Guarantees for deferred payments and foreign loans		
New projects	5860·42	686·23	83·31	43·32	812·86	62·9
Expansion/diversification	1905·49	247·09	9·77	9·00	265·86	20·6
Modernisation, renovation etc.	977·52	68·45	3·32	0·81	72·58	5·6
Sub-total :	8743·43	1001·77	96·40	53·13	1151·30	89·1
Under Soft Loans Scheme	802·77	141·75	—	—	141·75	10·9
Total :	9546·20	1143·52	96·40	53·13	1293·05	100·0

It would be observed that the assistance of the order of Rs. 812·86 crores, being 62·9% of the total sanctions, was claimed by new projects, whose total capital outlay amounted to Rs. 5860·42 crores. The existing projects claimed assistance to the tune of Rs. 265·86 crores for their expansion and diversification schemes, being 20·6% of the total assistance sanctioned. Assistance for modernisation and renovation of the projects accounted for Rs. 72·58 crores; this is in addition to Rs. 141·75 crores sanctioned under the soft Loans Scheme. Total modernisation assistance, including assistance under the Soft Loans Scheme, accounted for 16·5% of the total assistance sanctioned.

Area-wise Classification of Assistance Sanctioned

In terms of the directives issued to it, IFCI has been taking considerable interest in the industrial development of less developed States/Territories right from its inception so as to have a balanced economic development in the country. Up to the 30th June, 1981, IFCI had sanctioned financial assistance aggregating Rs. 539·79 crores to 552 projects located in the notified less developed districts/areas. This constituted about 41·7% of its net cumulative sanctions.

Table 7 gives the industry-wise and facility-wise classification of assistance sanctioned to projects in notified less developed districts/areas during the thirty-three years ended the 30th June, 1981.

Table 7

Industry-wise Distribution of Assistance Sanctioned to Projects in Notified Less Developed Districts/Areas—1948-81,

(Rs. Crores)

Industry	No. of projects	Project cost	Rupee loans	Foreign currency sub-loans	Underwritings/ Direct subscriptions	Guarantees	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Textiles	122	440·10	81·51	1·69	6·05	0·48	89·73
2. Sugar	88	371·68	86·56	—	0·66	—	87·22
3. Chemicals and chemical products							
—Basic industrial chemicals	33	285·48	19·59	6·03	5·47	—	31·09
—Fertilisers	10	516·55	15·76	1·39	2·63	—	19·78
—Synthetic fibres	6	111·78	9·92	2·34	2·20	—	14·46
—Synthetic resins	2	5·14	0·75	—	0·07	—	0·82
—Misc. chemicals	25	59·90	9·22	1·27	1·32	—	11·81
4. Cement	35	706·28	65·12	4·25	5·62	—	74·99
5. Paper and paper products	52	397·24	47·75	4·77	7·80	3·11	63·43
6. Iron & steel	31	240·56	19·16	1·96	2·18	—	23·30
7. Machinery and accessories	20	132·03	9·64	6·32	1·63	—	17·59
8. Rubber and rubber products	13	161·24	12·37	1·85	2·03	0·43	16·68

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9. Non-ferrous metal products	10	99·30	5·95	0·51	1·73	8·16	16·35
10. Metal products	16	50·54	6·06	3·47	1·44	0·31	11·28
11. Misc. non-metallic mineral products	15	54·13	6·29	2·67	1·62	—	10·58
12. Electrical machinery and appliances	13	43·19	2·17	6·64	1·35	—	10·16
13. Transport equipment	11	77·70	6·40	0·91	0·75	—	8·06
14. Jute manufactures	8	23·71	5·53	0·01	—	—	5·54
15. Hotel	7	26·05	4·88	—	0·16	—	5·04
16. Wood products	5	20·18	2·23	2·34	0·22	—	4·79
17. Glass and glass products	5	27·11	2·31	1·86	0·55	—	4·72
18. Misc. food products	8	28·76	3·97	—	0·32	—	4·29
19. Mining	5	70·78	3·26	—	0·45	—	3·71
20. Leather products	6	13·29	1·94	0·24	0·41	—	2·59
21. Misc. manufacturing industries	3	5·52	0·83	0·22	0·03	—	1·08
22. Electricity	2	0·66	0·43	—	—	—	0·43
23. Coir products	1	2·43	0·27	—	—	—	0·27
Total :	552	3971·23	429·87	50·74	46·69	12·49	539·79

Of the 552 projects involving a capital outlay of Rs. 3971·23 crores located in the notified less developed districts/areas, as many as 219 belonged to the sugar and textile (cotton, woollen manufactures, jute and coir) industries and a large number of these were located in rural and semi-urban areas. Most of these projects, apart from generating large scale direct and indirect employment, have been instrumental in bringing in the rural and semi-rural areas, amenities such as improved roads, better irrigation facilities, schools, hospitals, etc., which before their advent were totally non-existent. The units in other sectors, which are located in less developed districts/areas, have also provided impetus to the setting up of small-scale and other ancillary units.

Size-wise Classification of Assistance Sanctioned

In **Appendix 'J'** to this Report, the net financial assistance sanctioned by IFCI upto the 30th June, 1981, has been classified, accoording to the size of the amounts sanctioned to industrial concerns, both in the co-operative and corporate sectors. It would be observed that with the escalation in the costs of the projects over the years, the quantum of IFCI's assistance has also been going up, with the result that the percentage of concerns claiming assistance from IFCI exceeding Rs. 1·00 crores, which was 55·4% in the year 1970—71, had gone up to 69·2% in 1980—81.

Qualitative Achievements

IFCI's basic capital is its qualified and trained staff, which it has built up reasonably well. IFCI has also been able to develop the tools of its business, such as the application of the latest techniques of appraisal and follow-up. In its early years, the assistance given by IFCI was based *inte alia* on consideration of margin and security. Today, the wider considerations of profitability and productivity of a venture, its overall viability and bankable nature, its likely contribution to the economic strategies of the country, as well as, furtherance of the objectives of public policy, etc., govern its business. It is now customary with IFCI, not only to measure the financial returns but also to measure more basic economic returns from its investment. In its follow-up measures, IFCI has been able to inculcate amongst the entrepreneurs and promoters, a better awareness of financial and managerial imperatives for success of an industrial venture. The promoters and managements are also now able to appreciate in an increasing number the benefits derived by them from the various exercises that IFCI requires them to carry out during implementation and operational stages of the project.

A development bank like IFCI requires dynamism and innovativeness for expanding its business and also improving the quality of its assets and liabilities. Basically, this has been IFCI's corporate objective. While IFCI has increased its business over the years, it has also gained strength year by year by making its operations consistently profitable. In thirty-three years, IFCI has contributed to National Exchequer by way of tax alone Rs. 43 crores, nearly two-and-half times of its existing paid-up capital. It has been able to build up its reserves, out of its taxed profits, which are more than double of its paid-up capital.

In its promotional role also, IFCI has endeavoured to contribute to socio-economic objectives of the development strategy and has formulated such schemes and such agencies, (some for the first time in the country), as have helped to fill in some of the gaps, in the institutional infrastructure for promotion of industries and broadbasing of entreprenеurship, with a deliberate thrust towards the development of industries in small scale and ancillaries sector.

More important to IFCI has been the job of supervision of assisted accounts and its new emerging role, which is now called the 'monitoring role.' In its monitoring role, with challenges galore, IFCI feels that it has long distance to traverse. Problems of overrun finance, of mismanagement, of sickness in the industry, etc., are some of the few challenges which the development banks in the country are now facing in an increasing number. IFCI hopes that with the help of Governments, both at Centre and in the States, and with emeasures, both fiscal and financial, as also under the existing system of con-

sortium or joint financing, it would be able to perform its new emerging role effectively.

3. OPERATIONAL DEVELOPMENTS

Lending Operations

IFCI's lending operations continued to be guided during the year, apart from the statutory provisions of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 and the Rules and Regulations framed thereunder, as also, the directives issued by the Industrial Development Bank of India (IDBI) under Section 6(3) of the Act, by the Policy Statements made by Government on matters relating to industry, licensing, imports, exports, industrial securities including issue of debentures—convertible and non-convertible, foreign collaborations, promoters' contribution, etc., and objectives, as well as strategies enunciated in the Sixth Five Year Plan.

During the year under review, the institutions, on a reference being received from the Government, agreed to regard the manufacture and installation of new and renewable energy systems by the industry as a priority area. IFCI also continued to pay due attention to the need for dispersal of industry, industrial development of relatively less developed areas in the country, growth of the industries in the co-operative sector and a reasonably well diversified investment portfolio for itself.

A large number of applications were received from certain priority sector industries. For instance, in the case of sugar industry the appications for financial assistance from high cost new sugar units which had been kept in abeyance since May 1978 on account of their having been rendered non-viable due to withdrawal of incentives and reliefs, were considered afresh after Government had announced a revised scheme of incentives and reliefs effective from the 1st October, 1980. Pursuant to the above, the institutions decided to take up eighteen applications from sugar units for processing in the first instance. The remaining applications have also been decided to be taken up for processing in a phased manner during the year 1981—82.

After the announcement of the new Textile Policy by Government in March, 1981, the institutions reviewed the applications in the field of textile industry and decided to take up appropriate number of applications. Such reviews are on an ongoing basis, through a Committee of the Officers of the institutions who screen applications based on criteria approved for the purpose.

In respect of mini paper projects, again, having regard to the number of applications received and the experience of the institutions with small paper units already commissioned, it was decided during the year under review to follow a selective approach and, for that purpose, a Committee of the Officers of the institutions was formed to screen and select the applications from the mini paper projects.

More or less, the same approach was adopted for selecting the applications for processing from the mini cement units.

In respect of other projects, the selection of applications for processing continued to be done on the merits of each case at the inter-institutional level under the prevailing mechanism of meetings of the Senior Executives (SEM), and, Heads of all-India financial institutions (HM) under the aegis of IDBI.

Appraisal Criteria

IFCI continued to evaluate the viability of the projects, jointly with other institutions, from several aspects namely, technical, financial, commercial and economic, giving due importance to the managerial aspect of the projects too. Considerable emphasis was laid on the credibility and probity of the promoters and for this purpose the practice of obtaining information reatifig to their income tax and wealth tax assessment was introduced. As the promoters normally form core of the management, their background and traits as entrepreneurs and the quality of management of their existing business was also looked into while appraising the projects, with due flexibility in regard to new entrepreneurs. Apart from the above, the 'social-cost benefit analysis' of the projects, energy conservation and ecological considerations were also given due weightage, while making an evaluation of the projects for the purposes of financing.

Financing Norms

(a) Promoters Contributions

During the year under review, the normal requirement of promoters' contribution at the rate of 20% of the total project cost, which was relaxable to 17·5% in the case of projects proposed to be set up in notified less developed districts/areas, was further reduced from the level of 17·5% to 15% of the project cost depending upon the merits of each case, in respect of projects set up by non-MRTP Companies in notified less developed districts/areas with effect from the 29th April, 1981. There was no change, however, in the norm of 15% promoters' contribution in respect of projects sponsored by technician entrepreneurs, locally based new entrepreneurs, and non-resident Indians. Likewise, promoters' contribution at the rate of 10% of the total project cost continued to operate as an acceptable norm in respect of projects set up in the identified hill areas; also there was no change in the norm in respect of projects upto a cost limit of Rs. 25 crores set up by non-MRTP concerns in the industries specified in Appendix-1 to the Industrial Policy Statement of the 2nd February, 1973.

(b) Financing Patttern

During the year under review, the Central Government amended the guidelines issued in

July, 1972 with regard to the percentage of securities to be offered to the public for enlistment of the securities on the Stock Exchanges. According to the revised guidelines issued on the 2nd March, 1981, the promoters have been allowed to hold higher equity than the present 40% limit, subject to an upper ceiling of 70% during the initial stages of a project, to match the promoters' contribution required to be put in as per the directions of the financial institutions or under the MRTP Act. However, the higher equity share-holdings above 40% are required to be divested within three years from the date of commercial production by an offer of sale at the prevailing market prices to the general public and not to the existing shareholders as rights shares. As a result, now, for raising the quota of promoters' contribution, the promoters will not have to provide unsecured loans for the financing of their projects.

Government guidelines have also clarified that the contribution made by the Central Government, State Governments, developmental or investment agencies of a State Government and the public financial institutions like IDBI, IFCI, ICICI, LIC, UTI, etc., individually or together, upto 11% shall continue to be construed as a part of public subscription and, in case, the above mentioned bodies, singly or jointly, subscribe upto 11%, the contribution by the promoters shall be in such a manner that the minimum public offer is not reduced below 20%.

(*c*) *Debentures as a source of Finance for Industry.*

In order to revive the debenture market as a source of finance for industry, Government raised the ceiling of interest rate on debentures from 11% to 12% on the 27th October, 1980 and again from 12% to 13·5% effective from the 2nd March, 1981. The incentive of 1% has also been allowed in the interest rate if the company has been declared dividend in excess of average of last three years. To enable companies to raise more funds from debentures and thereby reduce their burden on the public financial institutions, Government have also relaxed the debt-equity ratio norm for the purpose by raising it from 1 : 1 to 2 : 1. Debentures for working capital and project finance can be issued, redeemable after seven years from the date of issue.

(*d*) *Debt-equity Ratio*

During the year under review, there was no change in the norm of debt-equity ratio followed by the public financial institutions.

(*e*) *Central Investment Subsidy*

As reported earier, the all-India financial institutions continued to treat the amount of Central Investment Subsidy admissible to the eligible industrial concerns for setting up their projects in the specified areas as 'equity'. With a view to encouraging the industrial activity in the north-eastern region, Government of India increased the quantum of Central Investment Subsidy from 15% (subject to a ceiling of Rs. 15 lakhs) to 20% (subject to a ceiling of Rs. 20 lakhs) on the fixed assets in respect of projects coming up in the north-eastern region effective from the 1st March , 1981.

IFCI also continued to act as the disbursing agency for the disbursements of the amount of Central Investment Subsidy to those projects financed by the all-India financial institutions, where it was in the 'lead'.

Scheme of Concessional Finance for Projects set up in Notified less Developed Districts/Areas.

The scheme of concessional finance for projects set up in notified less developed districts/areas, which had been in operation since July, 1970, underwent a change with effect from the 2nd March, 1981, when the all-India financial insitututions, under the aegis of IDBI, decided that the concessional rate of interest for projects set up in notified less developed districts/areas should be confined only to new units (inclusive of new units set up by existing concerns) and not to expansion/diversification schemes of the existing units. There was no change, however, in the ceiling of assistance under the scheme, which continued to be Rs. 2 crores in the case of consortium financing and Rs. 1 crore where IFCI was involved individually. The details of the scheme as now obtaining are given in **Appendix 'K'** to the Report.

Scheme for providing Modernisation Assistance

As reported earlier, for providing modernisation assistance to five selected industries, viz., cotton textiles, cement, sugar, jute and certain engineering industries, IFCI had been operating a scheme known as the Soft Loans Scheme introduced in November, 1976, in participation with IDBI and ICICI. During the year under report, the all-India financial institutions, including IFCI, reviewed the Soft Loans Scheme and extended modernisation assistance to all industries as a part of their normal lending operations. However, under both the above schemes, viz., Soft Loans Scheme for five selected industries, and Modernisation Assistance Scheme for all other industries, assistance is now being provided without the stipulation of convertibility clause.

Lending Terms

(*a*) *Rate of Interest*

During the year under review, the lending rate of interest of all-India financial institutions including IFCI had to undergo revision, firstly, with effect from the 1st July, 1980, for the purpose of absorbing the incidence of Interest Tax levied on the interest income of all-India financial institutions under the Finance Act, 1980, and, later, with effect from the 2nd March, 1981 having regard to the increase in the cost of funds

to be mobilised during the Sixth Plan period and the need for a better alignment in the interest rate structure.

A schedule showing the lending rates of interest prevailing on the 30th June, 1980, revised rates, brought into force with effect form the 1st July 1981, and later the rates as increased from the 2nd March, 1981, are given in **Appendix-L.**

With the changes in the basic lending rates, the rates of interest for the bridging loans were also revised; however the difference between the ragular lending rate and the bridging loan rate of interest continued to remain at 1% per annum.

During the year, the institutions also decided to adopt uniformly the practice of charging additional 1% per annum interest on loans extended to private limited and closely held companies effective from the date (s) of the completion of their projects for which assistance had been sanctioned. The aforesaid additional levy of interest, however, was not made applicable to the public sector companies, cooperative societies and wholly owned subsidiaries of widely held public limited companies as also to companies whose shares were not listed as a result of direct subscription by the institutions, or, those which gave an undertaking that they would get their shares listed by a certain agreed date.

(*b*) *Commitment Charge*

During the year under review, there was no change in the rates of commitment charge except that in respect of applications considered under the Soft Loans Scheme, where the entire term loan was sanctioned at the normal rate of interest, the commitment charge was also made applicable at the normal rate as against the concessional rate.

(*c*) *Convertibility Clause*

In accordance with the Government guidelines issued in 1971, IFCI had been reserving the right of conversion of a part of a rupee loan extended by it into equity capital of the assisted concerns in cases where the aggregate financial assistance exceeded Rs. 25 lakhs. The stipulation was discretionary on the part of the institutions in the case of assistance from Rs. 25 lakhs to Rs. 50 lakhs but was mandatory where such assistance in aggregate exceeded Rs. 50 lakhs.

During the year under review, with Government's announcement to modify the guidelines relating to the insertion of the convertibility clause, it was decided with effect from the 1st August, 1980, that the mandatory insertion of convertibility clause would apply to financial assistance exceeding Rs. one crore instead of Rs. 50 lakhs prescribed heretofore. It was also decided that the institutions would exercise the conversion option in such a way that they did not acquire more than 40% of the share capital of an existing concern. However, in cases of persistent defaults in the payment of institutional dues or mis-management of an assisted concern or continuous closure for over three months of an assisted concern, the financial institution could with the concurrence of Government, exercise the conversion option in such a way that their shareholdings could go upto 51% or above.

Already, the convertibility clause was not applicable to (a) rupee loans sanctioned to the units in the cooperative sector, (b)rupee loans granted under the Soft Loans Scheme or for modernisation assistance, (c) rupee loans sanctioned to the units which were either in the public sector or which attracted the provisions of the Section 619B of the Companies Act, 1956, (d) rupee loans where the amount in aggregate did not exceed Rs. 25 lakhs and (e) loans sanctioned in foreign currencies. During the year under review, pursuant to the revised guidelines issued by Government, in cases where the aggregate rupee loan and debenture loan assistance from the institutions was less than Rs. one crore, the conversion option was waived depending upon the merits of each case.

Likewise, where the existing institutional shareholdings in the equity capital of an assisted concern were 51% or more, the 'lead' institution was authorised to take a view regarding waiver of conversion right on the merits and circumstances of each case.

Upto the 30th June 1981, IFCI had stipulated conditions relating to conversion of rupee loans into equity in respect of 529 cases, while the conversion right was actually exercised in 51 cases; in most of the other cases the time for the exercise of the right had not yet arrived and in a few cases, it was considerd expedient by the institutions jointly, after taking into account all relevant factors to waive the exercise of the conversion right.

(*d*) *Repayment Schedules*

During the year, it was decided that the repayment period of loans sanctioned to industrial concerns should generally be in keeping with the debt service coverage and keeping the same in view, the repayment period should be kept to the minimum, including appropriate initial moratorium.

(*e*) *Stipulation relating to the Declaration of Dividend*

During the year, as a rule, the condition was relaxed so that the permission for declaration of dividend by the borrower was required only when the rate of dividend exceeded 15% per annum or the maximum paid during the period of last three preceding years whichever was higher.

Disbursement Procedure

During the year under review, the all-India financial institutions streamlined their disbursement procedures so as to provide not only the relief to the borrowers but also help them in availing themselves of the assistance as expeditiously as possible. One such decision was to accept

Equitable Mortgage in all cases, as a rule, as against the earlier practice of having an English Mortagage. The other important procedural change, which considerably reduced the time lag in the process of documentation was the system of Power of Attorney, under which, in all cases of consortium financing, the 'lead' institution would get a common set of documentation executed on its behalf and also as agent of the other participating institutions by virtue of the Power of Attorney given by the latter.

Bridging Loans

During the year under review, the procedure relating to the disbursement on bridging loans was considerably streamlined. Bridging loans (whether under normal scheme of financing or under Soft Loans Scheme) can now be availed of against the following simplified documentation :

(a) Personal guarantees of the promoters/directors ;

(b) Hypothecation of machinery and movable assets of the borrowers (subject to prior charge on specified movables in favour of bankers for working capital);

(c) A demand promossory note in favour of the lending institutions.

The quantum of the bridging loans which could be availed of by a borrower concern was increased to 90% of the regular loan amount depending upon the circumstances of each case. To avoid repetitive documentation for successive bridging loans, it was decided that the bridging loan documents could be executed straightaway for an amount equivalent to 90% of the loan amount and that the instalments of the bridging loan amount could be disbursed depending upon the requirements, the compliance of essential pre-requisites, e.g., matching contribution, wherever considered necessary and other relevant factors.

In the case of co-operative societies, the bridging loans can be disbursed against 100% Central Government/State Governmet guarantees and, in such cases, even the execution of Deed of Hypothecation can be dispensed with.

Simplification of the Legal Documents.

With the introduction of the scheme of common documentation by the 'lead' institution on behalf of other participating institutions, the opportunity was taken during the year under review to simplify the prevailing legal documentation. Accordingly, new simplified formats of the Letter of Intent, Letter of Underwriting, Loan Agreement, Deed of Hypothecation and other related documents were evolved and put into operation.

Participation Certificates Scheme

As reported last year, the all-India financial institutions had been considering for quite some time the ways and means by which, as far as possible, an applicant concern had to deal only with one institution for appraisal of its project, disbursement of funds and post-sanction follow-up. With this end in view, a scheme known as Participation Certificates Scheme covering projects costing not more than Rs. 10 crores was formulated last year.

During the year under review, the modalities of this scheme were sorted out and a beginning has since been made.

Follow-up Mechanics

With a view to ensuring that the assisted projects were implemented according to the schedule and that an eye was kept on the growth and health of the assisted projects to avoid sickness, and, in case sickness had set in, to cure it; considerable emphasis was put during the year on the monitoring role of the financial institutions.

As with all other institutions, follow-up mechanics in IFCI comprise the following :

(i) Obtaining monthly production reports which the assisted concerns are required to submit to their respective sponsoring authorities, i.e., Directorate-General of Technical Development (DGTD), Textile Commissioner, Jute Commissioner, Directorate of Sugar and Vanaspati, etc.

(ii) Obtaining of quarterly progress reports on the prescribed format devised by the institutions.

(iii) Carrying out site inspections of the factory and books of account of the assisted concerns.

(iv) Examining the half-yearly/yearly statements of working results and financial position of the assisted concerns.

(v) Appointing, in suitable cases, official/non-official nominees on the Board of Directors/management of assisted concerns to watch the interest of the financial institutions including IFCI and to report developments from time to time in regrard to the operations and management of the assisted concerns.

While there was no change in the aforesaid mechanics, the intensity and periodicity of the same was increased during the year. Apart from the intensive follow-up, IFCI at its Head Office as also through its Regional and Branch Offices maintained close interaction and inter-face with the promoters/chief executives of the units which showed signs of incipient sickness. Wherever necessary, the monitoring of the units was also ensured adequately through the appointment of concurrent auditors, finance directors, constitution of management committees, strengthening of organisational set-ups and through the appointment of consultancy organisations in cases where the weak areas in an assisted project happened to be technical, marketing, quality consciousness, etc.

The bankers of the assisted concerns who are generally the first to know the symptoms of incipient sickness, because of their day-to-day touch with the management of industrial units, were also consulted from time to time and wherever, the

question arose of evolving a common strategy and course of action for remedying the situation, the bankers' co-operation was inevitably solicited.

Greater emphasis was also placed on the assisted concerns introducing need-based systems of Management Information & Control in their organisations and on their placing before their Board of Directors the annual operating plans, capital and revenue budgets and data relating to production, sales, stocks, receivables, liabilities, etc. to ensure the overall effectiveness of their Board and the effectiveness of the nominee directors.

The various forms and returns relating to the follow-up mechanics are currently being re-examined by a Committee of the Officials of the institutions under the Chairmanship of IFCI. It is expected that further streamlining of the procedures and practices would be possible in the coming years.

Nominations

An important feature in bulding up a close relationship between the financial institutions including IFCI and the management of assisted concerns is the appointments of nominees on the latter's Board of Directors. IFCI, in pursuance of Section 25(2) of the IFC Act, has been reserving for itself the right to appoint generally not more than two directors on the Board of Directors of industrial concern assisted by it. In cases of joint financing, the practice has, however, been to have one, or, more common nominees of the participating all-India financial institutions.

In terms of Government guidelines relating to the conversion of loans into equity, nomination on the Boards of assisted concerns is obligatory where the stipulation for conversion of loans into equity has been incorporated in the agreement for the financial assistance. In other cases, IFCI has been using its discretion in nominating directors on the Boards of assisted concerns, which is being exercised generally under the following circumstances :

(i) Where IFCI's commitments are relatively large;

(ii) Where defaults have been made in the payment of principal and/or interest on institutional loans; and

(iii) Where there are otherwise special circumstances calling for vigilance or a closer watch on the operations of the assisted concerns.

The nominees to be appointed on the Board of Directors of the assisted concerns may be official or non-official. While official nominees are generally the whole-time employees of any of the all-India financial institutions, non-official nominees are appointed, wherever considered necessary, from out of a panel of suitable persons which is required to be maintained by IDBI with the approval of the Central Government for the purpose.

Of late, several steps have been taken to make the institution of nominee directors more effective. As reported last year, the financial institutions have jointly decided to provide secretarial assistance to non-official nominee directors by way of reimbursement of actual expenditure upto Rs. 1,000/- per annum per nominee director and have also agreed to reimburse for incidental expenses and pay even the sitting fees to them, where the assisted concerns, for reasons of financial stringency, are not in a position to do so. The objective is that the nominee directors take full interest in the affairs of the concerns and are able to provide meaningful feedback to the institutions they represent.

Upto the 30th June, 1981, IFCI had made nominations on 527 assisted concerns. On 335 concerns, only official nominees had been appointed; on 176 concerns, the non-officials had been nominated and on 16 concerns both official as well as non-official nominees had been appointed.

With a view to reviewing the role of nominee directors and making them more effective as also for examining the need and modalities of having a cadre of professional managers available with the institutions, Government appointed a Committee, comprising of the Joint Secretary in Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) as the Convener and the Chairman of IDBI, IFCI, ICICI and IRCI as its members. The report of the Committee has since been submitted to Government.

Consortium Approach—

Lead Institution Concept

A special feature of considerable importance in IFCI's operations is the joint financing of projects of the consortium approach in close collaboration with other all-India financial instiutions.

The mechanism of consortium approach consists in the holding of periodical meetings of all-India financial institutions under the aegis of IDBI. Meetings which are being attended monthly by the Heads of the all-India financial institutions are known as the Inter-Institutional Meetings (IIMS) and meetings which are being held fortnightly and attended by the Senior Eexecutives of the all-India financial institutions are called Senior Executives Meetings (SEMs). During the year under review, eleven meetings of IIM and fifteen of SEM were held in Bombay under the aeigs of IDBI. These meetings provided a useful forum for taking a coordinated view and evolving consensus on matters of policy, business, procedure, processing of applications, appraisal, and follow-up of projects, as also rehabilitation of sick units.

Related with the mechanics of consortium financing is the concept of 'lead' institution, which has now been deepened in all matters relating to the appraisal of projects, disbursement of assistance, post-disbursement follow-up and nursing of sick projects. The basic approach under the 'lead' institution concept, is that an applicant/assisted concern has to remain in touch with only one institution —which is in the 'lead'—and the other institutions

normally keep close rapport and commuunicate with the 'lead' institution, though, direct contacts with the applicant/assisted concerns can also be made by them if the exigencies so requised. As on the 30th June, 1981, in about 516 concerns IFCI was holding the lead responsibiity.

Coordination with Commercial Banks

The inter-institutional coordination with the commercial banks continued during the year. Commercial banks participating in the term loans and the 'lead' bank, amongst the banks providing working capital facilities to the assisted units, continued to be invited for the appraisals, as well as, for follow-up inspections of the concerned units taken up by IFCI in the capacity of the 'lead' institution. The practice of obtaining bankers' report on the creditworthiness, etc., of the promoters/directors of the applicant concerns and of sharing essential operational information relating to the assisted concerns continued to be in operation during the year on a reciprocal basis. Through the forum of the Standing Committee on Co-ordination beween Banks and Financial Institutions on which IDBI is represented, co-ordination with banks was also achieved in the matter of sharing of securities and sharing of cash flows in difficult or sick cases.

In the matter of rehabilitation and reconstruction of sick cases also, a close rapport was maintained and participation of the concerned commercial banks was obtained in all phases pertaining to the revival of sick units, or in taking other corrective measures in the case of other jointly financed units.

Investment Operations

In the matter of investments, IFCI continued to play the role of a catalyst. Basically, the investment operations of IFCI were confined to the acquisition of shares as a result of underwriting operations, direct subscription to equity in the case of small/medium sized projects and exercise of convertibility stipulations. Of the investments aggregating Rs. 34·52 crores held in IFCI's investment portfolio as on the 30th June, 1981 about 65·5% had been acquired as a result of underwriting operations, 16·7% by way of direct subscriptions and 17·8% through exercise of convertibility option.

As a matter of general policy, IFCI looks upon underwriting activity only as a method of project financing. The direct subscriptions to the equity are made in respect of small-medium sized projects on a selective basis.

Further, from the policy angle, excepting those investments which IFCI has made by way of initial subscription to the share capital of Specialized Financial Institutions and Technical Consultancy Organisations, IFCI's endeavour is to dispose of the shares in small lots to the public with the twin objective of recycling its funds and activating the capital market. In deciding whether to dispose of the shares or not, IFCI takes into account the following features :

(a) its existing holding with reference to the date of acquisition,

(b) financial results and soundness of the company,

(c) expected bonus/rights issue,

(d) past dividend record and likely forthcoming dividend,

(e) average return to IFCI with reference to price and period for which shares have been held,

(f) present market quotations and future trend,

(g) effect on stock market and management of the concern.

IFCI mainly sells its shares in the open market through recognised stock brokers in small lots or to investment institutions at agreed price. Only in special cases and circumstances, where either the arrangements of buy-back of shares have been agreed upon with the promoters, or, where it is considered necessary to strengthen the position of the existing management, or, there is no market for shares in question, the shares are sold to the original promoters by transferring them directly or through private negotiations.

The investment operations of IFCI are being reviewed by the Board of Directors from time to time, apart from the reports made to them about the acquisition of shares as a result of underwriting and direct subscription operations as also sale-write-off/redemption and disposal of investments.

During the year under report, the investments of IFCI by way of underwritings/direct subscriptions amounted to Rs 2·14 crores and sale/write-off/redemption of its investments aggregated Rs. 1·07 crores.

4. PERFOQMANCE OF IFCI ASSISTED CONCERNS—AN OVEQVIEW

With the improvements in the infrastructure and as a resuit of the deliberate thrust given by Government to see that the industrial capacity built up was utilised to the utmost extent, the industrial growth rate registered an increase of 4·1% in the year 1980-81, a significant improvement compared to 1979-80, when it had declined by about 1·4%.

The effect of overall improvement in the industrial production was visible in equal measure amongst the industrial concerns assisted by IFCI. **Appendix-M** gives the capacity utilisation for certain selected industries in the country and also of the reporting assisted concerns of IFCI during the years 1979-80 and 1980-81. As would be observed from the said Appendix, the capacity utilisation percentage in the year 1980-81 in respect of most of the industrial units assisted by IFCI was higher than in the previous year.

The performance of some of the important industries, whom IFCI rendered assistance has been broadly indicated in the following paragraphs.

The performance during the year 1980-81 (April-March) of some of the oncerns assisted by IFCI in these industries has been reviewed based on a survey of about 325 industrial concerns in various industrial sectors.

Sugar

The production of sugar in 1980-81 is expected to be around 51·40 lakh tonnes, which is about 12·81 lakh tonnes more than the previous year. The installed capacity of sugar industry with 323 sugar factories as on the 31st March, 1981, was 62·03 lakh tonnes per annum.

During the year under report, the sugar policy followed by Government was that of partial control with dual pricing mechanism. From the 1st October, 1980, Government revived the scheme of incentives, concessions and reliefs applicable to new/expansion sugar projects, based on revised paramcters which resulted in improving the economic viability of the sugar units to a considerable extent.

IFCI had assisted upto the 30th June, 1981, 197 sugar units of which 144 were in the co-operative sector and the rest in the corporate sector. It was observed that 68 co-operatives, which had responded to the survey carried out by IFCI, were able to have a capacity utilisation of 77% in the year 1980-81 as against 61·7% achieved by 62 reporting cooperatives in the previous year. The average capacity utilisation percentage of 18 units in the corporate sector was 67·8% as against 51·4% of 19 units in the previous year. Nevertheless, in certain pockets of the country, mills could not have crushing to the expected level, either due to the non-availability of the cane or diversion of cane from sugar factories to jaggery and khandsari. The recovery percetage, though better than the pervious year, could also not make any significant improvement. In Andhra Pradesh, eastern region of Uttar Pradesh, Kerala, eastern and north-eastern region of the country, the sugar units could not improve their working results to any appreciable extent due to paucity of cane. In Western Maharashtra region, some of the factories could not start crushing in time. A definite improvement was, however, visible in the units located in other parts of the country.

Cotton Textiles

The cotton textile industry fared well in 1980-81 (April-March), with an all-round increase in production and sales. The total production of all types of yarn including that of synthetic blend variety was 1330 million kgs. against 1217 million kgs. in the previous year.

The production of all types of cloth, including blended varieties was 4164 million metres, as against 4085 million metres in the previous year. The relatively low increase in the cloth output shows that a substantially large portion of yarn was utilised by the decentralised sector for raising its output.

There was no increase in the number of looms because of the freeze on the capacity for expansion. However, a few mills replaced old looms with automatic ones and this helped them to raise their output.

There are at present 693 cotton textile mills in the country, comprising 415 spinning mills and 278 composite mills. Of these, IFCI had assisted upto the 30th June, 1981, 296 projects. Most of the IFCI assisted textile units were able to maintain satisfactory progress in the calendar year 1980. However, from the beginning of the year 1981, due to increase in the prices of the medium and coarse varieties of cotton, fluctuations in the yarn prices and power-cuts imposed in certain States, the mills, started showing a declining trend in their working results. As per the survey recently carried out by IFCI, out of 88 reporting units, 72 units have reported under-utilisation of capacity due to power shortage in varying degrees and a few have also reported strained labour relations. On the whole, the industry, which enjoyed a fairly long spell of favourable conditions during the past two years, is now finding it relatively difficult to cope with the increased prices for raw materials and other inputs, with a subdued market.

With the announcement of the new Textile Policy by Government on the 9th March, 1981, which envisages a multi-fibre policy and assures the industry the ready availability of synthetic fibre and yarn from domestic sources, augmented, as may be necessary, by imports, is likely to improve the position of the industry.

Jute Industry

Though, the total production of jute goods in terms of tonnage during the year 1980-81 (April-March) at 13·91 lakh tonnes showed a close parity with the production of the corresponding period of the previous year at 13·37 lakh tonnes, the overall performance, during the year 1980-81, of the jute units was subdued from the product-mix angle, inasmuch as it comprised more sacking and hessian fabrics and a corresponding reduction in the carpet backing cloth. The profitability of the industry during the year 1980-81 was also adversely affected, mainly because of the decline in the selling price of the finished goods.

Export of jute goods was also lower by about 11% during the year 1980-81 (April-March) as compared to the corresponding figure of the previous year, mainly due to the low off-take of carpet backing by overseas buyers.

There are at present 71 jute mills in the country. Five jute mills, the management of which was taken over by Government earlier, were nationlised on the 21st December, 1980. To manage the affairs of the nationalised mills, a statutory organisation, namely, National Jute Manufacturers Corporation was set up by the Government.

FICI's assistance upto the 30th June, 1981 was of the order of Rs. 16·77 crores to 24 jute mills. Of these, the performance of most of the existing units during the year 1980-81, was in line with the industry's trend but the operational results of three jute mills, one in Assam, one in Bihar and the third one in West Bengal, were far from satisfactory

because of some additional factors like low productivity, strained labour relations, etc. As regards the new jute units being set up with IFCI's assistance, while the Orissa project was implemented and started commercial production in January 1981, the one in Tripura was yet to complete implementation of its scheme.

Some of the jute mills, which had been sanctioned assistance under the Soft Loans Scheme, could not avail themselves of the same, because of the protracted delivery of the processing machinery by the machinery manufacturers and the scarcity of the quality spare parts in the market.

Man-made Fibre Industry

Upto, the 30th June, 1981, IFCI had assisted 39 projects in the category of synthetic fibres and resins claiming an assistance of Rs 52·44 crores. The financial performance of most of these concerns was satisfactory during the year under review. The average utilisation of capacitiy was also reasonably satisfactory if compared with the all-India figure, otherwise it was better than last year's performance.

In order to augment the availability of man-made fibres and to exercise a sobering influence on the prices, Government followed a some-what liberal import policy during the year under which import of viscose/polynosic fibre, viscose/nylon filament yarn was permitted on OGL and was exempted from basic customs duty to actual users.

Fertilisers

There are 32 large fertiliser units producing a wide range of straight nitrogenous, complex and phosphatic fertilisers Besides, there are 35 small units producing single super phosphate and 6 units producing ammonium sulphate as a by-product from steel plants. The production of nitrogenous fertiliser during 1980-81 is expected to be 22 lakh tonnes as against the target of 27·5 lakh tonnes, the shortfall being mainly due to extensive power-cuts imposed on the fertiliser plants and the shortage of feed-stock inputs naptha, fuel oil, etc , as also delay in commissioning of new projects. Capacity utilisation during 1980-81 is expected to be 56·2% for nitrogen and 68 1% for single super phosphate (P_2O_5) as against 66·2% for nitrogen and 67·3% for P_2O_5 in 1979-80.

There was no change in the prices of major fertilisers and the Retention Price Scheme for nitrogenous fertilisers introduced with effect from the 1st November, 1977 and for phosphatic fertilisers from the 1st February, 1979, continued to be in operation. Government, however, modified the computation of net-worth for the purposes of return from one based on capital employed method to the concept of equity plus free reserves. The scheme of Fertiliser Freight Subsidy introduced with effect from the 1st November, 1977, also continued to be in force.

Upto the 30th June, 1981, IFCI had assisted seventeen fertiliser units with an assistance of 59·57 crores The performance of the fertiliser unit in the cooperative sector in the State of Gujarat showed a decline of about 33% in its profit due to the impact of the retention price for full year as compared to its 25% impact in the previous year. The other two fertiliser plants in Gujarat, one in the cooperative sector and another in the corporate sector, were in the implementation stages during the year. The performance of the fertiliser unit in Uttar Pradesh continued to be satisfactory, excepting that for about 3 months the plant remained closed on account of disruption in the supply of naptha from Barauni Refinery, the production of which was suspended on account of stoppage of supply of crude oil from Assam. During this period, the capacity utilisation of the unit went down to 44% but picked up to almost 99% after the supply was restored. In Maharashtra, one of the assisted units improved considerably its performance with the change effected by the institutions in its management. One unit in Tamil Nadu registered a significant increase, despite constraints of power-cuts, etc., in the production of ammonia, urea and dia-ammonia phosphate, which was the highest achieved since the commissioning of the plant The other major unit in the State manufacturing ammonium chloride (to be used as fertiliser) was still in the implementation stage In respect of a fertiliser unit in Karnataka, the capacity utilisation was poor due to non-availability of power, resulting in complete shut down of the unit.

Inorganic Chemicals

The major inorganic chemicals, viz., soda ash, caustic soda, calcium carbide, carbon black, red phosphorous, ptassium chloride and liquid chlorine showed a declining trend in the production excepting in the case of liquid chlorine and potassium chloride compared to the previous year. The average utilisation of capacity of the reporting concerns manufacturing caustic soda was 74·9% as against the industry's performance of 73·5% during the year The units manufacturing liquid chlorine had a 59·2% capacity utilisation against the all-India figure of 50·8%. The carbon black units had capacity utilisation of 65·1% in the year 1980-81 as against 91·6% in the previous year.

Cement

As on the 1st November, 1980, the installed capacity of cement was 25·75 million tonnes. By the end of the sixth plan period, ie., 1984-85, the installed capacity of cement was expected to be raised to 43 million tonnes, of which around 3·83 million tonnes was expected to be materialised by the end of 1980-81.

The production of cement in 1980-81 amounted to 18·6 million tonnes as against 17·6 million tonnes in 1979-80 showing a marginal improvement but was still lower than the figure of 19·4 million tonnes achieved in the year 1978-79. The capacity utilisation was around 72% which was accounted for by shortages in power, coal and rail transport, particularly, upto the middle of 1980-81.

The performance of IFCI assisted concerns, following the general trend in the country, was also not upto the mark. The capacity utilisation of one of the units located in eastern part of Uttar

Pradesh came down to 53% in the year under report, as against 66% in the previous year. In the Eastern Region, the units located in Bihar and Meghalaya continued to be in the red. However, the working of cement units of ACC and those located in the southern part of the country, was, by and large, satisfactory. During the year, one unit with a capacity of 1100 tonnes of cement per day went on stream in Andhra Pradesh and was reported to be working satisfactorily. Insofar as the various mini cement plants are concerned to whom the assistance was provided by IFCI during the year under report, the projects were reported to be under implementation.

During the year under report, Government reviewed the retention prices of cement to compensate the industry for escalation in costs of inputs. Following the review, an increase in the retention prices of cement of Rs. 13·65 per tonne was allowed with effect from the 3rd May, 1980. Government further decided to raise the retention price of cement by Rs. 34·74 per tonne in July, 1981. Government have also decided to extend the subsidy scheme for power generation from captive power plants to generating sets installed by cement plants after October 1978 also.

Government have also drawn up guidelines for establishment of mini cement plants with a view to ensuring that these are set up primarily to exploit limestone reserves in scattered pockets and also at places where it is difficult for large cement plants to be set up on a viable basis.

Paper

As on the 1st January, 1980, there were 121 units in the organised sector manufacturing paper and paper board with an installed capacity of 15·38 lakh tonnes per annum. The installed capacity is expected to increase to 19·12 lakh tonnes in 1984-85 from the present installed capacity of 15·38 lakh tonnes. The production during the year 1980-81 was around 11·00 lakh tonnes which gave a capacity utilisation of 71·5%.

Upto the 30th June, 1981, IFCI had assisted 86 paper and paper product units with an assistance aggregating Rs. 104·65 crores. In line with the general trend in the industry, the performance of IFCI assisted units in operation, remained marginal, but with visible signs of improvement. The capacity utilisation of most of the units registered an increase over the previous year's performance, despite constraints of power. Nevertheless, some of the units in Andhra Pradesh, Haryana and Uttar Pradesh suffered heavy losses due to uneconomic operations and posed a problem to the financial institutions.

During the year, Government announced excise duty concessions for paper industry with a view to encouraging fresh investments in these industries. Writing and printing paper manufactured by new large integrated pulp and paper mills, making paper out of bamboo and other wood pulp, which commence or have commenced production for the first time during the 1st April, 1979 to the 31st March, 1984, would be entitled to excise duty concessions to the extent of 50% of the rates of excise duty applicable on such paper. The total amount of concession to a paper unit under this scheme would, however, be limited to 30% of the initial investment made on plant and machinery installed therein.

Rubber Goods Industry Including Tyres and Tubes

The industry has been able to achieve self-sufficiency in practically all important items made out of rubber and covers a wide range of products such as automobile tyres and tubes, footwear, V-belts, hoses of various types, railway fittings, automobile rubber components, synthetic rubber coats and aprons, surgical and industrial rubber gloves, rubber and PVC conveyor beltings, etc. There are, at present, 106 units engaged in the production of rubber goods in the country.

IFCI's assistance aggregating Rs. 32·90 crores to the rubber industry, including tyres and tubes, upto the 30th June, 1981, had gone to 24 units whose performance, by and large, had, been satisfactory during the year. The main constraints for the industry remained, however, coal and power shortage, and, labour problems during the year under report.

Duing the year, Government announced excise duty concessions for rubber goods manufacturing industry in terms of which, units which have commenced or would commence the manufacture of tyres on or after the 1st April, 1976, but, before the 1st April, 1984, would be eligible for the benefits of the new excise relief scheme for a period of 5 years from the date of first excise clearance of tyres from the respective units. The excise unit relief would be at the rate of 25% of the duty leviable and would be admissible upto a level of 75% of the initial licensed capacity, during each financial year subject to a ceiling of 30% of the initial investment on plant and machinery installed in the respective unit.

Electrical Machinery

Upto the 30th June, 1981, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 40·36 crores to 64 units under this industry, which included manufacture of fans, motors, GLS lamps, fluorescent tube lamps, dry battery cells, wires and cables, filaments, welding electrodes, batteries, transformers, switch gears, etc. The capacity utilisation in the industry showed a sharp improvement over the previous year and had faourable trends all-round. Only in certain pockets, e.g., in Kerala and Tamil Nadu, IFCI assisted units did not fare well, otherwise the production in certain cases, by and large, exceeded even the licensed capacity.

Metallurgical Industries

The industries in the ferrous group under this head include iron and steel, C.I., S.G. and malleable iron castings, steel castings nd forgings, mini steel plants, rolling mills, C.I. spun pipes, steel structurals fabrication, etc. IFCI's assistance to the industries under this group amounted to Rs. 76·63 crores for 87 units covering units like IISCO, TISCO and a number of mini steel plants as also forging and re-rolling units. By and large, the performance of these units was fairly better compared to the previous

year's performance, because of the measures taken by Government to give a boost to these industries. For instance, apart from the concessions given to the mini steel plants in the year 1979-80, Government gave further relief by allowing direct import various melting scrap by actual users and also sponge iron, wherever necessary. The sponge iron plant at Kothagudam in Andhra Pradesh also started production and the reports from the furnaces, which used the product were quite satisfactory. The excise duty relief on the products of electric arc furnaces through use of indigenously produced sponge iron was also given the same parity as on the products of electric arc furnaces melting scrap/imported sponge iron. Excepting the tin plate units amongst IFCI assisted concerns, the units manufacturing steel strips, ferro alloys, steel wires and astings, etc. fared quite well and were generally able to meet their commitments during the course of the year.

Industrial Machinery

The major units assisted by IFCI under this head are textile machinery, sugar machinery, cement machinery, paper machinery and other miscellaneous items like tools, gears, rollers, bearings, etc. Upto the 30th June, 1981, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 54·47 crores to 83 units. The performance of assisted units, which were in operation, was of a mixed nature. While some of the units showed satisfactory results, in other cases, the results were disappointing, mainly due to labour unrest, power shortage, management problems, hike in raw material prices, in addition to the lack of market for some of the products. A few units in the eastern region as also in Maharashtra remained closed and the efforts were afoot to find a solution to their problems. The output of the textile machinery industry, however, showed an impressive rise of about 26% during the year, on an average, compared to the previous year. Likewise, machine tools industry also registered a growth of about 12% over the previous year.

Automobile Industry

There are 43 units manufacturing various types of vehicles and 18 units manufacturing agricultural tractors and power tillers in the country. The entire industry is divided into various sectors e.g. commercial vehicles, passenger cars, jeeps, motorcycles, scooters, three-wheelers, mopeds, etc. besides agricultural tractors and power tillers. Excepting power tillers, the production during the year 1980 showed a marked improvement in almost all categories of vehicles; the biggest increase being in the moped and two-wheelers and the marginal increase being in the passenger cars. Despite the increase in the production, because of the increased cost of various inputs, the industry did not yield satisfactory financial results. Scooter units assisted by IFCI continued to be in the red and so also the power tiller units. The tractor units continued to face the marketing problem due to increase in their prices. It was only the mopeds, which maintained the steady trend of production, coupled with an increase in their demand.

5. Progrerss of Repayments

Tables 8 and 9 below show the amounts which were due by way of interest on loans and instalments of principal and the amounts that were realised during each of the last five years. They also show the amounts in default at the end of each of those years.

Table 8
Recovery of Interest

(Rs. Crores)

Year ended June 30	Loans out standing at the beginning of the year	Arrears of interest outstanding at the beginning of the year	Amount of interest due during the year	Total of columns 3 & 4	Amount of interest received during the year	Defaults of interest at the end of the year*
1977	244·57	10·66	21·30	31·96	18·17	12·11
1978	284·70	12·11	25·83	37·94	20·82	15·06
1979	328·30	15·06	31·55	46·61	26·14	15·32
1980	370·67	15·32	36·16	51·48	29·42	18·75
1981	441·07	18·75	47·95	66·70	40·12	18·29

*Excluding amounts for which extension of time was granted; such cases have not been treated as defaults.

Table 9
Repayment of Principal

(Rs. Crores)

Year ended June 30	Loans out-standing at the beginning of the year*	Arrears of principal outstanding at the beginning of the year	Amount of principal due during the year	Total of columns 3 & 4	Amount of principal received during the year.	Defaults of principal outstanding at the end of the year.**
1977	244·57	11·37	24·39	35·76	18·54	14·70
1978	284·70	14·70	25·32	40·02	18·28	21·15
1979	328·30	21·15	29·87	51·02	21·85	25·30
1980	370·67	25·30	36·84	62·14	22·65	32·79
1981***	441·07	32·79	45·01	77·80	34·95	37·37

*Excluding amounts due on account of defaulted deferred payment instalments guaranteed and met by the Corporation and interest due thereon which are shown separately in Table 10.
**Excluding amounts for which extension of time was granted, such cases have not been treated as defaults.
***The foreign currency loans have been converted into T.T. selling rates prevailing on the 30th June, 1981.

Table 10 indicates the position of defaults in the payment of instalments of deferred guaranteed and met by IFCI and interest and other changes due thereon for each of the last five years.

Table 10

Arrears Outstanding in respect of Deferred Payments Guranteed by the Corporation

(Rs. Crores)

Year ended June 30	Amount of arrears due to the beginning of the year	Defaults during the year	Total	Recoveries during the year	Amount of arrears outstanding at the end of the year
(1)	(2)	(3s	(4)	(5)	(6)
1977	1·21	0·26	1·47	0·09	1·38
1978	1·38	0·36	1·74	0·10	1·64
1979	1·64	0·21	1·85	0·07	1·78
1980	1·78	0·06	1·84	0·16	1·68
1981	1·68	0·09	1·77	—	1·77

It would be observed from above the that the interest in default of Rs. 18·29 crores as on the 30th June, 1981 formed 3·4% of the outstanding loans, both rupee and foreign currency, of Rs. 548·01 crores as against 4·2% in the previous year. The above mentioned amount of Rs. 18·29 crores does not, however, include the amount of further defaults committed during the year by some of the assisted concerns whose credit record has been very unsatisfactory, as mentioned in the notes forming part of the accounts. Further, principal amount of Rs. 37·37 crores in default was 6·8% of the outstanding loans viz., Rs. 548·01 crores as againt 7·4% in the previous year.

Overall Position of Recoveries

During the year, as a result of vigorous efforts made by IFCI, there was improvement in the recovery percentage of interest and principal by 3% and 8·5% respectively. Taking both the principal and interest amounts totalling Rs. 666·91 crores that fell due for payment/repayment during the entire thirty-three years' period, i.e., 1948-81, the cumulative loans recovery ratio worked out to about 88·8% after adjusting the effect of rescheduling of overdue payments both on account of interest and principal.

Industry-wise analysis of defaults

The industry-wise break-up of defaults as on the 30th June, 1981 along with the comparative figures in the previous year is given in **Appendix-N.**

A significant feature during the year was that the number of concerns in default as on the 30th June, 1981 came down to 258 as compared to the figures of 296 as on the 30th June, 1980. The amount in default formed 10·2% of the total outstandings, compared to 11·6% in the previous year. It may further be added that as on the 30th June, 1981, though 258 concerns were in default as against 755 total number of concersn in respect of which loans were outstanding, the difficult cases [excluding the cases of concerns nationalised or taken over under Industries (Development & Regulation) Act] in which substantial re-oganization and/or re-structuring inter alia was considered necessary, were 37. In respect of the remaining concerns in default it was considered that the persistent follow up and closer monitoring of their accounts could be fruitful in remedying the situation.

Rehabilitation Assistance

During the year under report, IFCI continued to play an active role in the intensive monitoring of the assisted sick units and their rehabilitation.

Rehabilitation schemes were drawn up for potentially viable units in such a way that with the grant of certain reliefs and concessions they might turn the corner within a reasonable period and be able to service debts on normal terms. In these tasks IFCI sought the help and co-operation of other participating institutions and commercial banks besides the Central and state Governments in appropriate cases.

Pursuant to the rehabilitation plans evolved by the institutions, one scooter manufacturing unit improved its performance and the proposals of merger of two scooter units with healthy units have been approved by the institutions and further legal steps are under way to formalise the arrangements. In the case of one of the largest scooter units in which Central Government, has a fairly large stake, financial restructuring is under consideration of Government.

In the last year's report, it was stated that a unit manufacturing electric bulbs, tube lights, etc., was successfully rehabilitated by inducting professional management. During the year, the unit did exceedingly well and not only it cleared the entire overdue interest and a major portion of the overdue principal, but attained the position to repay the outstanding loans even over a shorter perid. It was also stated in the last Year's Report that to sick units in the electrical industry had been rehabilitated by way of merger with healthy units. During the year, one of the units started meeting its commitments in respect of its overdues and the other unit also improved its performance substantially and started meeting its commitments. All the above units are now embarking upon modernisation/expasion programmes.

The merger of a unit engaged in the manufacture of the radio, transistors, and electronic equipment

with a healthy unit was approved by the High Court during the year and in this case the repayment of dues is expected to commence after the amalgamated concern starts getting tax benefits under section 72-A of the Income Tax Act, 1961.

Of the two units engaged in mining, rehabilitation plan was evolved during the year in the case of one engaged in copper mining. The second unit was taken over by the Government of India and merged with the Steel Authority of India Limited (SAIL). IFCI is in touch with SAIL regarding recovery of its dues in the other unit.

Assistance has been sanctioned by the Institutions jointly to rehabilitate a unit in the Eastern Region engaged in the manuacture of steel castings which had been lying closed for the last thirteen years. Another units of steel castings in the Northern Region is also being rehabilitated by change of [illegible] lling interest. Onc unit engaged i[illegible] of tin plates is on the threshold of being rehabilitated by drawing upon the expertise of a large unit in the same area. A unit dealing in the manufacture of grinding media was rehabilitated during the year by merger with a healthy unit.

A unit in the joint sector engaged in the manufacture of tubular poles, whose commissioning was delayed for long is being rehabilitated by change of management. Efforts are on the way to rehabilitate a dry cell battery maufacturing unit by change of the management.

During the year, a unit engaged in the manufacture of power tillers showed considerable improvement. As a result, IFCI was able to realise from it major portion of its overdue interest, apart from the current dues.

Sale of assets in three out of four units for which Receivers had been appointed earlier under Section 30 of the IFC Act, 1948 has since been completed. In the case of the fourth unit, offers received by the Court duringthe year were very much below the valuation of the assets and, therefore the Court is being requested.to order for a re-advertisement.

In the case of textiles units, a number of concerns were able to turn the corner due to the improved profitability of the industry as a whole for most part of the year. However, in respect of the textile units in the co-operative sector, where not much improvement was noticed, efforts were made to use the good offices of the concerned State Governments for clearance of defaults.

In the case of ailing units in the sugar industry, the units continued to be affected by the shortage of sugarcane. However, pursuant to the implementation of the rehabilitation plans in the case of four sugar units, recovery of the past dues was made in two cases fully and in the remaining two cases partly. Due to improvement in the free sale sugar prices certain other units also started clearing the overdues of the institutions.

Under the chemical group of industries, a State Government unit engaged in the manufacture of caustic soda, liquid chlorine, hydrochloric acid, etc., improved its performance during the year and started clearing interest amount in default to the institutions. Another unit manufacturing glass bottles showed improved performance and started paying its dues.

In the previous year's Report, it was stated that the management of a paper unit engaged in the manufacture of gloss coated paper was transferred to another well established unit, pending implementation of the merger programme. During the year, the High Court approved the merger of the unit and the defaults of the institutions are expected to be cleared shortly. During the year, two other paper units ran into difficulties leading to their closure. Endeavours are being made to rehabilitate the units.

One unit engaged in the manufacture of rubber chemicals based on foreign technology was merged with a healthy concern of the a large group with the approval of the High Court. As per the approved scheme, the concessions and reliefs granted by the institutions would stand withdrawn and IFCI would be getting repayment of its dues as per the original agreement.

During the year, two units, one manufacturing pharmaceutical products and the other bicycles—both located in the Eastern Region—were nationalized. The compensation amounts provided under the respective Acts might not be adequate to meet the dues of IFCI, IFCI has filed its claims before the Commissioners of Payments in both the cases.

Amongst the hotel units, a hotel in Himachal Pradesh which had been lying closed, resumed operations during the year with the induction of a new group of promoters. As a result, IFCI was able to recover a part of its dues. Efforts are being made to rehabilitate another hotel in Bihar by leasing out the hotel property to an established concern and utilising majaor portion of the lease rent towards repayment of the dues. A hotel project in Madras, which had been lying incomplete for the last six years was also rehabilitated during the year by interesting a new group of promoters in it. The hotel has since been partly completed and has started operations.

In the case of units where it was considered that intensive monitoring together with certain corrective steps might be useful in having the dues of the institutions realised, the monitoring and follow-up were intensified. The intensity and periodicity of the reports from such units by way of progress reports, inspection reports, nominee directors' reports, etc., were also increased.

The Board of Directors also continued to review periodically the recovery position, the problem cases, and the measures for the rehabilitation and revival of individual units,. Wherever necessary, montoring of such units was further ensured through the appointment of concurrent auditors, Finance Directors, strengthening of the organisational set-ups, constitution of Management Committee with a view to introducing the process of collective decision making as also through the appointment of consultancy organisations in cases where the weak areas in the assisted

projects happened to be those of technical marketing, quality consciousness, etc. Where all other avenues had failed and legal action had been instituted in terms of the provisions of IFC Act, or otherwise the legal proceedings continued to be pursued and in these cases, as adverted to earlier, sale of mortgaged assets was completed under orders of the court.

6 RESOURCES AND FINANCIAL MANAGEMENT

The resources of IFCI comprise its share capital, reserves, borrowings from the market by issue of bonds, loans from the Industrial Development Bank of India (IDBI) and Central Government, foreign credits secured from foreign financial institutions, recoveries in respect of loans advanced and sale redemption of investments held by it. Development in the resources position of IFCI during the year under report are given in the following paragraphs.

Share Capital

There was no change in the authorised capital of IFCI which remained at Rs. 20 crores. However, with the issue of 5,000 (sixth series) shares of Rs. 5,000/- each on the 2nd February, 1981, the issued, subscribed and paid-up Capital of IFCI went up from Rs. 15 crores to Rs 17·50 crores.

The distribution of paid-up share capital as on the 30th June 1981 amongst of the four classes of shareholders of IFCI was as under

Class of shareholders	No. of Shares held	Paid-up value (Rs. Crores)	Percentage to the total
IDBI	17,500	8·75	50
Scheduled Banks	7,067	3 53	20
Insurance Concerns, etc.	7,501	3 75	22
Co-operative Banks	2,932	1 47	8
TOTAL	35,000	17 50	100

Reserves

With the transfer of Rs. 7·25 crores out of the profits for the year ended the 30th June, 1981, and with the net increase in the Specific Grant from Government of India to the extent of Rs. 0·31 crore, the reserves of IFCI increased from Rs. 32·77 crores to Rs. 40·13 crores, after making adjustments under the Benevolent Reserve Fund (BRF) to the extent of Rs. 0·20 crore being utilisation of the fund during the year. The break-up of the reserves as on the 30th June, 1981, was as under :

Reserves	Amount (Rs Crores)
General Reserve Fund (Under Section 32 of the IFC Act)	18 19
Reserve Fund (Under Section 32A of the IFC Act)	1 00
Benevolent Reserve Fund (Under Section 32B of the IFC Act)	0 66
Special Reserve (Under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)	19 38
Specific Grant from Government of India	0 90
Total Reserves :	40 13

The aforesaid reserves exceeded the paid-up capital by Rs. 22 63 crores.

Bond Issues

With a view to augmenting its resources as also redeeming its 5-¼% Bonds, 1980, for Rs. 8·33 crores, IFCI made, during the year, two public issues of bonds, viz., 6·75% Bonds 1992 (2nd series) for Rs. 36·00 crores made on the 10th December 1980, and 7·25% Bonds 1996 for Rs 21·75 crores made on the 10th June 1981. Both the issues were fully subscribed Including the permissibe 10 per cent amount of the issue, the total amount of the bonds allotted aggregated Rs. 63·52 crores.

As on the 30th June, 1981 the net outstanding amount of the bond issues was Rs. 433·47 crores.

Borrowings from IDBI

During the year, a sum of Rs. 20·00 crores was raised from the Industrial Development Bank of India (IDBI) by the issue of 7·5% Ad-hoc Bonds for the purpose of financing the cases under the Soft Loans Scheme, With this, the total borrowings from IDBI upto the 30th June, 1981, aggregated Rs. 45·00 crores. After accounting for the repayments made to IDBI of the order of Rs. 2 00 crores upto the 30th June, 1981, the net outstanding amount under this head stood at Rs. 43·00 crore is as on the 30th June, 1981.

Borrowings from the Central Government

As on the 30th June, 1980, the total loans outstanding from the Central Government were of the order of Rs. 29·04 crores. During the year, while no further loan was obtained from the Central Government, a sum of Rs. 15·89 crores was repaid to the Government leaving Rs. 13·15 crores only as outstanding balance on the 30th June, 1981.

Insofar as the loan portion under the Interest Differential Funds (IDF) arising out of KWF lines of credit is concerned, during the year, a sum of Rs. 0·71 crore was obtained form the Central Government and a sum of Rs. 0·06 crore was repaid under this account. Thus the total loan portion of IDF payable to Central Government aggregated Rs. 3·69 crores as on the 30th June, 1981, as against Rs, 3·04 crores as on the 30th June, 1980.

Borrowings in Foreign Currencies and Foreign Exchange Resources

IFCI's borrowings in foreign currency presently are in DM against lines of Credit sanctioned by Kreditranstalt fur wiederaufbau (KFW) West Germany, and in French Francs against the equipment line of credit sanctioned by Banque Francaise du Commerce Exterieur (BFCE), France.

Under DM lines of Credit, a further loan of DM 15·00 million being the nineteenth line of credit was allocated to IFCI during the year under report. With this allocation, the total amount of DM credit aggregated 227·50 million, against

which sub-loans totalling DM 217 million had been sanctioned by IFCI upto the 30th June, 1981. DM lines of credit are fully convertible and can be utilised for the import of capital goods, engineering know-how, services, etc.

Government have permitted IFCI to convert the amounts recovered from the DM sub-borrowers into foreign currency and utilise the same pending repayment to KFW, West Gremany, for financing imports by industrial concerns. Under this scheme of DM Revolving Funds, sub-loans for DM upto 32 million had been sanctioned upto the 30th June, 1981.

As on the 30th June, 1980, the outstanding balance of the aforesaid foreign lines of credit availed of by IFCI was Rs. 21·96 crores at erstwhile parity rate of exchange. At T.T. Selling rates ruling on the 30th June, 1981 these borrowings amounted to Rs. 39·32 crores. During the year under report, a sum equivalent to Rs. 5·31 crores was availed of and an amount equivalent to Rs. 2·25 crores (R. 2·12 crores at T.T. Selling rates ruling on the 30th June, 1981) was repaid, with the result that the outstanding amount against borrowings in foreign currency as on the 30th June, 1981, stood at Rs. 42·51 crores on the basis of T.T. Selling rates ruling as on the 30th June, 1981.

The equipment line of BFCF credit allotted to IFCI was 15 Million French Francs. This stood fully committed.

In addition to the above, IFCI has been allocated by Government of India facilities under Indo-Swedish Development Co-operation Agreement and U.K./ India Capital Investments Loans/Grants.

During the year under report, two further allocations of Swedish Kroners 50 million each were made available by the Government of India under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1979. With these allocations, the total amount of Swedish Kroner facilities made available to IFCI agregated Sw. Kr. 175 million, against which sub-loans of the order of Sw. Kr. 124 million had been sanctioned till the 30th June, 1981. Sw. Kr. allocations are also fully convertible and can be utilised for th ort of capital goods and services.

Insofar as allocations under U.K./India Capital Investments Loans/Grants are concerned, no further allocation was made during the year and the total amount of the allocations continued to be £ 9·5 million as reported last year, against which sub-loans for an aggregate amount of £ 7·00 million had been sanctioned up to the end of the year.

Since the assistance under the Swedish Kroner and £ Sterling, is in effect, a 'convertibility' facility of rupee loans (inasmuch as IFCI under the arrangements is expected to provide only rupee funds for making payments in foreign currency abroad), sub-loans against these allocation are being financed out of the rupee resources of IFCI.

Repayments of the Loans by the Borrowers and Sale/ Redemption of Securities.

Apart from the capital & reserves and the borrowings, the major sources on which IFCI has to count for financing its operatins, are the repayments made by the borrowers towards loans and/or guarantee obligations, redemption of securities by them and sale of scripts held by IFCI in its investment portfolio. During the year under report, the total receipts on accont of the above aggregated Rs. 35·57 crores and constituted 19·3% of the total resources of IFCI for 1980—81.

Resource Planning

On the 30th June, 1981, the outstanding commitments against loan assistance sanctioned and to be met by IFCI, were of the order of Rs. 322·69 crores. Financial institutions have necessarily to make a judicious application of the resources planned, within the over all constraints of domestic savings, Five Year Plan allocations to other sectors and limits for public borrowings. However, IFCI is confident of meetings its outstanding commitments and commitments against new proposals which would materialise during the coming year. IFCI is constantly in touch with the Planning Commission and other concerned authorities in this regard.

Sources and Uses of Funds

Table 11 gives a break-up of sources and uses of funds for the three years, viz., 1978—79, 1979—80 & 1980—81 as also cumulative figures for the period from 1948 to 1981 (July—June) :

Table 11
Sources and Uses of funds

(Rs. Crores)

	1978-79	1979-80	1980-81	1948—81
A. SOURCES OF FUNDS :				
Internal Sources				
1. Share capital	2·50*	2·50	2·50	17·50
2. Profit before tax	8·07	10·18	12·94	104·38
3. Repayment of loans by borrowers	24·82	25·84	34·95	296·02
4. Sale/redemption of investment	0·45	0·45	0·62	18·36
5. Recoveries in respect of amounts met under guarantee obligations	0·07	0·16	—	4·99**
Sub-total :	35·91 (32·1)	39·13 (23.6)	51·01 (27·7)	441·25 (36·6)

*Share application money in respect of the additional issue of share capital for Rs. 5·00 crores,

**Does not include Rs. 2,66 crores converted into loans and R. 1·22 crores converted into equity shares which were disposed of under rehabilitation schemes in respect of two concerns,

Table 11 (Contd.)

(Rs. Crores)

	1978-79	1979-80	1980-81	1948—81
Bowrrowings				
6. From the market by issue of bonds	35·02	113·50	63·52	497·46
7. From Central Government	0·62	0·74	0·71	116·35
8. From Industrial Development Bank of India	15·00		20·00	45·00
9. By way of transfer or rights and interests and certain loans	—	—	—	9·98
10. From foreign credit institutions				
(a) Loan in US $ from ISAID				23·50
(b) Loans in DM from Kreditanstalt fur Wiedcraufbau,West Germany	3·58	2·11	5·31	66·85
(c) Equipment credit in FF from Banqul Francaise Du Commerce Exterieur, Paris	—	—	—	2·30
Sub-total	54·22 (48·5)	116·35 (70·1)	89·54 (48·7)	761·44 (63·1)
11. Specific Grant from Government	0·62 (0·5)	0·74 (0·4)	0·71 (0·4)	3·80 (0·3)
12. Net miscellaneous sources	— (—)	— (—)	1·88 (1·0)	— (—)
13. Opening cash and bank balances	21·01 (18·9)	9·87 (5·9)	40·84 (22·2)	— (—)
SOURCES OF FUNDS : TOTAL	111·85 (100·0)	166·09 (100·0)	183·98 (100·0)	1206·49 (100·0)
B. USES OF FUNDS :				
1. Disbursement of asssitance				
(a) Rupee loans	62·66	82·78	105·66	698·61
(b) Foreign currency sub-loans	5·82	9·56	19·28	122·22
(c) Subscription ot shares and debentures of industrial concerns under underwriting obligations etc.	3·15	2·24	2·14	45·26
(d) Amounts met under guarantee obligations	0·10	—	—	10·16
Sub-total :	71·73 (64·1)	94·58 (56·9)	127·05 (69·1)	876·25 (72·6)
2. Loan amounts converted into equity shares of assisted concerus	1·22 (1·1)	0·93 (0·6)	1·98 (1.1)	5·98 (0·5)
Repayment of borrowings				
3. Redemption of bonds	6·13	8·25	8·33	63·99
4. Repayment of loans to Central Government	7·55	6·58	15·95	99·51
5. Repayment of loans to foreign credit institutions	3·54	3·72	2·31	45·17*
6. Repayment of other borrowings	2·12	1·56	0·92	11·82
Sub-total :	19·34 (71·3)	20·11 (12·1)	27·51 (14·9)	220·49 (18·3)
Other uses				
7. Subscription to share capital/initial capital of financial/developmental institutios	0·34	0·03	0·09	1·24
8. Allocations to Management Development Institute	0·74	0·78	0·38	3·80
9. Allocations to Risk Capital Foundation	0·45	0·93	0·13	2·17
10. Provision for Income Tax	3·53	5·39	4·56	@@46·61
11. Dividend	0·65	0·94	1·12	10·62
12. Net miscellaneous user	3·98	1·56		18·17
Sub-total :	9·69 (8·7)	9·63 (5·8)	6·28 (3·4)	82·61 (6·8)
13. Closing cash and bank balances	9·87 (8·8)	40·84 (24·6)	21·16 (11·5)	21·16 (1·8)
USES OF FUNDS : TOTAL	111·85 (100·0)	166·09 (100·0)	183·98 (100·0)	1206·49 (100·0)

@Out of interest Differential Funds in terms KFW loan agreements.

Note : Figures in brackets indicate percentages to total.

*The repayment of loans to foreign credit institutions at T.T. Selling rates prevailing as on the 30th June, 1981 amounted to Rs.49·95 crores.

@@Includes Income Tax to the extent of Rs. 42·88 crores actually paid.

Note : 1. The disbursement of foreign currency sb-loans as also borrowings from foreign credit institutions are shown at T.T. Selling rates prevailing as on the 30th June, 1981.

2. Figures in brackct indicate percentage to the total.

New Accounting System

The Board of Directors in July, 1978, had appointed M/s. S. B. Billimoria & Co., Chartered Accountants, to study the systems, procedures, forms and organisation of IFCI's accounting functions with a view to providing better organisational efficiency, management information, effective financial and loan accounting system, corporate budgetary control, etc. On the basis of the report and recommendations of M/s. S. B. Billimoria & Co., Chartered Accountants, as also the Accounting Manual designed by them, a 'New Accounting System' was introduced in IFCI with effect from the 1st July, 1980. The emphasis in the new system is on maintenance of the requisite statutory accounting record and internal control over assets and liabilities, income and expenditure as also to provide information to the management for planning and controlling the operations of IFCI on a commercially viable basis. The system also provides the flexibility for a change-over to the mechanised accounting system as and when considered necessary. The new system, as introduced, is functioning very well.

Audit

Apart from the internal audit system in force, the statutory audit of accounts of IFCI is being carried out by two auditors, of whom one is nominated by IDBI and the other one elected by shareholders other than IDBI at the annual general meeting of the shareholders. During the year under report, M/s. B. L. Ajmera & Co., Jaipur were appointed as auditors by the IDBI for the year ended the 30th June, 1981. The shareholders of IFCI, other than IDBI, had elected at the last Annual General Meeting held on the 30th September, 1980. M/s Ray & Ray, Calcutta, as auditors for the same period. The audit report of the auditors for the year 1980-81 is attached with the Accounts for the year in this Report.

7. PROMOTIONAL ACTIVITIES

IFCI's Development Role

Through a number of specialised agencies set up by it, either on its own, or jointly with other financial institutions, IFCI has endeavoured to fill in gaps, in the institutional infrastructure for promotion of industries and for providing the much-needed guidance in project identification, formulation, implementation and operation, etc., to the new, small and medium scale industrial entrepreneurs.

IFCI's promotional role gained new dimensions when IFC Act, 1948, was amended in 1972 providing for creation of a Benevolent Reserve Fund (BRF) for undertaking various promotional activities as a development bank. The promotional and social objectives for which the BRF could be utilised included such activities as (a) meeting the cost of feasibility studies, project reports, market and techno-economic surveys, (b) assisting projects promoted by new entrepreneurs and technologists, (c) promoting research in financial and industrial management by creation of chairs in Universities and other academic institutions, (d) meeting the cost of training of personnel of the financial institutions etc.

Since the creation of the BRF in 1972, a sum of Rs. 2·67 crores had been transferred to it out of the profits of IFCI, and, with a further allocation of Rs. 0·25 crore from the profits for the year 1980-81, the total amount transferred to BRF as on the 30th June, 1981, amounted to Rs. 2·92 crores. As against this, a sum of Rs. 2·26 crores had been utilised on various promotional activities of IFCI.

Another source for financing the promotional activities of IFCI is the Interest Differential Funds (IDFs) received from the Government of India out of the interest payable by IFCI on KFW Loans in terms of agreements entered into between IFCI, the Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW) West Germany, and the Governments of India and Federal Republic of Germany in connection with the DM lines of credit made available to IFCI by KFW. These funds are being received from Government in the form of loans and grants on a 50 : 50 basis.

Upto the 30th June, 1981, IFCI had received a sum of Rs. 3·80 crores by way of loans and an equal amount by way of grants under the Interest Differential Funds. Against the total allocation of Rs. 7·60 crores, a sum of Rs. 5·25 crores had been utilised on the promotional activities upto the 30th June, 1981.

A Statement showing the utilisation of BRF and IDFs during the year and cumulative upto the 30th June, 1981, is given vide **Appendix-O.**

Promotional (Technical Assistance) Schemes

As reported last year, IFCI, on its own, has been operating the following four Schemes from the dates mentioned against each :

(A) Scheme of Assistance to New Entrepreneurs—Subsidy for meeting cost of market studies (30-11-1977);

(B) Scheme for Encouraging Adoption of Indigenous Technology (30-11-1977);

(C) Scheme of Assistance for Small Entrepreneurs (1-7-1978) ; and

(D) Scheme for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries (1-9-1978).

Assistance under the aforesaid Schemes is in the nature of providing subsidy to entrepreneurs. The subsidy under the last two Schemes viz., (C) and (D) is being channelised through the Specified Agencies, which include Technical Consultancy Organisations (TCOs) sponsored by the all-India financial institutions.

During the year under report, while there was no utilisation of facilities available under the first two Schemes, the last two Schemes, which help entrepreneurs to utilise the services offered by Technical Consultancy Organisations (TCOs), specially in matters relating to the preparation of pre-feasibility/feasibility studies, detailed project reports market studies for their proposed

units, or, for identification of products suitable for ancillarisation, or, preparation of reports for setting up ancillary and small scale units, etc., commanded wider utilisation and popularity with the TCOs, benefitting, thereby, during the short span of their operation, a number of entrepreneurs.

Under the Scheme of Assistance to Small Entrepreneurs, the cost of each assignment taken up by TCOs is subsidised by IFCI to the extent of 80% or Rs. 5,000/- whichever is lower; the balance is to be met by the entrepreneurs themselves. Under the Scheme of Promotion of Ancillary and Small Scale Industries, reimbursement to TCOs and other Specified Agencies is made upto 75% of the cost of assignment as soon as the same is completed and the balance 25% is paid on the fulfilment of two conditions i.e., (i) sanction of financial assistance by the State-level institution, or, a commercial bank for the ancillary project, and (ii) the execution of a minimum off-take agreement with the main unit. Subsidy to the TCOs under the aforesaid two Schemes in respect of assignments undertaken is available upto a limit of Rs. 1·00 lakh per annum, per TCO, for each individual scheme.

During the year under review, a concession was given to TCOs under which, after they had completely utilised the subsidy under any one of the aforesaid two Schemes, they could further utilise for the same Scheme 50% of the funds available for the other Scheme in a year, if such funds remained unutilised thereunder i.e., under the other Scheme.

Under the Scheme of Assistance to Small entrepreneurs, IFCI had released upto the 30th June, 1981, a subsidy aggregating Rs. 0·16 crore benefitting 492 projects through 13 TCOs operating in the country. Of these, 129 projects related to the year 1980-81. Of the balance 363 projects subsidised earlier 99 projects were reported to have been implemented and 140 projects were stated to be under implementation as on the 30th June, 1981. Likewise, under the Pomotion of Ancillary and Small Scale Industries Scheme, IFCI had reimbursed an amount of Rs 0·03 crore to 6 Specified Agencies benefitting 31 ancillary units. Of these, 9 projects related to the year 1980-81. Of the balance 22 projects, 18 projects were reported to have been implemented and 3 were stated to be under implementation as on the 30th June, 1981.

Special Assignments

IFCI has also been sharing, from time to time, on a case to case basis, the consultancy cost of special assignments relating to the prefeasibility studies, feasibility studies, project reports, market reports, techno-economic surveys, project profiles, etc., undertaken by the Consultancy Organisations and/or other Statelevel developmental agencies connected with the promotion of industrialisation in their respective areas, in participation with other institutions, where these are not covered by the existing Promotional (Technical Assistance) Schemes of IFCI.

Of the special assignments, consultancy costs of which had been shared by IFCI on an agreed basis along with other financial institutions up to the 30th June, 1981, mention may be made of the Industrial Potential Surveys carried out by the Institutions, preparation of 17 feasibility report of candidate projects identified in some of these surveys, and, printing of a Directory of the Industrial Consultants by the all-India financial institutions under the aegis of IDBI, techno-economic survey of Tamil Nadu carried out by Tata Economic Consultancy Services, techno-economic surveys of Bhagalpur district in Bihar and Purulia district in West Bengal, preparation of 100 project profiles by the West Bengal Consultancy Organisation Limited (WEBCON) in the small and medium scale sector for 'down stream' units connected with the proposed Haldia Petro-Chemical Complex, studies relating to electronics industry and mineral resources in Himachal Pradesh carried out by the Himachal Consultancy Organisation Limited (HIMCON), and, establishment of two functional industrial complexes, namely, Agro-products complex and Leather Complex in districts of Chindwara and Dewas respectively in Madhya Pradesh by the Madhya Pradesh Consultancy Organisation Limited (MPCON).

The amount paid up to the 30th June, 1981, by IFCI against these assignments aggregated Rs. 0·03 crore.

Technical Consultancy Organisations

With a view to creating and strengthening the institutional infrastructure at the State-level, the all-India financial institutions have set up thirteen Technical Consultancy Organisations (TCOs) one each for North-Eastern Region, Kerala, Bihar, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa, Jammu & Kashmir, West Bengal, Gujarat, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh.

During the year, considerable stress was laid on improving the capability and capacity of the TCOs with a view to taking up 'turn key' assignments, area and market studies, detailed engineeringk monitoring, the rehabilitation programmes for sick units, etc. Other important areas in which TCOs have ventured are : motivating and training of entrepreneurs, preparation of district action plans, integrated area development plans and providing comprehensive services for functional industrial complexes. Thus, during the year, there was a qualitative shift in the functioning of all TCOs. IFCI, in collaboration with IDBI and ICICI, participated in various steps undertaken for strengthening of TCOs and increasing their overall effectiveness. These included augmenting their capital base, introducing a system of inter-TCO exchange of information and orientation of skills particularly for the benefit of tiny and small scale units.

While IFCI has participated in the formation of all existing TCOs, the review of the operations of three TCOs which have been sponsored by it and where it holds more than 51% of their share capital is discussed in the following paragraphs.

(A) Himachal Consultancy Organisation Ltd. (HIMCON)

During the year ended the 31st December, 1980, which was the forth year of its operations,

HIMCON completed 103 assignments, of which 79 related to the preparation of the prefeasibility studies and feasibility studies, 10 related to studies in respect of ancillary industries one related to a market survey and the remaining 13 included fact finding studies, raw material surveys, etc. During the year under review, HIMCON set up a "Survey & Study Cell" for carrying out market surveys, sectoral studies, industrial development plans and other special inter-disciplinary studies in reponse to the demands of the State-level institutions and entrepreneurs. Amongst the special assignments handeld by HIMCON during the year were (a) studies relating to the preparation of an inte-grated industrial development plan for Kangra District, (b) study relating to the scope and development of electronics industry in Himachal Pradesh, (c) study of mineral resources of Himachal Pradesh and identification of industries based on these resources, (d) a cost-benefit study of Parwanoo Industrial Area in order to assess the impact of industrialisation on the economy of the State at the instance of the State Government. IDBI, during the year assigned to HIMCON studies relating to the performance of 'lead' banks in the districts of Patial in Punjab and Kangra in Himachal Pradesh.

Dring the year under review, HIMCON opened a Branch Office in Chandigarh which commenced functioning from the 22nd August, 1980. The Chandigarh Office is expected to render consultancy services to the prospective entrepreneurs in Chandigah, Punjab and Haryana.

HIMCON also carried out, in collaboration with the Directorate of Industries, Himachal Pradesh and Developent Banking Centre of MDI, new Delhi, an Entrepreneurial Development Programme and continued to the maintain follow-up with regard to the earlier programmes conducted by it.

For the year ended the 31st December, 1980, HIMCON earned an income or Rs. 5·77 lakhs and incurred an expenditure of Rs. 5·64 lakhs resulting in a gross profit or Rs. 0·13 lakh.

(B) Rajasthan Consultancy Organisation Ltd. (RAJCON)

On the 31st December, 1980, RAJCON completed three years of its operations. During the year 1980, RAJCON completed 79 assignments, of which, 72 were for the projects in the tiny and small scale sector, two projects pertained to the meduim scale sector and 5 were in the filed of applied neconomic research, namely, industry study on non-pressure asbestos cement pipes and fittings in Rajasthan, impact study of industry on furthering the economic development of Alwar district, and, three studies pertaining to dyeing and printing industry at Sanganer, hand-tools industry at Nagaur and of Kota-Doria Sarees at Kaithoon.

RAJCON has also been retained by the State Government and three State-level financial and developmental institutions to conduct Entrepreneurial Development Programmes in Rajasthan in collobaration with the Centre for Entrepreneurial Development (CED) of Gujarat.

For the year ended the 31st December, 1980, RAJCON earned an income of Rs. 4·62 lakhs against the expenditure of Rs. 4·40 lakhs, which resulted in a gross profit of Rs. 0·22 lakh.

(C) Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd. (MPCON)

In the short span of about two years ended the 31st December, 1980, MPCON geared itself to the consultancy needs of the State. Its services were commissioned by the Directorate of Industries, Government of Madhya Pradesh to identify projects and provide consultancy services for setting up two functional industrial complexes, namely Agro-products Complex in district Chindwara and a Leather Complex in the district of Dewas. During the year 1980, MPCON completed 84 assignments, of which, 73 were project/feasibility reports, 4 market research studies and 2 cost-benefit analysis reports. The remaining assignments related to the detailed engineering, rehabilitaion and reconstruction, rural development, company formation and a 'sell or install' study relating to a fertiliser granulation unit. Out of 84 completed assignments, 68 were in the tiny and small scale sector. An Entreprenurial Development Programme was also carried out by MPCON for the entrepreneurs setting up units in the functional leather complex.

During the year ended the 31st December, 1980, MPCON earned and income of Rs. 7·05 lakhs and incurred an expenditure of Rs. 6·70 lakhs, with the resultant profit of Rs. 0·35 lakh.

Steps were also undertaken to set up a TCO in Maharashtra known as the Maharashtra Industrial & Technical Consultancy Organisation Limited (MITCON) with ICICI in the lead. IFCI has agreed to participate in the share capital of MITCON as also to bear the current deficit, if any, in proportion to its shareholdings, for a maximum period of its first three completed years of operations.

Risk Capital Foundation

With a view to providing assistance towards promoters' equity, IFCI filled in an important gap in the institutional financing infrastructre, when, in 1975, it sponsored the Risk Capital Foundation (RCF) at New Delhi.

RCF provides personal loans for meeting a part of the promoters' contribution to the equity of the projects which have been sanctioned financial assistance by one of the all-India term lending institutions, viz., IFCI, IDBI or ICICI, singly or jointly. No interest is charged on the loans but a nominal service charge is levied. The existing rates of service charges are 1% per annum during the first 5 year of the period of the loan, 2% per annum between 6th and 10th year and 3% beyond the 10th year of the period of the loan. In addition, a contingent service charge is levied at the rate of 40% of the gross dividend on the equity shares acquired out of the loan from RCF and pledged with it as security for the loan.

The assistance granted by the RCF is normally limited to 50% of the promoters' contribution

to the equity of the project subject to an upper limit in respect of a single project to Rs. 10 lakhs where there is only one borrower and to Rs. 15 lakhs where there are two or more borrowers. Any new entrepreneur or group of new entrepreneurs, technically, or, professionally qualified and having reasonable industrial or business experience promoting a public limited company in India for undertaking a meduim sized industrial project is eligible for financial assistance from the RCF.

The loan from the RCF is secured by pledge of shareholding of the assisted promoter, or, promoter, group, in the project promoted by him or them, acquired out of his/their own resources as well out of the loan from RCF. RCF also requires a Mortagage Redemption Insurance Policy being taken by the beneficiary on his life for the full amount of the loan.

The cumulative sanctions of RCF as on the 30th June, 1981, stood at Rs. 2·54 crores to sixty beneficiaries in respect of thirty-five projcts. The disbursements on the same date totalled Rs. 1·73 crores in respect of forty four promoters of twenty seven projects.

During its financial year ended the 31st December, 1980, RCF, for the first time, had a surplus of Rs. 1·05 lakhs as a result of its operations. This brought down its accumulated deficit to Rs. 4·02 lakh as on the 31st December, 1980.

The funds of the RCF, for the present, consist of loans and grants made available to it by IFCI out of its Benevolent Reserve Fund and KFW Interest Differential Funds allocated by Government to IFCI. Upto the 30th June, 1981, IFCI had allocated a sum of Rs. 2·50 crores by way of loans, Rs. 0·55 crore by way of grants and Rs. 0·11 crore towards RCF's administrative expenses, making the total allocation to Rs. 3·16 crore. Against this, funds of the order of Rs. 2·17 crores had been released to RCF upto the 30th June, 1981.

Development of Entrepreneurship and Managerial Skills.

IFCI, as a development bank, has been attaching great importance not only to entrepreneurship development but also to the up-gradation of managerial skills as also professionalisation of managements.

Entrepreneurship development involves identification of potential entrepreneurs, developing in them the traits/abilities required for entrepreneurial success and providig support to them in subsequent stages of entreprise building. For this purpose, IFCI has been organising from time to time programmes on 'Identification, Promotion and Implementation of Industrial Projects' (IPIIP) in various States. In April, 1980, an IPIIP programme was conducted for Orissa at Bhubaneswar. In the coming year a programme is proposed to be conducted for the North-Eastern Region. Apart from the IPIIP programmes, wherever required, IFCI is helping the Technical Consultancy organisations (TCOs) in different States by sharing the expenses of Entrepreneurial Development Programmes conducted by them along with other institutions, banks and State Governments.

Management Development Institute

For developing and improving the quality of day-to-day management, which is so crucial to the success of any industrial venture as also with a view of encouraging professionalisation in management, IFCI sponsored in 1973 the Management Development Institute (MDI) with the following objectives :

(a) to provide training in modern management techniques to the executive personnel of assisted concerns of IFCI and other, particularly, to new entrepreneurs and technologists;

(b) to impart training in development banking to the staff of promotional/financial institutions and agencies at the State and all-India levels and to offer these facilities to the staff of development banks abroad; and

(c) to undertake research in all areas of management and development banking.

During its operational year ended the 31st December, 1980, MDI organised 36 programmes for general participation, of which 11 were specific industry programmes. In the first half of 1981, MDI organised 20 training programmes, including one in-company programme. During the second half of 1981 MDI has scheduled to conduct 30 programmes, including 4 in-company programmes.

Amongst the programmes of considerable importance organised by MDI included an 'Integral programme in the field of Personnel Management on Training the Trainers' in collaboration with the Royal Institute of Public Institution UK; a programme on 'Communication Effectiveness and Organisation Development' assisted by the Faculty of the University of Bath, UK; a programme on 'Financial Planning & Control in Public Sector Enterprises' organised jointly with the Bureau of Public Enterprises, Government of India; a programme on 'Identification, Promotion and Management of Agro-industries in the Co-operative Sector' exclusively for the State Cooperative Apex Banks and Marketing Federations: and a programme on Housing Managment in association with the Housing and Urban Development Corporation Limited.

Development Banking Centre

With a view to encouraging training and research in the filed of 'Principles and Practice of Development Banking' in the country and abroad, MDI, with the active support of IFCI, set up in November, 1977, a Developmet Banking Centre (DBC) as it is semi-autonomous wing.

During its operational year ended the 31st December, 1980, DBC conducted 19 programmes including three in-compny programmes, in which 491 participants had taken part including 43 from abroad.

In the first half of 1981, DBC organised 10 programmes for general participation and one in-

company programme. For the first time, DBC organised a programme on 'Economic Analysis of Industrial Projects'. For the second half of 1981, DBC has planned to conduct 7 training programme, of which 2 would be in-company programmes.

One of the specialised programmes of DBC which is being conducted almost every year with a focus on a particular aspect of development banking its 'General Course on Development Banking'. It has also conducted two programes on development banking sponsored by UNIDO exclusively for participants from developing countries. Amongst the other international programmes, specific mention may be made of (i) an 'Executive Development of Middle-Level professionals in Development Banks' sponsored by the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) assisted by the Economic Development Institute (EDI) of the World Bank, United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) and the United Nations Development Programme (UNDP); and (ii) 'Promotion and Financing of Small scale Enterprises' organised jointly with the German Foundation for International Development (DSE) and EDI of the World Bank.

MDI and DBC have so far also undertaken eleven research projects in various fields, some of which have been completed. Amongst the important research studies, mention may be made of a study on 'Industrial Sickness' sponsored by the Planning Commission, a 'study of Incidence of Sickness in Small Industrial Projects', a study in 'Hotel Management involving Current Management Practices in Indian Hotels', a 'Study of Setting Up an Off-Shore Banking Centre for Financing Economic Development' as also a 'Study on National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED)'.

Promotion of Research in the Field of Management and Development Banking, etc.

With a view to promoting research in development banking and in financial and industrial management IFCI has already created Chairsin the Indian Institute of Management, Ahmedabad and the Universities of Delhi, Bombay and Calcutta. The financial support to these Chairs has been by way of endowments/annual grants.

During the year under report, it was decided to establish to more Chairs, one each at the Universities of Gauhati and Madras, for which the steps are under way.

An important event during the year was a lecture on the 'Design and Development of Information Systmes for Development Banks—A Systems Approach'—which was delivered in February, 1981 by the IFCI Visiting Professor at the Faculty of Management Studies, University of Delhi.

IFCI has also decided to institute four IFCI Research Fellowships. The Fellows selected on the basis of an interview on a region-wise basis would be required to carry out research work in the filed of development banking including industrial economics, financial management, industrial management, and regional economics. The tenure of the Fellowship is to be three years to be extended for a further period of one year. The Fellowship amount would be Rs. 1,000/- per month with an additional contingent grant of Rs. 2,000/- per annum subject to a ceiling of Rs. 14,000/- per year per fellowship.

Orientation Programmes and Assistance for State-level Institutions.

IFCI has been rendering assistance to the State-level institutions by inviting their professional staff to familiarise themselves with the policies and practices followed by IFCI and seconding its own, staff, wherever it has been so required. Since the inception of the scheme, 123 middle level officers and 62 senior executives from about 39 State-level institutions have benefitted. During the year, it was agreed to review the Scheme so that it might be possible to share the experience of IFCI with a larger group of the State level institutions including promotional agencies and Technical Consultancy Organisations and also, in turn, to benefit from their experience. The new scheme is proposed to be drawn up shortly.

8. BOARD, ADMINISTRATION & PERSONNEL

Board of Directors

In terms of Section 10(1) (b) of the IFC Act, 1948, the Central Government nominated with effect from the 22nd April, 1981, Shri R.K. Kaul, Additional Secretary, Department of Economic Affairs, Banking Division, as a Director in place of Shri N.R. Ranganathan. Further, Shri B. Roy, who was nominated by the Central Government as a Director from the 11th April, 1980, resigned from the directorship of IFCI with effect from the 3rd July, 1981, consequent upon his appointment as a Director, Public Enterprises Centre for Continuing Education. In his place, Shri S.L. Kapur, Joint Secretary, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, has been nominated as a Director by the Central Government with effect from the 14th August, 1981, under Section 10(1)(b) of the IFC Act.

The Industrial Development Bank of India (IDBI), in terms of Section 10(1) (aa) of the IFCI Act, 1948, nominated Dr. S.A. Dave, Executive Director, IDBI with effect from the 15th November, 1980 and Shri K.P. Tripathi, with effect from the 17th November, 1980, is in place of Shri M.R.B. Punja and Shri Bagaram Tulpule respectively.

Shri J.R. Joshi, one of the elected directors, who represented Insurance Concerns, Investment Trusts and other like financial institutions on the Board of Directors of IFCI, resigned with effect from the 12th August, 1980 and in his place, Shri S. Hariharan, Executive Director, Life Insurance Corporation of India, was elected as a Director under Section 10(1)(d) of the IFC Act, 1948, at the 32nd Annual General Meeting of the shareholders of IFCI held on the 30th September, 1980, to fill up

the casual vacancy caused by the resignation of Shri J.R. Joshi.

The Board of Directors place on record their high appreciation of the very valuable services rendered by Shri N.R. Ranganathan, Shri B. Roy, Shri M.R.B. Punja, Shri Bagaram Tulpule and Shri J. R.Joshi during the period of their association with IFCI.

During the year, the Board held twelve meetings—eleven in New Delhi and one at Bangalore.

Advisory Committees

The Advisory Committees constituted by the Board of Directors of IFCI under Section 15 of IFC Act, 1948, assist the Board of Directors in taking decisions on matters related to the sanction of financial assistance to the applicant concerns and advising, otherwise, on the technical and other problems faced by the assisted concerns during the course of their operation as and when brought before them.

During the year, 25 meetings of the various Advisory Committees were held as under :

Name of the Advisory Committee	Number of meetings held
Chemicals Process & Allied Industries	5
Engineering	2
Sugar	3
Textiles	8
Hotels	5
Jute	2

These meetings considered applications for financial assistance for the related projects from 52 concerns. The aforesaid committees also reviewed the working of some of the sick units.

Local Advisory Committees

With a view to promoting better understanding about the policies and practices followed by IFCI and, in turn, to have a first hand knowledge about the industrial development of a State/ region, the Board of Directors of IFCI have constituted Local Advisory Committees (LACs) at thirteen places, viz., Ahmedabad, Bangalore Bhopal, Bhubaneswar, Calcutta, Cochin, Gauhati, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Patna, Madras and Simla.

The main objective in constituting LACs is to bridge the communication gap, from the public relations angle, between IFCI and its numerous clients spread all over the country as also to have a closer inter-action with all those connected with the promotion and development of the industry in a State/region. The feed-back received from the LACs enables IFCI to review and re-orient its policies and procedures as also to appreciate the peculiar problems and prospects of each State in the matter of industrial development. The composition of LACs includes, officials of the State Government in key areas like, industry, finance, cooperation, etc., executives of State level financial and developmental institutions, banks, representatives of Chambers of Commerce & Industry, Technical Consultancy Organisations (TCOs), eminent economists and industrialists, etc., in the area of jurisdiction of the Committee. The objective in having a composition like this, is to have an interface with all concerned – be it ideas, plans and programmes, problems and prospects of the State/region in the matter of industrial development.

During the year under report, five meetings of the Local Advisory Committees were held at Calcutta (31st October, 1980), Jaipur (20th December, 1980), Bangalore (29th December, 1980), Hyderabad (13th April, 1981) and Gauhati (23rd April, 1981). At the time of these meetings, opportunity was also taken by the Chairman and the members of the Board present, to meet the officials of the State Governments and other financial and developmental institutions as also representatives of local business and industry organisations or Chambers with a view to having better appreciation of the industrial climate in the respective States of the region and the problems of some of the assisted concerns.

The proceedings of these meetings, were considered by the Board of Directors and wherever necessary, the follow-up action in the light of the deliberations of these committees was initiated and is being pursued through the regional, branch and other offices to IFCI.

Association with Development Banks in other Countries

IFCI is a founder-member of the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP). As such, at the 3rd General Assembly Meeting of the ADFIAP held in Australia during the period from the 6th April, 1981 to 8th April, 1981, IFCI was represented by, its General Manager, Shri D.N. Davar. At this meeting, the role of Development Financing Institutions (DFIs) in the technology transfer and the direction of ADFIAP's professional and man-power development programmes were considered.

The Chairman of IFCI, Shri B.B. Singh, visited West Germany twice during the year for signing the agreements pertaining to the 18th loan of DM 10 million and the 19th loan of DM 15 million granted to IFCI by Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), West Germany. During the course of his visits, he had useful discussions not only with KFW authorities but also with the banks and financial institutions in France, Luxembourg and London.

IFCI continued to maintain close liaison with other development financing institutions etc., outside the country as also with United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO), Economic Development Institute (EDI), Washington, of World Bank and Asian productivity Association, Japan. Six officers of IFCI were deputed during the year to participate in the seminars and, development programmes organised by ADFIAP, Manpower Development Centre of Development Bank of Phillipines, EDI, Washington, and Asian Productivity Organisation, Japan.

On its part, IFCI, extended facilities for a six-week attachment to a senior executive of Develop-

ment Bank of Zambia to a quaint himself with its policies and procedures relating to appraisal, follow-up and monitoring activities. A senior executive of the Nigerian Industrial Development Bank also visited IFCI to exchange views regarding various corporate matters in general and manpower planning and training, in particular.

Expenditure incurred on Foreign Tours

During the year, IFCI incurred an expenditure of Rs. 1,78,603/- on the visits/participation in courses by its officers abroad. Of this, Rs. 94,142/- pertained to the visits of Chairman and General Manager to West Germany and Australia respectively.

Public Relations

The Public Relations Department of IFCI at Head Office and IFCI offices at other places continued to provide entrepreneurial guidance to new and prospective entrepreneurs. In addition, the Chairman held two press conferences, one at New Delhi on the 29th November, 1980 and the other at Bangalore on the 29th December, 1980. At these press conferences, the Chairman highlighted the operations of IFCI both in the field of direct financing and promotional activities. Endeavours were also made to explain the procedural improvements effected by IFCI and the approach of financial institutions for revitalising sick units having potential for revival. In addition, from time to time press releases were issued in connection with the issue of bonds and other operational matters. Recently, Chairman had the pleasure of meeting a group of journalists from the Federal Republic of Germany who had called upon him for a conversation regarding the role of IFCI in the country.

Expenditure on Advertisement and Publicity

During the year, IFCI incurred a total expenditure of Rs. 77,974/- on advertisement and publicity.

Progressive Use of Hindi

In pursuance of Government's policy regarding the progressive use of Hindi for official purposes, efforts are being made consistently to promote the use of Hindi in IFCI. As reported last year, three Official Languages Implementation Committees (OLICs) were functioning at Head Office, Bombay and Delhi Regional Offices of IFCI. During the year, OLICs were also constituted at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Hyderabad, Kanpur and Madras to monitor the progress and to suggest ways and means for furthering the use of Hindi.

In consonance with the policy to bilingualise the forms in use in offices of IFCI, all the forms, which are used by the Accounts Department, were bilingualised during the year, and got printed in Hindi and English. Upto the 30th June, 1981, as many as 198 forms had been bilingualised in IFCI. IFCI also had the distinction to bilingualise the Common Application Form for financial assistance, which is used by the applicants for seeking financial assistance from the all India financial institutions. IFCI's 'General Regulations' and 'Staff Regulations' which were framed by the Board under Section 43 of the IFCI Act, 1948, have also been translated into Hindi and have been got vetted from the Central Translation Bureau and are proposed to be got printed shortly. During the year, the prospectuses issued in connection with the raising of funds by way of issue of bonds, were released both in Hindi and English.

IFCI has also adopted the Hindi Teaching Scheme of Government and the employees are regularly being deputed for training in Hindi, Hindi typewriting and Hindi stenography. In the departmental training programmes also, during the year, five Hindi workshops were conducted for the benefit of the employees and in addition, in four other training programmes, a session on the use of Hindi, was included. During the same period, two programmes were conducted exclusively for the benefit of the members of the sub-ordinate staff of IFCI.

Organisational set-up

Apart from its Head office at New Delhi, IFCI had as on the 30th June, 1981, four Regional Offices, one each at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi, four Branch Offices, one each at Ahmedabad Bangalore, Hyderabad and Kanpur and nine offices at, Gauhati, Patna, Bhubaneswar, Bhopal, Nagpur, Pune, Cochin, Jaipur and Chandigarh. From the 1st July 1981, the Gauhati and Patna Offices have been upgraded to function as a full-fledged branch offices. The branch office at Gauhati would now deal with the existing and new projects in the North-Eastern Region and the Patna Branch Office would have jurisdiction in respect of the existing and new projects located in Bihar and Orissa. A latest organisational chart of FCI may be seen at **Appendix 'P'**.

Delegation of Authority

During the year under report, the Board of Directors decentralised more powers to the Regional and Branch Offices and also delegated discretionary powers for sanctioning financial assistance to total ceiling of Rs. 35 lakhs to the Chairman, Rs. 25 lakhs to the General Manager and upto a total limit of Rs. 20 lakhs to the Regional Sanctioning Authorities at the Regional Offices of IFCI.

Human Resources

As on the 30th June, 1981, IFCI had a complements of 941 employees and professional staff (including the staff strength at its regional, branch and other offices), which constituted a multi-disciplinary team contributing to satisfactory working results. IFCI paid particular attention towards recruitment of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as also the physically handicapped. In this connection, the quotas, as laid down by Central Government, were generally adhered to.

Employer-Employee Relations

During the year under review, IFCI revised the payscales of its officers as well as the other staff. The benefit of the revision in pay scales was given to the

officers with effect from the 1st October, 1979, while to the clerical and sub-ordinate staff, the same was given effect from the 1st September 1978. The Memoranda of Settlement, executed by IFCI with the IFCI Employees' Association representing the members of subordinate and clerical staff on the 6th June, 1980 and 28th April, 1981, are to remain in operation for a period of four years from the 1st September, 1978. In terms of the settlements arrived, apart from the revision of pay scales and allowances, other fringe benefits and facilities available to the members of the staff have also been considerably liberalised. The overall employer-employee relations continued to be extremely cordial throughout the year.

Human Resources Development

In pursuance of its policy of developing human resources, IFCI continued to deepen its training activities during the year. Apart from deputing six officers to the overseas training programmes and seminars, 34 short duration in-service training programmes with an average participation of 20 per programme, were organised during the year 1980-81. Of these 22 training programmes were for senior and junior officers and 12 were for other staff members. In addition, two 'in-company training programmes were organised with the assistance of the Development Banking Centre (DBC) of the Management Development Institute (MDI) for the benefit of 39 officers. The total training effort was spread over 89 working days. In addition, 81 officers were deputed to attend 59 training courses conducted by the Management Development Institute (MDI), New Delhi, the All India Management Association (AIMA), New Delhi, the Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi, the Bankers Training College (BTC) Bombay, etc.

Staff Suggestion Scheme

During the year, the Staff Suggestion Scheme continued to receive enthusiastic support from the various members of the staff and 109 suggestions regarding various aspects of the work, were received. The suggestions numbering 24, which were found useful, were accepted as also implemented for the purpose of increasing overall effectiveness and efficiency of the organisation. Cash awards were given to the best suggestions and commendatory letters were issued in all other cases.

Productivity Improvement

The Management & Productivity Services Department of IFCI undertook a number of indepth studies in areas like development of manpower plan for the coming years, formulation of a revised scheme of delegation of powers, level jumping for the purpose of efficient and speedy disposal of office work, records management and filling system, etc. A number of the recommendations made by the Department have since been implemented leading to the overall improvement in the productivity of the organisation.

Staff Welfare

A decade back, in August, 1971, IFCI had set up for the welfare of its staff a Fund knows as the 'Staff Welfare Fund'. Till the 30th June, 1981, a sum of Rs. 0·12 crore had been allocated and transferred to this Fund for financing various activities for the overall welfare of the employees and their wards. During the year under review, with a view to coping with the expansion in staff welfare activities it was decided to bifurcate the fund into two components, viz, (a) Revolving Fund for the Loans, and (b) Grants and Expenses Account. The Revolving Fund is to have a corpus of Rs. 0·10 crore to be built up during the next few years. The Grants and Expenses Account covers expenditure to be incurred on all other items set out in the Staff Welfare Fund Regulations.

During the year, loans aggregating Rs. 2,53,633/- were made out of the Revolving fund to 93 employees for purchase of house-hold durables like television sets, refrigerators, air-coolers and also for marriages of self sons, daughters, sisters as also for undertaking courses of studies for self-development. Further, merit scholarships to 14 children of the employees for pursuing professional courses in Medicine, Engineering, Hotel Management, Architecture, etc. lumpsum awards to 27 children of the employees for securing 60% or more marks in Xth and XIIth class and tution fees for education of three deceased employees of IFCI were paid during the year under Staff Welfare Fund Regulations. Other welfare activities comprised of grants to Sports & Recreation Clubs of IFCI employees, maintenance of five Holiday Homes at Srinagar, Simla, Bangalore, Ooty and Puri, etc.

Personnel Accident Insurance and Group Insurance Schemes for the Staff

As a measure of social security, IFCI has provided to all its whole-time employees insurance covers under the Group Accident Insurance Policy of the Oriental fire & General Insurance Company Limited and Group Insurance Policy of the Life Insurance Corporation of India. The aforesaid measures have provided much needed relief to the families or successors of those employees, who, unfortunately, had an untimely death while in service.

Office Premises

For the Head Office premises, a sum of Rs. 0·92 crore had been paid upto the 30th June, 1981, as advance for 4400 sq. ft. of office accommodation in the public sector complex proposed to be constructed by the Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) at Lodhi Road, New Delhi. A few Regional, Branch and other offices of IFCI have now their own premises and steps are underway for acquiring premises on ownership basis for the remaining offices of IFCI.

Staff Housing Complex

For the staff serving at New Delhi Offices of IFCI, a Housing Complex consisting of 195 dwelling units in area of 3·35 acres at Paschim Vihar, New Delhi, has been constructed at an estimated total cost of Rs. 2·18 crores. In addition to the above, nine flats under construction have been purchased at Hauz Khas, New Delhi, at a cost of Rs. 0·27 crore to supplement the flats earmarked for the officers.

In Bombay, IFCI has 15 flats on ownership basis for providing residential accommodation to officer staff stationed there and has also entered into an

agreement for purchase of 32 flats at Shastrinagar, Ghatkopar, Bombay, at a cost of Rs. 0·35 crore. At Calcutta also, a plot of land admeasuring one acre has been secured at a cost of Rs. 0·13 crore in Salt Lake City, from the Government of West Bengal, for construction of staff quarters.

Acknowledgements

The Board of Directors express their gratitude for the assistance, co-operation and cordiality received from the various Ministries, Directorates, Departments of Government of India, the Industrial Development Bank of India (IDBI), the other sister all-India financial institutions, various State Governments and the State level financial and developmental institutions.

The Board of Directors also place on record their appreciation of the endeavours made by the Chairmen and the Boards of Technical Consultancy Organisations (TCOs), Risk Capital Founction (RCF) and Management Development Institute (MDI) in furthering the activities and the role of the respective organisations.

The Board are also grateful to the members who have served on the various Advisory Committee for their valuable assistance and advice as also to non-officials who have served as IFCI's nominees on the Boards of various assisted concerns.

The Board of Directors further acknowledge the continued support and active co-operation received from various development financing institutions abroad, particularly, the assistance received from the management of Kreditanstalt for Wiederanfhan (KFW West) Germany, Overseal, Development Ministry, of the U.K. Government and the Swedish national Development Authority, Sweden, and expect a more fruitful co-operation in the years to come.

The Board also wish to record their deep appreciation of the loyal and devoted services put in by all the staff, at all levels, of IFCI during the year.

On behalf of the Board of Director,

(B.B. Singh)

Chaiman

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

REPORT OF THE AUDITORS

TO THE SHAREHOLDERS OF THE

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Industrial Finance Corporation of India, do hereby report to the shareholders upon the Balance Sheet and Accounts of the Corporation as at 30th June, 1981.

We have examined the attached Balance Sheet with the Accounts and Vouchers relating thereto and the audited returns from the Branches, which returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanations and information, such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet together with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up in accordance with the Industrial Finance Corporation Act, 1948 and the Rules of the Corporation and exhibits, a true and correct view of the state of the affairs of the Corporation according to the best of our information and explanations given to us and as shown by the books of the Corporation.

RAY & RAY

B.L. AJMERA & CO.,

Charterd Accountants

INDUSTRIAL FINANCE
NEW

Balance Sheet as at

Serial No.	Liabilities	Schedule	This Year Rs.	Previous Year Rs.
(1)	SHARE CAPITAL	A	17,50,00,000	15,00,00,000
(2)	RESERVES AND RESERVE FUND	B	40,12,57,735	32,77,14,621
(3)	LONG TERM BORROWINGS	C	5,35,81,30,565	4,55,80,86,234
(4)	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	D	32,33, 35,142	27,72,93,904
(5)	OTHER LIABILITIES	E	2,48,74,121	2,38,28,095
(6)	CONTINGENT LIABILITIES AS PER CONTRA	F	50,33,083	73,99,241
			6,28,76,30,646	5,34,43,21,285

As per our Report attached

RAY & RAY
B.L. AJMERA & CO.
Chartered Accountants

R.K. KAUL
S.A. DAVE
J.C. SANDESARA
S.K. DATTA
K.P. TRIPATHI

Directors

P.C.D. NAMBIAR
O.P. GUPTA
G.V. KAPADIA
S. HARIHARAN
J.U. PATEL
N.S. SAPKAL

INDUSTRIAL FINANCE
NEW

Profit and Loss Account for the

Expenditure	Rs.	This Year Rs.	Previous Year Rs.
Interest on Bonds, Borrowings etc.		30,79,89,637	26,69,72,177
Commitment Charges on Foreign Currency Loans		2,13,788	2,54,722
Brokerage on issue of Bonds		26,18,408	47,90,637
Loss on Investments		47,41,335	3,71,595
Establishment Expenses		2,56,51,669	1,81,93,447
Directors' and Committee Members' Fees and Expenses		2,12,494	1,12,818
Rent, Taxes, Insurance and Lighting		35,09,099	34,05,637
Postage, Telegrams, Stamps and Telephones		9,72,890	8,25,237
Printing, Stationery and Advertisement		10,80,741	9,68,980
Law Charges		32,672	51,240
Audit Fees		56,000	56,000
Travelling and Halting Expenses		7,52,857	5,76,138
Other Expenses		31,07,801	24,28,596
Loss on Exchange Fluctuation		10,70,510	
Depreciation		5,27,344	4,38,515
Grant to Management Development Institute		5,00,000	5,00,000
Staff Welfare Fund Expenses		82,745	—
Provision for Taxation	4,55,79,204		
Less : Income Tax refunds and adjustments in respect of earlier year		4,55,79,204	5,38,81,635
Net Profit for the year carried down		8,38,22,384	4,78,80,000
		48,25,21,578	39,77,07,374
Amounts transferred to :			
General Reserve Fund		1,45,83,000	84,80,0000
Special Reserve (Under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)		5,54,00,000	2,73,00,000
Benevolent Reserve Fund		25,00,000	25,00,000
Staff Welfare Fund		1,25,000	2,00,000
Proposed Dividend		1,12,14,384	94,00,000
		8,38,22,384	4,78,80,000

As per our Report attached

RAY & RAY
B.L. AJMERA & CO.
Chartered Accountants

R.K. KAUL
S.A. DAVE
J.C. SANDESARA
S.K. DATTA
K.P. TRIPATHI

Director

P.C.D. NAMBIAR
O.P. GUPTA
G.V. KAPADIA
S. HARIHARAN
J.U. PATEL
N.S. SAPKAL

CORPORATION OF INDIA
DELHI

30th June, 1981

Serial No.	Assets	Schedule	This Year Rs.	Previous Year Rs.
(1)	CASH AND BANK BALANCES	G	21,15,67,269	40,84,20,924
(2)	INVESTMENTS	H	35,48,16,037	32,42,92,557
(3)	LOANS AND ADVANCES	I	5,48,00,71,330	4,42,84,68,344
(4)	FIXED ASSETS	J	2,79,13,420	2,10,14,381
(5)	OTHER ASSETS	K	20,82,29,507	15,47,26,838
(6)	CONSTITUENTS' OBLIGATIONS AS PER CONTRA	L	50,33,083	73,99,241
			6,28,76,30,646	5,34,43,21,285

D.N. DAVAR
General Manager

B.B.SINGH
Chairman

CORPORATION OF INDIA
DELHI

year ended 30th June, 1981

Income	This Year Rs.	Previous Year Rs.
Interest (Less Bad Debts written off and provisions mace for Bad and Doubtful Advances and other adjustments)	44,38,14,427	37,22,88,640
Commission	29,42,984	22,16,960
Profit on sale of investments	60,15,342	39,18,094
Profit on sale of assets	26,300	2,528
Dividend	1,67,48,125	89,19,339
Commitment Charges	1,27,82,684	1,01,53,680
Miscellaneous Income	1,91,716	2,08,133
	48,25,21,578	39,77,07,374
Net profit for the year brought down	8,38,22,384	4,78,80,000
	8,38,22,384	4,78,80,000

D.N. DAVAR
General Manager

B.B. SINGH
Chairman

SCHEDULE A
SHARE CAPITAL

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1981

Description	This year Rs.	Previous year Rs.
AUTHORISED :		
40,000 shares of Rs, 5,000/- each	20,00,00,000	20,00,00,000
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP		
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under Section 5 of the IFC Act, 1948).		
(i) 10,000 shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	5,00,00,000	5,00,00,000
(ii) 4,000 (Second Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	2,00 00,000	2,00,00,000
(iii) 2,692 (Third Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,34,60,000	1,34,60,000
(iv) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5000/- each fully paid-up	1,65,40,000	1,65,40,000
(v) 10,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	5,00,00,000	5,00,00,000
(vi) 5,000 (Sixth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	2,50,00,000	—
	17,50,00,000	15,00,00,000

NOTE : Minimum annual dividend @ 2-1/4% in case of item (i) 4% in case of items (ii) and (iii) 4-1/2% in case of item (iv) and 6% in case of items (v) and (vi) has been guaranteed by Central Government.

SCHEDULE B
RESERVES AND RESERVE FUND

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1981

Description	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
(i) General Reserve Fund (Under Section 32 of the IFC Act, 1948)			
Balance as per last Balance Sheet	16,72,80,000		15,88,00,000
Transferred from Profit & Loss Account	1,45,83,000		84,80,000
		18,18,63,000	16,72,80,00
(ii) Reserve Fund (Under Section 32A of the IFC Act, 1948)		1,00,00,000	1,00,00,000
(iii) Benevolent Reserve Fund (Under Section 32B of the IFC Act, 1948)			
Balance as per last Balance Sheet	61,36,111		65,81,656
Transferred from Profit & Loss Account	25,00,000		25,00,000
	86,36,111		90,81,656
Less: Amount utilised	20,30,169		29,45,545
		66,05,942	61,36,111
(iv) Special Reserve (Under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)			
Balance as per last Balance Sheet	13,83,78 362		11 10,78,362
Transferred from Profit & Loss Account	6,54,00,000		2,73,00,000
		19,37,78,362	13,83,78,362
(v) Specific Grant from Government of India Balance as per last Balance Sheet	59,20,148		59,49,276
Grant received in terms of Agreement with Kreditanstalt fur Wiederaufbau	71,40,000		74,22,000
	1,30,60,148		1,33,71,276
Less : Amounts utilised for specific purposes	40,49,717		74,51,128
		90'10,431	59,20,148
		40,12,57,735	32,77,14,721

SCHEDULE C
LONG TERM BORROWINGS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1981

Description	This year Rs.	Previous year Rs.
1. BONDS (UNSECURED—ISSUED UNDER SECTION 21 OF THE IFC ACT, 1948 GUARANTEED BY GVERNMENT OF INDIA)		
5¼% Bonds 1980	—	8,33,30,800
5½% Bonds 1981	5,50, 00 000	5,50,00,00
5¾% Bonds 1982	4,95,00 000	4,95,00,000
5¾% Bonds 1983	8,80,08,800	8,80,08,800
5¾% Bonds 1984	11,00,67,300	11,00 67 300
5¾% Bonds 1985	13,16,67,800	13,16,67,800
6% Bonds 1986	7,99,08,000	7,99,08,000
6% Bonds 1984	11,00 12 000	11.00,12 000
6% Bonds 1985	12 47,37,800	12 47,37,800
6% Bonds 1985 (Second Series)	16,54,79,200	16,64,79,200
6% Bonds 1986 (Second Series)	19,25,05,400	19 25,05,400
6% Bonds 1986 (Third Series)	32,45,87,200	32 45,87 200
6% Bonds 1987	19,88,73,800	19,88,73,800
6% Bonds 1987 (Second Series)	25,39,45,500	25,39,45,500
6¼% Bonds 1988	33,00,00,000	33,00 00 000
6¼% Bonds 1988 (Second Series)	35 01,54,000	35,01,54,000
6½% Bonds 1989	34,93,75,000	34,93,75 000
6½% Bonds 1989 (Second Series)	40,06,25,000	40,06,52,000
6¾% Bonds 1992	38,50,00,000	38,50,00,000
6¾% Bonds 1992 (Second Series)	39,60,00,000	—
7¼% Bonds 1996	23,92,22,000	—
	4,33,46,68,800	3,78,27,77,600
2. BORROWINGS		
(i) From Industrial Development Bank of India (Under Section 21(4) of IFC Act, 1948) in the form of 6¼% Adhoc Bond of Rs 5·00 crores, 6¼% and 6½% Adhoc Bonds of Rs. 10·00 crores each and 7·5% Adhoc Bond of Rs. 20·00 crores	43,00,00,000	23,50,00,000
(ii) From Government of India (Under Section 21(4) of the FC Act, 1948)	13,14,80,542	29,03,74,377
(iii) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt-fur-Wielderaufbau	3,68,96,900	3,03,50,500
(iv) From Foreign Credit Institutions in foreign currencies (secured by Gurantees of Government of India except to the extent of Rs. 26,14,768)	42,50 84 323	21,95 83,757
	5,35,81,30,565	4,55,80,86,234

SCHEDULE D
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1981

Description	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
A. CURRENT LIABILITIES			
(i) Short term borrowings from Reserve Bank of India—Secured by bonds issued by the Corporation of the face value of Rs. 3·25 crores (Under Section 21(3)(b) of the IFC Act, 1948)		—	—
(ii) Bank overdrafts outside India		25,61,485	—
(iii) Sundry Creditors		16,74,08,048	9,74,95,118
(iv) Interest accrued but not due :			
(a) On borrowings from :			
(i) Government of India	22,90,779		69,
(ii) Foreign credit institutions in foreign currencies	23,940		1,77,933
	23,14,719		71,37,208
(b) On bonds	3,44,47,099		3,29,00,992
		3,67,61,818	4,00,38,200

SCHEDULE D (*Contd.*)

Description	Rs.	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
(v) Advance guarantee commission			43,419	47,200
(vi) Advance received on account of legal charges and expenses for appraisal			12,58,448	7,93,400
(vii) Unclaimed dividend			—	250
(viii) Commitment charges accrued on borrowings from foreign Credit Instituions in foreign currencies			16,327	13,629
(ix) Amount refundable to sub-borrowers/payable to Government out of interest charged on borrowings from Foreign Credit Institutions in foreign currency			52,00,306	—
B. PROVISIONS				
(i) Difference in Exchange Suspense Account			—	3,44,79,49
(ii) Amounts held in suspense :				
(a) Interest		6,12,04,808		6,20,59,850
(b) Commitment Charges		66,311		66,311
(c) Incidental Charges		2,37,704		2,37,704
(d) Guarantee Commission		1,70,051		1,70,051
			6,16,78,874	6,25,33,916
(iii) Provision for Taxation :				
Balance as per last Balance Sheet		14,57,30,035		15,82,19,744
Add : Provision for the year		4,55,79,204		5,38,81,635
		19,13,09,239		21,21,01,379
Less : Adjustments in respect of earlier years		2,20,94,476		6,63,71,344
		16,92,14,763		14,57,30,033
Less : Tax deducted at source	1,18,80,526			72 81,920
Advance tax paid	12,01,42,204			10,59,56,233
		13,20 22,730		11,32,38,153
			3,71,92,033	3,24,91,882
(iv) Proposed dividend			1,12,14,384	94,00,000
			11,00,84,291	13,89,05,297
			32,33,35 142	27 72,93,094

SCHEDULE E
OTHER LIABILITIES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1981

Description	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
(i) Staff Welfare Fund :			
Balance as per last Balance Sheet	7,49,680		6,20,043
Less : Amount utilised			70,363
	7,49,680		5,49,680
Add : Amount transferred from Profit Loss Account	1,25,000		2,00,000
		8,74,680	7,49,680
(ii) Industrial Finance Corporation Employees' Provident Fund		2,23,49,441	1,72,20,415
(iii) Liability in respect of right and interest in loans and advances transferred under Section 21B of the IFC Act, 1948		16,50,000	58,58,000
		2,48,74,121	2,38,28,095

SCHEDULE F
CONTINGENT LIABILITIES AS PER CONTRA

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1981

Description	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
(i) Guarantees (Under Section 23(1)(b) of the IFC Act, 1948)		34,14,112	44,96,213
(ii) Foreign Loan Guarantees (Under Section 23(1)(c) of the IFC Act 1948)		—	8,20,212
(iii) Deferred French Credit on accont of principal amount		16,81,971	20,82,216
(iv) Underwriting Contracts (Under Section 23(1)(d) of the IFC Act, 1948) (Previous year—Rs. 66,33,000/-)	1,66,80,000		
(v) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares held as investment under Section 23(1)(d) and Section 23(1)(f) of the IFC Act, 1948) (Previous year—Rs. 19,67,482)	[19,34,198]		
		50,33,083	73,99,241

SCHEDULE G
CASH AND BANK BALANCES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1981

Description	Rs.	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
(i) Cash and stamps in hand at Head Office and at Regional and Branch Offices			33,377	49,067
(ii) Cheques in hand and under collection			3,84,78,676	3,08,58,058
(iii) Balance with Banks :				
(a) On current Account—				
In India	8,18,05,216			7,65,72,726
Outside India	—			99,002
		8,18,06,216		7,66,71,728
(b) On Fixed Deposit Account—				
In India	9,12,50,000			25,84,50,000
Outside India	—			4,23,92,071
		9,12,50,000		30,08,42,071
			17,30,55,216	37,75,13,799
			21,15,67,269	40,84,20,924

SCHEDULE H
INVESTMENTS (AT COST)

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1981

Description	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
(i) Under Section 20 of the IFC Act, 1948			
Initial Capital/Shares of certain financial institutions		96,00,000	96,00,000
(ii) Under Section 23(1)(d) of the IFC Act, 1948			
(a) Stocks, Shares, Bonds and Debentures of Industrial concerns	22,59,96,372		22,04,42,257
(b) Application money paid on shares, debentures etc.	—		—
		22,59,96,372	22,04,42,257
(iii) Under Secion 23(1)(f) of the IFC Act, 1948			
(a) Shares	5,69,15,969		5,38,80,040
(b) Application money paid on shares	6,40,313		—
		5,75,56,282	5,38,80,04

(1)	(2)	(3)	(4)
(iv) Under Section 23(1)(i) of the IFC Act, 1948			
Debentures	23,77,875		5,59,600
Shares acquired under the proviso to Section 23(1)(i) of the IFC Act, 1948	5,92,85,508		3,98,10,660
		6,16,63,383	4,03,70,260
		35,48,16,037	32,42,92,557
(a) Quoted Investments			
Book Value		17,24,29,811	16,94,89,793
Market Vlue		35,78,66,219	23,41,17,977
(b) Investments, for which quotations are not available			
Book value		18,23,86,226	15,48,02,764

SCHEDULE I
LOANS AND ADVANCES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th Jue, 1981

Description	This year Rs.	Previous year Rs.
Loas and Advances :		
In Indian Currency	5,00,54,08,848	4,18,12,72,668
In Foreign Currencies	47,46,62,482	24,71,95,676
	5,48,00,71,330	4,42,84,68,344

Notes :

(a) Debts due by concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors in the capacity of Nonimee Directors	17,56,92,325	6,25,64,463
(b) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors in the capacity of Nominee Directors	1,48,50,000	48,00,000
(c) Total amount of instalments whether of principal or interest overdue by concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors.	89,60,924	7,59,999

SCHEDULE J
FIXED ASSETS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1981

Description	Rs.	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
1. Leasehold Land & Buildings (Including work-in-progress)				
Cost as per last Balance Sheet		1,16,77,327		53,36,313
Additions during the year		52,63,309		63,41,014
			1,69,40,636	1,16,77,327
2. Freehold Land Buildings				
Cost as per last Balance Sheet		77,77,963		77,76,263
Additions during the year		14,37,660		1,700
		92,15,623		77,77,963
Less : Depreciation				
Upto last year	5,71,483			4,30,799
For the year	1,73,104			1,40,684
		7,44,587		5,71,483
			84,71,036	72,06,480
3. Motor Cars, Cycles, Furniture, Fixtures, Fittings, etc.				
Cost as per last Balance Sheet		43,43,715		41,09,787
Additions/Adjustments during the year		7,38,076		25,56,563
		50,81,791		43,66,350
Less : Sold/discarded		24,541		22,635
		50,57,250		43,43,715

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Less : Depreciation				
Upto last year	22,13,141			19,33,090
For the year	3,54,240			2,97,831
	25,67,381			22,30,921
Deduct : On assets sold/discarded	11,879			17,780
		25,55,502		32,13,141
			25,01,748	21,30,574
			2,79,13,420	2,10,14,381

SCHEDULE K
OTHER ASSETS (*Also refer Note* 1(*h*) *for Difference In Exchange*)

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1981

Description	Rs.	This year Rs.	Previous year Rs.
(a) Interest accrued but not due			
(i) On Fixed Deposits with Banks	2,95,065		12,04,654
(ii) On Debentures	55,479		4,80,336
(iii) On Loans & Advances	12,59,88,336		9,53,78,330
(iv) Others	19,78,891		16,31,349
		12,83,17,771	9,86,94,669
(b) Commitment and other charges accured		28,44,147	45,46,171
(c) Sundry Debtors		4,32,60,548	2,88,42,315
(d) Advances to Staff		58,88,446	47,63,866
(e) Prepaid Expenses		71,270	44,937
(f) Net Assets of Staff Welfare Fund		7,49,680	5,49,680
(g) Deposit under "Companies Deposits (Surcharge on Income Tax) Scheme 1976"		9,17,200	9,17,200
(h) Loans to Risk Capital Foundation (Interest free)		1,75,32,000	1,63,67,000
(i) Difference in Exchange		86,48,445	—
		20,82,29,507	15,47,26,838

SCHEDULE L
CONSTITUENTS' OBLIGATIONS AS PER CONTRA

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1981

Description	This year Rs.	Previous year Rs.
(a) Guarantees (Under Section 23(1)(b) of the IFC Act, 1948)	34,14,112	44,96,213
(b) Foreign Loan Guarantees (Under Section 23(1)(c) of the IFC Act, 1948)	—	8,20,812
(c) Deferred French Credit on account of principal amount	16,18,971	20,82,216
	50,33,083	73,99,241

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. (a) Foreign Currency Loans availed of by the Corporation have been converted and expressed into rupees at the TT Selling rates prevailing on the 30th June, 1981 instead of the past practice of converting the same at the erstwhile IMF Parity rate of $ 1=Rs. 7·50 and DM1=Rs. 2·05. Similarly foreign currency loans granted to sub-borrowers have been converted and expressed into rupees at TT Selling rates of exchange as on the 30th June, 1981 instead of the rates of exchange prevailing at the time of grant thereof pursuant to Section 27(3) of IFC Act, 1948 or the past practice of converting at parity rates. Due to the above changes, the borrowings from foreign institutions have increased by Rs. 1890·23 lakhs and advances to sub-borrowers have increased by Rs. 1813·03 lakhs in terms of Indian Currency.

   (b) The balance of exchange difference, to the extent not adjusted, has been carried forward in the Balance Sheet under the head "Other Assets.". As and when the profit or loss on subsisting borrowings from foreign credit institutions is finally ascertained necessary adjustments will be carried out. However, as per policy of the Corporation, loss on account of difference in exchange has been adjusted in the accounts of the Corporation in respect of such lines of borrowings which have been fully repaid to the foreign credit institutions upto the 30th June, 1981.

2. Under the head "Contingent Liabilitis" the figures of contingent liabilities expressed in foreign currency have been shown at Rs. 50·33 lakhs (Rs. 73·99 lakhs as on 30-6-80) at the rates of exchange prevailing on different dates. At the TT Selling rates prevailing on the date of Balance Sheet, the figures will be Rs. 49·74 lakhs (Rs. 126·18 lakhs as on the 30th June, 1980)

3. Investments under Section 23(1)(d) and 23(1)(f) of the IFC Act, 1948 include a sum of Rs. 20·78 lakhs and Rs. 6·75 lakhs respectively (Rs. 44·32 lakhs as on the 30th June, 1980) in the share capital of some companies which have gone into liquidation and the Corporation is not likely to realise the full amount invested. No specific provision has been made in respect thereof.

4. Investments do not include shares of the par value of Rs. 27·79 lakhs (Rs. 3·51 lakhs by way of utilization of the Benevolent Reserve Fund and Rs. 24·28 lakhs out of the Specific Grant) (Rs. 18·48 lakhs as on the 30th June, 1980) in certain Technical Consultancy Organisations subscribed to by the Corporation as part of the Corporation's promotional activities including assistance for projects promoted by technologists and new entreprenedrs.

5. (a) Loans and Advances include Rs. 40·30 lakhs (Rs. 70·19 lakhs as on the 30th June, 1980) in respect of which athe rights and and interest of the Corporation have been transferred under Section 21B of the IFC Act, 1948.

   (b) Interest Income does not include a sum of Rs. 4·11 lakhs (Rs. 12·10 lakhs for the year ended the 30th June, 1980) being the interest on the loans and advances in respect of which the rights and interest of the Corporation have been transferred under Section 21B of the IFC Act, 1948, which amount has been set off against the interest payable to the transferee.

6. An aggregate amount of Rs. 879·08 lakhs (Rs. 406·87 lakhs as on the 30th June, 1980) was due on the date of the Balance Sheet from certain companies, the undertakings of which have been acquired by the Central/State Government. It has not been possible to determine as to what portion of the said amount can be recovered either out of the compensation or from the guarantors. Besides, a sum of Rs. 635·57 lakhs (Rs. 796·84 lakhs as on the 30th June, 1980) is due on the Balance Sheet date from certain companies whose liabilities have been frozen under the Industrial Development and Regulation Act. It is considered that the provisions made against bad and doubtful loans and advances and debtor on net of tax basis are adequate to cover any possible losses on recovery in these accounts.

7. (a) As per past practice, the Corporation has not accounted for interest, commitment charges and commission etc. in cases where the possibility of recovery by the Corporation is considered remote.

   (b) Interest on certain accounts where Court Orders have been obtained is being accounted for as and when received.

8. In respect of Bonds matured but remaining unpaid and accordingly treated as Sundry Creditors amounting to Rs. 539·26 lakhs, no confirmation could be obtained from Reserve Bank of India.

9. At the instance of the Income Tax Department, certain appeals/references have been made to the Tribunal/High Court in cases where the matters had been decided in favour of the Corporation. The total amount of tax involved in such cases as on the 30th June, 1981 is Rs. 40·60 lakhs (Rs. 40·60 lakhs as on the 30th June, 1980)

10. Previous year's figures, have been recast, wherever necessary, to make them comparable to those of the current year.

APPENDIX A

DISPOSAL OF APPLICATIONS FOR ASSISTANCE

(Including Sott Loans Scheme)

(Rs. Crores)

State/Territory	Applications processed during the year				Disposals					
	Pending at the beginning of the year (1-7-1980)		Processed during the year		Applications treated as withdrawn or closed during the year		Applications sanctioned assistance (gross) during the year		Applications pending at the end of the year (as on 30-6-1981)	
	No. of concerns	Amount	No of concerns	Amount	No. of concerns	Amount	No. of concerns	Amount	No. of concerns	Amount
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Andhra Pradesh .	2	7·31	30	162·21	—	—	27	25·84	5	42·34
Assam . . .	—	—	4	1·50	—	—	1	0·50	—	—

APPENDIX A (*Contd.*)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bihar . . .	—	—	7	32·17	—	—	7	5·69	—	—
Gujarat . . .	2	6·85	17	66·87	1	3·58	16	15·05	2†	5·80
Haryana . .	1	5·17	9	17·15	—	—	8	5·19	2	1·59
Himachal Pradesh .	—	—	3	16·39	—	—	3	3·79	—	—
Jammu & Kashmir .	1	6·59	1	0·50	—	—	2	2·15	—	—
Karnataka . .	1	3·02	13	61·69	—	—	13	14·51	1	2·80
Kerala . . .	2	13·05	4	7·54	—	—	5	5·05	1	0·80
Madhya Pradesh .	1	3·73	7	24·87	1	3·73	4	3.93	3	10·64
Maharashtra . .	1	2·50	39	296·12	1	2·50	35	36·43	4	73·36
Orissa . . .	2	5·36	4	26·35	—	—	5	3·88	1	14·47
Punjab . . .	—	—	14	91·46	—	—	13	21·03	1	3·06
Rajasthan . .	4	31·52	24	97·04	—	—	24	22·48	4	12·73
Tamil Nadu . .	1	3·71	19	161·66	—	—	16	13·71	4	78·83
*Tripura . . .	—	—	1	1·87	—	—	1	0·36	—	—
Uttar Pradesh . .	4£	9·89	23	43·16	1	2·30	25	17·05	1	2·52
West Bengal . .	3$	5·55	10	58·14	—	—	10	9·32	3††	9·73
Goa . . .	1	2·20	3	10·61	—	—	3	2·47	1	1·83
Delhi . . .	1	0·76	2	34·42	—	—	3	4·14	—	—
Pondicherry . .	1	0·64	—	—	—	—	1	0·16	—	—
TOTAL :	28*	107·85	231	1211·72	4	12·11	222**	212·73	33@	260·50

†Includes application from one concern for an amount of Rs. 2·00 crores under the Soft Loans Scheme.

£Included application from one concern for an amount of Rs. 1·36 crores under the Soft Loans Scheme.

$Included applications from two concerns for an amount aggregating Rs. 5·10 crores under the Soft Loans Scheme.

††Includes application from one concern for an amount of Rs. 2·90 crores under the Soft Loans Scheme.

*Including applications from 3 concerns for Rs. 6·46 crores under the Soft Loans Scheme but excluding applications from 58 concerns for an amount aggregating Rs. 416·60 crores which were not under active processing due to certain basic issues/important matters remaining to be sorted out.

**Inclusive of assistance to 39 concerns of the order of Rs. 25·52 crores under the Soft Loans Scheme.

@In addition, applications from 70 concerns under normal scheme and 6 concerns under the Soft Loans Scheme for aggregate assistance on joint financing basis of Rs. 617·85 crores and Rs. 15·87 crores respectively were also under examination of IFCI along with other all-India financial institutions. In these cases, certain important matters/basic issues were in the process of being sorted out.

Note : Excepting the figures relating to sanctions (which denote IFCI's share of assistance) all the figures denote assistance sought by the applicant concerns jointly with other financial institutions.

APPENDIX B

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

ABBREVIATIONS USED

Col. 3	BD	Backward District	Col. 5	Coop.	Co-operative sector
				Jt.	Joint Sector
Col. 4	CE	Chief Executive		Pub.	Public sector
	Ch.	Chairman		Pvt.	Private sector
	CP	Chief Promoter			
	Dir.	Director	Col. 6	D	Diversification
	GM	General Manager		E	Expansion
	MD	Managing Director		E & M	Expansion-cum-modenisation
	Pr.	President		E & R	Expansion-cum-rehabilitation
	V. Ch.	Vice-Chairman		M	Modernisation

Sl. No.	Name of the concern	District	Name of the Chief Promoter/ Chairman/Mg. Director	Sector	Purpose	Line of manufacture/ Industry
1	(2)	(3)	(4) (5)	(6)		(7)
ANDHRA PRADESH						
1.	Andhra Cement Co. Ltd. (3 projects)	Visakha-patnam: Guntur; Krishna	M.P. Jain (MD)	Pvt;	M; OR	Cement
2.	Andhra Citrates Ltd.	Hyderabad	M.K. Raju (MD)	Pvt.	NU; OR	Citric acid monohydrate
3.	Andhra Pradesh Heavy Machy & Engg. Ltd.	Krishna	M.R. Pai, IAS (Ch.)	Pub.	NU	Industrial machinery
4.	Andhra Pradesh Rayons Ltd. (Thapar Group)	Warrangal (BD)	L.M. Thapar (Ch.)	Pvt.	NU; OR	Rayon grade pulp
5.	Avanthi Leathers Ltd.	Chittoor (BD)	R.N Reddy (Ch.)	Pvt.	NU; OR	Processing of hides & skins
6.	Coromandel Fertilizers Ltd.	Cuddapah (BD)	Dr. Bharat Ram (Ch.)	Pvt.	NU; D	Cement
7.	Deccan Cement Ltd.	Nalgonda (BD)	M.V. Raju (MD)	Pvt.	NU	Cement
8.	Dolphin Hotels Ltd.	Visakhapatnam	Ramoji Rao Ch. (MD)	Pvt.	NU; OR	Hotel
9.	Golconda Abrasives Ltd	Medak (BD)	T.N. Damodaran (Ch.)	Pvt.	NU	Grinding wheels
10.	Hindustan Machine Tools Ltd.	Hyderabad	B. Ramachandra (Ch. & MD)	Pub.	M	Machine Tools
11.	Kakatiya Cements Ltd.	Nalgonda (BD)	P. Venkateswarlu (MD)	Pvt.	NU	Cement
12.	Nagarjuna Cements Ltd.	Nalgonda (BD)	K.R. Raju (MD)	Pvt.	NU	Cement
13.	Nagarjuna Signode (P) Ltd.	Medak (BD)	N. Rao (proposed MD)	Pvt.	NU	H.T. Strappings & accessories
14.	Nandyal Coop. Sugars Ltd.	Kurnool (BD)	M.G.G. Naidu (MD)	Coop.	NU; OR	Sugar
15.	Nizam Sugar Factory Ltd.	Anantpur (BD)	S. Anandaram (V. Ch. & MD)	Pub.	NU	Sugar
16.	Nizam Sugar Factory Ltd.	Karimnagar (BD)	S. Anandaram (V. Ch. & MD)	Pub.	NU	Sugar.
17.	Palair Cooperative Sugars Ltd.	Khammam (BD)	C.V. Rao (Pr.)	Coop.	NU	Sugar
18.	Panyam Cement & Mineral Industries Ltd. (2 projects)	Kurnool (BD)	M. Ramanna (Ch. & MD)	Pvt.	M	Cement
19.	Pennar Papers Ltd.	Cuddapah (BD)	K.H. Reddy K.R. Reddy (Dir.)	Jt.	NU	Paper
20.	Raasi Cements Ltd..	Nalgonda (BD)	S.R. Ramamurthy (Ch.)	Jt.	NU; OR	Cement

APPENDIX B (*Contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM IST JULY, 1980 TO 30TH JUNE 1981

ABBREVIATIONS USED

	M & B	Modernisation-cum-balancing	Col. 16	DM	Deutsche Mark
	NU	New Project		FCL	Foreign Currency Loans
	OR	Ove-run		£	Pound Sterling
	R	Rehabilitation-financial		Sw. Kr.	Swedish Kroner
Col. 12	DP	Deferred payment	Col. 17	Deb.	Debenture
				DS	Direct subscription
Col. 15	DPG	Deferred payment guarantee		Eq	Equity shares
				RI	Rights Issue

(Rs. Crores)

Installed capacity proposed to be created/added	Month & year by which the project/ scheme is expected to be completed	Cost of the project/ Scheme	Means of financing				Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI			
			Share capital	Loans including DP	Others	Total	Rupee loans*	FCL (Rupee equiva-lent)	Under-writings	Total
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
—	—	1·05	—	0·60	0·45	1·50	0·15	—	—	0·15 (addl.)
—	Oct. 1981	0·85	0·20	0·65	—	0·85	0·25	—	—	0·25 (addl.)
3,500 tonnes	Sept. 1982	13·60	4·85	8·75	—	13·60	2·00	—	—	2·00
—	March 1981	4·50	-	2·65	1·85	4·50	0·37	—	—	0·37 (addl.)
—	—	0·90	—	0·74	0·16	0·90	0·17	—	—	0·17 (addl.)
10,00,000 tonnes	Jan. 1984	74·00	—	54·00	20·00	74·00	6·00	—	—	6·00 (addl.)
66,000 tonnes	July 1982	5·48	1·65	3·68	0·15	5·48	0·84	—	022 (Eq.)	1·06
—	—	0·54	—	0·35	0·19	0·54	0·10	—	—	0·10 (addl.)
1,000 tonnes	—	1·90	0·50	1·25	0·15	1·90	—	—	0·05 (DS) (Eq)	0·05
—	March 1984	12·45	—	8·00	4·45	12·45	1·75	—	—	1·75 (addl.)
66,000 tonnes	Jan. 1983	5·80	1 80	4·00	—	5·80	0·85	—	0·24 (Eq.)	1·09
66,000 tonnes	Jan. 1983	5·94	1·85	3·94	0.15	2397	0.87	—	.25 (Eq.)	1.12
12,000 tonnes	Sept. 1983	7·00	2·20	4·65	0·15	7·00	0·40	—	0·10 (Eq.)	0·50
—	April 1981	1·00	0·60	0·40	—	1·00	0·10	—	—	0·10 (addl.)
1,250 TCD	Nov. 1981	5·17	2·00	2·82	0·35	5·17	1·00	—	—	1·00 (addl.)
1,250 TCD	March 1981	5·60	2·00	3·36	0·24	5·60	1·12	—	—	1·12
1,250 TCD	March 1982	7·65	2·80	4·70	0·15	7·65	1·15	—	—	1·15
—	Aug. 1981	2·75	—	2·00	0·75	2·75	0·60	—	—	0·50 (addl.)
4,950 tonnes	Oct. 1981	1·95	0·54	1·25	0·16	1·95	—	-	0·06 (DS) (Eq)	0·06
—	April 1981	3·93	0·89	3·04	—	3·93	0·50	-	0·09 (DS) (Eq) (RI)	0·59 (addl.)

*Deferred payment guarantee is also shown under this col. (Sl. 152).

APPENDIX B (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	Shree Hanuman Coop. Sugars Ltd.	Krishna	A.R. Rao (MD)	Coop.	N	Sugar
22.	Shree Manufacturing Co. Ltd.	Medak (BD)	G.D. Kothari (Ch.)	Pvt.	NU	Spg. (Blended & acrylic)
23.	Shri Ambuja Petro-Chemicals Ltd.	Medak (BD)	R.J. Harivallabhdas (Dir.)	Pvt.	NU; OR	Phthalic Anhydride
24.	Shri Ramachandra Tools Ltd.	Medak (BD)	B.S. Raju (MD)	Jt.	NU	Special tools
25.	Sirpur Paper Mills Ltd.	Adilabad	K.P. Singhi	Pvt.	M & B	Paper
26.	Someshawara Cement & Chemicals Ltd.	Adilabad	K.C. Veerappa (Ch. & MD)	Pvt.	NU	Cement
27.	Thandava Coop. Sigars Ltd.	Visakhapatnam	C.S. Rao, IAS (Ch.)	Coop.	NU	Sugar
ASSAM						
28.	Assam Gas Co. Ltd.	Dibrugarh	B.K. Borgohain (Ch.)	Pub.	E	Distribution of gas
BIHAR						
29.	BASF India Ltd. (2 Projects)	Dhanbad; Thane (Maharashtra)	P.K. Sanyal (MD)	Pvt.	NU E	Industrial chemicals Pesticides
30.	Bihar Air Products Ltd.	Singhbhum	R.K. Sinha (Ch.)	Jt.	NU; OR	Oxygen & acetylene
31.	Bihar Caustic & Chemicals Ltd.	Palamau (BD)	R.K. Sinha (Ch.)	Jt.	NU	Caustic soda Liquid chlorine Hcl. acid Amm. chloride
32.	Bihar Finished Leathers Ltd. (3 projects)	West Champatan (BD); Begusari (BD); Muzaffarpur (BD)	A.R. Swaminathan (Ch. & MD)	Pub.	NU; OR	Processing of hides & skins
33.	Champaran Sugar Ltd. (Surajmull Nagarmull Group)	West Champaran (BD)	D.C. Sawheny (Ch)	Pvt.	E & M	Sugar
34.	Shriram Needle Bearing Industries Ltd.	Ranchi	K.L. Gandhi (Ch. & MD)	Pvt.	NU	Loose, needle rollers, Unit cages, Shell bearings
35.	Tata Iron & Steel Co. Ltd. (Tata Group)	Singhbhum	J.R.D. Tata (Ch.)	Pvt.	E & M	Iron & steel
GUJARAT						
36.	Elecon. Engg. Co. Ltd.	Kaira	B.I. Patel (Ch. & MD)	Pvt.	E & M	Material handling equipment
37.	Kankariya Chemical Inds. (Pvt.) Ltd.	Panchmahal (BD)	P. Kankariya (Ch.)	Pvt.	NU; D	Paper
38.	Mahendra Mills Ltd.	Mehsana (BD)	M.A. Patel (Ch. & MD)	Pvt.	M.	Spg. & Wvg. (cotton)
39.	MIPCO Seamless Rings (Gujarat) Ltd.	Bharuch (BD)	M.I. Patel (Proposed Ch. & MD)	Pvt.	NU	Rolled rings for bearings
40.	Narmada Cement Co. Ltd. (3 projects)	Amreli (BD); Surat; Ratnagiri (BD) (Maharashtra)	D.L. Chowgule (Ch.)	Pvt.	NU	Cement Clinker Cement Grinding Cement Oridning
41.	Navsari Cotton & Silk Mills Ltd.	Bulsar	F.K.F. Nariman (Ch.)	Pvt.	M.	Spg. & Wvg. (cotton/blended)

(Rs. Crores)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1,250 TCD	Dec. 1981	7·61	2·67	4·94		7 61	1 24	- -	—	1·24
15,840 spindles	Jan. 1983	8 10	2·02	5·10	0·98	8·10	1·10	—	0 25 (Fq)	1·35
—	April 1981	2·69	1·14	1·33	0·22	2·69	0·21	—	0 13 (RT) (Eq)	0·34 (addl.)
1,53,200 pieces	Oct. 1981	1·44	0·32	0·97	0·15	1·44	--	—	0·05 (DS) (Eq)	0·05
—	Dec. 1983	22·45	—	12·00	10·45	22·45	1·50	—	—	1·50
66,000 tonnes	Jan. 1983	5·90	1·85	3·90	0·15	5·90	1·00	—	0·25 (Eq.)	1·25
1,250 TCD	Dec. 1981	6·80	2·77	3·88	0·15	6·80	0·98	—	—	0·98
Installation of two compressors and laying of 20 kms. of pipeline	July 1981	2·67	—	1·90	0·77	2·67	0·50	—	—	0·50 (addl.)
1,500 tonnes	Jan. 1981	14·00	2·90	5·94	5·16	14·00	—	0·42 (DM)	—	0·42
385 tonnes	April 1983									
—		0·54	0·20	0·24	0·10	0·54	0·12	—	—	0.12 (addl.)
	Oct. 1982						0·03	0·06 (Sw. Kr.)	—	0·09 (addl.)
—	Dec. 1980	0·94	—	0·64	0·30	0·94	0·17	—	—	0·17 (addl.)
350 TCD	Jan. 1983	2·75	—	2·00	0·75	2·75	0·50	—	—	0·50
200 million nos.	Dec. 1981	1·70	0·85	0·85	—	1·70	—	0·34 (DM)	0·05 (Eq)	0·39 (addl.)
0·62 „										
1·2 „										
0·19 million tonnes	March 1983	209·90	—	181·00	28·90	209·90	4·00	—	—	4·00 (addl.)
	1982								(Deb.)	
4,000 tonnes	Dec. 1982	18.50	—	12.71	5.79	18.50	1.25**	—	0.50 (Deb.)	1.75
10,000 tonnes	July 1981	5·50	1·00	3·55	0·95	5·50	0·90	—	0·10 (Eq)	1·00
—	Dec. 1982	3·40	—	2·20	1·20	3·40	0·55	—	—	0·55
6·5 millions nos.	Jan. 1982	5·85	2·50	2·92 0·12 (DP)	0·31	5·85	—	0·95 (DM)	0·05 (Eq)	1·00
	Aug. 1981								0·15 (Eq.)	0·15 (addl.)
—	Dec. 1983	2·84	—	2·00	0·84	2·84	0·50	—	—	0·50 (addl.)

*Accounted for during the year 1979-80

**Since reduced to Rs. 1·00 crore.

APPENDIX B *(Contd.)*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
GUJARAT *(Contd.)*						
42.	Nasa Watches Ltd.	Baroda	D.L. Varia (Ch. & MD)	Jt.	NU	Watches
43.	Petrosynthese-Private Ltd.	Baroda	Smt. S.R. Thakkar (MD) Dr. R.M. Thakkar (MD)	Pvt.	NU	Polybutenes
44.	Precision Bearings India Ltd. (V. Ramakrishna Group)	Baroda	Vidya Sagar (Ch.)	Pvt.	E & M	Ball bearings
45.	Reliance Textile Industries Ltd. (Reliance Textile Group)	Ahmedabad	D.H. Ambani (Ch. & MD)	Pvt.	M	Spg. & Wvg. (blended)
46.	Rohit Mills Ltd.	Ahmedabad	R.C. Mehta (Ch. & MD)	Pvt.	M	Spg. & Wvg. (cotton/blended)
47.	Rustom Mills Industries Ltd.	Ahmedabad	P. Anubhai (Ch. & MD)	Pvt.	M	Spg. & Wvg. (cotton/blended)
48.	Saraspur Mills Ltd. (Kasturbhai Lalbhai Group)	Ahmedabad	Chinubhai Chimanbhai (Ch.)	Pvt.	M	Spg. & Wvg. (blended)
49.	Saurashtra Cement & Chemical Industries Ltd.	Porbandar	K.N. Mehta (Ch.)	Pvt.	M	Cement
50.	Shriram Cement Ltd.	Banaskantha (BD)	M.G. Parikh (Ch.)	Pvt.	NU	Cement
51.	Shree Mahuva Pradesh SKUM Ltd.	Surat	G.N. Patel (Ch.)	Coop.	NU	Sugar
HARYANA						
52.	Elson Cotton Mills Ltd.	Gurgaon	K.B. Hada (Ch.)	Pvt.	E	Spg. (blended)
53.	Haryana Detergents Ltd.	Mohindergarh (BD)	V.K. Sebel, IAS (Ch.)	Jt.	NU; OR	Synthetic detergents.
54.	Haryana Steel & Alloys Ltd.	Sonepat	O.P. Goyal (MD)	Pvt.	M	Steel ingots, rolled products
55.	Indo-Swiss Time Ltd.	Gurgaon	Prem Gupta (MD)	Pvt.	NU	Watches
56.	K.C. Textiles Ltd.	Jind (BD)	K.C. Goyal (MD)	Pvt.	NU	Spg. (blended)
57.	Multitech International Ltd.	Mohindergarh (BD)	Sanjay Dalmia (MD)	Pvt.	NU	Single super phosphate Sulphuric acid
58.	Pasupati Spg. & Wvg. Mills Ltd.	Mohindergarh (BD)	R.K. Jain (proposed MD)	Pvt.	NU	Spg. (blended)
59.	Victor Cables Ltd.	Faridabad	B.K. Gupta (MD)	Pvt.	NU	PVC power cables
HIMACHAL PRADESH						
60.	Gabriel India Ltd.	Solan (BD)	D.C. Anand (Ch.)	Pvt.	NU; OR	Bi-metals strips, bearings, bushings.
61.	Paper Machine Wire Industries Ltd.	Solan (BD)	P.V. Gandhi (Ch.)	Pvt.	NU; D	Speciality tissue paper
62.	Siddartha Super Spg. Mills Ltd.	Solan (BD)	H.C. Jain (Ch. & MD)	Pvt.	NU	Spg. (ctotton carded & synthetic)
JAMMU AND KASHMIR						
63.	Jammu & Kashmir Industries Ltd.	Jammu (BD)	M.K. Tikku (Ch)	Pub.	NU	Rosin Turpentine Rosin derivatives Turpent, derivatives
64.	Hotel Corporation of India Ltd.	Srinagar (BD)	Raghuraj (MD)	Pub.	NU	5-Star el
KARNATAKA						
65.	Canara Steels Ltd.	South Kanara (BD)	T.R.U. Patil (Ch.)	Pvt.	E & M	Alloy & steel castings
66.	Farmers Coop. Spg. Mills Ltd.	Dharwar (B)	K.H. Patil (Ch.)	Coop.	NU	Spg. (cotton)
67.	Ghatprabha SSK Niyamit	Belgaum (BD)	B.C. Yelasangikar (MD)	Coop.	NU: OR	Sugar

(Rs. Crore)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5 lakh nos.	April 1982	11·68	4·50	7·18	---	11·68	1·86	—	0·40 (Eq.)	2·26
5,000 tonnes	Jan. 1983	7·13	2·38	4·75	-	7·13	1·00	--	0·40 (Eq)	1·40
2,04 million nos.	Aug. 1982	6 80	—	5·10	1·70	6·80	0·57	—	—	0·57 (addl.)
—	Sept. 1981	31·88	—	23·92@	7·96	31·88	—		0·15** (DS) (Deb.)	0·15 (addl.)
—	June 1982	2·82	—	1·90	0·92	2·82	0·48	—	--	0·48
--	June 1982	2·26	—	1·90	0·36	2·26	0·48	—	—	0·48 (addl.)
—	Dec. 1983	4·90	—	3·20	1·70	4·90	0·80	-	—	0·80 (addl.)
—	June 1983	16·10	—	11·83	4·27	16·10	1·49	0·67 (Sw. Kr.)	---	2·16 (addl.)
66,000 tonnes	April 1983	6·45	2·00	4·20	0·25	6·45	0·94	—	0·26 (Eq.)	1·20
1,250 TCD	Nov. 1980	6·50	2·52	3·75	0·23	6·50	0·60	—	—	0·60
12,480 spindles	Sept. 1983	5·10	--	3·75	1·35	5·10	0·90	—	—	0·90 (addl.)
--	—	0·40	-	0·32	0·08	0·40	0·10	—	—	0·10 (addl.)
—	Dec. 1981	2·52	--	1·50	1·02	2·52	0·30	—	—	0·30
***		***						0·30 (DM)	--	0 03 (addl.)
15,748 spindles	April 1982	6·05	1·85	3·55	0·65	6·05	0·90	—	0·25 (Eq)	1·15
82,500 tonnes 3,000 tonnes	Aug. 1981	4·30	1·25	2·47	0·58	4·30	0·50	—	—	0·50
15,360 spindles	Jan. 1982	5·95	1·95	3·80	0·20	5·95	1·05	—	0·20 (Eq.)	1·25
2,000 Kms	Oct. 1981	2·42	0·85	1·57	—	2·42	0·82	---	0·14 (Eq.)	0·96
—	Dec. 1981	1·54	—	1·00	0·54	1·54	0·20	—	—	0.20 (addl.)
5,450 tonnes	Oct. 1982	15·75	4·60	10·80	0·35	15·75	1·64	—	0·40 (Eq)	2·04
16,184 spindles	Aril 1983	6·70	2·55	4·15	—	6·70	1·15	—	0·40 (Eq.)	1·55
4,015 tonnes 825 ,, 1,500 ,, 790 ,,	Dec. 1981	2·44	0·83	1·15	0·46	2·44	0·50	—	—	0 50
275 rooms	Oct. 1982	14·49	5·50	8·50 0·27 (DP)	0·22	14·49	1·65	—	—	1·65
600 tonnes	Nov. 1981	0·99	—	0·79	0·20	0·99	0·39	—	—	0·39 (addl.)
24,960 spindles	July 1984	7·20	3·35	3·60	0·25	7·20	1·05	—	—	1·05
—	—	1·50	0·57	0·40	0·53	1·50	0·20	--	—	0·20 (addl.)

@Includes Rs.10·80 crores on account of the issue of Rights debentures.

**Subscription to Rights Debentures.

Accounted for in the year 1977-78.

APPENDIX B (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68.	Gogte Textiles Ltd.	Belgaum (BD)	B.M. Gogte (Ch.)	Pvt.	NU	Spg. (blended)
69.	Jindal Aluminium Ltd.	Bangalore	S. Jindal (Ch. & MD)	Pvt.	E	Aluminium extrusions
70.	Karnataka Aluminium Ltd.	Mysore (BD)	S.N. Agarwal (Ch.)	Pvt.	NU	Aluminium alloy extrusions
71.	Karnataka Cements Ltd.	Gulbarga (BD)	R.T. Doshi (Ch.)	Pvt.	NU	Cement
72.	Karnataka SSK Ltd.	Dharwar (BD)	I.S. Taware (Ch.)	Coop.	NU	Sugar
73	Karnataka Silk Industries Corpn. Ltd. (3 projects).	Bangalore; Mysore (BD)	V. Devasher (MD)	Pub.	E & M	Spg. & Wvg. (silk)
74.	Mysore Paper Mills Ltd.	Shimoga	V. Krishnan, IAS, (Ch. & MD)	Pub.	E; OR	Paper & news print.
75.	Shri Krishnarajendra Mills Ltd.	Mysore (BD)	S.M.R. Rao (Ch.)	Pvt.	M	Spg. & Wvg. (cotton/blended)
76.	Spun Silk (India) Ltd.	Kolar	M. Syed Abbas (Ch.)	Pvt.	NU	Spg. (silk)
77.	Vishvarama Hotels Ltd.	Bangalore	R.S. Agarwal (Ch. & MD)	Pvt.	NU	5-Star Hotel
KERALA						
78.	Carbon and Chemicals India Ltd	Ernakulam	C.N. George (MD)	Jt.	NU	Carbon black
79.	Kerala Acids & Chemicals Ltd	Ernakulam	P.S.V. Pillai (MD)	Pvt.	NU; OR	Formic acid & sodium sulphate
80.	Premier Cable Co Ltd.	Ernakulam	H.M. Periwal (Ch.& MD)	Pvt.	E & D	XLPE Cables
81.	Travancore Titanium Products Ltd.	Trivandrum (BD)	V. Ramachandran, (Ch.) IAS	Pub.	M	Sulphuric acid
82	Transformers & Electricals Kerala Ltd..	Ernakulam	George Thomas (Ch.)	Jt.	E & D	Transformers Bushings Load Cap. changers
MADHYA PRADESH						
83.	Madhya Pradesh United Polypropylene Ltd.	Raisen (BD)	B.S. Seth (Ch.)	Jt.	NU	Polypropylene film
84.	Madhya Pradesh Vidyut Yantra Ltd.	Jabalpur	M.K. Chaturvedi, (Ch.) IAS	Jt.	E & R; OR	Transformers
85.	Malwa SSK Ltd.	Indore	N.R. Krishna, (Ch.) IAS	Coop.	NU	Sugar
86.	National Textile Corpn. (MP) Ltd.	Indore	Col: J.D. Kumar (Ch. & MD)	Pub.	M	Spg. & Wvg. (cotton)
	—Indore Malwa United Mills —Kalyanmal Mills —Bengal Nagpur Cotton Mills (3 projects)	Rajnandgaon				
MAHARASHTRA						
87.	Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. (Sarabhai Grop)	Thane	Gautam Sarabhai (Ch.)	Pvt.	NU	Mixed fatty acids
88.	Aurangabad Paper Mills Ltd.	Aurangabad (BD)	M.G. Mittal (Ch.)	Pvt.	M & B	Wrapping/Kraft paper
89.	Bajaj Tempo Ltd.	Pune	H.K. Firodia (Ch. & MD)	Pvt.	E & M	Commercial vehicles diesel engines
90.	Bhogawati SSK Ltd.	Sholapur	T.S. Jadhav (Ch.)	Coop.	NU	Sugar
91.	Balkrishna Paper Mills Ltd..	Thane	M.P.R. Poddar (Ch.)	Pvt.	E	Coated duplex boards
92.	Crompton Greaves Ltd. (Thapar Group) (2 projects)	Bombay	N.M. Wagle (Ch.)	Pvt.	M	Transformers
93.	Exomet Plastics Ltd.	Colaba (BD)	K.L. Khanna (MD)	Pvt.	NU; D; OR	Octoic acid & aroma chemicals

(Rs. Crores

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
17,600 spindles	Jan. 1982	7.00	2·00	3·90	1·10	7.00	1.00	—	0.13 (Eq)	1.13
3,000 tonnes	Jan 1983	1·30	—	0·97	0·33	1·30	—	0·33 (DM)	—	0·33
3,000 tonnes	Dec 1981	2·87	1·00	1·72	0·15	2·87	0·17	0·25 (DM)	0·08 (Eq)	0·51
66,000 tonnes	Jan 1983	6·00	2·05	3·75	0·20	6·00	0·95	—	0·25 (Eq)	1·20
1,250 TCD	Feb 1982	7·50	3·00	4·10	0·40	7·50	1·00	—	—	1·00
1,200 spindles 70 looms 127 tonnes of silk filatures	April 1984	24.00	8·00	16·00	—	24·00	2·00	—	—	2·00
—	July 1981	45·32	0 93 (R.I.)	44·39	—	45·32	3·69	—	—	3·66 (addl)
—	March 1983	2·09	—	1·50	0·59	2·09	0·38	—	—	0·38
3,200 spindles	June 1982	2·73	0·90	1·83	—	2·73	1·68*	—	0·25** (DS) (Eq)	1·93
158 rooms	Dec. 1981	6·15	2·25	3·90	—	6·15	0·70	—	—	0·70
20,000 tonnes	Sept 1982	12·50	4·17	8·33	—	12·50	1·38	—	0·55 (Eq)	1·93
—	Nov 1981	0·28		0·24	0·04	0·28	0·07	—	—	0·07 (addl.
1,200 kms	Sept 1982	7·50	0·57	4·80 0·15 (DP)	1·98	7·50	—	1·37 (DM)	—	1·37 (addl.)
—	—	2·11	—	1·40	0·71	2·11	0·42	0·26 (Sw. Kr.)	—	0·68 (addl.)
326 nos. 300 nos. 135 nos.	June 1982	8·56	—	5·00	3·56	8·56	1·00	—	—	1·00 (addl.)
800 tonnes	July 1982	5·76	2·40	3·36	—	5·76	—	0·64 (DM)	0·30 (Eq.)	0·94
—		0·90	0·30	0·12	0·48	0·90	0·12	—	—	0·12 (addl.)
1,250 TCD	Nov. 1980	6·75	2·65	4·10	—	6·75	1·05	—	—	1·05
—	March 1982	6.08	—	5·47	0.61	6.08	1.82	—	—	1.82 (addl.)
10,000 tonnes	July 1981	2·80	—	1·75	1·05	2·80	0·75	—	—	0·75
—	Dec. 1981	0·71	—	0·50	0·21	0·71	0·25	—	—	0·25 (addl.)
12,000 nos. 3,000 nos.	Sept. 1982	10·82	—	1·40	9·42	10·82	—	0·38 (Sw. Kr.)	—	0·38 (addl.)
1,250 TCD	Nov. 1980	7·93	2·78	5·15	—	7·93	1·33	—	—	1·33
10,000 tonnes	Oct. 1981	2·90	0·60 (RI)	2·30	—	2·90	0·70	—	—	0·70
—	June 1912	10.55	—	4.10	6.45	10.55	0.75	—	—	0.75 (addl.)
—	Sept. 1980	0·76	—	0·50	0·26	0·76	0·25	—	—	0·25 (addl.)

*Since reduced to Rs. 1·20 crores.

**Since reduced to Rs. 0.15 crore.

APPENDIX B (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
94.	Finolex Cables Ltd.	Pune	P.P. Chhabria (Ch.)	Pvt.	D	XLPE Cables
95.	Gadhinglaj Taluka SSK Ltd.	Kolhapur	A. Nalwade (Ch.)	Coop.	NU	Sugar
96.	Ghatge Patil Industries Ltd.	Kolhapur	N.W. Gurjar (Ch.)	Pvt.	M	Iron castings Marine gear boxes etc.
97.	Godavari Dudhna SSK Ltd.	Parbhani (BD)	D.A. Parjane (MD)	Coop.	NU	Sugar
98.	Godavari Manar SSK Ltd.	Nanded (BD)	S. Venkataswamy (MD)	Coop.	NU	Sugar
99.	Ichalkaranji Coop. Spg. Mills Ltd.	Kolhapur	A.K. Baburao (Ch.)	Coop.	E	Spg. (cotton)
100.	Jain Spinners Ltd.	Aurangabad (BD)	S.C. Jain (MD)	Pvt.	NV	Spg. (blended)
101.	Kalameshver Textile Mills Ltd.	Nagpur	S. Pupsani, IAS (Ch.)	Pub.	NU	Spg. & Wvg. (cotton)
102.	Larsen & Toubro Ltd. (Larsen & Toubro Group)	Chandrapur (BD)	N.M. Desai (Ch. & Pr.)	Pvt.	NU	Cement
103.	Mafatlal Engg. Industries Ltd.	Thane	A.N. Mafatlal (Ch.)	Pvt.	M	Textile machinery
104.	Morarjee Goculdas Spg. & Wvg. Co. Ltd. (Unit No. 2) (Piramal Group)	Bombay	A.G. Pirmal (Ch. & MD)	Pvt.	M	Spg. & Wvg. (cotton /blended)
105.	Mula SSK Ltd.	Ahmednagar	V.V Ambre (MD)	Coop.	NU	Sugar
106.	Needle Roller Bearing Co. Ltd.	Aurangabad (BD)	T.S. Sahney (Ch. & MD)	Pvt	D	Roller bearings
107.	Panch Sheel Paper Mills Ltd.	Jalgaon (BD)	S.R. Kadia (CP)	Pvt.	NU	Tissue paper
108.	Porwal Pulp & Paper Mills Ltd.	Chandrapur (BD)	S.H. Porwal (MD)	Pvt.	NU	Poster Paper
109.	Rajprakash Chemicals Ltd.	Thane	R.V. Patel (MD)	Pvt.	NU; OR	Methyl acrylate Ethyl acrylate Butyl acrylate
110.	Ravindra Steel Ltd.	Chandrapur (BD)	M.L. Agarwala (Ch.)	Pvt.	NU	Paper
111.	Reliance Textile Industries Ltd. (Reliance Textile Group)	Raigad	D.H. Ambani (Ch.)	Pvt.	NU	Polyester Filament Yarn.
112.	Sea Lord Containers Ltd.	Bombay	Pahlaj Bajaj (Ch. & MD)	Pvt.	NU	Marine containers
113.	Shree Siddeshwari Sulphur Products (P) Ltd.	Raigad	S.B. Shah (Dir)	Pvt.	NU	Sulphuric acid
114.	Shree Vindhya Paper Mills Ltd. (Bangur Group)	Jalgaon (BD)	K.K. Somani (Ch.)	Pvt.	NU	Paper
115.	Shree Vithal SSK Ltd.	Sholapur	S.B.Pawar (MD)	Coop.	NU	Sugar
116.	Siemens India Ltd. (Khatau Group)	Thane	C.M. Khatau (Ch.)	Pvt.	M	Switchgears Swith boards Electric motors
117.	Spundish Engineers Ltd.	Thane	J.S. Chawla (Ch.)	Pvt.	R	Pressure vessels
118.	Standard Mills Co. Ltd. (Mafatlal Group) (3 projects)	Bombay; Dewas (BD) (Madhya Pradesh)	P.N. Mafatlal (Ch. & MD)	Pvt.	M	Spg. & Wvg. (cotton/blended)
119.	Swan Mills Ltd. (2 projects)	Bombay	J.P. Goenka (Ch.)	Pvt.	M	Spg.& Wvg. (cotton/blended)
120.	Tata Engg. & Locomotive Co. Ltd., (Tata Group) (2 projects)	Pune; Singhbhum (Bihar)	S. Moolgaokar (Ch. & MD)	Pvt.	M	Installation of computers & generator
121	Transport Corporation of India Ltd. (Unit : Mukesh Textile Mills)	Bombay	P.D. Agarwal (Ch.)	Pvt.	M	Spg. & Wvg. (cotton)
ORISSA						
122.	Konarak Jute Ltd.	Cuttuck	S.K. Lal, IAS (Ch.)	Jt.	NU; OR	Jute goods

(Rs. Crores)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1,200 Kms.	Nov. 1982	4·45	0·45	1·82	2·18	4·45	—	0·78 (DM)	—	0·7
1,250 TCD	June 1979	6·50	2·27	4·23	—	6·50	1·12	—	—	1·12
—	June 1982	2·47	0·11	1·85	0·51	2·47	—	0·38 (DM)	—	0·38 (addl.)
1,250 TCD	Jan. 1981	7·65	2·68	4·97	—	7·65	1·24	—	—	1·24
1,250 TCD	Jan. 1981	7·60	2·72	4·88	—	7·60	1·22	—	—	1·22
20,976 spindles	Jan. 1982	5·66	1·10	3·56	1·00	5·66	0·75	—	—	0·75 (addl.)
14,280 spindles	Oct. 1981	5·40	1·50	3·50	0·40	5·40	0·88	—	0·18 (Eq)	1·06
42,752 spindles 300 looms	April 1993	14.00	6·85	7·00	0·15	14·00	3·00	—	—	3·00
3,200 tonnes per day	Jan. 1983	77·00	6·34	60·13	10·53	77·00	6·00	—	—	6·00
—	March 1983	9·54	1·33	6·00	2·21	9·54	1·50	—	—	1·50 (addl.)
—	Dec. 1982	6·30	—	3·60	2·70	6·30	0·90	—	—	0·90 (addl.)
1,250 TCD	Jan. 1979	6·65	2·45	3·60	0·60	6·65	0·90	—	—	0·90
4·2 lakh nos	Sept. 1982	5·10	—	2·50	2·60	5·10	—	0·65 (DM)	—	0·65 (addl.)
2,000 tonnes	April 1981	1·55	0·40	1·00	0·15	1·55	0·20	—	0 03 (DS) (Eq)	0·23
4,950 tonnes	July 1983	3·65	0·95	2·30	0·40	3·65	0·55	—	0·06 (Eq.)	0·1
—	Sept. 1981	0·43	—	0·33	0·10	0·43	0·10	—	—	0·0 (addl.)
7,250 tonnes	Oct. 1983	4·40	0·20	3·10	1·10	4·40	0·75	—	—	0·75
10·000 tonnes	Jan. 1983	79·50	6·00	62·00*	11·50	79·50	—	—	2·50** (Deb.)	2·50 (addl.)
4,500 nos	June 1981	3·05	1·25	1·80	—	3·05	0·45	—	0·16 (Eq.)	0·61
33,000 tonnes	Jan. 1982	2·72	0·82	1·72	0·18	2·72	0·46	—	—	0·46
10,000 tonnes	Jan. 1983	6·40	0·60	4·95	0·85	6·40	1·00	—	—	1·00 (addl.)
1,250 TCD	Nov. 1980	7·00	2·45	3·75	0·80	7·00	0·95	—	—	0·95
—	Sept. 1982	5·00	—	3·00	2·00	5·00	0·75	—	—	0·75
	—	1·52	0·05	0·75	0·72	1·52	0·05	—	—	0·05 (addl.)
—	March 1983	10·60	—	5·25	5·35	10·60	2·00			2·00 (addl.)
—	Dec. 1982	7·10	—	4·00	3·10	7.10	1·00	—	—	1·00 (addl.)
—	March 1982	8·45	—	2·65	5·80	8·45	—	1·06 (Kw. Kr.)	—	1·06 (addl.)
—	June 1983	2·25	—	1·80	0·45	2·25	0·45	—	—	0.45 (addl.)
—	Jan. 1981	1·42	0·34	0·69	0·39	1·42	0·20	—	—	0·20 (addl.)

*Includes convertible debentures of Rs. 24·00 crores.

**Convertible debentures.

APPENDIX B (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
123.	Konarak Paper & Industries Ltd.	Myurbhanj (BD)	V.S. Kothari (Proposed MD)	Pvt.	NU	Paper
124.	Nicco Orissa Ltd.	Mayurbhanj (BD)	S.K. Lal, IAS (Ch.)	Jt.	NU	XLPE cables
125.	Orissa Weavers Coop. Spg. Mills Ltd.	Sambalpur	A.K. Samantaray IAS (MD)	Coop.	E & M	Spg. (Cotton)
126.	Sonepur Spg. Mills Ltd.	Bolangir (BD)	R.N. Pujari (GM)	Pub.	NU	Spg. (cotton)
PUNJAB						
127.	Hero Fibres Ltd.	Sangrur (BD)	B.M.L. Munjal (Proposed MD)	Pvt.	NU	Spg. (cotton/blended)
128.	Malwa Cotton Spg. Mills Ltd.	Sangrur (BD)	G. Patnaik (Ch.)	Jt.	NU	Spg. (cotton/blended)
129.	Mukerian Papers Ltd.	Hoshiarpur (BD)	T.K.A. Nair, IAS (Ch.)	Jt.	NU; OR	Paper
130.	Oriental Carpet Mfrs. (India) Ltd.	Amritsar	S.K. Birla (Ch.)	Pvt.	M	Spg. & Wvg. (woolen)
131.	Partap Paper Mills Ltd.	Gurdaspur (BD)	G.S. Kairon (Proposed MD)	Pvt.	NU	Paper
132.	Punjab Alkalies Ltd.	Roper	T.K.A. Nair, IAS (Ch.)	Pub.	NU	Caustic soda Liquid chlorrine Hydrochloric acid
133.	Punjab Khand Udyog Ltd. (2 projects)	Gurdaspur (BD) Ferozepur (BD)	T.K.A. Nair, IAS (Ch.)	Pub.	NU	Sugar
134.	Punjab National Fertilizers & Chemicals Ltd.	Roper	T.K.A. Nair, IAS (Ch.)	Pub.	NU	Soda ash Ammonium chloride
135.	Shreyahs Paper Mills Ltd.	Sangrur (BD)	Ashok Oswal (Proposed MD)	Pvt.	NU	Paper
136.	Stepan Chemicals Ltd.	Patiala	T.K.A. Naif, IAS (Ch.)	Jt.	NU; OR	Synthetic detergents, Toilet soap, Glycerine
137.	Vardhman Spinning & General Mills Ltd. Ltd.	Ludhiana	S.P. Oswal (Ch. & Jt. MD)	Pvt.	M	Spg. (cotton & synthetic)
138.	Vinod Paper Mills Ltd.	Sangrur (BD)	P.D. Rajgarhia (MD)	Pvt.	NU; OR	Paper
139.	Zenith Steel Pipes & Inds. Ltd.	Hoshiarpur (BD)	A.V. Birla (Ch.)	Pvt.	NU	Paper
RAJASTHAN						
140.	Ajay Paper Mills Ltd.	Alwar (BD)	R.L. Rajgarhia (Ch.)	Pvt.	NU; D	Spg. (blended)
141.	Ceramic India Ltd.	Alwar (BD)	T.R. Swaminathan (Proposed MD)	Pvt.	NU	Cereamic glazed tiles
142.	Derby Textile Ltd.	Jodhpur (BD)	N.K. Daga (Proposed Ch.)	Pvt.	NU	Spg. (cotton/ blended)
143.	Jaipur Polyspin Ltd.	Sikar (BD)	S.L. Dhanuka (Proposed Ch. & MD)	Pvt.	NU	Spg. (blended)
144.	Jaipur Syntex Ltd.	Alwar (BD)	M.D. Agarwal (MD)	Pvt.	NU; OR	Spg.(blended)
145.	Indag Rubber Ltd.	Alwar (BD)	Nand Khemka (Proposed MD)	Pvt.	NU	Rubber processing
146.	J.K. Industries Ltd. (J.K. Singhania Group)	Udaipur (BD)	R. Singhania (MD)	Pvt.	E	Tyres
147.	Mahavir Aluminium Ltd.	Alwar (BD)	Pradeep Jain (Proposed MD)	Pvt.	NU	Aluminium alloy extrusions
148.	Mewar Sugar Mills Ltd.	Chittorgarh	M.P. Dhandhania (Proposed Jt. MD)	Pvt.	E & M; OR	Sugar
149.	Modern Syntex Ltd.	Alwar (BD)	H.S. Ranka (MD)	Pvt.	E; OR	Spg. (staple/polyester yarn)
150.	Modern Threads (India) Ltd.	Bhilwara (BD)	N.K. Barwa (Ch.)	Jt.	NU.	Sewing threads

(Rs. Crores)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4,800 tonnes	Sept. 1981	1·97	0·46	1·36	0·15	1·97	—	—	0·03 (Eq)	0·03
700 Kms,	Dec. 1982	10·60	3·60	6·85	0·15	10·60	—	1·75 (DM)	0·25 (Eq)	2·00
30,280 spindles	—	3·75	—	2·00	1·75	3·75	0·50	--	—	0·50 (addl.)
25,080 spindles	Jan. 1982	6·40	2·41	3·84	0·15	6·40	1·15	--	—	1·15
17,136 spindles	Jan. 1982	7·15	2·70	4·45	—	7·15	1·25	—	0·27 (Eq)	1·52
24,000 spindles	Jan. 1981	8·40	3·00	5·25	0·15	8·40	1·35	—	0·25 (Eq.)	1·60
—	--	0·56	--	0·40	0·16	0·56	0·25	—	—	0·25 (addl.)
—	April 1983	3·58	—	2·48	1·10	3·58	0·50	0·27 (DM)	—	0·77 (addl.)
10,000 tonnes	April 1983	5·10	1·70	3·25	0·15	5·10	0·81	-	0·23 (Eq.)	1·04
37,059 tonnes 16,500 tonnes 26,400 tonnes)	Jan. 1984	25·00	8·20	16·65	0·15	25·00	3·30	—	0·81 (Eq.)	4·11
1,250 TCD	Nov. 1980	14·20	5·00	8·45	0·75	14·20	3·00	—	—	3·00
1,250 TCD	Jan. 1981									
66,000 tonnes each	Dec. 1983	39·55	11·30	28·10	0·15	39·55	5·00	—	1·25 (Eq)	6.25
10,000 tonnes	June 1982	6·00	2·05	3·55	0·40	6·00	0·75	-	0·25 (Eq.)	1·00
—	—	2·60	—	0·75 0·76 (DP)	1·09	2·60	0·16	—	—	0.16 (addl.)
—	June 1982	2·70	—	1·45	1·25	2·70	0·36	—	—	0·36 (addl.)
—	Nov. 1980	1·01	—	0·65	0·36	1·01	0·17	—	—	0·17 (addl.)
10000 tonnes	Oct. 1982	6·65	—	4·80	1·85	6·65	0·80	—	—	0·08
	May 1982						0·13	—	—	0·13
5,500 tonnes	Jan. 1982	2·94	1·00	1·78	0·16	2·94	0·45	—	0·12 (Eq)	0·57
16,128 spindles	Oct. 1982	6·90	2·60	4·15	0·15	6·90	1·15	—	0·25 (Eq)	1·40
13,440 spindles	April 1982	6·00	2·15	3·85	—	6·00	0·90	—	0·25 (Eq.)	1·15
	—	0·64	0·05	0·47	0·12	0·64	0·12	--	—	0·12 (addl.)
3,539 tonnes	Nov. 1982	7·70	2·75	4·95	—	7·70	0·90	0·39 (DM)	0·33 (Eq)	1·62
1.20 lakh nos	Oct. 1982	9·88	1·93	7·88	0·07	9·88	1·89**	—	—	1·89 (addl.)
3,000 tonnes	April 1982	4·14	1·50	2·49	0·15	4·14	0·45	—	0·09 (Eq)	0·54
—	Dec. 1982	0·56	0·10	0·40	0·06	0·56	0·10	—	—	0·10 (addl.)
	—	0·22	—	0·20	0·02	0·22	0·20	—	—	0·20 (addl.)
12,376 spindles	Jan. 1984	6·73	2.31	4·27	0·15	6·73	0·92	—	0·22 (Eq)	1·14

*Accounted for during the year 1979-80.

**Subsequently reduced to Rs. 1·88 crores.

APPENDIX B *(Contd.)*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
151.	Modi Alkalies & Chemicals Ltd.	Alwar (BD)	K.K. Modi (Ch.)	Pvt.	NU	Caustic soda Liquid chlorine Hydrochloric acid Stable bleaching powder
152.	Partap Rajasthan Copper Foils & Laminates Ltd.	Jaipur	P.C. Maheshwari (Proposed MD)	Jt.	NU	Copper foil Laminates
153.	P.G. Foils Ltd.	Pali	P.G. Shah (Proposed MD)	Pvt.	NU	Aluminium foils
154.	Rajasthan Glyoxal Ltd.	Udaipur (BD)	N.K. Jhunjhunwala (MD)	Jt.	NU; OR	Glyoxal, Sodium acetate
155.	Rajasthan Spg. & Wvg. Mills Ltd. (2 projects) (Bhilwara Group)	Bhilwara	L.N. Jhunjhunwala (Ch. & MD)	Pvt.	M E	Spg. (cotton/ blended) Spg. & Wvg. (blended)
156.	Rampur Engg. Co. Ltd.	Alwar (BD)	H.R. Gupta (Ch.)	Pvt.	NU	Material handling equipment.
157.	Rathi Alloys & Steel Ltd. (2 projects)	Alwar (BD); Ghaziabad (Uttar Pradesh)	H.K. Rathi (Ch.)	Pvt.	E M	Installation of ore furnace Rolled products
158.	Saraf Paper Mills Ltd.	Alwar (BD)	G.L. Saraf (Ch. & MD)	Pvt.	NU; OR	Paper
159.	Saraf Synthetics (Rajasthan) Ltd.	Alwar (BD)	N.D. Saraf (Proposed MD)	Pvt.	NU	Spg. (synthetic/ blended)
160.	Spinning Accessories (P) Ltd.	Jaipur	B.K. Khaitan (Dir.)	Pvt.	D	Synthetic wire cloth
161.	Straw Products Ltd. (J.K. Singhania Group)	Sirohi (BD)	H.S. Singhania (Ch. & MD)	Pvt.	NU	Cement
162.	Tirupati Fibres & Industries Ltd	Sirohi (BD)	P.D. Dalmia (Proposed MD)	Jt.	NU	Spg. (cotton)
163.	Vishal Chemicals (India) Ltd.	Alwar (BD)	P. Burman (Proposed MD)	Pvt.	NU	Guargum & derivatives
	TAMIL NADU					
164.	Adyar Gate Hotels Ltd.	Madras	Hariram (MD)	Pvt.	NU	Hotel
165.	Ashok Leyland Ltd. (Ashok Leyland Group)	Chingleput	R.J. Sahney (Ch & MD)	Pvt.	M	Com. vehicles Engines
166.	Asian Bearings Ltd.	Dharamapuri (BD)	S.M.P. Chettiar, (MD)	Jt.	NU	Antifriction bearings
167.	Budge Budge Jute & Inds. Ltd. Unit : Sree Sabari Mills	Tiruchirapalli (BD)	B.P. Poddar (Ch.)	Pvt.	M	Spg. (cotton)
168.	Chettinad Cement Corpn. Ltd.	Tiruchirapalli (BD)	Dr. M.A.M. Chittiar (Ch.)	Pvt.	M	Cement
169.	EID Parry Ltd. (Parry Group)	Madras	Dr. Easo John (Ch. & MD)	Pvt.	M	Methanol
170.	Enfield India Ltd.	Madras	S. Viswanathan (MD)	Pvt.	M	Motor cycles
171.	Ennore Foundries Ltd. (Ashok Leyland Group)	Chingleput	N.N. Wanchoo (Ch.)	Pvt.	M	Castings
172.	Madras Cements Ltd. (Madras Cement Group)	Ramanathapuram (BD)	R. Raja (MD)	Pvt.	M	Cement
173.	Madrua Coats Ltd. (Madura Coat Group) (3 projects)	Madurai (BD); Tirunelveli	M.A.M. Chettiar (Ch.)	Pvt.	M	Spg. & Wvg. (cotton)
174.	Poysha Industrial Co. Ltd. (3 projects)	Madras; Calcutta (West Bengal); Cochin (Kerala)	M.R. Ruia (Ch.)	Pvt.	NU NU E	Metal containers " "
175.	Siltronics (India) Ltd.	Dharmapuri (BD)	Z.F. Musa (Dir.)	Pvt.	NU	Silicon wafers
176.	Southern Petrochemical Inds. Corpn. Ltd.	Tirunelveli	M.A. Chidambaram (Ch.)	Jt.	E	Diammonium phosphate

(Rs. Crores)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
37,060 tonnes 20,460 tonnes 19,800 tonnes 10,000 tonnes.	July 1982	26 70	8·75	17·95	–	26·70	1·44	1·39 (Sw. Kr.)	0·45 (Eq.)	3.28
6·6 lakh sq. mtrs. 3·35 lakh sq mtrs.	Sept. 1982	10 25	3·40	4·63 2·22 (DP)	—	10·25	0·90 0·70 (DPG)	—	0·35 (Eq.)	1·95
1,500 tonnes	June 1981	3·25	1·25	2·00	—	3·25	—	0·47 (£)	—	0·47
	Nov. 1980	0·63	0·09	0·40 0·14 (DP)	—	0·63	0·20	—	—	0·20 (addl.)
7,680 spindles 150 looms	— Oct. 1982	3·30	—	1·75	1·55	3·30	0·55	—	—	0·55 (addl.)
3,000 tonnes	April 1982	3·03	1·00	1·79	0·24	3·03	0·60	—	0·15 (Eq)	0·75
25 tonnes per day	Dec. 1981 June 1982	9·18	0·34	6·84	2·00	9·18	1·50	—	—	1·50 (addl.)
	Dec. 1980	1·35	—	0·83	0·52	1·35	0·25	—	—	0·25 (addl.)
15,360 spindles	Jan. 1983	6·95	2·40	4·40	0·15	6·95	1·10	—	0·20 (Eq.)	1·30
12,600 sq. metres	March 1982	0·90	0·05	0·67	0·18	0·90	—	0·42 (DM)	—	0·42
5 lakh tonnes	Dec. 1982	36·00	—	26·00	10·00	36·00	1·00	—	—	1·00
15,400 spindles	Jan. 1983	7·05	2·60	4·30	0·15	7·05	0.90	—	0·29 (Eq)	1.19
2,700 tonnes	Sept. 1982	3·50	1·07	2·41	0·02	3·50	0·35	0·30 (DM)	0·11 (Eq)	0·76
16$ rooms	Jan. 1981	5·88	2·26	3·15	0·47	5·88	0·41	—		0·41
—	Dec. 1981	5·17	[illegible]	2·95	2·22	5·17	—	1·08 (DM) 0·12 (£)	—	1·20 (addl.)
*	Sept. 1981						—		0·07 (Eq)	0·07 (addl.)
*	Sept. 1982	2·24		1·66	0·58	2·24	0·35	—	—	0·35 (addl.)
—	Marh 1983	4·37	—	3·00	1·37	4·37	0·60		—	0·60 (addl.)
—	June 1982	7·47	—	3·47	4·00	7·47	0·22	0·47 (Sw. Kr·)	—	0·69 (addl.)
—	Dec. 1982	2·87	—	2·00	0·87	2·87	0·50	—	—	0·50 (addl.)
—	Dec. 1982	5·75	—	3·80	1·95	5·75		0·46 (DM) 0·60 (£)	—	1·06 (addl.)
—	Dec. 1981	2·20	—	1·45	0·75	2·20	0·36	—	—	0·36 (addl.)
—	June 1983	11·57	—	5·50	6·07	11·57	1·37	—	—	1·37 (addl.)
30 million nos. 30 million nos. 16·8 million nos.	March 1982	7·60	0·60	5·42	1·58	7·60	0·50	0·86 (DM)	—	1·36
7·50 lakh nos.	June 1982	3 04	1·20	1·69	0·15	3·04	—	0·41 (DM)		0·41
500 tonnes per day	May 1982	13·60	—	10·88	2·72	13·60	2·28	—	—	2·28 (addl.)

APPENDIX B (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
177.	Tube Investment of India Ltd. (Murugappa Chettiar Group) (2 projects)	Madras	A.M.M. Arunachalam (Ch. & MD)	Pvt.	M	Cycles Cold rolled products
178.	Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Ltd.	Tirunelveli	A.C. Muthia (Ch.)	Pub.	NU; OR	Soda ash & Chloride
179.	Vanavil Dyes & Chemicals Ltd.	South Arcot (BD)	T.S. Subramaniam (Ch.)	Jt.	NU	Naphthols Fast colour base
TRIPURA						
180.	Tripura Jute Mills Ltd.	West Tripura (BD)	S.K. Ghosal (MD)	Pub.	NU; OR	Jute goods
UTTAR PRADESH						
181.	Ansal Properties & Industries (P) Ltd.	Bulandshahr (BD)	C.L. Ansal (Ch.)	Pvt.	E	Paper
182.	Ajanta Textiles Ltd.	Ghaziabad	S.N. Hada (Ch.)	Pvt.	M	Spg (blended)
183.	Ajanta Tubes Ltd.	Ghaziabad	J.R. Jain (MD)	Pvt.	E; OR	ERW steel tubes
184.	Auto Tractors Ltd.	Pratapgarh (BD)	S.S Bisen (Ch. & MD)	Pub.	NU	Agr. tractors Diesel engines
185.	Bagpat Coop. Sugar Mills Ltd.	Meerut	G.K. Kumar (GM)	Coop.	E & M	Sugar
186.	Benares Hotels Ltd.	Varanasi	V.N. Singh (Ch.)	Pvt.	NU; OR	Hotel
187.	Cawnpore Sugar Works Ltd. (Soorajmull Nagarmull Group) (2 projects)	Deoria	D.C. Sawhney (Ch.)	Pvt.	E & M	Sugar
188.	Cawnpore Textiles Ltd. (Soorajmull Nagarmull Group)	Kanpur	V.N. Tandon (GM)	Pvt.	M	Spg. & Wvg. (cotton)
189.	India Engg. & Construction Co. Ltd.	Unnao (BD)	Y.P. Mishra (CE)	Jt.	NU; OR	Steel pipes etc.
190.	Kisan Coop. Sugar Factory Ltd.	Pilibhit (BD)	V.P. Sharma (GM)	Coop.	E & M	Sugar
191.	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd.	Saharanpur	M.G. Pande (GM)	Coop.	NU	Sugar
192.	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd.	Shahjahanpur (BD)	B. Kumar (GM)	Coop.	NU	Sugar
193.	Mayur Syntex Ltd.	Bulandshahr (BD)	P.K. Jain (Proposed MD)	Pvt.	NU	Spg. (cotton)
194.	Moradabad Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd.	Moradabad (BD)	H.R. Swarup (Ch.)	Pvt.	M	Spg. (cotton/ blended)
195.	National Textile Corpn. (U.P.) Ltd.— Muir Mills	Kanpur	D.N. Dixit (Ch. & MD)	Pub.	M	Spg. & Wvg. (cotton)
196.	Orient Ceramics & Inds. Ltd.	Bulandshahr (BD)	C.K. Kejriwal (MD)	Pvt.	NU; OR	Ceramic tiles
197.	P.V.K. Papers Ltd.	Basti (BD)	P. Kumar, IAS (Ch.)	Jt.	NU	Paper
198.	Sarjoo Sahakari Chini Mills Ltd.	Lakhimpur Kheri	R.N. Trivedi, IAS (Ch.)	Coop.	NU	Sugar
199.	Sarvodaya Paper Mills Ltd.	Bulandshahr (BD)	J.R. Sharma (MD)	Pvt.	NU; OR	Paper
200.	Shivalik Rasayan Ltd.	Dehradun	K.C. Sharma (Ch.)	Pvt.	NU	Malathion
201.	Triveni Engg. Works Ltd. (Sawhney Group)	Muzaffar Nagar	K.L. Sawhney (Ch.)	Pvt.	E & M & ;OR	Sugar
202.	U.P. Twiga Fibreglass Ltd.	Bulandshahr (BD)	Ashok Chandra, (Ch.) IAS	Jt.	R	Glass
203.	Universal Glass Ltd.	Ghaziabad	J. Jaiswal (MD)	Pvt.	E&M	Glass bottles
204.	Uttar Pradesh State Mineral Dev. Corpn. Ltd.	Dehradun	Ashok Chandra, (Ch.) IAS	Pub	NU	Marble/lime stone
205.	Vam Organic Chemicals Ltd.	Moradabad (BD)	S.S. Bharta (MD)	Pvt.	NU	Vinyl acetate monomer

(Rs. Crores)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
—	Dec. 1982	8·46	—	5·00	3·46	8·46	0·75	—	—	0·57
—	Jan. 1982	13·45	1·50	8·64	3·31	13·45	1·50	—	0·26 (Eq.)	1·76 (addl)
245 tonnes 200 tonnes	Oct. 1981	4·06	1·60	2·46	—	4·06	0.38		0·16 (Eq.)	0·54
—	Oct. 1981	3·55	1·45	1·87	0·23	3·55	0·36	—	—	0·36 (addl.)
5,000 tonnes	Dec. 1981	2·92	0·18	2·10	0·64	2·92	1·05	—	—	1·05
	April 1983	1·63	—	1·20	0·43	1·63	0·40	—	—	0·40 (addl.)
—	Dec. 1981	2·05	—	1·00	1·05	2·05	0·35	—	—	0.35 (addl.)
7,500 nos. 2,500 nos.	Sept. 1981	18·86	7·50	11·36	—	18·86	2·50	—	—	2·50
550 TCD	Jan. 1983	2·83	1·41	1·42	—	2·83	0·35			0·35 (addl.)
	Jan. 1981	0·98	0·28	0·60	0·10	0·98	0·15	—	—	0·15 (addl.)
900 TCD	Oct. 1982	7·38	—	5·20	2·18	7·38	1·80	—	—	1·80
—	March 1982	2·52	—	2·00	0·52	2·52	0·50	—	—	0·50
—	Feb. 1981	0·71	0·23	0·27	0·21	0·71	0·18	—	—	0·18 (addl.)
750 TCD	Oct. 1982	3·00	1·50	1·50	—	3·00	0·37	—		0·37 (addl.)
1,250 TCD	June 1982	7·16	2·94	4.07	0·15	7·16	1·00	—	—	1·00
1,250 TCD	March 1981	6·72	2·60	4·10	0·02	6·72	1·02	—	—	1·02
15,840 spindles	June 1982	6·23	2·27	3·96	—	6·23	0·92		0·33 (Eq)	1.25
—	Dec. 1983	1·22	—	0·92	0·30	1·22	0·33	—	—	0·33
—	Sept. 1982	3·00	—	2·70	0·30	3·00	0·90	—	—	0·90 (addl.)
—	Sept. 1981	0·57	—	0·40	0·17	0·57	0·15	—	—	0·15 (addl.)
4,400 tonnes	Jan. 1982	2·55	0·70	1·70	0·15	2·55	0·55	—	0·09 (Eq)	0·64
1,250 TCD	Jan. 1981	6·95	2·60	3·51	0·84	6·95	0·88	—	—	0·8 8
—	—	0·88	—	0·46 0·06 (DP)	0·36	0·88	0·16	—	—	0·16 (addl.)
1,000 tonnes	July 1981	1·90	0·71	1·19	—	1·90	0·49	—	0·07 (Eq.)	0·56
—	Oct. 1981	1·76	—	1·20	0·56	1·76	0·24	—	—	0·24 (addl.)
—	—	1·20	—	0·42	0·78	1·20	0·12	—	—	0·12
4,500 tons	June 1981	1·55	—	1·00	0·55	1·55	0·30	—	—	0·30
4.5 lakh tonnes	June 1982	8·20	4·10	4·10	—	8·20	1·50	—	—	1·50
	April 1982						0·35	—	—	0·35

*Accounted for during the year 1978-79.

APPENDIX B (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
WEST BENGAL						
206.	Calcutta Electric Supply Corpn. (India) Ltd.	24-Parganas	B. Mitter (Ch.)	Pvt.	E; OR	Power generation
207.	Concast Products Ltd.	Nadia (BD)	B.K. Burman (Ch.)	Pvt.	NU; OR	Non-ferrous metallic strips
208.	Ganges Mfg. Co. Ltd. (J.K. Singhania Group)	Hooghly (BD)	B.H. Singhania (MD)	Pvt.	M	Wvg. (jute)
209.	Hada Textiles Inds. Ltd.	24-Parganas	S.N. Hada (Ch.)	Pvt.	M	Spg. (cotton/ blended)
210.	Himalaya Rubber Products Ltd.	Nadia (BD)	O.P. Mundhra (MD)	Pvt.	NU; OR	Automobile fan/ V-belts
211.	Megna Mills Co. Ltd.	24-Parganas	B.P. Bajoria (Ch.)	Pvt.	M	Spg. & wvg. (jute)
212.	Metal Box India Ltd. (Metal Box Group) (6 Projects) . .	Calcutta; Midnapore (BD); Bombay (Maharashtra); Madras (Tamil Nadu); Gurgaon (Haryana)	P.K. Nanda (Ch. & MD)	Pvt.	M	Metal containers Closures paper/plastic packages
					NU ; OR	Ball bearings etc.
213.	Supreme Paper Mills Ltd. . . .	Nadia (BD)	S.K. Kedia (Ch. & MD)	Pvt.	NU; OR	Paper
214.	Titaghur Paper Mills Ltd. (Bird Heilgers Group) (2 projects) . . .	24-Parganas	S.P. Puri (Ch.)	Pvt.	E&M	Paper
215.	West Dinajpur Spg. Mills Ltd. . .	West Dinajpur (BD)	V. Bhattacharya (Ch.)	Pub.	NU	Spg. (cotton)
DELHI						
216.	Jai Prakash Enterprises Ltd. .	New Delhi	J.P. Gaur (MD)	Pvt.	NU; OR	Hotel
217	Cosmopolitan Builders & Hoteliers (P) Ltd.	New Delhi	L.K. Malhotra (Dir.)	Pvt.	NU	5-Star Hotel
218.	Asian Hotels Ltd. .	New Delhi	R.S. Saraf (Ch.)	Pvt.	NU	5-Star Hotel
GOA						
219.	Automobile Corpn. of Goa Ltd. .	Goa (BD)	V.M. Salgaonkar (Ch.)	Jt.	NU	Auto pressed parts
220.	Gomantak Land Development Ltd. .	Goa (BD)	A Timblo (Proposed MD)	Pvt.	NU	Hotel
221.	Mandovi Pellets Ltd. (Chowgule Group) . .	Goa (BD)	V.D. Chowgule (Ch.)	Jt.	NU; OR	Iron ore pellets
PONDICHERRY						
222	Pondicherry Papers Ltd. . .	Pondicherry (BD)	S.K. Sundram (Ch.)	Pvt.	NU; OR	Paper

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
—	March 1984	54·30	—	23·25	26·05	54·30	2·60	—	—	2·60 (addl.)
—	—	0·80	—	0·68	0·12	0·80	0·17	—	—	0·1 (addl.)
—	June 1984	3·82	—	2·60	1·22	3·82	0·70	—	—	0·70
—	July 1982	1·45	—	1·00	0·45	1·45	0·25	—	—	0·25
—	Dec. 1981	0·95	—	0·76	0·19	0·95	0·20	—	—	0·20 (addl.)
—	June 1984	3·74	—	2·50	1·24	3·74	0·65	—	—	0·65
—	Sept. 1982	15·70	—	4·03	11·67	15·70	0·90	—	0·25 (Eq.)	1·15 (addl.)
—	—									
—	April 1981	3·05	—	2·30	0·75	3·05	0·50	—	—	0·50 (addl.)
37,300 tonnes	Sept. 1982	8·70	—	6·90	1·80	8·70	1·60	—	—	1·60 (addl.)
25,088 spindles	April 1983	8·09	3·94	4·00	0·15	8·09	1·05	—	—	1·50
—	March 1981	1·09	0·33	0·76	—	1·09	0·19	—	—	0·19 (addl.)
258 rooms	Nov. 1982	15·50	4·50	9·50	1·50	15·50	1·20	—	—	1·20
588 rooms	Nov. 1982	33·68	11·00	22·00	0·68	33·68	2·75	—	—	2·75
5,310 tonnes	Dec. 1982	7·00	2·35	4·50	0·15	7·00	0·80	—	0·25 (Eq)	1·05
104 rooms & 4 suites	Sept. 1981	3·75	1·35	2·12	0·28	3·75	0·65	—	0.08 (Eq)	0·73
—	—	7·48	—	6·10 0·47 (DP)	0·92	7·48	0·69	—	—	0·69 (addl.)
—	—	1·16	—	0·64	0·52	1·16	0·16	—	—	0·16 (addl.)
TOTAL :		1816·71	282·87	1228·46	305·83	1816·71	177·81	17·57	17·35	212·73

Amount sanctioned by way of conversion from one facility to another in respect of assistance sanctioned to 5 concerns in earlier years—Rs. 0·62 crores(Rupee Loans) and Rs. 0·02 crore (DM).

NOTES : (i) The name of 'Industrial Group' mentioned against certain concerns, relates to the group of interconnected undertakings registered under Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1959, according to the latest information available with IFCI.

(ii) The names of Chairmen/Managing Directors, etc., mentioned against individual concerns relate to the position as at the time of sanction of financial assistance.

(iii) Figures relating to 'Cost of the project/scheme' as 'Means-of financing' are those envisaged at the time of sanction of financial assistance.

(iv) The facility of deferred payment guarantee sanctioned to one concern at Sl. No. 152 is also shown under col. 15.

APPENDIX C

CLASSIFICATION OF NEW PROJECTS ASSISTED DURING 1979-80 AND 1980-81 ACCORDING TO THE SIZE OF TOTAL CAPITAL OUTLAY

(Rs. Crores)

Size of Capital Outlay	No. of new projects		Percentage share in project cost		Assistance sanctioned		Percentage share in assistance	
	1980-81	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81	1979-80
Upto 3·00	15	17	3·1	6·6	7·12	7·09	5·4	11·7
3·01—4·00	9	6	3·1	4·0	5·71	4·10	4·3	6·8
4·01—5·00	4	11	1·7	11·3	2·32	9·29	1·8	15·4
5·01—10·00	58	14	39·0	18·8	63·84	14·26	48·6	23·6
Above 10·00	18	13	53·1	59·3	52·42	25·69	39·9	42·5
Total :	104	61	100·0	100·0	131·41	60·43	100·0	100·0

APPENDIX D

SECTORAL CLASSIFICATION OF ASSISTANCE—INDUSTRY-WISE—1980-81

(Rs. Crores)

Industry	Cooperative Sector		Corporate Sector						Total	
			Private		Public		Joint			
	No of projects	Assistance sanctioned	No. of projects	Assistance sanctioned	No. of projects	Assistance sanctioned	No. of projects	Assistance sanctioned	No. of projets	Assistance sanctioned
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sugar	19	16·70	5	2·64	4	5·12	—	—	28	24·46
Cotton textiles	3	2·30	39	25·89	7	8·36	2	2·80	51	39·35
Silk textiles	—	—	1	1·35	3	2·00	—	—	4	3·35
Jute manufactures	—	—	2	1·35	1	0·36	1	0·20	4	1·91
Textile products	—	—	—	—	—	—	1	1·15	1	1·15
Woollen manufactures	—	—	1	0·77	—	—	—	—	1	0·77
Chemicals & chemical products										
—Basic indl. chemicals	—	—	9	5·79	2	5·87	3	0·41	14	12·07
—Synthetic fibres	—	—	3	4·22	1	0·50	—	—	4	4·72
—Fertilisers	—	—	2	0·50	1	6·25	1	2·28	4	9·03
—Pesticides	—	—	1	0·56	—	—	—	—	1	0·56
—Other chemicals	—	—	4	3·34	1	0·69	4	2·71	9	6·74
	—	—	19	14.41	5	13·31	8	5·40	32	33·12
Cement	—	—	19	23·84	—	—	1	0·59	20	24·43
Paper & paper products	—	—	21	14·84	1	3·69	3	0·95	25	19·48
Rubber products	—	—	3	3·70	—	—	—	—	3	3·70
Plastic products	—	—	—	—	—	—	1	0·94	1	0·94
Leather products	—	—	1	0·17	3	0·17	—	—	4	0·34
Glass products	—	—	1	0·30	—	—	1	0·12	2	0·42
Iron & steel	—	—	9	8·73	—	—	—	—	9	8·73
Machinery & accessories	—	—	9	6·01	2	3·75	1	0·07	12	9·83
Electrical machinery	—	—	6	4·61		—	3	3·12	9	7·73
Agricultural machinery	—	—	—	—	1	2·50	—	—	1	2·50
Transport equipment	—	—	6	3·14	—	—	1	1·05	7	4·19
Electricity & gas	—	—	1	2·60	1	0·50	—	—	2	3·10
Metal products	—	—	13	5·20	—	—	3	2·18	16	7·38
Misc. non-metallic mineral products	—	—	3	0·77	1	1·50	—	—	4	2·27
Non-ferrous metals	—	—	4	1·45	—	—	—	—	4	1·45
Misc. manufacturing industries	—	—	2	0·45	—	—	1	2·26	3	2·71
Mining	—	—	—	—	—	—	1	0·69	1	0·69
Hotel	—	—	8	6·23	1	1·65	—	—	9	7·88
Total :	22	19·00	173	128·45	30	42·91	28	21·52	253	211·88

APPENDIX E

INDUSTRY-WISE SANCTIONS AND DISBURSEMENTS—1980-81

(Rs. Crores)

Industry	Sanctions						Disbursement	
	No of projects	Loans	Underwritings/ Direct subscriptions	Guarantees	Total	Percentage of total sanctions	Amount	Percentage of total disbursements
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cotton textiles								
—Cooperative sector	3	2·30	—	—	2·30	1·1	2·17	1·7
—Corporate sector	48	33·90	3·15	—	37·05	17·5	22·88	18·0
	51	36·20	3·15	—	39·35	18·6	25·05	19·7
Chemicals and chemical products								
—Basic industrial chemicals	14	10·42	1·65	—	12·07	5·7	16·07	12·6
—Synthetic fibres	4	1·97	2·75	—	4·72	2·2	5·68	4·5
—Fertilisers	4	7·78	1·25	—	9·03	4·2	2·57	2·0
—Pesticides	1	0·49	0·07	—	0·56	0·3	0·28	0·2
—Other chemicals	9	5·52	1·22	—	6·74	3·2	2·15	1·7
	32	26·18	6·94	—	33·12	15·6	26·75	21·0
Sugar								
—Cooperative sector	19	16·70	—	—	16·70	7·8	1·64	1·3
—Corporate sector	9	7·76	—	—	7·76	3·7	1·22	1·0
	28	24·46	—	—	24·46	11·5	2·86	2·3
Cement	20	22·72	1·71	—	24·43	11·5	16·90	13·3
Paper & paper products	25	18·23	1·25	—	19·48	9·2	9·31	7·3
Machinery and accessories	12	9·06	0·77	—	9·83	4·6	2·67	2·1
Iron & steel	9	8·73	—	—	8·73	4·1	11·64	9·2
Hotel	9	7·80	0·08	—	7·88	3·7	1·67	1·3
Electrical machinery	9	7·33	0·40	—	7·73	3·7	3·78	3·0
Metal prodcts	16	5·64	1·04	0·70	7·38	3·5	2·92	2·3
Rubber products	3	3·37	0·33	—	3·70	1·7	0·95	0·7
Transport equipment	7	3·94	0·25	—	4·19	2·0	3·71	2·9
Silk textiles	4	3·20	0·15	—	3·35	1·6	—	—
Electricity and gas	2	3·10	—	—	3·10	1·5	10·25	8·1
Misc. mfg. industries	3	2·31	0·40	—	2·71	1.3	0·33	0·3
Agricultural machinery	1	2·50	—	—	2·50	1·2	—	—
Misc. non-metallic mineral products	4	2·10	0·17	—	2·27	1·1	1·80	1·4
Jute manufacturers	4	1·91	—	—	1·91	0·9	0·71	0·6
Non-ferrous metals	4	1·37	0·08	—	1·45	0·7	1·26	1·0
Textile products	1	0·92	0·23	—	1·15	0·5	0·40	0·3
Plastic products	1	0·64	0·30	—	0·94	0·4	—	—
Woollen manufacturers	1	0·77	—	—	0·77	0·4	0·45	0·4
Mining	1	0·69	—	—	0·69	0·3	0·83	0·77
Glass products	2	0·42	—	—	0·42	0·2	0·95	0·7
Leather products	4	0·34	—	—	0·34	0·2	0·67	0·5
Misc. food products	—	—	—	—	—	—	0·89	0·7
Wood products	—	—	—	—	—	—	0·14	0.1
Coir products	—	—	—	—	—	—	0·16	0·1
Total	253	193·93	17·25	0·70	211·88	100·0	127·05	100·0

APPENDIX F

FACILITY WISE CLASSIFICATION OF TOTAL SANCTIONS, DISBURSEMENTS AND OUTSTANDINGS—1948-1981

(Rs. Crores)

	Sanctions (net)			
	Number of sanctions	Amount	Assistance disbursed	Amount outstanding
1 2	3	4	5	6
1. Loans :				
Rupee Loans :				
—Soft Loans Scheme	218	141·75	58·08	58·26
—Normal loans	1625	848·78	650·69	442·28
Sub-total :	1843	990·53	708·77	500·54
Foreign Currency	363	152·99	122·22	47·47
Total :	2206	1143·52	830·99	548·01
2. Underwritings :				
Equity shares	468	61·63	20·81	17·22
Preference shares	157	10·66	8·23	4·60
Debentures	32	15·63	8·99	0·78
Total :	657	87·92	38·03	2·60
3. Direct Subscriptions :				
Equity shares	99	6·13	4·88	10·85
Preference shares	8	0·32	0·32	0·83
Debentures	4	2·03	2·03	0·24
Total :	111	8·48	7·23	11·92
Total (1 to 3)	2974	1239·92	876·25	582·53
4. Guarantees :				
for deferred payments	45	29·52	28·76	0·34
for foreign loans	6	23·61	23·53	—
Total :	51	53·13	52·29	0·34
Grand Total :	3025	1293·05	928·54	582·87

APPENDIX G

STATE/TERRITORY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED AS ON THE 30TH JUNE, 1981

(After adjustment of cancellations/withdrawals)

(Rs. Crores)

State/Territory	No. of projects	Assistance sanctioned					% of Total
		Rupee loans	Foreign currency sub-loans	Under-writings/ Direct subscrip-tions	Guarantees for deferred payments on machinery and for foreign loans	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Andhra Pradesh	117	79·29	6·79	10·11	9·26	105·45	8·2
Assam	11	6·88	1·37	3·78	—	12·03	0·9
Bihar	50	35·51	5·01	4·54	3·30	48·36	3·7
Gujarat	119	86·06	10·97	9·43	1·59	108 05	8·4
Haryana	61	31·23	4·57	3·68	0·19	39·67	3·1
Himachal Pradesh	12	5·04	1·57	1·15	—	7·76	0·6
Jammu & Kashmir	8	4·25	—	0·07	—	4·32	0·3
Karnataka	113	88·41	10·02	6·54	2·21	107·18	8·3
Kerala	41	36·29	6·98	1·85	1·72	46·84	3·6
Madhya Pradesh	38	24·51	7·46	4·58	0·40	36·95	2·9
Maharashtra	276	191·78	29·91	14·20	3·76	239·65	18·5
Meghalaya	2	2·70	—	0·04	—	2·74	0·2
Nagaland	1	0.50	—	—	—	0·50	—
Orissa	28	20·16	5·46	2·38	—	28·00	2·2
Punjab	51	43·08	5·38	5·33	0·10	53·89	4·2
Rajasthan	57	47·75	7·84	5·66	8·56	69·81	5·4
Tamil Nadu	123	91·97	15·71	9·03	12·27	128·98	10·0
Tripura	1	1·16	—	—	—	1·16	0·1
Uttar Pradesh	141	105·69	21·04	7·09	3·54	137·36	10·6
West Bengal	129	68·19	11·22	4·78	5·32	89·51	6·9
Andaman & Nicobar	1	0·27	0·22	—	—	0·49	—
Delhi	13	11·01	1·47	0·54	0·83	13·85	1·1
Goa	8	7·17	—	1·53	—	8·70	0·7
Pondicherry	3	1·63	—	0·09	0·08	1·80	0·1
TOTAL :	1404	990·53	152·99	96·40	53·13	1293.05	100·0

APPENDIX H

INDUSTY-WISE DISTRIBUTION OF NET
AS PER THE NATIONAL INDUSTRIAL
(After Adjustment of

(Rs. Crores)

N.I.C. Code Number	Industry Group	Assistance sanctioned						
		No. of projects	Rupee loans	Foreign currency Sub-loans	Under-writings/ Direct subscrip-tions	Gurantees for defe-rred pay-ments on machinery and for foreign loans	Total	% of Total
	Minig and quarrying :							
100	—Coal mining	3	1·20	—	—	—	1·20	0·1
110	—Crude petroleum	1	—	—	3·50	—	3·50	0·3
120,125,127	Metal ore mining	5	4·04	—	0·45	—	4·49	0·4
	Food Products :							
206	— Sugar	197	186·58	0·15	0·85	—	187·58	14·5
200, 201,202,204 210 211 212,217, 219,222	—Other food products	15	4·42	0·55	0·48	—	5·45	0·4
231,232,241,244, 245,247,248,249	Textile	296	193·75	5.42	8·88	3 07	211·12	16·3
251	Jute manufactures	24	16·56	0 01	0·20	—	16·77	1·3
268	Coir products	1	0·27	—	—	—	0·27	—
270, 278	Wood products	9	2·74	2·68	0·43	—	5 85	0·4
280,281	Paper and paper products :	86	77·96	11·52	9·66	5·51	104·65	8·1
290,291	Leather products	9	2·79	0·25	0·53	—	3·57	0·3
300 to 303	Rubber products	24	22·27	5·09	2·88	2·66	32·90	2·5
	Chemicals and chemical products :							
310	—Basic industrial organic and inorganic chemicals and gases	72	63·29	4 45	10·50	4·32	92·56	7.2
311	—Fertilisers and pesticides	23	35·74	8·05	6·80	12·79	63·38	4·9
316	—Synthetic and other man-made fibres	25	21·09	12·69	6·25	0·74	40·77	3·2
316	—Synthetic resins and plastic materials	14	4·75	5·84	1·08	—	11·67	0·9
305,312, to 315, 318,319	—Other chemicals and chemical products	47	16·78	2·80	3·38	—	22·96	1·8
	Non-metallic mineral products :							
321	—Glass and glass products	17	6·29	3·86	0 87	—	11·02	0·9
324,328	—Cement	66	93·03	9·42	6·94	0·18	109·57	8·5
320,323,329	—Other non-metallic mineral products	30	13·83	3·44	2·20	—	19·47	1·5
	Basic metal and alloy industries :							
330 to 332	—Iron & steel and ferro-alloys	87	56·60	11·39	7·61	1·03	76·63	5·9
333 to 336, 339	—Non-ferrous metal industry	31	12·49	1·11	3·58	19·45	36·63	2·8
340, 341, 343, 344, 349	Metal products except machinery and transport equipment	54	13·86	9·67	3·87	1·28	28·68	2·2

APPENDIX H (*Contd.*)

FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED
CLASSIFICATION : 1948-1981
cancellations/withdrawals)

(Rs. Crores)

N.I.C. Code Number	Industry Group	Assistance sanctioned						
		No. of projects	Rupee loans	Foreign currency sub-loans	Under-writings/ Direct subscrip-tions	Guarantees for defe-rred pay-ments on machinery and for foreign loans	Total	% of Total
	Machinery except electrical machinery :							
350	—Agricultural equipment and parts		6·01	1.04	0·56	—	7.61	0·6
351 to 359	—Machinery and accessories	83	31·77	17·13	4·53	1 04	54·47	4·2
360 to 364 367, 369	Electrical machinery, apparatus, appliances and parts	64	23·37	13·35	3·64	—	40·36	3·1
	Transport equipments and parts :							
371,272	—Locomotives, railway wagons and coaches	4	1·23	—	0·10	—	1·33	0·1
374	—Motor vehicles and parts	27	17·73	9·65	2·64	—	30·02	2.3
375	—Motor cycles, auto cycles, scooters and parts	17	7·33	1·66	0·63	0·27	9·89	0·8
376	—Other transport equipment	4	1·98	0·16	—	—	2·14	0·2
247,261,380, 382, 385,824	Miscellaneous manufacturing industries	14	4·41	1·61	0·83	—	6·85	0.5
40,41	Electricity and gas	11	25·58	—	1·67	—	27·25	2·1
691	Hotel industry	34	20·79	—	0·72	0·79	22·30	1·7
710	Shipping industry	1	—	—	0·14	—	0·14	—
	TOTAL :	1404	990·53	152·99	96·40	53·13	1293·05	100·0

APPENDIX I

INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF SANCTIONED IN

(After adjustments of

N.I.C Code Number	Industry Group	Andhra Pradesh	Assam	Bihar	Gujarat	Haryana	Himachal Pradesh	Jammu & Kashmir	Karnataka	Kerala
	Mining and quarrying :									
100	—Coal mining	—	—	0·50	—	—	—	—	—	—
110	—Crude petroleum	—	3·50	—	—	—	—	—	—	—
120,125,127	Metal ore mining	—	—	—	—	—	—	—	1·13	—
	Food products :									
206	—Sugar	19·20	1·85	2·17	9·43	2·85	—	—	15·53	1·80
200,201,202,204 210,211,212,217, 219,222	—Other food products	0·88	—	0·33	—	0·27	—	—	0·92	—
231,232,241,244, 245,247,248,249	Textiles	4·70	0·26	1·63	29·65	9·51	2·31	0·84	13·22	2·93
251	Jute manufacture	0·98	0·79	0·34	—	—	—	—	—	—
268	Coir products	—	—	—	—	—	—	—	—	2·27
270,278	Wood products	1·41	1·14	—	0·07	—	—	—	—	1·68
280,281	Paper and paper products	16·34	2·32	8·10	4·01	7·08	2·04	—	18·03	1·79
290,291	Leather products	1·11	—	0·92	—	—	—	—	—	0·92
300 to 303	Rubber products	—	—	0·31	—	—	—	—	1·65	3·29
	Chemicals and chemical products :									
310	—Basic industrial organic and inorganic chemicals and gases	6·27	—	2·79	10·06	—	—	—	3·50	11·60
311	—Fertilisers and pesticides	11·16	0·44	—	16·20	0·50	0·20	—	2·36	3·06
316	—Synthetic and other man-made fibres	5·24	—	—	10·72	0·23	—	—	4·85	1·11
316	—Synthetic resins and plastic materials	1·73	0·90	—	0·91	—	—	0·83	0·15	—
305,312, to 315, 318, 319	—Other chemicals and chemical products	1·96	—	0·45	2·33	0·82	0·03	—	0·96	5·44
	Non-metallic mineral products :									
321	—Glass and glass products	1·65	—	1·16	—	0·34	—	—	0·02	0·40
324, 328	—Cement	18·22	—	5·18	10·89	—	—	1·00	17·73	3·00
320,323, 329	—Other non-metallic mineral products	0·79	—	3·18	0·79	1·04	—	—	0·03	—
	Basic metal and alloy industries :									
330 to 332	—Iron & steel and ferro-alloys	3·17	0·03	17·49	—	5·35	—	—	4·64	0·48
333 to 336, 339	—Non ferrous metal industry	—	—	0·90	—	—	—	—	2·48	3·09
340,341,343, 344, 349	Metal products except machinery and transport equipment : Machinery except electrical machinery :	0·55	—	—	1·47	2·47	—	—	4·26	0·86
350	—Agricultural equipment and parts	—	—	—	—	1·11	—	—	0·33	0·33
351 to 359	—Machinery and accessories	5·11	—	1·39	6·53	0·93	1·40	—	4·77	—
360 to 364, 367, 369	Electrical machinery, apparatus, appliances and parts	2·06	—	0·31	0·93	3·01	0·95	—	5·40	5·16
	Transport equipment and parts :									
371, 372	—locomotives, railway wagons and coaches	—	—	0·15	—	—	—	—	0·88	—
374	—Motor vehicles and parts	—	—	0·25	0·90	0·30	—	—	2·73	—
375	—Motor cycles, auto cycles, scooters and parts	0·54	—	—	—	1·86	—	—	0·50	—
376	—Other transport equipment	—	—	—	—	0·75	—	—	—	—
247, 261,380, 382, 385, 824	Miscellaneous manufacturing industries	0·59	—	—	2·26	1·24	0·63	—	—	0·26
40. 41	Electricity and gas	—	0·80	—	0·90	—	—	—	—	—
691	Hotel industry	1·79	—	0·81	—	—	0·20	1·65	1·11	—
710	Shipping industry	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL :	105·45	12·03	48·36	108·05	39·67	7·76	4·32	107·18	46·84
	No. of projects State-wise :	(117)	(11)	(50)	(119)	(61)	(12)	(8)	(113)	(41)

APPENDIX I (*Contd.*)

NET FINANCIAL ASSISTANCE EACH STATE : 1948-1981

cancellations/withdrawals) (Rs. Crores)

Madhya Pradesh	Maha-rashtra	Megha-laya	Naga-land	Orissa	Punjab	Rajas-than	Tamil Nadu	Tripura	Uttar Pradesh	West Bengal	Union Territories	Total	No. of Projects
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·70	—	1·20	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·50	1
—	—	—	—	0 75	—	—	0·85	—	—	—	1·76	4·49	5
2·50	69·58	—	0·50	2·05	7·27	2·45	16·72	—	32·17	—	1·50	187·58	197
—	0·68	—	—	—	1·47	—	—	—	0·41	0·07	0·42	5·45	15
7·88	45·45	—	—	5·17	13·06	21·44	15·92	—	24·45	8·78	3·92	211·12	296
—	—	—	—	1·65	—	—	—	1·16	—	11·85	—	16·77	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·27	1
0·48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·20	0·87	5·85	9
—	8·42	—	—	3·75	7·16	0·76	2·46	—	11·03	10·71	0·65	104·65	86
—	—	—	—	—	0·73	—	0·36	—	—	0·16	—	3·57	9
0·94	2·36	—	—	—	—	6·36	3·85	—	4·85	7·91	1·38	32.90	24
—	16·73	—	—	1·67	4·11	3·95	21·57	—	6·60	3·71	—	92·56	72
0·84	0·32	—	—	—	6·25	2·58	6·82	—	11·90	—	0·75	63·38	23
1·96	5·32	—	—	—	2·69	2·35	1·60	—	4·70	—	—	40·77	25
—	3·60	—	—	—	—	2·20	1·05	—	0·30	—	—	11·67	14
1·96	2·43	0·04	—	0·27	0·74	0·76	2·54	—	1·78	0·45	—	22·96	47
—	2·35	—	—	—	—	—	—	—	3·79	1·31	—	11·02	17
14·21	6·00	2·70	—	1·36	—	8·89	15·48	—	4·91	—	—	109·57	66
1·74	1·15	—	—	3·88	1·08	0·57	0·04	—	2·09	3·09	—	19·47	30
4·29	19·07	—	—	5·45	3·07	2·51	4·97	—	5·70	3·41	—	76·63	87
—	3·30	—	—	—	—	7·22	12·80	—	0·71	6·13	—	36·63	31
—	1·95	—	—	—	0·66	3·56	1·82	—	4·49	6·59	—	28·68	54
—	1·19	—	—	—	1·10	—	0·15	—	3·40	—	—	7·61	9
0·88	15·14	—	—	—	—	0·75	7·74	—	0·40	8·80	0·63	54·47	83
1·34	8·67	—	—	2·00	1·35	2·22	1·51	—	1·95	2·04	1·46	40·36	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·30	—	1·33	4
0·93	10·64	—	—	—	2·29	—	6·61	—	1·62	2·70	1·05	30·02	27
—	2·49	—	—	—	0·43	0·33	2·56	—	0·75	0·43	—	9·89	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1·39	—	2·14	4
—	0·24	—	—	—	0·43	0·42	—	—	0·01	0·40	0·37	6·85	14
—	9·67	—	—	—	—	—	—	—	7·50	8·38	—	27·25	11
—	2·76	—	—	—	—	0·49	1·56	—	1 85	—	10·08	22·30	34
—	0·14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·14	1
36·95	239·65	2·74	0·50	28·00	53·89	69·81	128·98	1·16	137·36	89·51	24·84	1293·05	1404
(38)	(276)	(2)	(1)	(28)	(51)	(57)	(123)	(1)	(141)	(129)	(25)	(1404)	

APPENDIX J

SIZE-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED : 1948-1981.

(According to amounts sanctioned for each industrial concern)

(Rs. Crores)

	Cooperatives		Limited companies					Total				
	No. of concerns	Loans	No. of concerns	Loans	Underwritings/ Direct subscriptions	Guarantees for deferredpayments on machinery and for foreign loans	Total	No. of concerns	Loans	Underwritings/ Direct subscriptions	Guarantees for deferred payments on machinery and for foreign loans	Total
1. Amounts not exceeding Rs. 10 lakhs	—	—	93	2·65	2·69	—	5·34	93	2·65	2·69	—	5·34
2. Amounts esceeding Rs. 10 lakhs but not exceeding Rs. 20 lakhs	1	0·20	·47	5·76	1·55	—	7·31	48	5·96	1·55	—	7·51
3. Amounts exceeding Rs. 20 lakhs but not exceeding Rs. 30 lakhs	3	0·75	61	14·16	1·74	0·04	15·94	64	14·91	1·74	0·04	16·69
4. Amounts exceeding Rs. 30 lakhs but not exceeding Rs. 40 lakhs	9	3·30	96	30·82	3·53	0·20	34·55	105	34·20	3·53	0·20	37·93
5. Amounts exceeding Rs. 40 lakhs but not exceeding Rs. 50 lakhs	9	4·24	100	42·75	3·11	0·39	46·25	109	46·99	3·11	0·39	50·49
6. Amounts exceeding Rs. 50 lakhs but not exceeding Rs. 60 lakhs	15	8·52	60	29·82	3·59	—	33·41	75	38·34	3·59	—	41·93
7. Amounts exceeding Rs. 60 lakhs but not exceeding Rs. 70 lakhs	13	8·55	72	42·95	3·35	0·58	46·88	85	51·50	3·35	0·58	55·43
8. Amounts exceeding Rs. 70 lakhs but not exceeding Rs. 80 lakhs	16	12·43	52	35·88	3·31	0·25	39·44	68	48·31	3·31	0·25	51·87
9. Amounts exceeding Rs. 80 lakhs but not exceeding Rs. 90 lakhs	36	31·74	33	25·14	3·18	—	28·32	69	56·88	3·18	—	60·06
10. Amounts exceeding Rs. 90 lakhs but not exceeding Rs. 1 crore	23	22·61	50	43·10	4·35	0·58	48·03	73	67·71	4·35	0·58	70·64
11. Amounts exceeding Rs 1 crore	63	92·52	326	685·55	66·00	51·09	802·64	389	778·07	66·00	51·09	895·16
TOTAL :	188	184·94	990	958·58	96·40	53·13	1108·11	1178	1143·52	96·40	53·13	1293·05

APPENDIX K

Scheme of Concessional Finance for the Development of Notified Backward Districts/Areas

With a view to providing greater inducement to entrepreneurs to spread out in relatively under-developed areas in the country, the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) is operating the scheme of providing financial assistance on concessional rates to industrial projects in such areas since the 23rd July, 1970. The salient features of this scheme of concessional finance for units in notified less developed districts/areas in the light of reviews and modifications made from time to time are as under :

1. Location :

Effective from the 2nd March, 1981, only *new* eligible industrial units set up either as new undertakings or as new units of existing industrial concerns to be located in backward districts/areas in the various States or Union Territories selected for such assistance* by the Central Government from time to time are eligible for assistance on concessional rate.

2. Scope of the Scheme :

Concessional finance is now confined to only new eligible industrial units (including hotels) both in the corporate as well as co-operative sectors, and, is not available with effect from the 2nd March, 1981, to existing units located in notified less developed districts/areas in connection with their scheme s of expansion, diversification, modernisation or rehabilitation.

3. Ceiling of Assistance :

The overall ceiling in respect of loans including deferred payment guarantees extended on concessional rate from the Corporation individually continues to be Rs. 1·00 crore. However, under the consortium financing where other institutions are also participating, the ceiling for the assistance on concessional rate in aggregate continues to be Rs. 2·00 crores. Additional loans provided to new units in specified backward areas for financing over-runs in original cost estimates are eligible for concessional rate provided the assistance in aggregate under consortium financing does not exceed Rs. 2·00 crores. If the additional loans for meeting the overrun is not covered within the consortium financing celing of Rs. 2·00 crores for a new unit in a specified backward area, it would attract the normal lending rate of interest. Within the ceiling, new units of an existing concern would be eligible for assistance on concessional rate if they envisage a different line of end-product. In other words, concessional finance within the specified ceilings would be available to new projects on unit-wise basis applying the same parametric values as are applicable for the grant of Central Investment Subsidy by the Central Government.

4. Terms : (*In respect of new units only—Effective from the 2nd March*, 1981)

(*i*) *Rate of Interest*

As against the normal lending rate of interest on rupee and foreign currency loans at 14% p.a., lower rate of interest, viz., 12·5% p.a. on rupee and foreign currency loans is chargeable under the Scheme. If a new unt in a specified backward area is availing itself of both the rupee and foreign currency loans under consortium financing and the aggregate of both the rupee and foreign currency loans is more than Rs. 2 00 crores, then for the purpose of applying the concessional rate of interest, first, the entire rupee loan would be taken up and if there is any balance left out, then, the remaining portion of the foreign currency loan will attract the concessional rate of interest.

(*ii*) *Period of repayment of loans*

IFCI's normal practice is to allow initial moratorium upto three years before the first repayment of the principal amount of the loan commences. *In the case of new undertakings in less developed districts/areas, this period can be extended upto five years from the date of first disbursement of the loan, on a case to case basis, having regard to the projections of profitability and ways and means position of the concern. Likewise, against the normal period allowed for repayment of loans, the period in the case of projects coming up in less developed districts/areas may be extended on the merits of each case having regard to the concern's profitability potential and cash flow position.

(*iii*) *Promoters' contribution and debt equity ratio*

As against the normal requirement of 20% promoters' contribution to the capital cost of the project, in the case of projects set up in notified backward districts/areas, a contribution of about 17·5% to the total project cost (reduced to 10% in respect of projects set up in identified hill areas) might be accepted depending upon the merits of each case. Effective from the 29th April, 1981, it has, however, been decided to reduce the aforesaid norm from 17·5% to 15% of the project cost depending upon the merits of each case, in those cases where the project are set up by *non-MRTP concerns* in notified backward districts/areas. Following the level of the promoter's contribution in each case somewhat liberal debt equity ratio might also be accepted under the scheme having regard, *inter-alia*, to the financial status, the standing of the promoters, the gestation period of particular project, its profit potential and other relevant factors.

(*iv*) *Participation in equity and preference capital*

Depeding on the merits of each case, IFCI might consider participation by way of underwriting or otherwise in the share capital of an industrial concern located in less developed districts/areas to a greater extent as compared to projects located elsewhere.

(*v*) *Reduction in other charges*

In the case of Rupee Loans, 50% reduction can be made in IFCI's normal charges in respect of commitment charge and legal charges, while 25% reduction can be given in the net effective rate of commission on deferred payment guarantees. 50% reduction can also be made in respect of underwriting commission for share/debentures underwritten.

---

*List attached.

APPENDIX K (*Contd.*)

Consolidated List of Districts/Areas Notified by the Central Government as qualifying for Concessional Finance from Public Financial Institutions

Notes : (1) Districts/areas which are also cligible for the Central Scheme of 'Central Investment Subsidy have been marked asterisk (*).

(2) The sign '£' against a district/area denotes the district/area as it existed prior to its re-organisation. The districts which may be deemed to have been added to the list as a result of re-organisation of the districts are given in the end.

(3) The sign '$' denotes the district as reorganised.

(4) The figures in brackets below each State denote the total number of districts as re-organised in each State and the figures in brackets after notified backward districts in each State denote the total number of notified backward districts on reorganised basis in each State.

States/Union Territories	Selected Districts
1.	2
States :	
1. Andhra Pradesh (23)	Anantpur, Chittoor, Cuddapah, Karimnagar, Khammam, Kurnool, Mehbubnagar, Medak, Nalgonda, Nellore, Nizamabad, Prakasam, Srikakulam* and Warangal. (14)
2. Assam (10)	Cachar*, Goalpara*, Kamrup*, Mikir Hills*, North Cachar Hills, New Lakhimpur* and Nowgong*. (7)
3. Bihar (31)	Aurangabad, Begusarai, Bhagalpur, Bhojpur*, Champaran*£, Darbhanga*£, Gaya, Monghyr, Muzaffarpur£, Nalanda, Nawadah, Palamau*, Purnea*£, Saharsa*, Santhal Parganas*, and Saran£. (24)
4. Gujarat (19)	Amreli, Banaskantha, Bhavnagar*, Broach, Junagadh, Kutch, Mehsana, Panchmahals*, Sabarkantha and Surendranagar*. (10)
5. Haryana (12)	Bhiwani, Hissar$, Jind and Mohindergarh$. (4)
6. Himachal Pradesh (12)	Chamba*, Kangra*£, Kinnaur, Kulu*, Lahaul and Spiti, Sirmur* and Solan*. (9)
7. Jammu & Kashmir (10)	Anantnag*, Baramulla*, Doda*, Jammu*, Kathua, Ladakh, Poonch*, Rajouri, Srinagar* and Udhampur. (10)
8. Karnataka (19)	Belgaum, Bidar, Bijapur, Dharwar*, Gulbarga, Hassan, Mysore*, North Kanara, Raichur*, South Kanara and Tumkur. (11)
9. Kerala (11)	Alleppey* Cannanore*, Malapuram*, Trichur and Trivandrum. (5)
10. Madhya Pradesh (45)	Balaghat, Bastar, Betul, Bilaspur, Bhind, Chhatarpur, Chindwara, Damoh, Datia, Dhar, Dewas, Guna, Hoshangabad, Jhabua, Khargone, Mandla, Mandsaur, Morena, Narsimhapur, Panna, Raigarh, Raipur, Raisen, Rajgarh, Rajnandgaon, Ratlam, Rewa, Sagar, Seoni, Shajapur, Shivpuri, Sidhi, Surguja, Tikamgarh, Vidisha and new Sehore District. (36)
11. Maharashtra (26)	Aurangabad*, Bhandara, Bhir, Buldhana, Chandrapur*, Colaba (Raigarh), Dhulia, Jalgaon, Nanded, Osmanabad, Parbhani, Ratnagiri* and Yeotmal. (13)
12. Manipur (6)	All the six districts* (6)
13. Meghalaya (5)	Garo Hills*, £, Khasi Hills* £ and Jaintia Hills*. (5)
14. Nagaland (7)	Kohima*£, Mokokchung*£ and Tuensang*£. (7)
15. Orissa (13)	Balasore, Bolangir,*, Dhenkanal,*, Kalahandi*, Keonjhar*, Koraput*, Mayurbhanj* and Phulbani. (7)
16. Punjab (12)	Bhatinda*£, Ferozepur$, Gurdaspur, Hoshiarpur* and Sangrur.* (6)
17. Rajasthan (26)	Alwar*, Banswara, Barmer, Bhilwara*, Churu*, Dungarpur, Jaisalmer, Jalore, Jhunjhunu, Jhalawar, Jodhpur,* Nagaur*, Sikar, Sirohi, Tonk and Udaipur*. (16)
18. Sikkim (4)	All the four districts of Gangtok*, Gylashing*, Mangan* and Namchi*. (4)
19. Tamil Nadu (16)	Dharamapuri, Kanyakumari, Madurai, North Arcot, Pudukkottai, Ramanathapuram, South Arcot, Thanjavur and Tiruchirapalli. (9)
20. Tripura	All the 3 districts*. (3)

APPENDIX K (*Contd*)

21. Uttar Pradesh (56)	Almora*, Azamgarh, Badaun, Bahraich, Ballia*, Banda, Barabanki, Basti*, Bulandshahr£, Chamoli, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad*, Farrukhabad, Fatehpur, Garhwal, Ghazipur, Gonda, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jaunpur, Jhansi*£, Mainpuri, Mathura, Moradabad, Pilibhit, Pithoragarh, Pratapgarh, Rae Bareli*, Rampur, Shahjahanpur, Sitapur, Sultanpur, Tehri Garhwal, Unnao* and Uttar Kashi. (39)
22. West Bengal (16)	Bankura, Birbhum, Burdwan, Cooch-Behar, Darjeeling, Hooghly, Jalpaiguri, Malda, Malda, Midnapur*, Murshidabad, Nadia*, Purulia* and West Dinajpur (13)

Union Territories

1. Andaman and Nicobar Islands*	Entire Territory.
2. Arunachal Pradesh	Entire Territory.
3. Dadra and Nagar Haveli	Entire Territory.
4. Goa, Daman and Diu	Entire Territory (excluding the area within the Municipal limits of the Territory's capital).
5. Lakshadweep	Entire Territory.
6. Mizoram	Entire Territory.
7. Pondicherry	Entire Territory (excluding the area within the Municipal limits of the Territory's capital).

Districts as they existed before their reorganisation and after their reorganisation

State	District as it existed before its reorganisation	Districts on the reorgnised basis
1. Bihar	Champaran	1 West Champaran 2 East Champaran
	Dharbhanga	1. Madhubani 2. Darbhanga 3 Samastipur
	Muzaffarpur	1. Sitamarhi 2. Muzaffarpur 3. Vaishali
	Purnea	1. Katihar 2 Purnea
	Saran	1 Gopalganj 2 Siwan 3. Saran
2. Himachal Pradesh	Kangra	1. Kangra 2 Hamirpur 3. Una
3. Meghalaya	aro Hills	1 East Garo Hills 2 West Garo Hills
	Khasi Hills	1 East Khasi Hills 2 West Khasi Hills
4. Nagaland	Kohima Mokokchung Tuensang	1 Kohima 2 Mokokchung 3 Tuensang 4. Phek 5 Zunheboto 6 Wokha 7. Mon
5. Punjab	Bhatinda	1 Faridkot 2 Bhatinda
6. Uttar Pradesh	Jhansi	1 Lalitpur 2 Jhansi

Notes (In relation to Scheme of Central Investment Subsidy only).

APPENDIX K (*Concld.*)

(I) Andhra Pradesh

Srikakulam district and Five areas:

Two 'Areas' from Rayalaseema region comprising 22 blocks, Area 1 comprising 13 blocks viz., Chittoor@, Bangarupalem@, Pulicherla@, Pattur@, Chandragiri and Kalahasthi (from Chittoor district) and Kodur, Rajampet, Sidhout, Cuddapah, Kamalapuram, Proddatur and Pulivendla (from Cuddapah district) ; and Area II comprising 9 blocks viz,, Tadpatri, Singanamala, Gooty, Kudair@ (from Anantapur district); and Dhone, Kurnool, Banganapali@, Nandyal@ and Giddalur@ (from Kurnool district); theree 'Areas' from Telangana region comprising 43 blocks, Area I comprising 14 blocks, viz., Mahabubnagar@, Jadcherla@ Shadnagar@, Kalwakurthy and Amangal (from Mahbubnagar district); and Nalgonda, Mungadi, Nakrakal, Suryapet, Kodad@, Kuzurnagar@ Miryalaguda@, Peddavora@ and Devarakonda@ (from Nalgonda district); Area II comprising 14 blocks viz., Khamma, Thirumalaipalem, Kallur@, Yellandu@ Kothagudam@, Aswaraopeta@, Burgampad@ and Bhadrachalam@, (from Khammam district); and Mahbubabad, Narsampet, Hanamkonda, Ghanapur@, Jangaon@ and Mulug@ (from Warangal district); Area III comprising 15 blocks viz., Zaheerabad@, Patancheruvu@, Narsapur@, Medak@, and Siddipet (from Medak district); Yedapalli@, Nizamabad@, Kamareddy@ and Domakonda@ (from Nizamabad district); and Sircilla@, Karimnagar, Sultanabad, Peddapanli, Manthani@ and Huzurabad (from Karimnagar district) are eligible for the Central scheme of investment subsidy.

(II) Haryana

Reorganised Mohindergarh district (comprising Mohindergarh and Rewari Sub-Divisions), Bhiwani district (comprising Bhiwani and Dadri*@ Sub-Divisions) and one 'Area comprising 8 Blocks viz., Hissar Block No. 1 and Barwala Block (of Hissar Tehsil), Hansi Block No. 1 (from Hansi Tehsil), Bahuna Block (from Fatchabad Tehsil), Tohana Block/Tehsil (from Tohana Tehsil)—from the district of Hissar, Jind Block and Julana Block (from Jind Tehsil), Uchana Block (Narwana Tehsil)—from the district of Jind—are eligible for the Central scheme of investment subsidy.

(III) Madhya Pradesh

Six Areas :

The 'Area' from Eastern Region comprising 12 blocks viz., Korba, Baloda, Champa, Kota Masturi and Bilha (Bilaspur blocks (from Bilaspur district); Bhatapara, Simga, Tilda, Dharsiwa (Raipur), Abhanpur and Rajim blocks (from Raipur district); 'Area'@ from Northern Region comprising 9 blocks viz., Shivpuri and Karera (from Shivpuri district); Datia and Seondha (from Datia district); Bhind, Mehgaon and Gohad (from Bhind district) and Morena and Jaura (from Morena district); the 'Area' from Western Region comprising 10 blocks viz., Dewas and Tonk Khurad blocks (from Dewa district); Gulana, Shujalpur and Shahjapur blocks (from Shajapur district); Panchor (Sarangpur) and Biaora blocks (from Rajgarh district) and Chachaura, Raghogarh and Guna blocks (from Guna district); the 'Area'@ from Western Region II comprising 12 blocks viz., Potlawad and Meghnagar (from Jhabua district), Badnawar, Dhar and Nalcha (from Dhar district), Maheshwar and Barwaha (from Khargone district), Ratlam and Jaura (from Ratlam district), Mandsaur, Mahargarh and Neemuch (from Mandsaur district); the 'Area'@ from Central Region comprising 11 blocks viz., Bina, Itawa, Khuri, Banda (Binaika), Rahatgarh, Sagar, Shahgarh (Amarmau) (from Sagar district), Tikamgarh and Baldeogarh (from Tikamgarh district), Vidisha and Gyaraspur from Vidisha district) and Chhatarpur (from Chhatarpur district), the 'Area@' from North Eastern Region comprising 11 blocks viz., Rewa and Raipur (Garh) (from Rewa district), Majhauli Sidhi, Deosar, and Waidhan (from Sidhi district), Sonhat, Baikunthpur, Mahendragarh, Surajpur and Ambikapur (from Surguja district) are eligible for the Central scheme of investment subsidy.

(IV) Tamil Nadu

Three Areas/Tracts comprising 33 Taluks :

One 'Area comprising 12 Taluks (including Sub-taluks) viz. Ramanathapuram Mudukulathur Sivaganga Parmakudi, Thiruvadani, Karaikudi and Thirupathur Taluks (from Ramanathapuram district) Melur Taluk (from Madurai district) Pudukottai Thirumayam, Alangudi and Kulathur Taluks (from Pudukkottai district); two 'Areas@ one comprising 11 Taluks of Dharmapuri Palacode, Hosur Denkanikottah Krishnagiri, Uthangarai, Harur (from Dharmapuri district), Tirupattur, Vaniyambadi Vellore Walajapet (from North Arcot district) and the other area comprising 10 Taluks of Aruppukotti, Virudhunagar, Sattur, Srivilliputtur, Rajapayalam (from West Ramanathapuram of Ramanathapuram district), Tirumangalam, Usilampatti, Nilakottai, Dindigul and Vedasandur (from Madurai district) are eligible for the Central scheme of investment subsidy.

@Represents Districts/Sub-Divisions/Taluks/Blocks/Tehsils selected after 10-7-1972.

*Represents districts as they existed prior to their recent reorganisation.

APPENDIX L

INTEREST RATE STRUCTURE OF IFCI

	Rate of interest% (p.a.) prevailing upto 30-6-1980	Effective from 1-7-1980	Effective from 2-3-1981
1 2	3	4	5
1. Basic lending rate	11·00	11·85	14·00
2. Concessional rates			
(a) Units in specified backward areas upto Rs. 2 crores to a unit in the aggregate	9·50	10·25	12·50@
(b) On Soft component under the Soft Loans Scheme	7·50	8·10	12·50
3. Bridging/Interim loans			
(a) Normal loans	12·00	12·85	15·00
(b) Units in specified backward areas upto Rs. 2 crores to a unit in the aggregate	10·50	11·25	13·50@
(c) On soft component under the Soft Loans Scleme	8·50*	9·10*	13·500*
4. Foreign currency loans			
(a) Normal loans	11·00	11·85	14·00
(b) Units in specified backward areas upto Rs. 2 crores to a unit in the aggregate	10·00	10·75	12·50@

@Applicable to new units only and not to expansion/diversification projects of existing units.

The rate of interest on the bridging loans against loans sanctioned under Soft Loans Scheme, is higher by 1% p.a. over the applicable rate under Soft Loans Scheme. This higher rate by 1% p.a. would be leviable after 365 days from the date of first disbursement.

N.B. Rupee Loans from IFCI upto Rs. 75 lakhs only per project for Hotel Industry carry the applicable rate of interest reduced by 1% p.a., provided, and so long as the interest differential of 1% p.a. is subsidised by the Government and there is no default on the part of the beneficiary.

APPENDIX M

CAPACITY UTILISATION OF SELECTED INDUSTRIES IN THE COUNTRY AND OF THE REPORTING ASSISTED CONCERNS OF THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA DURING 1979-80 AND 1980-81

Industry	For the country 1979-80 No. of units	1979-80 Utilisation of capacity (%)	1980-81 No. of units	1980-81 Utilisation of capacity (%)	Reporting assisted concerns of IFCI 1979-80 No. of units	1979-80 Utilisations of capacity (%)	1980-81 No. of units	1980-81 Utilisation of capacity (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(8)	(9)
1. Sugar								
—Coperatives	142	64·4	153	81·1@	62	61·7	68	77·0
—Others	165		170		19	51·4	18	67·8
2. Cotton textiles	686£		693££		62$		88$$	
A. (i) Spindles (lalh nos.)		207·4		211·5		22·0		36·18
(ii) Yarn (lakh kgs.)		12174		13004		1209		1694
B. (i) looms (lakh nos.)		2.1		2·1		0·18		0·34
(ii) Cloth (lakh metres)		40850		41642		4054		5665
3. Jute	71	102·8	71	107·0	—	—	8	80·6

APPENDIX M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Synthetic fibres								
—Nylon filament yarn	8	83·7	8	98·5	3	89·7	2	96·9
—Polyster filament yarn	8	111·9	8	131·8	5	88·9	4	109·7
—Polyster staple yarn	5	83·9	5	67·2	1	82·9	1	88·8
5. Fertilisers								
—Nitrogenous	33	66·2	36*	56·2	3	71·4	6	79·3
—Phosphatic	44	67·3	48**	68·1	2	92·9	3	123·1
6. Chemicals & chemical products								
—Caustic soda	33	74·5	33	73·5	6	74·0	8	74·9
—Liquid chlorine	27	49·9	27	50·8	5	59·8	6	59·2
—Soda ash	4	87·5	4	79·0	—	—	2	92·1
—Acetic acid	12	74·8	12	70·2	—	—	3	56·8
—Carbon black	5	67·0	5	64·2	—	—	2	65·1
7. Cement	57	78·4	60	72·3	6	75·8	15	75·1
8. Paper and Paper board	106	75·9	121	71·5	17	69·1	27	71·9
9. Rubber products								
—Automobile tyres	17	83·5	17	94·8	3	63·1	7	70·7
—Automobile tubes	17	66·1	17	75·0	3	56·4	7	59·0
10. Iron & steel								
—Steel castings	58	42·9	61	39·3	2	61·9	3	63·4
—Malleable iron castings	14	69·9	15	76·6	3	39·0	3	47·2
—Steel ingots & billets	NA	NA	NA	NA	9	70·5	14	68·8
11. Agricultural machinery								
—Tractors	13	97·9	13	84·2	3	96·0	2	81·7
—Power tillers	5	15·6	5	12·5	2	18·0	2	14·4
12. Electrical machinery & apparatus								
—Electrical motors	37	58·6	37	65·2	1	118·8	2	107·4
—Transformers	33	71·5	33	70·9	2	89·9	2	72·0
—PILC power cables					2	20·4	2	21·3
—PVC power cables	12	53·4	14	61·7	3	75·7	3	108·6
13. Automobile industry								
—Motor cycles	4	96·7	4	111·1				
—Scooters	13	55·2	13	74·1	7	45·3	8	44·9
—Three-wheelers	3	59·0	3	82·8				
—Mopeds	10	74·7	10	105·1				
14. Hotel	—	—	348	72·0	—	—	11	50·7

@Based on the production for the season 1980-81(estimated)

£ Includes 291 composite mills.

££ Includes 278 composite mills.

$Includes 20 composite mills.

$$Includes 37 composite mills.

*Includes 6 by-product units.

**Includes 11 complex fertiliser units included in Nitrogen.

Notes : 1. Figures in columns 2, 3, 4 and 5 are based on the Annual Reports of the Ministries of Industries; Petroleum, Chemical and Fertilisers (Department of Chemicals and Fertilizers); Agriculture and Irrigation (Department of Food); and statistics collected from Directorate of Sugar, National Cooperative Development Corporation; Office of the Textile Commissioner; Office of the Jute Commissioner; Deptt. of Tourism and Office of the Director General of Technical Development.

2. Figures in respect of cotton textiles pertain to actuals.

3. Figures in respect of 1979-80 in columns 2 and 3 have been revised in some cases (with reference to the last Report) on the basis of latest data available.

4. Figures in columns 5, 7, 8 and 9 are based on replies to IFCI's questionnaire received from its assisted concerns.

APPENDIX N

INDUSTRY-WISE ANALYSIS OF DEFAULTS FOR THE YEARS 1979-80 AND 1980-81

(Rs. Crores)

Industry	Defaults as on the 30th June, 1980				Defaults as on the 30the June,1981				
	No. of concerns	Principal	Interest	Total	No. of concerns	Principal	Interest	Total	Defaults as percentage of loans outstanding
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mining	4	0·64	0·53	1·14	2	0·67	0·38	1·05	29·7
Sugar	70	8·96	5·04	14·00	59	12·94	5·39	18·33	20·8
Misc. food products	4	0·04	0·05	0·09	1	—	Negl.	Negl.	Negl.
Textiles	35	3·89	1·88	5·77	34	4·03	2·05	6·08	7·2
Jute manufactures	8	1·15	0·41	1·56	5	1·07	0·33	1·40	18·3
Wood products	4	0·07	0·18	0·24	4	0·13	0·26	0·39	9·0
Paper and paper products	21	1·17	1·36	2·50	21	1·61	1·69	3·30	6·1
Leather products	3	0·11	0·07	0·18	4	0·26	0·15	0·41	15·8
Rubber products	7	2·16	0·87	3·03	4	2·42	0·80	3·22	18·2
Basic industrial chemicals	11	0·85	0·69	1·54	10	0·66	0·26	0·92	3·0
Fertilisers	2	0·41	0·59	1·00	1	0·35	0·58	0·94	4·0
Synthetic fibre & resins	4	0·56	0·22	0·78	6	0·61	0·29	0·90	4·5
Misc. chemicals	8	0·54	0·13	0·67	9	0·56	0·12	0·68	8·3
Glass and glass products	6	0·36	0·22	0·58	4	0·56	0·42	0·88	14·6
Cement	3	0·82	0·62	1·44	5	1·16	0·84	2·00	3·7
Misc. non-metaljic mineral products	6	0·29	0·17	0·46	4	0·34	0·20	0·54	7·9
Iron & steel	17	2·17	1·18	3·35	14	2·64	1·03	3·67	10·7
Non-ferrous metals	3	1·11	0·20	1·31	4	0·74	0·24	0·98	30·9
Metal products	16	1·08	0·87	1·95	16	1·69	0·72	2·41	16·5
Machinery and accessories	24	1·59	0·98	2·57	19	2·20	0·70	2·90	15·0
Electrical machinery, apparatus, appliances & parts	18	2·28	1·10	3·38	14	1·34	0·71	2·05	11·2
Transport equipment & parts	9	1·91	0·67	2·58	6	0·77	0·35	1·12	7·2
Misc. manufacturingindustries	3	0·02	0·04	0·06	2	0·03	0·06	0·09	3·2
Hotel	10	0·61	0·71	1·32	9	0·68	0·72	1·40	11·8
TOTAL :	296	32·79	18·75	51·54	258	37·37	18·29	55·56	10·2

APPENDIX O

UTILISATION OF THE BENEVOLENT RESERVE FUND (BRF) AND THE INTEREST DIFFERENTIAL FUNDS (IDFs) FOR THE PROMOTIONAL ACTIVITIES OF IFCI

(Rs. Crores)

Sl. No.	Purpose	Benevolent Reserve Fund (BRF)		Interest Differential Funds (IDFs)		Total
		Amount utilised		Amount utilised		
		During 1980-81 (July-June)	Cumulative as on the 30th June,1981	During 1980-81 (July-June)	Cumulative as on the 30 th J7ne, 1981	
8	2	3	4	5	6	7
1.	Promotional (Technical Assistance) Schemes	—	—	0.107	0·259	0·259
2.	Special as assignments including industrial potential surveys and feasibility reports, etc.	0·016	0·033	—	—	0·033
3.	Technical Consultancy Organisations					
	—Share capital	—	0·035	0·093	0·243	0·278
	—Deficits	0·004	0·045	—	—	0·045
	—Non-recurring and preliminary expenses	0·001	0·042	—	—	0·042
	Total (3)	0·005	0·122	0·093	0·243	0·365

1	2	3	4	5	6	7
4.	Risk Capital Foundation					
	—Loans	—	—	0·117	1·753	1·753
	—Grants	—		—	0·300	0·300
	—Administrative expenses	0·009	0·113	—	—	0·113
	Total (4)	0·009	0·113	0·117	2·053	2·166
5.	Entreperneurial Development and 'IPIP' Programmes	—	0·034	—	—	0·034
6.	Management Development Institute					
	—Corpus	—	0·300	—	0·700	1·000
	—Campus	0·170	1·293	—	0·512	1·805
	—Deficits	—	—	0·108	0·440	0·440
	—Research Study & programme subsidies, etc.	—	0·021	0·015	0·081	0·102
	—Miscellaneous	—	0·0705	—	—	0·075
	Total (6)	0·170	1·689	0·123	1·733	3·422
7.	Development Banking Centre					
	—Annual grants	—	—	0·082	0·368	0·368
	—Research study & programme subsidies, etc.	0·002	0·011	—	—	0·011
	Total (7)	0·002	0·0011	0·082	0·368	0·379
8.	IFCI Chairs	0·001	0·167	—	—	0·167
9.	Special studies (Oil-seeds processing industry study)	—	0·049	—	—	0·049
10.	Orientation Programmes and assistance to State level institutions	—	0·041	—	—	0·041
11.	Others*	—	—	—	0·593	0·593
	Total (1 to 11)	0 203	2·259	0·522	5·249	7·508

	BRF	IDFs	TOTAL
Total allocation up to the 30th June, 1981	2·920	7·606	10·526
Utilisation upto the 30th June, 1981	2·259	5·249	7·508
Balance	0·661	2·357	3·018

*Represents IDFs (loans portion) utilised for direct financing of eligible projects.

OFFICERS OF IFCI

Principal Officers at Head Office

(As on the 31st August, 1981)

B. B. Singh
Chairman

D. N. Davar
General Manager

P.S. Gopalkrishnan*	A. K. Ghose	R. N. Sahoo
Jt. General Manager	*Legal Adviser*	*Jt. General Manager*
M.N. Khushu	P. S. Gurung	V. S. R. K. Sastry
Jt. General Manager	*Dy. Technical Adviser*	*Asstt. General Manager (Stat.)*
S.K. Rishi	K. C. Hukmani	F.M. Patnaik
Asstt. General Manager (Tech.)	*Asstt. General Manager (Tech.)*	*Asstt. General Manager (Tech.)*

*On deputation with the Unit Trust of India as Executive Trustee.

OFFICERS (*Contd.*)

Other Officers at Head Office

Project Department

CHEMICALS

Sr. Managers
V. P. Kamath
A. S. Khurana (T)
Manager
R. Subramaniam
Asstt. Managers
S. C. Kumar
K. P. Mukherjee
C. B. M. Rao

SUGAR

Sr. Manager
Dr. N. Mahopatra (T)
Manager
R. K. Arora
Asstt. Manager
Din Dayal

TEXTILES

Managers
B. K. Malhotra (T)
G. Naryanamurthy
Asstt. Manager
A. K. B. Nair

ENGINEERING

Managers
V. K. Aggarwal
C. D. Reddy (T)
H. V. Subba Rao
Asstt. Managers
V. K. Dhawan
M. G. Joshi
H. R. Verma

MODERNISATION CASES CELL

Sr. Manager
S. K. Jain**
Manager
V. S. Gupta (T)
Asstt. Manager
T. Ganguli (T)

Problem Cases Department

Managers
S. C. Banerjee
K. K. Garg(T)
K. K. Kathuria (T)
K. K. Varshney (T)
Asstt. Managers
P. Gupta (T)
N. K. Jain (T)
M. V. Muthu (T)

Legal Department

Asstt. Legal Adviser
S. S. L. Gupta
Managers
P. S. Balasubramanyam (L)
B. N. Banerjee (L)
V. P. Grover (L)
K. R. Kalra (L)
Asstt. Manager
K. Sankaran (L)

Accounts Department

Manager
A. N. Gupta

Asstt. Managers
H. C. Anand
V. K. Maheshwari

Internal Audit / Inspection Department

Manager
P. N. Agrawal

Asstt. Managers
B. K. Gupta
S. S. Jain

Management / Productivity Services Department

Adviser (Productivity Services and Training)
Brij Mohan
Asstt. Managers (Training)
Smt. S. P. Lavakare

Statistics Deptt.

Manager
Dr. K. S. V. Menon
Asstt. Managers
R. C. Garg
K. V. R. S. S. Raju

Departments of Policy, Economic Planning and Public Relations

Manager
G. S. Saxena
Asstt. Managers
B. K. Das
J. L. Mehta
P. Ramakrishnan
K. P. Sridharan (T)

Administration Department

Manager
M. L. Kapoor
Asstt. Managers
P. G. Ghosh
Mohan Singh

Personnel Department

Manager
K. Ramanujam

Foreign Currency Loans Department

Asstt. Manager
C. P. Gupta

Board and Coordination Department

Loans Officer
P. N. Arora

Chairman's Secretariat

Secretary to Chairman
S. Venkatasubramanyan

Officers at Regional Offices

Bombay

Dy. General Manager
D. G. Ramaiah

Asstt. General Manager
P. Brahamachari (T)
Sr. Manager
S. R. Guruswamy
Asstt. Legal Adviser
C. P. Bhan

Calcutta

Asstt. General Manager
S. P. Banerjee (T)
Managers
S. C. Bhansali
C. D. Ghosh (T)*
P. K. Ghosh (L)
V. Ramachandran
S. Sundarajan (T)

Delhi

Asstt. General Manager
L. N. Jadhvani

Managers
B. M. Agarwal (T)
K.G. Jindal
H. K. Ramaiah (L)
Sunand Mitra (T)

*Also in-charge of Foreign Currency Loans Department.
**On deputation with the West Bengal Industrial Develoment Corpn. Ltd.

OFFICERS (*Contd.*)

Managers
S. P. Gupta (T)
P. N. Mehrotra (T)
R. K. Sharma (T)
Asstt. Managers
Birbal Arora (T)
R. S. Rajput
S. M. Tulsiani
H. R. Yadkikar (L)

Asst. Manager
G.B.K. Pillai

Madras

Asstt. General Manager
H.C. Sharma
Sr. Manager
L. C. Arora (T)
Managers
K. Radhakrishna
M. Ramakrishna Rao (L)
R. L. Srivastava (T)
Asstt. Managers
A. C. Ahuja (T)
N. K. Baksi (T)
K. P.G. Nair
V. Shankaran (T)

Asst. Managers
G. L. Gupta
S. C. Jain
L. N. Kansra
J. C. Malhotra
H. C. Sharma (T)

Officers at Branch Offices

Ahmedabad

Sr. Manager
G. Viswanathan

Asstt. Managers
N. S. Joshi (L)
H. L. Khar (T)
A. K. Vadhera (T)

Gauhati

Asstt. Managers
B. B. Huria (T)*
Narinder Kumar (T)

Kanpur

Managers
M. M. Menon
B. P. Mishra (T)
Asstt. Managers
M. S. Kang (L)
B. B. Lal
S. R. Patel (L)
M. M. Sikka (T)
R. S. Srivastava (T)

Bangalore

Managers
M. R. Ganapathy Rao
R. S. Sharma (T)
Asstt. Managers
B. M. Dhar (L)
I. I. Injodey
T. V. Krishnamurthy (T)
A. S. C. Menon (T)

Hyderabad

Manager
M.V. Kulkarni

Asstt. Managers
J. D. Chogule (T)
K. Desikan (T)
K. Kalidas
R. L. Shangari (T)
P. V.Markandeyulu (L)

Patna

Manager
Dr. B. Bhatia

Asstt. Managers
A. K. Das (T)
A. K. Roychowdhury

Officers-In-Charge at Other Offices

Bhopal : S.M. Sirsikar
Cochin : N. Sivaraman
Bhubaneswar : P. K. Sengupt
Jaipur : Y. V. Luthra
Pune : M. V. Divekar
Chandigarh : G. D. Narang
Nagpur ; M.G. Chaturvedi

*To take over charge in October, 1981.

N.B. 1. The names of the Officers other than Principal Officers are in the alphabetical order.
2. The letters 'T' and 'L' in brackets denote technical and legal disciplines of the Officers concerned.

OFFICES OF IFCI

HEAD OFFICE
Bank of Baroda Building, 16 Sansad Marg, P.B. No. 363, New Delhi-110001
Telephones : 312052 (14 lines), Telex : ND 2623, Gram : FINCO

Indian Red Cross Society Building, 1, Red Cross Road, New Delhi-110001
Telephones : 389588 388820, 388609

Jeevan Tara Bulding (Gate No. 3), 5, Sansad Marg, New Delhi-110001
Telephone : 322985

REGIONAL OFFICES

		Telephone	*Telex*	*Gram*
BOMBAY :	Regent Chambers, Backbay Reclamation, Nariman Point, Pin 400 021	235047, 235087 235224, 235357 235373, 240839	BY 2773	FINCORPIN
CALCUTTA :	Chatterjee International Centre, 33-A, Chowringhee Road, Pin 700071	245455, 244123/26	CA 7463	FINCODIA

REGIONAL OFFICES—*Contd.*

			Telephone	*Telex*	*Gram*
DELHI	:	Indian Red Cross Society, Building, 1, Red Cross Road, P.B. No. 183, Pin 110001	381994, 389667 389715		INDFINCORP
MADRAS :	:	54, Sterling Road, Nungambakkam, P.B. No. 3318, Pin 600 034	85087, 85197 83625, 86595/6	MS 445	FINCORPIN

BRANCH OFFICES

AHMEDABAD	:	IFC Bhawan, Chimanlal Girdharilal Road, P.B. No. 4049, Pin 380 009	445933, 445984 446745	AM 436	FINCODIA
BANGALORE	:	IFC Bhawan, 2 Cubbonpet, Narasimharaja Square, Pin 560002	71062, 74011 74012, 74013	BG 464	FINCO
GAUHATI	:	B.N. Bordoloi Road, Panbazar, P.B. No. 30, Pin 781 001	27245		FINCORP
HYEDERABAD	:	IFC Bhawan, 3-6-15, Himayatnagar, P.B. No. 1037, Pin 500 029	38053, 38019 34824	HD 429	INFINCO
KANPUR	:	Upper India Chamber of Commerce Building, 14/69, Civil Lines, P.B. No. 319, Pin 208 001	48040, 48276	KP 260	FINCORP
PATNA	:	Shahi Bhawan, Exhibition Road, Pin 800 001	25715		FINCO

OTHER OFFICES

BHOPAL	:	Red Cross Plot, Link Road, No. 2, Shivaji Nagar, Pin 462 006	62433	FINCO
BHUBANESWAR	:	IPICOL House, Rupali Chowk, Janpath, Sahidnagar, Pin 751 007	51279	FINCODIA
CHANDIGARH	:	Oriental Bank of Commerce Building, Bank Square, Sector 17-B, P.B. No. 97, Pin 160 017	26347	IFCICHA
COCHIN	:	'Karuna', XXXIII/1311-D, Mahatma Gandhi Road, P.B. No. 1137, Ernakulam, Pin 682 011	34570	FINCO
JAIPUR	:	Jamnalal Bajaj Marg, Near Civil Lines, Railway Crossing, Pin 302001	63448	IFJAI
NAGPUR	:	266, Bajaj Nagar, Pin 440 010	33416	FINCO
PUNE	:	'Surashree', 1146/B/C, Lakaki Road, Pin 411 016	52666	FINCODIA

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 20th November 1981

No. U-16/53/80-Med. II (W.B.) Col. II—In continuation of this office Notification of even number dated 28-10-1980 and in pursuance of the resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon me the powers of the Corporation under Regulation-105 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950, I hereby authorise the following Medical Officers to function as Medical Authorities w.e.f. 1-11-1981 (FN) within their respective jurisdiction as shown below against them for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificate to them when the correctness of original certificate is in doubt. The appointment is untill 31-10-82 or till a regular Medical Referee is appointed whichever is earlier.

Name	Area	Renumeration
1. Dr. T. R. Saha	How, Maidan MR's office Shibpur L.O. 5/2, L.N. Chatterjee Lane, Howrah.	Rs. 700/- p.m.
Dr. N. C. Das	Taratalla MR's office, C/o Behala L.O. 623-B, Diamond Harbour Road, P.O. Behala, Calcutta-34.	Rs. 700/- p.m

CORRIGENDUM

No. U-16(53)/80-Med.II(W.B.)-Col. II.—In continuation of this office Notification No. U-16(53)/80-Med-II(W.B.) dated 28-10-1980 the date appearing in the Notification "3-11-80 (FN)" may be read as "1-11-1980 (FN)".

HAR MANDER SINGH
Director General

New Delhi, the 16th November 1981

No. 11(1)-11/72.P&D (I)—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for sets 'A', 'B', and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 7-11-1981 as indicated in the table given below :—

Set	First contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	7-11-81	30-1-82	7-8-82	30-10-82
B	7-11-81	27-3-82	7-8-82	25-12-82
C	7-11-81	28-11-81	7-8-82	28-8-82

SCHEDULE

The following areas in the state of Himachl Pradesh :

Sl. No.	Area/Had Bast No.	District
1.	Revenue village Mehatpur, Had Bast No. 230	Una.
2.	Revenue village Jakhera, Had Bast No. 229	Una.
3.	Revenue village Parwanoo	Solan.
4.	Revenue village Gumma, Had Bast No. 949	Solan
5.	Revenue village Ambota, Had Bast No. 952	Solan
6.	Revenue village Kamli, Had Bast No. 948	Solan.
7.	Revenue village Taksal, Had Bast No. 951	Solan.

No. 11(1)-11/72-P&D (2).—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the *8th November*, 1981 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the *Himachal Pradesh* Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1976, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of *Himachal Pradesh* namely —

Sl No	*Area/Had Bast No and District*
1.	Revenue village Mehatpur, Had Bast No 230—Una
2.	Revenue village Jakhera, Had Bast No 229—Una
3	Revenue village Parwanoo —Solan
4.	Revenue village Gumma, Had Bast No 949—Solan
5	Revenue village Ambota, Had Bast No 852—Solan
6	Revenue village Kamli, Had Bast No 948—Solan
7.	Revenue village Taksal, Had Bast No 951—Solan

D P MALHOTRA
Director (P&D)

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 26th November 1981

No 10/F No 36-4/81-EP.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations 1971, namely —

1. (i) These regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (79th Amendment) Regulations, 1981.

(ii) They shall come into force at once

2. The existing provisions under Regulation 75 of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971, shall be substituted by the following —

"75 Miscellaneous :

Service of Orders, Notices etc .

The following procedure shall be followed by the Corporation while serving orders, notices, etc on Corporation's employees —

(i) Every order, notice and other process made or issued under these Regulations shall, as far as possible, be delivered or tendered to the employee concerned in person,

(ii) Where such order, notice or other process cannot be served personally as at (i) above, the notice etc shall be served on such employee by *Registered post acknowledgement due* at the address of the employee available with the Corporation at the office where the employee was last working or, if he is on leave, as per his leave application particulars, if any, and

(iii) If the notice sent by the Registered post is returned unserved, it should be published in the Local/Regional Language Newspapers and All India News papers, as appropriate and upon such publication, it shall be deemed to have been personally served on such employee"

R. NARAYANASWAMY, Secy.

CANTONMENT BOARD, RANIKHET CANTONMENT

Ranikhet Cantonment, the 27th November 1981

No. S R O 243/79/ATN.—Whereas a public notice of certain draft amendments proposed to be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. S R C. 378, dated the 21st November, 1968, imposing toll on goods, vehicles and animals entering the Cantonment of Ranikhet was published on the 15th November, 1980 by affixing the same in a conspicuous part of the office of the Cantonment Board, Ranikhet, as required by section 61, read with section 255, of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) inviting Objection and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of 30 days from the date of publication of the said notice,

And whereas no objections or suggestions were received from the public by the Cantonment Board before the expiry of the said period of 30 days,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 60 of the said Act, the Cantonment Board, Ranikhet, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Defence, No S R O, dated the 21st November, 1968, namely —

In the said notification, in the first proviso, in sub-paragraph (b) of paragraph (4), after item (v), the following item shall be inserted, namely —

"(vi) Staff deployed on duty, on behalf of the Election Commission, in connection with the conduct of election to the Lok Sabha or the Legislative Assembly (Vidhan Sabha) of the State of Uttar Pradesh, within the local limits, on production of a certificate issued by the Returning Officer or such other officer authorised in this behalf"

(File No 53/7/C/1&C/80)

R D CHATURVEDI
Cantonment Executive Officer,
Ranikhet

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay te 26th November 1981

CORRIGENDA

No UT/DPD/(P&R)/81-82—The following corrections in our notification No UT/2729/DPD(P & R) 84/81-82 dated 7th September, 1981 published on pages 2638/2642 of Gazette of India (Part III Section IV) dated 10th October, 1981 are published for General information.

Page No	Column No	Clause/ Sub-Clause	Correction
1	2	3	4
2639 .	1	VI (2)	Read 5th & 6th years repurchases limits as follows . 5th year 60 (inclusive of previous years 40%) 6th year and 100 thereafter
2640 .	1	XII	Add the word 'Certificate' after the word 'unit' in the title.
2641 .	1	XVI	In the second line the word 'certified' should be read as 'certificate'.
2641 .	1	XVIII	Sub-clause (i) should be read as (1)
2641 .	1	XVIII(1)	In the last line the word and figures "exceed 50%" should be read as 'exceed 5%".
2641 .	1	XXI	In eighth line the word (after any) 'he' should be read as 'be'.

MOHAMMAD TAHIR
Manager (P & D)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981